त्रयोदश माला, खंड 6, अंक 30

शुक्रवार, 5 मई, 2000

15 वैशाख, 1922 (शक)

NOT TO BE ISSUED

FOR REFERENCE ONLY.

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)



PARLIAMENT LIBRARY
No. D.....50.....
Date.....10/7/2001

(खंड 6 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मल्होत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 30, शुक्रवार, 5 मई, 2000/15 वैशाख, 1922 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 561 से 564	1–31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 565 से 580	31–61
अतारांकित प्रश्न संख्या 6080 से 6309	61–367
सभा पटल पर रखे गए पत्र	367–375
याचिका का प्रस्तुतीकरण	375
सभा का कार्य	375–379
समिति के लिए निर्वाचन	379–380
प्रसव पूर्व निदान तकनीक का केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड	379–380
कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	380
सूती वस्त्र (निरसन) विधेयक	403–413
विचार करने के लिए प्रस्ताव	403
श्री काशीराम राणा	403
श्री वरकला राधाकृष्णन	405
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	406
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	409
खण्ड 2 और 1	413
पारित करने के लिए प्रस्ताव	413
सूती वस्त्र उपकर (निरसन) विधेयक	413
विचार करने के लिए प्रस्ताव	413
श्री काशीराम राणा	413
श्री वरकला राधाकृष्णन	414
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	415
खण्ड 2 और 1	419
पारित करने के लिए प्रस्ताव	419

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पांचवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	420
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक–पुर:स्थापित	420–428
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन)	
श्री प्रभुनाथ सिंह	420–421
(दो) आनुकल्पिक ईंधन सम्पदा बोर्ड विधेयक	
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील	421–422
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 16, आदि का संशोधन)	
श्री सुशील कुमार शिंदे	422
(चार) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (विकास) विधेयक	
श्री साहिब सिंह	422–423
(पांच) विशेष शैक्षणिक सुविधाएं (ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले माता-पिता की संतानों के लिए) विधेयक	
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा	423
(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 85 का संशोधन)	
श्री विलास मुत्तेमवार	427–428
(सात) लोक नियोजन (भर्ती) विधेयक	
श्री अनंत गंगाराम गीते	428
(आठ) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (नई धारा 26क और 26ख का अंत:स्थापन) – वापस लिया गया	424, 428–461
विचार करने के लिए प्रस्ताव	424
श्री रमेश चेन्नितला	424
श्री पी.एच. पांडियन	428
श्री शीश राम सिंह रवि	436
श्री शिवराज वी. पाटील	439
श्री सुबोध राय	447
डा. रामकृष्ण कुसमरिया	449
श्री पुन्नु लाल मोहले	450
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	452
श्री वरकला राधाकृष्णन	453
श्री ओ. राजगोपाल	456
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	457

विषय		कालम
(नौ)	अंतर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक - विचाराधीन	462–466
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	462
	श्री वैको	462
आधे घंटे की चर्चा		
पुलिस बल का आधुनिकीकरण		467–482
	श्रीमती श्यामा सिंह	467
	श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा	471
	श्री विजय गोयल	473
	प्रो. रासा सिंह रावत	474
	श्री वरकला राधाकृष्णन	475
	श्री रमेश चेन्नितला	476
	श्री संतोष मोहन देव	476
	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	477
	श्री सीएच. विद्यासागर राव	479

लोक सभा

शुक्रवार, 5 मई, 2000/15 वैशाख, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

कोयला खानों में कोयला भंडारों में कमी

*561. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) और भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) के कोयला भंडारों में कोई कमी पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सी.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. की विभिन्न कोयला खानों में कोयले के भंडार में कमी पाये जाने के कितने मामलों का पता चला तथा इस संबंध में कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया;

(ग) कोयले के भंडार में कमी के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित करने हेतु मौजूदा नियम क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कोयला भंडारों में होने वाली अनियमितताओं को रोकने हेतु अब तक क्या उपाय किए गए हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के गत तीन वर्षों के दौरान बी.सी.सी.एल. की 24 कोलियरियों में 18.00 लाख टन कोयले और सी.सी.एल. की 2 कोलियरियों में 0.14 लाख टन तक कोयले के स्टॉक में कमी पाई गई।

(ख) कोयला स्टॉक की कमी के उपर्युक्त मामलों में सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) के 4 कर्मचारियों और भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) के 64 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। जहां सी.सी.एल. के 4 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई जारी है, वहीं बी.सी.सी.एल. के 8 कर्मचारियों के विरुद्ध जुर्माना लगाया गया और प्रशासनिक कार्रवाई की गई। बी.सी.सी.एल. के शेष कर्मचारियों के मामले में, उनमें से 7 के विरुद्ध मामले बंद कर दिए गए, 13 आरोपमुक्त कर दिए गए और 36 कर्मचारियों के विरुद्ध मामले की कार्रवाई प्रगति पर है।

(ग) जब कभी 5% से अधिक की कमी होती है और कमी की पूर्ण प्रमात्रा 1000 टन से अधिक होती है, तो कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) के आचरण, अनुशासन और अपील नियम, 1978 के संगत प्रावधानों के अनुसार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। गैर-अधिकारी कर्मचारी के लिए संबद्ध कर्मचारी पर लागू स्थायी प्रामाणिक आदेशों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

(घ) कोयला स्टॉक की अनियमितताओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) कोलियरी स्तर पर कोयला स्टॉक की मासिक माप।

(2) क्षेत्र स्तर के दलों द्वारा कोयला स्टॉक की तिमाही माप।

(3) संबद्ध कंपनी मुख्यालय स्तर के दलों द्वारा कोयला स्टॉक की छमाही माप।

(4) कोयला इन्वेंटरी दलों द्वारा सी.आई.एल. स्तर पर सी.आई.एल. के सभी खानों के कोयला स्टॉक की वार्षिक माप।

(5) मेसर्स इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स, मेसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. और मेसर्स मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि. जैसे बाह्य कार्मिक, जिनके पास इस विशिष्ट कार्य के लिए सक्षम कार्मिक हैं, को नियोजित करके खानों में स्टाक के माप के लगभग 10% माप की जांच की जाती है।

(6) उन यूनिटों के मामले में, जिनके पास बड़े स्टाक हैं, माप लेने वाले दल की विश्वसनीयता की जांच के लिए किए जाने वाले माप की जांच।

(7) स्टॉक के बेहतर प्रबंधन के लिए पिटहैड स्टाक को लगभग मानक स्तर तक कम कर दिया गया है। सी.सी.एल. में 1996-97 में 5.05 मिलियन टन तक के स्टॉक धारण, 1999-2000 में घटकर 4.34 मिलियन टन हो गए। इसी प्रकार बी.सी.सी.एल. में 1997-98 के दौरान 5.38 मिलियन टन तक के स्टॉक धारण, घटकर 1999-2000 में 3.28 मिलियन टन तथा ई.सी.एल. में 1998-99 में 4.30 मिलियन टन से घटकर 1999-2000 में 3.06 मिलियन टन हो गए।

(8) प्रिंट की सुविधा सहित इलेक्ट्रॉनिक रेल वे-ब्रिजों के साथ-साथ रोड वे-ब्रिज की स्थापना, जहां अब लगभग कुल प्रेषणों का 90 प्रतिशत प्रेषण उक्त वे-ब्रिजों से होकर गुजरता हैं।

(9) कोयला स्टॉक के संबंध में लेखा प्रणाली सुझाने के लिए वर्ष 2000-01 के लिए परामर्शी के रूप में एक बाह्य स्वतंत्र अभिकरण को नियोजित करने का निर्णय लिया गया है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया द्वारा मेरे प्रश्न के भाग भाग ख, ग और घ के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। मेरा पूरक प्रश्न है कि क्या वर्ष 1991 में कुल 49 लाख टन कोयले की शॉर्टेज को राइट ऑफ करने के बाद, और जनवरी, 1992 में कोड बनने के बाद भी कोयले की शॉर्टेज के लिए उच्च अधिकारियों को दंडित नहीं किया गया और आर.एन. मिश्रा कमेटी और सी.सी.एल. विजिलेन्स की रेकमंडेशन की अवहेलना करने के कारण 1.4.95 को कोल शॉर्टेज लगभग 65 लाख टन हो गई और करीब पांच वर्ष बाद भी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई और दोषी अधिकारियों को प्रमोशन देने के बाद ही चार्जशीट जारी की गई? यदि हां, तो विद्यमान नियमों की कमेटी और संस्तुति के आलोक में सी.सी.एल. के प्रत्येक प्रोजेक्ट में पोस्टवाइज दोषी अधिकारियों को क्या सजा दी गई और कार्रवाई लंबित रहने के क्या कारण हैं?

प्रो. रीता वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सांसद की जानकारी में लाना चाहूंगी कि उनका प्रश्न 1996-97, 1997-98 और 1998-99 से संबंधित है और जिस आर.एन. मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा है, वह उससे पहले की बात है। आर.एन. मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट बी.बी.सी.एल. के बारे में 1993 में, सी.सी.एल. के बारे में 1994 में और ई.सी.एल. के बारे में 1995 में आई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई भी की गई थी और उसके जवाब अलग से माननीय सांसद महोदय के पास भेज दिये जाएंगे। उनका प्रश्न इससे संबंधित है कि इन तीन सालों में बी.सी.सी.एल. में जो स्टॉक शॉर्टेज हुई है, उनकी इनक्वायरी हुई है। 27 अगस्त, 1992 के मामले में भी इनक्वायरी हुई थी जिसकी रिपोर्ट 1993 में आई थी। उसमें 222 ऑफिशियल्स के खिलाफ अनुशंसा के बाद कार्रवाई शुरू की गई थी, 220 के खिलाफ एक्शन लिया गया जिनमें से मेजर पैनल्टी 41 लोगों को दी गई और माइनर पैनल्टी 45 लोगों को दी गई। कुल मिलाकर 86 लोगों को बी.सी.सी.एल. में पैनल्टी दी गई। सी.सी.एल. में 190 ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई, 166 के खिलाफ एक्शन लिया गया, जिसमें माइनर पैनल्टी 41 लोगों को और मेजर पैनल्टी पांच लोगों को दी गई। कुल मिलाकर 46 लोगों को पैनल्टी दी गई। इसके अलावा जो जानकारी माननीय सदस्य चाहते हैं वह मैं बता सकती हूं।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि जो कार्रवाई की गई, वह किस स्तर के अधिकारियों पर की गई? क्या मैनेजर रैंक के अधिकारियों पर की गई या अंडर-मैनेजर रैंक के या सी.एम.डी. डायरेक्टर स्तर के अधिकारियों पर की गई?

आर.एन. मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में जो कोड है, वह इस मामले में उसी समय का और उसी आधार पर बना है, लेकिन उसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस आधार पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वह शून्य है?

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सांसद महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगी कि स्टॉक शॉर्टेज की शिकायतें समय-समय पर आती रही हैं उनके आधार पर समय-समय पर कमेटीज बनती हैं जो उसकी छानबीन करती हैं। यदि हम सभी कमेटीज को एक साथ लेकर चलेंगे, तो मामला काफी कॉम्पलीकेटेड हो जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : जहां तक आर.एन. मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्रवाई के बारे में माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि किस स्तर के ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, मैं बताना चाहती हूं कि इसमें बड़े-बड़े ऑफीसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इसमें दो जी.एम. लैवल के अधिकारियों को नौकरी से निकाला गया है और उससे नीचे के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनकी मेरे पास एक लिस्ट है, जो काफी लंबी

है। मैं यहां वह पूरी लिस्ट नहीं पढ़ सकती हूं, लेकिन माननीय सदस्य को मैं उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर और इस लिस्ट की एक प्रति भेज दूंगी। मैं उनकी जानकारी के लिए यह बताना चाहती हूं कि छोटे और बड़े दोनों स्तर के अधिकारियों को दंडित किया गया है।

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का दूसरा सप्लीमेंट्री यह है कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आप बैठिए। आपको एक ही सप्लीमेंट्री पूछनी है जो आपने पूछ लिया।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, विगत तीन वर्षों में सी.सी.एल. घाटे में चल रही है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने अपने उत्तर में बताया है कि 36 कर्मचारियों के विरुद्ध मामले की कार्रवाई प्रगति पर है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह क्या कार्रवाई है और कब से प्रगति पर है। जो बड़े-बड़े पदाधिकारी कोयला खानों में लगे हुए हैं, आज वे साइड बिजनैस कर रहे हैं, कोयले की चोरी करा रहे हैं और कोयला माफियाओं को कोयला चोरी करने में प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जब ऐसे कार्यों में सारे बड़े-बड़े अधिकारी शामिल हैं, तो क्या सरकार कोई उच्चस्तरीय या संसदीय समिति बनाकर पूरे केस की जांच कराना चाहती है?

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से सहमत हूं। उनका यह कहना बिलकुल सही है कि लगातार ऐसी शिकायतें विगत तमाम वर्षों में अलग-अलग समय पर आती रही हैं जिनमें प्रमुख रूप से ओवर रिपोर्टिंग, स्टॉक शार्टेज और करप्शन की शिकायतें प्रमुख हैं। ऐसी शिकायतें लगातार आती रही हैं।

जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, जैसा माननीय सांसद महोदय कह रहे हैं और मान भी रहे हैं, वह तो हमने अपने उत्तर में पहले ही स्वीकार कर लिया है। हालांकि हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए ई.सी.एल. और सिंगरेनी यूनिट में स्टॉक शार्टेज की जांच कराई और समय-समय पर आई.बी.एम. से नपाई कराते रहे हैं, लेकिन उससे चूंकि शिकायतों का निपटारा नहीं हो सका इसलिए हम लोगों ने यह सोचा कि इस बारे में क्योंकि यहां भी मांग की जाएगी अत: हमने पहले से ही आपकी भावनाओं को समझते हुए, क्योंकि मैं भी पहले विपक्ष में थी और इस प्रकार के प्रश्न उठाती रही हूं, एक बाहर की एजेंसी, क्रेडीबल एजेंसी से इसकी जांच कराने की सिफारिश कर दी है। वह एक साल की पूरी गणना करेगी और सभी पहलुओं की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। उससे जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनको लेकर हम सदन के समक्ष उपस्थित होंगे। इसमें छिपाने का कोई मामला नहीं है क्योंकि दूसरों की गलती को हम अपने सिर पर क्यों लें।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बिहार के सभी माननीय सांसद अपनी नजरों से प्रति दिन बड़े-बड़े सरकारी अधिकारियों द्वारा ट्रकों से और रिक्शों से कोयले को चोरी से पार कराके ढोते हुए देखते हैं। कोयला उत्पादन अधिक होता है फिर भी उसकी शार्टेज दिखाई जाती है, इसकी जांच संसदीय समिति बनाकर कराने में आपको आपत्ति क्या है? इस तरह के घपले हम लोग रोज अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो भी सरकार को सांसदों की समिति बनाकर इसकी जांच कराने में आपत्ति क्यों है?

प्रो. रीता वर्मा : हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है लेकिन पहले, जो आउट साइड एजेंसी है, जो कि इस काम को करने के लिए टैक्नीकली क्वालीफाइड है और क्रेडीबल एजेंसी है, उसको एक साल की गणना करने दीजिए।

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): महोदय, आपकी अनुमति से मैं कहता हूं कि हमें समस्या के बारे में पता है। मैं अपने माननीय सहयोगी की मदद करना चाहता हूं। मुझे स्पष्ट करने दीजिए कि हमें इस समस्या के बारे में पता है। नि:सन्देह राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में यह अत्यन्त गंभीर समस्या है। यह स्टाफ की कमी के नाम पर किया जा रहा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। हालांकि मिश्रा समिति ने जो कहा है वह सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं इसके बारे में स्वयं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। यह गम्भीर स्थिति है। हमें स्वतंत्र रूप से छानबीन करने और वस्तु तालिका आदि बनाने के लिए न केवल व्यावसायिक स्वतंत्र एजेंसी बनाने का निर्णय लिया बल्कि ऐसी प्रणाली को बनाना पड़ेगा जो उचित हो है। इस सभा में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस प्रस्तावित प्रणाली की छानबीन करने के लिए संसद सदस्यों की समिति गठित करेंगे क्योंकि मैं समझता हूं कि दलगत भावना से ऊपर उठकर इस मामले की छानबीन करना आवश्यक है और इस समिति जिसका हम गठन करेंगे, के समक्ष परामर्शदाता का प्रतिवेदन रखा जा सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य : सेंट्रल कोल फील्ड्स और भारत कोकिंग कोल लि. के साथ-साथ पूर्वोत्तर कोल फील्ड्स में कोयला भण्डारों की कमी के प्रश्न के बारे में स्टॉक की गलत रिपोर्ट दी जा रही है जहां कोई उत्पादन नहीं है। उत्पादन के सम्बन्ध में महाप्रबन्धकों ने गलत रिपोर्ट दी है। उस समस्या की जांच पूर्वोत्तर कोलफील्ड्स लि. के भूतपूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक श्री आर.एन. मिश्रा द्वारा की गई थी। उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी। मैं कुछ अधिकारियों के बारे में जानता हूं जिनके नाम गलत रिपोर्ट देने और तत्पश्चात् कोयला भंडार न मिलने के सम्बन्ध में विशेष रूप से बताया गया है। उसमें विशेष सिफारिश की गई है कि उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। आर.एन. मिश्रा समिति की सिफारिश के पश्चात् कुछ अधिकारियों को पदोन्नति दी गई। महाप्रबंधक को मुख्य महाप्रबंधक और प्रबंध को महाप्रबंधक बनाया गया। मैं उनके नाम दे सकता हूं। वे अपना सिर हिला रही है वे भी यही प्रश्न पूछेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य : वर्ष 1978 में खान और खनिज राज्य मंत्री द्वारा यही प्रश्न पूछा गया था। उन्हें भी नाम के बारे में पता है। यही प्रश्न 1998 में पूछा गया था। उन्हें भी मालूम है क्योंकि वह जो जवाब दे रही हैं वह मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अनुपूरक प्रश्न पूछिए; अन्य सदस्य भी है। कृपया आप अन्य सदस्यों को भी प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करे।

श्री बसुदेव आचार्य : उत्तर में भी, यह बताया गया है कि स्टाक धारण 5.05 मिलियन टन से घटकर 4.34 मिलियन टन हो गया है। लक्ष्य 30 मिलियन टन है। 30 मिलियन टन में से स्टाक धारण 4.34 मिलियन टन है क्योंकि यह पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। एक संसदीय समिति ने भी इसकी छानबीन की थी। श्री बल्लभ पाणिग्राही समिति ने भी गलत रिपोर्ट देने और कोल स्टाक की कमी की भी जांच की थी। अन्य समितियों ने भी इसकी सिफारिश की थी।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है?

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन विभिन्न समितियों की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

किसी व्यवसायिक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी जानते है कि कोयला उद्योग और कोयला कम्पनियों में क्या हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या सरकार अभी भी चल रहे गलत सूचना देने के मामलों को रोकने के लिए मिश्रा समिति और अन्य समितियों की विशेष सिफारिशों पर कार्यवाही करेगी। मैं उन्हें बता सकता हूं कोल कम्पनियों में कोल की कमी, बढ़ा चढ़ा कर बताना, उठाईगिरि और भ्रष्टाचार सब वहां है। क्या सरकार विशेष सिफारिशों पर कार्यवाही करेगी?

[हिन्दी]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, जेटली जी यहां बैठे हैं। मेरा कहना है कि क्वेश्चन ऑवर डी.डी. I पर डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है। अगर उसका टेलीकास्ट बंद हो जाये तो प्रश्न पूछना भी छोटा हो जायेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : उत्तर भी छोटा हो जायेगा।

प्रो. रीता वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं संसद सदस्य श्री आचार्य जी की चिन्ता से सहमत हूं और वह भी जानते हैं कि मैंने खुद भी इस विषय पर काफी चिन्तन किया है, इस संबंध में काफी प्रश्न पूछे थे। यदि मैं एक शब्द में उनके प्रश्न का जवाब देना चाहूं तो उत्तर है - जी हां। हम जानते हैं कि इस समस्या का डायमैंशन बहुत बड़ा है। हम यह भी जानते हैं कि हमारे पूर्व की सरकार ने इसमें अच्छे प्रयास किये थे फिर भी हम इस बुराई पर काबू नहीं पा सके हैं। इसलिए हमने एक इंडिपैंडेंट एजेंसी बनाने की बात की है। जहां तक आपने ई.सी.एल. के बारे में, मिश्रा कमेटी की सिफारिशों की इम्पलीमैंटेशन के बारे में पूछा है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 31 जनवरी, 1997 को मिश्रा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उसके हिसाब से जो कार्रवाइयां की गई हैं, उनको मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी - 12 आफिसर्स पर मेजर पैनल्टी इम्पोज की गई है और जो

आफिसर्स चित्रा ए और चित्रा बी कोलियरीज के इन्चार्ज थे, उनके बारे में खास तौर से इंक्वायरी की गई, उन्हें आईडेंटिफाई किया गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : कितने लोगों को पदच्युत किया गया है?

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : आप पहले पूरा सुन लीजिए। दूसरी कार्रवाई यह की कि डिपार्टमैंटल इंक्वायरी जो 33 केसों में शुरू की गई थी, उसको पूरा किया गया। 12 केसों में मेजर पैनल्टी दी गई। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. बंगरप्पा : महोदया, आप अपने 1998 के प्रश्न का उत्तर क्या देंगी?

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : उन्होंने जो पूछा है, उसी का मैं जवाब दे रही हूं। ...*(व्यवधान)* आप उनसे पूछिये कि मैं क्या ठीक जवाब नहीं दे रही हूं? उन्होंने श्री आर.एन. मिश्रा कमेटी के बारे में पूछा था, मैं उसके बारे में ही जवाब दे रही हूं। 12 लोगों के खिलाफ मेजर पैनल्टी दी गई। परसिया ओ.पी.सी. में जो गड़बड़ी हुई थी, उसका इन्वेस्टीगेशन किया गया है। बाकी जितने केसेस थे, उनका कमेटी की रिपोर्ट के 13.6 स्टेटमैंट में उल्लेख है। उसमें भी जांच की गई। मैं यह भी बताना चाहूंगी कि पाणिग्रही कमेटी की अनुशंसा के आलोक में कोल इंडिया में स्टॉक शॉर्टेज से निपटने के लिए एक सिस्टम बना दिया गया है। सभी सदस्य रैस्टिव हो रहे हैं इसलिए मैं शार्ट में बताना चाहूंगी कि पाणिग्रही समिति ने कहा था कि 5 परसेंट वेरीयेशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, 5 परसेंट से कम होने पर उसकी इंक्वायरी न की जाये। शार्टेज यदि 5 परसेंट से ऊपर होता है तो उसके लिए मैनेजर, एजेंट और जनरल मैनेजर की रिस्पौंसिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। उनके खिलाफ डिसिप्लिनेरी एक्शन लिया जाये, जो कि कोल इंडिया का 1998 का अपना रूल है। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि जो इंडिक्टेड हुए हैं, उनको प्रमोशन मिला - यह कोल इंडिया की पालिसी नहीं है और न ही ऐसा हो सकता है। यदि कोई इंडीविजुअल केस आपके पास है तो उसे आप हमारे पास लाये। निश्चित रूप से हम ऐसे केसों पर एक्शन लेंगे।

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, अभी पहला क्वेश्चन ही चल रहा है। मेरा सातवें नम्बर पर क्वैश्चन है, जो बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अंडरग्राउंड कोल फॉयर्स चल रही हैं, उसमें कितने डेमेजेज हुए हैं और उससे बचने के लिए क्या मेजर्स लिये जा रहे हैं? इसके साथ-साथ एक आम शिकायत यह है कि वहां जो लेबरर्स काम करते हैं, उन्हें अस्थमा हो जाता है। क्या सरकार को यह मालूम है कि वहां कितने परसेंट लोगों को अस्थमा हुआ है? उन्हें मेडिकल ऐड दी जा रही है या नहीं, मास्क प्रोवाइड किये जा रहे हैं या नहीं?

तीसरी बात मुझे यह पूछनी है कि हमारी जो टैक्नोलॉजी है, वह काफी पुरानी टैक्नोलॉजी है। उसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है, कितने कोयले का चूरा हो रहा है और सब स्टैण्डर्ड कोयला निकल रहा है?

[अनुवाद]

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं कि यद्यपि यह प्रश्न की वास्तविक परिधि के बाहर है परन्तु यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है।

हमें विशेष रूप से पुरानी भूमिगत खानों के साथ बहुत समस्या है क्योंकि वे कम चौड़ी हैं और पहले के उपस्करों के लिए तैयार की गई थी। हम नई खानों में, जो वहां है, उपस्करों का आधुनिकीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। यह सत्य है कि विशेष रूप से झरिया शहर के अन्तर्गत अच्छे कोकिंग कोल वाले क्षेत्र बड़ी मात्रा में है। उस क्षेत्र में वहां आग है। हम उसे विभिन्न अग्निशमन उपस्कर, क्षेत्रों को प्रतिबंधित करके, जल निकासी आदि विभिन्न तरीकों से निपटाने का प्रयास कर रहे है लेकिन हमें विश्वास है कि अन्तिम जवाब यह होगा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए नये शहर का निर्माण करेंगे कि आग बुझाई जाए लेकिन जब तक आग के ऊपर शहर विद्यमान रहेगा तब तक बुझाई जानी असम्भव है। नि:सन्देह वहां भयंकर खतरा है। हम ज्वालामुखी जैसी स्थिति में है जहां एक दिन पूरा का पूरा शहर आग का गोला में समा जाएगा। हम गम्भीरता से पूरा शहर पुन: बसाने पर विचार कर रहे है ताकि लोगों को वहां से हटाया जा सके, आग बुझाई जा सके और उस स्थिति से निपटा जा सके।

भूमिगत कोयला खान गम्भीर समस्या है। हम वहां की आन्तरिक समस्याओं और पुरानी खानों से अस्थमा होने के कारण उन्हें

चिकित्सीय सहायता के साथ-साथ वित्तीय सहायता दे रहे है। यह ऐसा है जिसे हमने राष्ट्रीयकरण के दिनों से बपौती में प्राप्त किया है हम इस मुद्दे पर ध्यान दे रहे है और हमें इस समस्या का भलीभांति पता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री जी.जे. जाविया।

श्री सुनील खां : महोदय, जब वहां तत्कालीन सी.एम.डी. ई.सी.एल. के घर की सी.बी.आई. द्वारा तलाशी ली गई थी, तो वहां करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। उन्हें उच्चतर पदोन्नति देकर स्थानान्तरित किया गया था। अत: मैं इस मामले की सी.बी.आई. जांच कराना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

खनिजों पर रायल्टी

*562. श्री जी.जे. जावीया :
श्री राम मोहन गाइडे :

क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनिजों पर रायल्टी की दर, जो राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत है, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा रही है:

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या कुछ खनिजों की रायल्टी दरें, जो संशोधन किए जाने योग्य हो गई थीं; अभी तक संशोधित नहीं की गई हैं; और

(च) यदि हां, तो ऐसे खनिजों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (च) सभा पटल पर एक विवरण-पत्र रख दिया गया है।

विवरण

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम.एम.आर.डी.) की धारा 9(3) के प्रावधानों के तहत, केन्द्र सरकार ऐसी तिथि, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, से प्रमुख खनिजों पर [खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 3(ङ) के तहत परिभाषित गौण खनिजों को छोड़कर] देय रायल्टी दरों में बढ़ोत्तरी या कमी करने के लिए अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन कर सकती है, बशर्ते केन्द्र सरकार तीन वर्ष की अवधि में किसी खनिज की रायल्टी की दरों में एक बार से अधिक बार बढ़ोत्तरी नहीं करेगी। खनिजों पर रायल्टी, राज्य सरकारों के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। राज्य सरकारें, खनिजों पर रायल्टी की दरों में संशोधन के लिए समय-समय पर केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हैं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार, खनिजों पर रायल्टी की दरों में संशोधन करते समय, केन्द्र सरकार अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों के सुझावों पर विचार करती है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 9(3) के प्रावधानों में, रायल्टी दरों में संशोधन करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और भराई के लिए बालू को छोड़कर) की रायल्टी की दरों में सरकार ने वर्ष 1997 में संशोधित किया था। कोयले और लिग्नाइट की रायल्टी की दरों में, क्रमश: वर्ष 1994 और 1990 में संशोधन किए गए थे।

श्री जी.जे. जावीया : खनिजों की रायल्टी के बारे में केन्द्र सरकार हर तीन वर्ष के बाद संशोधन करती है और नई दर निश्चित करती है। क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि तीन वर्ष में आखिरी बार कब संशोधन हुआ?

प्रो. रीता वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय संसद सदस्य के नोटिस में यह बात लाना चाहूंगी कि तीन साल का जो पीरियड है, वह मेंडेटरी नहीं है। तीन साल से पहले रिवीजन नहीं हो सकता है, तीन साल के बाद हो सकता है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जो मेजर मिनरल्स हैं, उनके संबंध में तीन साल पहले अप्रैल, 1997 में रिवीजन हुआ है और इस अप्रैल, 2000 में वह ड्यू है। इसके लिए एक कमेटी पहले से बना दी गई है। एडीशनल सैक्रेटरी, माइंस डिपार्टमेंट की अध्यक्षता में वह समिति काम कर रही है। इसलिए इस विषय में चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। जो स्पेसिफिक प्रश्न वह पूछना चाहते हैं, यदि उसे पूछें तो मैं जवाब देने को प्रस्तुत हूं।

श्री जी.जे. जावीया : 1996 में जो संशोधन हुआ, वह मेजर मिनरल्स का हुआ है। यदि आप लिग्नाइट को 'ई' ग्रेड कोयला मानती हैं, सरकार मानती है तो इस सम्बन्ध में संशोधन अभी तक क्यों नहीं हुआ है - इसके बारे में मुझे जानना है?

प्रो. रीता वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने मित्र की चिन्ता को समझ रही थी और इन्तजार कर रही थी कि वे पूछें, तब मैं उनको बताऊं। मैं मानती हूं कि लिग्नाइट की जो रायल्टी है, उसके संशोधन में थोड़ा विलम्ब हुआ है। 1990 में इसकी दरों में संशोधन हुआ था, जो उस समय के मूल्य के हिसाब से ढाई रुपये प्रति टन रखी गई थी और जो आज की परिस्थितियों से बहुत ही कम है। लिग्नाइट की रायल्टी के रिवीजन के बारे में हमारी सरकार ने और हमारे मंत्री जी ने बहुत काम किया है। बहुत जल्दी हम अपनी अनुशंसा लेकर केबिनेट कमेटी फॉर इकोनोमिक अफेयर्स के पास जाने वाले हैं। यह सुन्दर समाचार अपने मित्र को देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है।

[अनुवाद]

श्री राम मोहन गाड्डे : महोदय, 3 दिसम्बर, 1999 को प्रश्न संख्या 856 के दिये गए उत्तर में बताया गया है कि रायल्टी का अगला संशोधन 10 अप्रैल, 2000 को होना था। जैसाकि राज्यों को रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है जो कि उनकी आय का मुख्य स्रोत है, मैं जानना चाहता हूं अनुसूची का पालन न करने के कारण क्या हैं और रॉयल्टी दरों का संशोधन करने का अब सरकार का कार्यक्रम क्या है जो अतिदेय है। मैं यह भी जानना चाहता हूं सरकार देय तारीखों पर रॉयल्टी की दरों का संशोधन न किये जाने के कारण राज्यों द्वारा उठाई जा रही हानि के लिए राज्य सरकारों को किस प्रकार क्षतिपूर्ति करेगी?

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, मैं फिर से यह बात सदन के सामने रखना चाहूंगी और माननीय मित्रों के ध्यान में लाना चाहूंगी कि तीन साल का जो बंधन है, वह तीन साल से पहले रिवाइज नहीं हो सकता, उसके बाद रिवाइज हो सकता है, जैसा कि अक्सर होता आया है। कोयले की रायल्टी के बारे में 1981 में रेट रिवाइज किए गए। उसके बाद 1991 में किए गए। इसलिए समय का बंधन नहीं है। जहां तक हमारे मित्र की चिंता है, उन्होंने कहा कि 1997 में रेट रिवाइज हुए थे, मैं कहना चाहती हूं कि वे दूसरे मेजर मिनरल्स थे, जिसमें केटेगरीज बनी हुई हैं, उसमें फीयुल मिनरल्स नहीं हैं। रायल्टी बढ़ाने का प्रश्न बड़ा कम्प्लीकेटेड है जो कभी-कभी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। मैं यह बात माननीय मित्र के ध्यान में लाना चाहती हूं कि अभी कोल इंडस्ट्री कितनी मुश्किलों से गुजर रही है, ऐसे समय में रायल्टी का ज्यादा भार बढ़ा तो जो इंटरनेशनल कम्पीटिटीव एज है, कहीं हम उसको भोथरा या कुंद तो नहीं करेंगे। अभी डोमैस्टिक कोल को कम्पीटिशन में टिके रहने के लिए उसके दाम बढ़ाने नहीं चाहिए, जबकि रायल्टी बढ़ाने से वे बढ़ेंगे ही। घूम-फिर कर यह खर्चा राज्यों पर ही आता है, क्योंकि आप रायल्टी बढ़ायेंगे तो हम कोयले का दाम बढ़ा देंगे। अगर कोयले का दाम बढ़ेगा तो राज्यों के विद्युत बोर्डों को बिल ज्यादा पे करना पड़ेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : दस प्रतिशत रिबेट आयातित कोल पर है।

प्रो. रीता वर्मा : मुझे जवाब देने दीजिए। यह जो रायल्टी का पैसा है, वह घूम कर राज्यों पर ही आता है। फिर भी जो मेजर मिनरल्स हैं उनके लिए समिति गठित की हुई है। कोयले पर भी हम विचार कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, संक्षिप्त उत्तर हमेशा बेहतर होता है।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कितना खर्चा करते हैं, यह देखना चाहिए। पूरा काम ही नहीं होता है।

प्रो. रीता वर्मा : मैं कहना चाहूंगी कि अभी इस मुसीबत की घड़ी में जो क्राइसेज का समय है, कोल इंडस्ट्री को और डोमैस्टिक कोल को कैसे इंटरनैशनली कम्पीटिटीव बनाएं रखें, इसमें मैं सभी का सहयोग मांगूंगी।

श्रीमती कांति सिंह : 1997 में कोयले की रायल्टी के रिवीजन के बारे में सचिव स्तर की कमेटी बनी थी। अन्य राज्यों से भी सम्बद्ध विभागों के लोगों को उसमें रखा गया था। उस समय हर राज्य से अनुशंसाएं आई थीं कि इसे ऐडवैलोरम किया जाएगा, यानी कीमत के आधार पर रायल्टी को फिक्स किया जाए। उस समय इसे लेकर केबिनेट में जाने की बात थी, लेकिन यह मामला केबिनेट में नहीं जा सका। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या कोयले की रायल्टी के बारे में विभिन्न सम्बद्ध विभागों से जो अनुशंसाएं आई थी, उन पर सरकार विचार कर रही है ताकि इसे एडवैलोरम किया जा सके, क्योंकि हर जगह इसके अभाव में कोल कम्पनियां फायदा उठा तो रही हैं, लेकिन राज्य

सरकारों को अभी तक कोई फायदा इससे नहीं मिल रहा है। इसलिए क्या उन अनुशंसाओं को मानने पर आप विचार करेंगी?

प्रो. रीता वर्मा : माननीय सदस्या उस समय स्वयं कोयला मंत्री थीं जब उन्होंने एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने रेट रिबेट के बारे में अनुशंसा की थी। मैं यह बात याद दिलाना चाहूंगी कि रायल्टी को बढ़ाने से पहले कई बातों पर ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अभी के परिप्रेक्ष्य में यह है कि कहीं यह काउंटर प्रोडक्टिव न हो जाए। बिहार में दो कोल कम्पनीज हैं, वे बहुत घाटे में चल रही हैं। तीसरी कम्पनी ई.सी.एल. का भी कुछ हिस्सा घाटे में चल रहा है। ऐसी स्थिति में बढ़ी हुई रॉयल्टी का भार ...*(व्यवधान)* जहां तक आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, घोटाले के अलावा भी यदि ...*(व्यवधान)* अगर पूछना चाहेंगे तो पश्चिम बंगाल जैसा राज्य ...*(व्यवधान)* पश्चिम बंगाल रॉयल्टी की जगह सैस लगाकर पैसे तो वसूल ही लेता है और मैं यह भी कहूंगी कि ज्यादा बढ़े हुए सैस का भार ई.सी.एल. वहन करने में बिल्कुल असमर्थ था और आज उसकी हालत इस बढ़े हुए सैस के कारण बहुत खराब है। यह समझकर ही बाद में, मजबूरी में, पश्चिम बंगाल को 48 प्रतिशत से घटाकर पच्चीस प्रतिशत सैस करना पड़ा। आपकी नीतियों के कारण ई.सी.एल. रुग्ण हुआ है। ...*(व्यवधान)* इसीलिए 48 प्रतिशत से घटाकर सैस पच्चीस प्रतिशत आपने किया लेकिन पच्चीस प्रतिशत अधिभार भी वह सहन करने लायक नहीं है, इसलिए ई.सी.एल. का सैस जीरो प्रतिशत कर देना चाहिए। इसके फिर से उद्धार की कोई गुंजायश नहीं है। यह दायित्व पश्चिम बंगाल सरकार का है कि वह अपनी सदाशयता दिखाये और ई.सी.एल. को अपने पांव पर खड़ा होने में मदद करे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां आप हमेशा सभा में व्यवधान डालते हैं, यह उचित तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह बिल्कुल गलत है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप किस प्रकार बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री लक्ष्मण सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकारिया आयोग की सिफारिशें लागू करने का वादा सरकार ने किया था जिसमें चुनाव में राज्यों को अधिक अधिकार दिये जाने थे, वह तो किया नहीं लेकिन उसे छोड़िये। मैं सरकार से जानना चाहूंगा और कई सदस्यों ने इस बारे में जानना चाहा है कि खान और खनिज अधिनियम की धारा 9 खंड 3 में रॉयल्टी दरों में संशोधन करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस निर्धारण के न होने की वजह से जितने पिछड़े प्रदेश हैं, बिहार और मध्य प्रदेश या और भी प्रदेश होंगे, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या आप इस नियम की धारा 9 खंड 3 में संशोधन करेंगे ताकि समय पर रॉयल्टी बढ़े और वह राज्यों को मिले। रॉयल्टी दरों को बढ़ाने की समय सीमा के बारे में क्या सरकार निर्णय ले रही है? क्या इस बारे में कुछ विचार हो रहा है?

प्रो. रीता वर्मा : जहां तक रॉयल्टी बढ़ाने के अधिकार राज्य सरकारों को देने की बात है, इसकी व्यवस्था गड़बड़ाई है क्योंकि बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी हैं जिनमें मत भिन्नता हो सकती है जबकि इस तरह के लेजिस्लेशन में एकरूपता का होना बहुत जरूरी है, जैसे कि रॉयल्टी को रिवाइज किया जाये, आदि। इस मामले में सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के मत एक नहीं हैं। इसीलिए केन्द्र सरकार एक निर्णायक की भूमिका में है, एक जज की भूमिका में है और सभी राज्यों के विचार लेकर उनके बीच से समरूपता निकालते हुए, रास्ता निकालती है। मेरे ख्याल से माननीय सांसद महोदय इस उत्तर से संतुष्ट हुए होंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं क्या यह सच है कि सरकारिया आयोग ने 1988 में प्रति दो वर्षों में खनिजों की रायल्टी के संशोधन के लिए सिफारिश की थी और यदि हां तो इसे कार्यान्वित

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

क्यों नहीं किया गया। दूसरा क्या यह सच है कि ''ए'' ग्रेड कोयला और विद्युत ग्रेड कोयला ''डी'', ''ई'' और ''एफ'' की रायल्टी दरों के बीच भारी अन्तर है मैं यह भी जानना चाहता हूं क्या यह सच है कि ''ए'' ग्रेड कोल की रायल्टी 1994 में 1971 की रायल्टी से 102.6 गुणा बढ़ाई गई थी जबकि ग्रेड ''डी'' और ''ई'' की रायल्टी 41 गुणा बढ़ाई गई थी और ''एफ'' और जी ग्रेड पर मात्र 21 गुणा बढ़ाई गई थी? ऐसा क्यों है?

सरकार कोयला की रायल्टी को बढ़ाने के लिए संशोधन कब करने जा रही है?

अध्यक्ष महोदय : महोदया, आप एक प्रश्न का ही उत्तर दे सकती हैं।

श्री कानूनगो, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या है?

श्री त्रिलोचन कानूनगो : महोदय, मैं केवल एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं क्या सरकार बढ़ी हुई रायल्टी को बढ़ाने जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, अथवा मैं आपके अनुपूरक प्रश्न को स्वीकृति नहीं दूंगा। कृपया समझिए।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : महोदय यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। उड़ीसा जैसे राज्य को 500 करोड़ रुपए की हानि प्रतिवर्ष हो रही है। अत: मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं यह उपयुक्त प्रश्न है जिसको मैंने पूछा है। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार इस अन्तर को कम करने पर विचार कर रही है।

मेरा प्रश्न है.....

अध्यक्ष महोदय : कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : यह क्या है?

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न काल में भी प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं?

श्री त्रिलोचन कानूनगो : मैंने तो एक ही प्रश्न पूछा है। यह काफी उपयुक्त प्रश्न है और इसका जवाब दिया जाना चाहिए। यदि इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता तो किस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न ठीक तरह से पूछिए अन्यथा जवाब नहीं दिया जाएगा।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे इनका प्रश्न समझ में आया है, यह सरकारिया कमीशन के बारे में पूछ रहे थे और सरकारिया कमीशन की सिफारिशें थीं कि रॉयल्टी रेट को हर दो साल बाद रिवाइज किया जाना चाहिए लेकिन 1957 का जो पुराना एम.एम.डी.आर. एक्ट था, उसमें यह व्यवस्था थी कि हर चार साल में इसका रिवीजन होना चाहिए। हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं और हमने इसे तीन साल कर दिया है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के कुछ राज्यों में खनिज पदार्थों पर जो रॉयल्टी वसूल की जाती है, वह ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से वसूल की जा रही है और राजस्थान में इस तरह के काफी केस सामने आये हैं कि वास्तव में रॉयल्टी की कमाई केन्द्र सरकार को न जाकर उसका पैसे ठेकेदारों की जेब में जा रहा है। क्या केन्द्र सरकार इसे रोकने पर विचार कर रही है? क्या केन्द्र सरकार की आज्ञा से रॉयल्टी वसूल की जाएगी, यह मैं जानना चाहता हूं।

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात दिलाना चाहूंगी कि एम.एम.डी.आर. एक्ट में जो संशोधन हुआ है, उसमें राज्य सरकारों को ज्यादातर अधिकार दे दिये गये हैं और कम से कम माइनर मिनरल्स में वे ही सारी रॉयल्टी वसूल करती हैं और किसे लीज दी जाये, इसका निर्धारण करती हैं। मेजर मिनरल्स में भी उनको ज्यादा अधिकार दिये गये हैं। केन्द्र सरकार के पास सिर्फ अपील की जा सकती है लेकिन ज्यादातर अधिकार राज्यों के पास हैं। इसलिए यदि आपको कोई व्यवस्था में खोट नजर आता है तो उसकी शिकायत राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार दोनों के पास कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इनकी समस्या का निवारण हो गया होगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : क्या इसके बीच से ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जा सकता है? *...(व्यवधान)*

प्रो. रीता वर्मा : वह राज्य सरकार के हाथ में है, मैं कैसे खत्म कर दूंगी? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : अध्यक्ष महोदय आन्ध्र प्रदेश को भी रायल्टी के संशोधन के बारे में बराबर की चिन्ता है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा और न ही कोई प्रश्न पूछूंगा क्योंकि माननीय मंत्री उसका पहले ही उत्तर दे चुकी हैं।

महोदय, आन्ध्र प्रदेश में चूने के पत्थर की भट्टी बड़ी समस्याओं में से एक है। यह ऐसा साधारण खनिज है जो घर-घर में उद्योग बन गया है वहां लगभग एक लाख उद्यमी है जिन्होंने चूने के पत्थर की भट्टी लगाई हुई हैं और उन्हें भारत सरकार के पास या तो अनुदान के लिए या अपने लाइसेंसों के नवीकरण के लिए जाना पड़ता है। छोटे उद्यमियों को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं क्या भारत सरकार इस साधारण खनिज के सम्बन्ध में लाइसेंस के नवीकरण का विकेन्द्रीकरण करने के बारे में सोच रही है गुटूर जिले में सतेनापल्ली और पिडुगुरल्ला जैसे स्थानों में इन जैसे सैकड़ों लोग जिन्होंने अपनी भट्टी लगाई हुई है और चूने का पत्थर तैयार करते हैं इतना दूर चलकर अपने लाइसेंसों के नवीकरण के लिए दिल्ली आ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या भारत सरकार विभिन्न राज्यों को ये शक्तियां प्रदान करके इसके विकेन्द्रीकरण के बारे में सोच रही है क्योंकि राज्यों को ही आय और रॉयल्टी दी जाती है।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माइनर मिनरल्स की लीज देना और उसका रिन्यूअल तो राज्य सरकार के हाथ में है, उनका विषय है।

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : नहीं महोदया, वे यहां पर आ रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माइनर मिनरल्स के संबंध में केन्द्र सरकार कोई नियम नहीं बनाती है और राज्य सरकारों को ज्यादातर अधिकार दे दिये गये हैं। फिर भी यदि कोई स्पेसिफिक शिकायतें होंगी तो माननीय सदस्य हमारे ध्यान में लायें।

[अनुवाद]

नई निर्यात-आयात नीति

***563. श्री आर.एल. भाटिया :**
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई निर्यात-आयात (एक्जिम) नीति घोषित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका लघु उद्योगों और कृषि क्षेत्र तथा आत्म-निर्भरतापरक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। सरकार ने दिनांक 31.3.2000 को संशोधित एक्जिम नीति की घोषणा की है। इस नीति में निर्यात बढ़ाने हेतु कई उपाय शामिल हैं।

(ख) और (ग) इस नीति से लघु उद्योगों तथा कृषि और आत्मनिर्भर विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है। एक्जिम नीति में 714 टैरिफ लाइनों के संबंध में आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों (क्यूआर) को हटाया जाना उदारीकरण की नीति के अनुरूप है जिसका कई वर्षों से पालन किया जा रहा है और यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं का एक भाग है। विगत में मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के परिणामस्वरूप आयातों में कोई अत्यधिक बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। तथापि, सरकार लगातार निगरानी रख रही है।

जिन अधिकतर मदों से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, उन पर लगने वाले सीमाशुल्कों को 35% के अधिकतम स्तर तक बढ़ाया जा चुका है। चावल पर शुल्क को 80% तक, सेब पर 50% तक, मक्की पर 50% तक, गेहूं पर 50% तक तथा चीनी पर 60% तक बढ़ाया गया है। आयातों पर सूक्ष्म निगरानी रखी जाती है और टैरिफ तंत्र के समुचित उपयोग के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़संकल्प है कि आयातों से घरेलू उत्पादकों को कोई गंभीर नुकसान अथवा क्षति न पहुंचे। इसके अतिरिक्त, अन्य देशों के निर्यातकों द्वारा अनुचित व्यापार प्रथा अपनाने की स्थिति में या घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले आयातों में अचानक तीव्र वृद्धि होने पर घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए पाटनरोधी/रक्षोपाय उपायों के रूप में पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

श्री आर.एल. भाटिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि देश इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि

मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाया जाए क्योंकि विश्व व्यापार संघ के 'डिस्प्यूट सेटेलमेंट पैनल' ने भारत के विरुद्ध मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यू.आर.) जारी रखने के विरुद्ध निर्णय दिया है। मंत्री महोदय ने यही वक्तव्य दिया है। अब, महोदय, देश ने अमेरीका के साथ 1,429 वस्तुओं पर से प्रतिबंध हटाने का समझौता किया है, जिसमें से 714 वस्तुओं पर से प्रतिबंध पहले ही हट चुका है। आपके इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से जिन उद्योगों पर असर पड़ेगा वह है संघ, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जूता उद्योग, विद्युत उपकरण, घड़ियां इत्यादि। अब इन सभी वस्तुओं का उत्पादन लघु उद्योगों द्वारा किया जाता है। लघु औद्योगिक क्षेत्र द्वारा लगभग छः करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है और सकल घरेलू उत्पाद में इनका योगदान 40 प्रतिशत है और हमारे निर्यात में इसका योगदान 60 प्रतिशत है। अब, सभी लघु उद्योग इस समझौते के कारण प्रभावित होंगे। आप यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा हमारे देश में अपने उत्पादों को लाने से हमारे लघु उद्योगों पर बुरा प्रभाव न पड़े?

श्री मुरासोली मारन : माननीय मंत्री महोदय सही कह रहे हैं। लघु उद्योग इस देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही नहीं, निर्यात का 35 प्रतिशत केवल लघु उद्योगों के जरिये होता हैं। इसलिए, वे उन बड़े औद्योगिक घरानों से बेहतर हैं, जो कभी भी निर्यात की परवाह नहीं करते हैं। हमें लघु उद्योगों का सम्मान करना चाहिए और उनको संरक्षण प्रदान करना चाहिए। परंतु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह पहला मौका नहीं है जब मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाया गया है। हमने 1980 से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाना प्रारंभ किया था। यदि आप चाहते हैं तो, मैं आपको आंकड़े देता हूं। 1996 में 6,169 वस्तुओं पर से मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाया गया।

श्री ए.सी. जोस : आप लोग केवल विगत आंकड़ों को ही उद्धृत कर रहे हैं। इस समय स्थिति यह है कि 1,4000 और इतर वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाया गया है। कल भी, वित्त मंत्री 1980 का हवाला दे रहे थे और पुरानी कहानियों को उद्धृत कर रहे थे।

श्री मुरासोली मारन : इस समय पहली बार मात्रात्मक प्रतिबंधों को नहीं हटाया गया है।

श्री ए.सी. जोस : वर्तमान स्थिति यह है कि आपने मात्रात्मक प्रतिबंधों को पूर्णतः हटा दिया है।

श्री मुरासोली मारन : जी हां, हमें ऐसा करना पड़ा है क्योंकि हम अपने प्रति वचनबद्ध थे। हमने इसे उत्तराधिकार में पाया है। 1947 में, हमने व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौते (जी.ए.टी.टी.) पर हस्ताक्षर किए थे, और उसके बाद हम विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) में शामिल हो गए। इसलिए, भुगतान संतुलन के अन्तर्गत विचार करने पर, हमें इसे हटाना पड़ा। परंतु इसके साथ ही, मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि हम लघु उद्योगों को संरक्षण देंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : आप इसका संरक्षण किस प्रकार करेंगे?

श्री आर.एल. भाटिया : महोदय, मैं मंत्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। इस तरह से तो हमारा कृषि क्षेत्र ही सर्वाधिक प्रभावित होगा। कुछ वस्तुओं जैसे, गेहूं, मक्का, चावल इत्यादि, जिन्हें आप ओ.जी.एल. के आधार पर आयात की अनुमति दे रहे हैं हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगी। 75 प्रतिशत भारतीय, कृषि पर निर्भर हैं। मुझे नहीं पता कि आपने अपने खाद्य मंत्री से परामर्श किया या नहीं। इस समय 205 लाख टन गेहूं और 118 लाख टन चावल गोदामों में पड़ा हुआ है। हमारी राष्ट्रीय खपत लगभग आठ मिलियन टन है। आप के पास 30 मिलियन टन से भी अधिक गेहूं गोदामों में सड़ रहा है। अब, नई फसल आई हैं, परंतु आप दूसरे देशों से गेहूं का आयात कर रहे हैं। आप किस प्रकार किसानों की रक्षा करेंगे?

श्री मुरासोली मारन : महोदय, हमने सारे कृषि उत्पादों पर 'टैरिफ' को बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए 15 उत्पादों पर, हमने अधिकतम वृद्धि की है। इसलिए, कृषि उत्पादों की दर को कम करने का प्रश्न ही नहीं है। कल, हमने वित्त विधेयक को पारित किया था। 'स्पीट' गेहूं पर उदाहरण के लिए अधिकतम दर 80 प्रतिशत है, चावल पर, यह 80 प्रतिशत है; भूसी सहित भूरे चावलों पर, यह 80 प्रतिशत है; आधे धान कुट्टी या पूरी धान कुट्टी पर यह 70 प्रतिशत है। इसलिए, हमने 'टैरिफ' को बढ़ा दिया है। हमने वित्त विधेयक को पारित कर दिया है, और ये सारी मदें इस विधेयक में हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, श्री गुलाटी, ने यह कहा था कि यह आवश्यक नहीं है, और 50 प्रतिशत टैरिफ भी पर्याप्त होता है। यही स्थिति है। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई भी हमारे बाजार पर अपना अधिपत्य नहीं जमा सकता।

श्री आर.एल. भाटिया : महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि गेहूं पर 50 प्रतिशत 'टैरिफ' है। क्या उन्हें पता है कि अमरीका की फर्मों का अपनी भूमि का क्षेत्रफल 10,000 से 20,000 एकड़ है और कृषि संबंधी सभी कार्य पूर्णतः मशीनीकृत होते हैं? वे भारत को बहुत कम कीमत पर गेहूं की आपूर्ति कर सकते हैं। पिछले साल, अमेरीका से 450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं आयात किया गया जबकि हम अपने किसानों को न्यूनतम कीमत ...*(व्यवधान)*

श्री मुरासोली मारन : माननीय सदस्य को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने निर्धारित मूल्यों को बढ़ा दिया है। हमने आयात को महंगा कर दिया है और इसलिए यह सब नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना): अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा हाल ही में आयात-निर्यात नीति तय की गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस नीति के तहत कपास उत्पादक या कपास उद्योग और चीनी मिलों पर इसका क्या असर होने वाला है?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : महोदय, निर्धारित मूल्यों को पहले ही बढ़ाया जा चुका है। इसलिए, हम कृषि का संरक्षण करेंगे, यही हमारा प्रथम कर्त्तव्य भी है।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इतनी बड़ी संख्या में इन मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने की अंतिम समय सीमा 2003 है और इस समझौते में बातचीत की गुंजाइश है। यदि ऐसा है और समय सीमा 2003 है, तो मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इस तारीख को अधिक महत्व क्यों दिया जा रहा है, और इन मात्रात्मक प्रतिबंधों को दो वर्ष की समय सीमा समाप्त होने से पूर्व क्यों उठाया गया। दूसरे, मंत्री महोदय ने अभी बहुत सी वस्तुओं पर 'टैरिफ' बढ़ाने संबंधी बात की थी जो शायद आयात की जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे सहयोगी यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से अधिकांश कृषि उत्पाद जो हमारे यहां आयात किये जाते है उन पर निर्यात करने वाले देशों में काफी अधिक राजसहायता दी जाती है। दूसरे शब्दों में, वे इतने सस्ते होते हैं कि 'टैरिफ' बढ़ाने के बाद भी वे बाजारों में घरेलू उत्पादों की कीमतों को कम करके और नीचे गिरा देते हैं। क्या यही स्थिति नहीं है? यदि यही बात है तो मंत्री महोदय कैसे कह रहे हैं कि वे हमारे किसानों और हमारे अपने कृषि उत्पादों की रक्षा कर पाएंगे?

श्री मुरासोली मारन : महोदय, मैं दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दूंगा। यदि राजसहायता प्राप्त वस्तुओं से बाजार में बाढ़ आ जाये तो हमारे पास इसे रोकने के लिए काफी उपाय है। ऐसी स्थिति में हम तत्काल एंटी डपींग डयूटी लगा सकते हैं। हमारे पास कई उपाय हैं जिनके बारे में मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं, और वे भी स्वयं इसके बारे में जानते हैं। "गैट" के अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई उत्पाद, आयात करने वाले देश में अपनी सामान्य कीमत से कम कीमत पर जमा कर लिया जाता है तो इससे घरेलू उद्योग को चोट पहुंचती है तो उस पर 'एंटी डम्पिंग डयूटी' लगाई जा सकती है। यही अनुच्छेद हमें ऐसे मामले में प्रतिकारी शुल्क लगाने की अनुमति देता है खास तौर पर तब जबकि निर्यात करने वाले देश में उस उत्पाद पर राजसहायता दी जाती हो और यह भी कि इससे घरेलू उद्योग को चोट पहुंचती हो। अत: हम इस तरह के उपाय कर सकते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, पिछले इतिहास और सरकार की नीतियों से हमारा अनुभव कुछ और ही रहा है। हमारे देश में चीनी का काफी आयात किया जाता रहा और हम सरकार को कहते रहे है कि इस पर "एंटी डम्पींग ड्यूटी" लगायी जाए। सरकार ने इस संबंध में कदम उठाने में लगभग दस और ग्यारह माह के लिए और वह भी इतने धीरे-धीरे कि यह पचास या साठ प्रतिशत के ऊंचे आंकड़े न पहुंच जाये। यह 27 प्रतिशत से शुरू हुआ था लेकिन सरकार ने इसे करने में इतना कम समय लगा दिया। क्या सरकार सभा को आश्वस्त करने जा रही है कि इस संबंध में आगे से अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी और जैसे ही ऐसा लगे कि वे हमारे बाजार की जड़ें काट रहे हैं क्या आप तुरन्त कदम उठाएंगे? क्या मंत्री महोदय इस सभा को यह आश्वासन देंगे?

श्री मुरासोली मारन : माननीय सदस्य एकदम सही है। हमें सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि ये क्रूर विश्व है। इसलिए यदि ऐसे आयात की बाढ़ आती है, यदि इसका जोर बढ़ता है तो हमें तुरन्त कार्यवाही करनी होगी। किसी को शुरूआत करने की आवश्यकता है और इसी कारण हम टैरिफ आयोग को मजबूत करना चाहते है। हम सतर्क रहेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : आप के पास "एंडी डम्पींग" के लिए व्यवस्था है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस, मंत्री महोदय जब प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो आप कैसे व्यवधान पैदा कर सकते हैं? यह क्या है?

मंत्री महोदय ने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।

श्री मुरासोली मारन : इसलिए, हम सतर्क रहेंगे। हम तुरन्त कार्रवाई करेंगे। हमारा टैरिफ आयोग को मजबूत करने का विचार है ताकि यह इस सम्बन्ध में पहल कर सके और स्थिति पर निगरानी रख सके।

श्री ए.सी. जोस : उनके प्रश्न के पहले भाग का क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

श्री मुरासोली मारन : जी हां, महोदय, मैंने अभी तक उनके प्रश्न के भाग का उत्तर नहीं दिया है।

महोदय, वे सही है.....

अध्यक्ष महोदय : आप केवल एक भाग का ही उत्तर दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री किरीट सोमय्या।

...(व्यवधान)

श्री किरीट सोमय्या : अध्यक्ष महोदय, कुछ दबाव पड़ रहा है *...(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मेरे प्रश्न का प्रथम भाग भी बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। वह इसका उत्तर दे सकते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी, प्रश्न सूची के अन्य प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इसको समझिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मुरासोली मारन : महोदय, यें अवसर गलतफहमी दूर करने का है। यूरोपीय समुदाय, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विटजरलैंड और जापान के साथ हुए द्विपक्षीय अनुबंध के अनुसार हमने उनके साथ बातचीत प्रारंभ की। उन्होंने छः वर्ष के लिए स्वीकार कर लिया, किंतु अमेरिका ने इसे स्वीकार नहीं किया। अमरीका इस अवधि से कम समय चाहता है। *...(व्यवधान)* जी हां, वे विवाद पैनल में गए। हमने केस लड़ा और हम केस हार गए। हमने दोबारा अपील की और अपीलीय न्यायाधिकरण में भी हम केस हार गए।

अंततः विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार हमें दूसरे पक्ष अर्थात् अमेरिका के साथ उचित समयावधि तय करने की बातचीत करनी थी। और अन्ततः हमने उनके साथ बातचीत की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे, परन्तु अमेरिका ने उसे स्वीकार करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने शर्तें रखीं। हमने आग्रह किया कि समय की अवधि छः वर्ष होनी चाहिए। उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि हमें सभी प्रस्ताव रद्द करने पड़े। उन्होंने कहा "तुम्हें हर वर्ष विश्व व्यापार संगठन के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ेगा और कहते हैं कि तुम्हारी बकाया भुगतान की स्थिति खराब है।" इसलिए वे ये सभी शर्तें लगाना चाहते हैं। वे उन बातों को भी सम्मिलित करना चाहते थे, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हम बाद में हटाना चाहते थे।

इस तरह हम इन असंभव शर्तों को पूरा नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त, हम सभी इस बात पर सहमत थे कि क्यू आरस को किसी न किसी दिन जाना चाहिए। इसलिए ऐसा और कोई विकल्प नहीं था जिसे हम स्वीकार कर लेते। किंतु उचित समय 15 महीने का था *...(व्यवधान)* आमतौर पर यह 15 महीने का होता है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, ये क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय को अपना उत्तर देने नहीं दे रहे हैं। ये क्या है? आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अब आप कृपया अपना जवाब पूरा करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री ए.सी. जोस, कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने का कोई तर्क समझ नहीं आ रहा है। आप प्रश्न पूछ रहे हैं मगर मंत्री महोदय को उत्तर देने नहीं दे रहे हैं। हर बार आप यही करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही चलाने का ये कोई तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया अब आप अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं।

श्री मुरासोली मारन : महोदय, भारत और अमेरिका दोनों देशों के मध्य नियम यह है कि वे एक उचित समयावधि तय करें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सी.पी. राधाकृष्णन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अपना जवाब देने के लिए यहां मौजूद हैं। आप बिना वजह अपने को इसमें क्यों शामिल कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया अपना उत्तर पूरा करें.....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर के अलावा अन्य कुछ भी कार्यवधि वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री मुरासोली मारन : उचित समयावधि के बारे में उन्होंने 15 महीने का समय रखा किंतु हम अधिक चाहते थे। आखिरकार हम इस तरह की समय-सारणी पर सहमत हो गए। अब हमने 18 महीने का समय प्राप्त कर लिया है। इसमें कुछ गलत नहीं है *...(व्यवधान)*

महोदय, विश्व व्यापार संगठन में हस्ताक्षर किसने किए हैं? *...(व्यवधान)* इन्होंने किए हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी, यह सही नहीं है। आप प्रश्न पूछ रहे हैं किंतु आप मंत्री महोदय को अपना जवाब पूरा करने नहीं दे रहे हैं। ये क्या है? कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री किरीट सोमैया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से स्वयं को इसमें शामिल क्यों कर रहे हैं? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। ये क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से मामले को पेचीदा क्यों बना रहे हैं? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। ये क्या है? अब मैंने श्री किरीट सोमैया को बुलाया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री किरीट सोमैया के भाषण के अतिरिक्त और कुछ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या विश्व व्यापार संगठन वार्ता के दूसरे दौर में, विकसित देशों का कृषि उत्पादों के लिए अधिक मदों को कर मुक्त करने का कोई दबाव है। और इसके बारे में सरकार की क्या नीति है?

श्री मुरासोली मारन : महोदय, ये भविष्य की नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं। वार्ता जैनेवा में चल रही है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर पहले ही आधे घण्टे से अधिक समय लग गया है। कृपया इसे समाप्त करें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

राजकोषीय घाटा

*564. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र तथा राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा वर्ष-वार कितना रहा; और

(ख) व्यय में मुद्रास्फीति के दबाव के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) भारतीय रिजर्व बैंक में उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार विगत पांच वर्षों में केन्द्र और राज्यों का सम्मिलित सकल राजकोषीय घाटा इस प्रकार है:-

केन्द्र और राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा

	करोड़ रुपए	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में
1995-96	77671	6.6
1996-97	87244	6.4
1997-98	110743	7.3
1998-99	158055	9.0
1999-2000 (सं.अ.)	176981	9.1

(ख) कुल व्यय में वृद्धि वास्तविक एवं नामिनल, दोनों संदर्भों में वृद्धि को प्रदर्शित करती है। व्यय का रुपए में मूल्य (नामिनल मूल्य) मुद्रास्फीति के कारण हुई वृद्धि एवं खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ी हुई मात्रा दोनों को प्रदर्शित करना है।

श्री वसुदेव आचार्य : वित्त मंत्री के वक्तव्य के अनुसार हर साल राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभापति को आदेश नहीं दे सकते। यह आपका कार्य नहीं है। कृपया बैठ जाएं।

श्री वसुदेव आचार्य : वर्ष 1995-96 के दौरान सकल राजकोषीय घाटा 77,671 करोड़ था। यह सकल घरेलू उत्पाद का 6.6 प्रतिशत था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, ये रनिंग कमेंटरी क्या है?

श्री वसुदेव आचार्य : वर्ष 1999-2000 के दौरान केन्द्र और राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा 1,76,981 करोड़ रु. था। यह सकल घरेलू उत्पाद का 9.1 प्रतिशत था। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कि वे कौन से घटक है जो केन्द्र और राज्यों के राजकोषीय घाटे की बढ़ोत्तरी में सहायक हैं? (ख) कि सरकार केन्द्र के राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के कौन से उपाय कर रही है और क्या राज्य सरकारों को उनके राजकोषीय घाटों पर नियंत्रण के लिए कोई मार्गनिदेश जारी किए गए हैं?

श्री यशवंत सिन्हा : माननीय सदस्य का केन्द्र और राज्य सरकारों में बढ़ रहे राजकोषीय घाटे के प्रति चिंता व्यक्त करना सही है। हम इसी सभा में, केन्द्रीय बजट पर चर्चा करते समय इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। इस मुद्दे पर हमने कल और परसों भी चर्चा की थी। पहले भी मैंने इस सभा में यह बताया था कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण ही वर्ष 1997-98 और उसके बाद केन्द्र और राज्य सरकारों के राजकोषीय घाटे में अचानक तेजी आई है। मैंने कल ही आंकड़े दिए थे कि पांचवें वेतन आयोग ने वेतन, मजदूरी और पेंशन से कितना बोझ बढ़ा दिया है और यह केन्द्र और राज्य सरकारों के राजकोषीय घाटे में नजर आता है इस तरह यह सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है।

माननीय संसद सदस्य के प्रश्न का दूसरा भाग है कि इस राजकोषीय घाटे के नियंत्रण के क्या उपाय किए जा रहे हैं? बजट पर चर्चा के समय मैंने केन्द्रीय स्तर पर राजकोषीय घाटे के नियंत्रण के लिए कई उपायों पर चर्चा की थी। जहां तक राज्य सरकारों का प्रश्न है, मैंने यह बताया था कि हम राज्य सरकारों से लगातार संपर्क में हैं। हमने कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं और कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि हम राज्य सरकारों पर अपनी इच्छा थोपना नहीं चाहते। किंतु हम इस संबंध में राज्य सरकारों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। कल सभा में मैंने यह बताया था कि पश्चिम बंगाल सहित राजनैतिक सीमाओं से बाहर जाने वाला प्रत्येक मुख्य मंत्री राज्य की समस्याओं को जानता है। इस तरह हमने राज्य सरकारों के साथ राजकोषीय घाटे को कम करने के प्रयास किए हैं। राज्य सरकारें इस ओर प्रयास कर रही हैं। राज्य सरकारें राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए कई अप्रभावी निर्णय ले चुकी हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें वर्ष 1997 में क्रियान्वित की गई थी। वित्त मंत्री ने बताया कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के कारण केन्द्र सरकार के व्यय में बढ़ोत्तरी हुई और इसी तरह राज्य सरकारों को भी अपने तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतनमानों में बढ़ोत्तरी करनी पड़ी।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया समय का भी ध्यान रखें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, अभी बारह नहीं बजे हैं।

क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि वर्ष 1997-98 के बाद केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में हुई वृद्धि वर्ष 1999-2000 और चालू वर्ष में कैसे दिखाई दे रही है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मुद्रास्फीति दबाव पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल अब समाप्त हुआ। माननीय मंत्री महोदय अपना जवाब माननीय सदस्य को भेज सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत ऋण

***565. श्री चन्द्रराज सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से बैंक विभेदी ब्याज दर ऋण का वितरण करने के अपने लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा बैंकों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और उक्त योजना के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत वस्तुत: कितना ऋण वितरित किया गया;

(ग) इन बैंकों द्वारा लक्ष्य प्राप्त न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा चूककर्ता बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) विभेदी ब्याज दर (डी.आर.आई.) योजना के अंतर्गत उधार के लिए सरकार द्वारा बैंकों के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य पिछले वर्ष की स्थिति के अनुसार कुल अग्रिमों का एक प्रतिशत (1%) है। केवल स्टेट बैंक आफ हैदराबाद 1997, 1998 और इंडसइंड बैंक 1998, 1999 के दौरान लक्ष्य प्राप्त कर सके थे। पिछले तीन वर्षों के लिए इस योजना के अंतर्गत सभी बैंकों द्वारा वास्तव में संवितरित ऋण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) बैंक इस योजना के अंतर्गत अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं, क्योंकि हिताधिकारी आई.आर.डी.पी., पी.एम.आर.वाई., एस.एल.आर.एस., एस.जे.एस.आर.वाई. आदि जैसी ऋण से जुड़ी अन्य सब्सिडी योजनाओं को इस योजना की तुलना में अधिक आकर्षक महसूस करते हैं।

विवरण

मार्च 1997, 1998 एवं 1999 के लिए विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के अग्रिमों को दर्शाने वाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)
(खातों की संख्या लाख में)

बैंक का नाम	मार्च 1997			मार्च 1998			मार्च 1999		
	खातों की संख्या	बकाया शेष	कुल अग्रिमों की तुलना में विभेदी ब्याज दर का %	खातों की संख्या	बकाया शेष	कुल अग्रिमों की तुलना में विभेदी ब्याज दर का %	खातों की संख्या	बकाया शेष	कुल अग्रिमों की तुलना में विभेदी ब्याज दर का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	4.10	71.00	0.14	4.10	59.39	0.11	3.65	60.65	0.10
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर	0.19	11.88	0.45	0.16	11.89	0.39	0.11	8.19	0.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0.76	21.25	1.25	0.90	19.45	1.25	0.90	23.42	0.48
स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	0.23	10.00	0.67	0.21	8.69	0.54	0.15	7.86	0.41
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	0.21	8.02	0.41	0.20	6.86	0.31	0.21	11.18	0.44
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	0.33	12.30	0.37	0.31	13.00	0.34	0.25	8.00	0.18
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	0.18	2.00	0.10	0.01	1.35	0.06	0.01	0.86	0.03
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर	0.64	5.69	0.25	0.63	5.00	0.22	0.45	4.35	0.18
इलाहाबाद बैंक	0.91	24.60	0.50	0.84	21.44	0.42	0.39	22.33	0.38
आन्ध्रा बैंक	0.53	18.00	0.65	0.19	15.00	0.54	0.18	12.84	0.38
बैंक ऑफ बड़ौदा	0.55	68.37	0.58	0.45	63.85	0.51	0.35	52.09	0.40
बैंक ऑफ इण्डिया	0.85	65.20	0.63	0.67	54.01	0.48	0.25	60.80	0.47
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	0.12	10.00	0.32	0.14	9.90	0.29	0.04	5.20	0.13
केनरा बैंक	0.95	40.53	0.85	0.86	41.00	0.36	0.84	34.20	0.25
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	0.99	27.55	0.29	0.81	20.10	0.22	0.56	16.90	0.16
कार्पोरेशन बैंक	0.09	3.14	0.13	0.03	2.37	0.41	0.02	1.10	0.04
देना बैंक	0.32	12.16	0.33	0.12	8.35	0.19	0.01	6.14	0.12
इण्डियन बैंक	0.36	21.00	0.31	0.26	16.48	0.29	0.24	12.31	0.22
इण्डियन ओवरसीज बैंक	0.38	33.50	0.71	0.37	32.00	0.61	0.35	31.50	0.51
ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स	0.11	17.50	0.37	0.10	15.00	0.31	0.70	12.50	0.22
पंजाब नैशनल बैंक	1.17	73.35	0.57	0.91	62.70	0.45	0.68	50.57	0.32
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	0.04	19.59	0.58	0.03	20.61	0.67	0.02	17.96	0.54
सिंडीकेट बैंक	0.20	20.00	0.40	0.11	23.00	0.18	0.06	12.00	0.22
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	0.23	21.49	0.27	0.18	17.70	0.22	0.16	14.73	0.16
यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	0.55	9.45	0.26	0.51	8.00	0.21	0.06	4.00	0.10
यूको बैंक	0.71	9.88	0.24	0.67	8.40	0.19	0.28	8.14	0.16
विजया बैंक	0.11	11.50	0.49	0.30	10.25	0.46	0.04	8.18	0.28
कुल	15.81	648.95	0.35	14.07	575.79	0.30	10.98	507.97	0.23

मार्च 1997, 1998 एवं 1999 के लिए विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिमों (बकाया) को दर्शाने वाला विवरण

(खाता हजार संख्या में)
(राशि लाख रुपये में)

बैंक का नाम	मार्च 1997			मार्च 1998			मार्च 1999		
	खातों की संख्या	बकाया शेष	कुल अग्रिमों की तुलना में विभेदी ब्याज दर का %	खातों की संख्या	बकाया शेष	कुल अग्रिमों की तुलना में विभेदी ब्याज दर का %	खातों की संख्या	बकाया शेष	कुल अग्रिमों की तुलना में विभेदी ब्याज दर का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जम्मू एवं कश्मीर बैंक	0.65	82.00	0.11	0.77	67.00	0.05	1.00	54.00	0.05
बैंक ऑफ राजस्थान	0.24	0.05	0.00	0.26	6.00	0.01	0.20	4.00	0.01
कर्नाटक बैंक लि.	1.00	15.00	0.1	1.00	10.00	0.01	—	10.00	0.01
व्यास बैंक लि.	2.44	1031.00	0.44	1.64	861.00	0.31	1.57	813.00	0.35
कैथोलिक सिरियन बैंक	3.00	78.00	0.9	2.00	59.00	0.06	1.00	39.00	0.04
धनलक्ष्मी बैंक	10.00	0.21	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.30	0.00
फेडरल बैंक	3.00	221.00	0.10	3.00	323.00	0.11	2.00	173.00	0.04
लार्ड कृष्णा बैंक	—	0.40	—	0.99	0.40	—	0.00	0.47	0.00
नेडुनगाड़ी बैंक	0.59	11.80	0.5	0.57	12.90	0.05	0.57	14.63	0.04
साउथ इण्डियन बैंक	4.37	56.00	0.7	3.55	64.00	0.10	4.22	89.00	0.08
रत्नाकर बैंक	9.00	0.09	—	0.01	0.10	—	0.01	0.10	0.00
संघ बैंक	1.00	52.60	0.12	1.00	49.00	0.11	0.01	43.00	0.10
यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक	0.53	16.00	0.5	0.37	13.00	0.11	0.27	9.00	0.01
गणेश बैंक ऑफ कुरूंडवाड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00
बैंक ऑफ मदुरा	1.00	15.00	0.2	0.00	5.00	0.01	1.00	36.00	0.03
भारत ओवरसीज बैंक	0.73	12.50	0.7	0.71	13.46	0.06	0.71	13.53	0.03
करूर व्यास बैंक	3.04	29.23	0.4	3.03	19.36	0.02	3.03	10.50	0.01
लक्ष्मी विलास बैंक	0.03	25.37	0.5	0.55	23.18	0.05	0.57	20.21	0.03
सिटी यूनियन बैंक	—	87.61	0.23	0.00	173.40	0.36	0.18	157.61	0.33
तमिलनाडु मर्केण्टाइल बैंक	4.50	284.63	0.39	4.01	145.95	0.18	3.63	165.62	0.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बरेली कार्पोरेशन बैंक	0.20	4.21	0.2	0.15	4.00	0.04	0.15	4.00	0.04
बनारस स्टेट बैंक	0.48	13.47	0.5	0.54	13.00	0.01	4.23	8.95	—
नैनीताल बैंक	0.11	2.87	0.3	0.13	3.27	0.04	0.13	3.47	0.04
इण्डसइण्ड बैंक	—	—	—	63.37	2509.19	1.88	63.37	2509.19	1.40
बैंक ऑफ पंजाब	—	—	—	0.00	0.08	—	0.00	0.07	—
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक	—	—	—	—	—	—	—	0.08	0.00
पंजाब को-आपरेटिव बैंक	0.00	0.01	0.1	—	—	—	—	—	—
कुल	45.91	2038.54		86.66	4375.64		87.85	4158.78	

एन.टी.सी. मिलों की पुनरूद्धार योजना

*566. **श्री अशोक ना. मोहोल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के लगभग 73,000 कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना सहित इन मिलों को पुनरूद्धार योजना के क्रियान्वयन हेतु 3,300 करोड़ रुपए देने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में रूग्ण कपड़ा मिलों के पुनरूद्धार हेतु अब किन-किन कदमों पर विचार किया जा रहा है;

(घ) इन पहलों को किस हद तक क्रियान्वित किया गया है तथा उसके क्या परिणाम रहे;

(ङ) देश में इस समय राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कुल कितनी मिलें रूग्ण हैं; और

(च) देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में, राष्ट्रीय कपड़ा निगम की जिन मिलों का पुनरूद्धार किए जाने का विचार है उनका मिल-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एन.टी.सी. द्वारा किए गए एकक-वार अर्थक्षमता अध्ययन के आधार पर सरकार एन.टी.सी. के अर्थक्षम सहायक निगमों और उनके अधीन अर्थक्षम मिलों के लिए सर्वांगीण सुधार योजना पर विचार कर रही है, जिसके लिए निर्धारित अवधि के भीतर निवल पूंजी के सकारात्मक बन जाने के बी.आई.एफ.आर. के मानदण्डों को ध्यान में रखा जा रहा है। सरकार वेतन और मजदूरियों के भुगतान में आने वाली कमी को पूरा करने के लिए एन.टी.सी. को बजटीय सहायता प्रदान कर रही है। पुनरूद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

(ङ) एन.टी.सी. के 9 सहायक निगमों सहित 119 मिलें हैं। एन.टी.सी. लिमिटेड के 9 सहायक निगमों में से 8 सहायक निगमों को बी.आई.एफ.आर. द्वारा रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत रूग्ण घोषित किया गया है।

(च) सरकार ने अभी तक सर्वांगीण सुधार योजना को अंतिम रूप नहीं दिया है।

दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता

*567. **श्री विजय गोयल :**
श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जी.टी.वी., सोनी आदि जैसी प्राइवेट कम्पनियों के प्रसारण चैनलों की तुलना में दूरदर्शन प्रसारणों की गुणवत्ता बहुत घटिया है;

(ख) क्या प्रसारण में गुणवत्ता के सुधार के लिए केबल आपरेटरों पर निर्भर रहने के कारण दूरदर्शन की प्रसारण क्षमता में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपग्रह के माध्यम से प्रसारण के बावजूद हमारे प्रसारण की घटिया गुणवत्ता और प्रसारण क्षेत्र के कम होने के क्या कारण हैं और गुणवत्ता में सुधार और प्रसारण क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) दूरदर्शन, प्रसारण की स्थलीय और उपग्रह दोनों पद्धतियों का इस्तेमाल करता है और दूरदर्शन ट्रांसमीटरों तथा उपग्रह ट्रांसपोन्डरों से प्रसर्जित संकेतों की गुणवत्ता भी अन्य प्रसारकों के संकेतों जैसी होती है। तथापि, टेलीविजन रिसीवरों में कुछ विकृतियां हो सकती है। स्थलीय संकेतों के मामले में ऐसी विकृति उपयुक्त एन्टिना का उपयोग न करने से आ सकती है उपग्रह संकेतों के मामले में प्राय: ऐसी विकृतियां केबल आपरेटरों की ओर से हो सकती हैं।

(ख) और (ग) चूंकि दूरदर्शन के पास लगभग 87.9% जनसंख्या को कवर करने वाला एक विशाल राष्ट्र-व्यापी स्थलीय नेटवर्क है इसलिए वह अपने कार्यक्रमों के प्रसारण/वितरण के लिए विशेष रूप से अपने राष्ट्रीय चैनल अर्थात् डी.डी.-1 के संबंध में केबल आपरेटरों पर निर्भर नहीं रहता है। तथापि, केबल कनेक्शनों वाले उपभोगकर्ता केबल के जरिए सभी टेलीविजन चैनलों को प्राप्त करने को प्राथमिकता देते हैं। केबल आपरेटरों द्वारा दूरदर्शन चैनलों की अच्छी गुणवत्ता के संकेत मुहैया करवाने को सुनिश्चित करने हेतु केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम, 1999 केबल आपरेटरों को केवल उपग्रह से दूरदर्शन चैनलों के संकेतों को लेने, इन्हें प्राइम बैण्ड में रखने और उसी बैण्ड जिसमें दूरदर्शन स्थलीय रूप से अपने चैनलों को प्रसारित करता है, में कोई चैनल प्रसारित न किए जाने को अनिवार्य बनाता है। तथापि, यह रिपोर्ट मिली है कि बहुत से केबल आपरेटर इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं जिससे डी.डी.-1 और डी.डी.-2 के संकेतों में विकृतियां आती हैं।

(घ) स्थलीय ट्रांसमीटरों की रेंज उपग्रह के उपयोग पर निर्भर नहीं करती है क्योंकि बाद वाले का उपयोग उनके नेटवर्क के प्रयोजनार्थ ही किया जाता है। दूरदर्शन ने अपने संकेतों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें उपग्रह पद्धति में चैनलों का डिजीटल प्रसारण, अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करना, दूरवर्ती और कवर न किए गए क्षेत्रों में बेहतर कवरेज मुहैया कराने के लिए नेटवर्क का विस्तार और केबल आपरेटरों और लोगों को केबल टेलीविजन अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के बारे में शिक्षित करने का अभियान शामिल हैं। दूरदर्शन का केबल टेलीविजन अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक मानीटरिंग प्रणाली स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

हथकरघा योजनाओं की समीक्षा

*568. **श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हथकरघा बुनकरों के लाभार्थ विभिन्न कल्याणकारी योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में इन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) जी, हां। हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कल्याणकारी स्कीमें हैं:-

1. **कार्यशाला-सह-आवास स्कीम:**

यह स्कीम बुनकरों की उत्पादकता जीवन में सुधार और आय में वृद्धि करने के लिए उन्हें आवास तथा एक उपयुक्त कार्यशाला मुहैया कराने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण कार्यशाला के लिए 7000 रुपये तथा शहरी कार्यशाला के लिए 1000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण कार्यशाला-सह-आवास के लिए 18000 रुपये तथा शहरी कार्यशाला-सह-आवास के लिए 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है।

2. **शिफ्ट फंड स्कीम :**

स्कीम में बताया गया है कि बुनकरों के अंशदान से भविष्य निधि की फंड बनाना है जिससे वे परिवार के सदस्यों के बच्चों की शिक्षा/मेडिकल व्यय, शादी तथा अन्य रीति रिवाजों पर होने वाले व्यय को पूरा करने की

सुविधा प्राप्त कर सकें। बुनकर मजदूरी का 8% अंशदान तथा केन्द्र तथा राज्य सरकारें 4% अंशदान प्रत्येक देंगे।

3. स्वास्थ्य पैकेज स्कीम :

इस स्कीम में बुनकरों को बीमारी के इलाज के लिए जैसे अस्थमा, टी.बी., स्वास प्रक्रिया में उत्तेजना, चश्मों की खरीद और आंखों की जांच पर हुई लागत, पीने के पानी की आपूर्ति, परिवार नियोजन उपाय अपनाने के लिए अतिरिक्त प्रतिपूर्ति का भुगतान तथा प्राथमिक स्वास्थ्य की देख-भाल के लिए मूलभूत संरचना हेतु बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

4. समूह बीमा स्कीम :

समूह बीमा स्कीम बुनकरों के अपने परिवार के प्रति सामाजिक आर्थिक दायित्वों को पूरा करने तथा वृद्धावस्था में कार्यकारी क्षमता की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए आरंभ की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत एक बुनकर को 120 रुपये की दर से वार्षिक किस्त पर 10,000 रुपये की बीमा सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। किस्त की यह राशि लाभभोगी, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से बांट कर चुकाई जाती है।

5. हथकरघा बुनकरों के लिए नई बीमा स्कीम :

स्कीम में दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर 1.00 लाख रुपये तथा स्थायी असमर्थता होने पर 1.00 लाख रुपये का विभिन्न प्रकार के जोखिम हेतु 120 रुपये प्रिमियम पर सुविधा प्रदान की गई है। केन्द्र सरकार का अंशदान 40 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 60 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है। हथकरघा बुनकरों पर लगातार वित्तीय बोझ को कम करके 40 रुपये प्रतिवर्ष प्रिमियम का भुगतान कम करके 20 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। केन्द्र सरकार समय-समय पर इन स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। ऐसी समीक्षा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इन स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों के निष्पादन का विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	कार्यशाला-सह-आवास स्कीम			थ्रिफ्ट फण्ड स्कीम		
		जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि	स्वीकृत इकाइयों की सं.	जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि	शामिल किये गए बुनकरों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1708.83	1368.63	16143	490.60	404.68	294614
2.	अरुणाचल प्रदेश	122.39	50.31	1169	—	—	—
3.	असम	489.55	394.45	6099	39.60	—	39600
4.	बिहार	269.00	80.00	7433	—	—	—
5.	गुजरात	—	—	—	16.39	6.39	14160
6.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	165.27	142.35	3653	—	—	—
8.	जम्मू एवं कश्मीर	26.59	10.95	1009	—	—	—
9.	कर्नाटक	671.23	538.84	11472	85.00	5.60	14510

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	केरल	384.36	294.36	4211	2.49	—	3298
11.	मध्य प्रदेश	370.79	170.79	4893	36.61	33.65	25141
12.	महाराष्ट्र	213.46	88.47	4580	61.41	35.53	106335
13.	मणिपुर	349.10	221.60	6986	2.65	—	2650
14.	मेघालय	8.13	2.60	223	—	—	—
15.	मिजोरम	27.60	14.00	670	—	—	—
16.	नागालैण्ड	711.03	517.03	6332	—	—	—
17.	उड़ीसा	614.54	428.48	11944	170.00	114.60	150875
18.	राजस्थान	284.50	185.76	4689	6.65	4.65	6200
19.	सिक्किम	100.00	24.46	1000	—	—	—
20.	तमिलनाडु	1100.20	900.28	10458	1399.27	1158.12	1183982
21.	त्रिपुरा	110.55	96.50	2930	0.23	—	36
22.	उत्तर प्रदेश	594.50	391.43	11637	59.10	27.12	58530
23.	पश्चिम बंगाल	250.22	250.22	6700	69.00	42.54	77405
24.	दिल्ली	—	—	—	1.50	—	1500

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वास्थ्य पैकेज स्कीम			समूह बीमा स्कीम			नई बीमा स्कीम	
		जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि	शामिल किये गए बुनकरों की संख्या	जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि	शामिल किये गए बुनकरों की संख्या	जारी व उपयोग की गई राशि	शामिल बुनकर
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आन्ध्र प्रदेश	724.48	637.49	140302	104.41	88.41	276000	60.45	100756
2.	अरुणाचल प्रदेश	50.35	—	11600	—	—	—	—	—
3.	असम	274.52	250.12	68829	3.00	—	7500	0.24	409
4.	बिहार	269.00	84.97	77858	5.28	—	16300	5.94	9888
5.	गुजरात	23.20	16.16	3870	5.10	3.51	14295	5.42	9027
6.	हरियाणा	7.88	—	1100	—	—	—	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	0.03	0.59	290	—	—	—	—	—

1	2	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	जम्मू एवं काश्मीर	14.99	4.35	2746	—	—	—	—	—
9.	कर्नाटक	121.83	91.68	32204	60.00	40.00	150000	—	—
10.	केरल	165.63	159.25	23000	—	—	—	3.00	5000
11.	मध्य प्रदेश	39.44	24.01	119825	5.22	5.22	13052	4.38	7302
12.	महाराष्ट्र	70.35	50.14	22781	—	—	—	—	—
13.	मणिपुर	52.35	38.08	12000	0.72	—	1800	—	—
14.	मेघालय	7.44	5.48	2803	—	—	—	—	—
15.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	नागालैण्ड	108.06	88.69	17630	—	—	—	—	—
17.	उड़ीसा	124.00	91.98	29373	38.80	38.80	97000	18.60	30000
18.	राजस्थान	50.50	36.94	9384	—	—	—	3.04	5059
19.	सिक्किम	37.60	18.80	6000	—	—	—	—	—
20.	तमिलनाडु	543.79	460.73	69862	245.69	209.00	822622	—	—
21.	त्रिपुरा	99.34	88.76	19940	—	—	—	0.51	850
22.	उत्तर प्रदेश	356.78	305.82	68759	32.00	12.00	80000	0.29	490
23.	पश्चिम बंगाल	39.30	25.25	7700	15.46	12.58	40750	—	—
24.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—

निर्यात प्रसंस्करण जोन

*569. **श्री पी.डी. एलानगोवन :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय स्थित निर्यात-प्रसंस्करण जोनों का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है तथा निर्यात सामग्री, मात्रा और उसके मूल्य की दृष्टि से उनकी निर्यात-क्षमता और कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और निर्यात प्रसंस्करण जोन स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा धर्मपुरी या सेलम जिले में कृषि और ग्रामीण औद्योगिक उत्पादों के निर्यात की सुविधा के लिए निर्यात प्रसंस्करण जोन स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) सरकार द्वारा देश में स्थापित सात निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) हैं जो कांडला (गुजरात) सांताक्रुज, बम्बई (महाराष्ट्र), नोएडा (उत्तर प्रदेश), मद्रास (तमिलनाडु), कोचीन (केरल), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) तथा विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में हैं। ई.पी.जेड. इकाइयां मुख्यत: इलैक्ट्रानिक्स, इंजीनियरिंग मदों, रसायन तथा भेषज उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, वस्त्र, तथा परिधान, प्लास्टिक्स तथा रबड़ उत्पादों के उत्पाद-समूहों के अंतर्गत आती हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान ई.पी.जेड. से किए गए निर्यात निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	ईपीजेड से किए गए निर्यात (करोड़ रु.)
1997-98	4817.30
1998-99	5252.48
1999-2000 (अनंतिम)	6160.66

(ख) से (घ) वर्ष 1992 में भारत सरकार के अंतर्गत नए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की स्थापना न करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा अथवा संयुक्त निजी क्षेत्र में केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की स्थापना की जा सकती है। तमिलनाडु सरकार अथवा निजी प्रोमोटर्स से धर्मापुरी अथवा सालेम जिले में एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नवरत्न कंपनियां

*570. **श्री राशिद अलवी :**
डा. जसवंत सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन परियोजनाओं, जिनकी तत्संबंधी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के पहले स्वीकृति दी गई थी, के पूरा होने के विलंब की जांच हेतु एक उच्च अधिकार प्राप्त उत्तरदायित्व निर्धारण समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या नये दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है;

(घ) क्या ऐसे मूल्यांकन में तकनीकी व्यक्तियों, चार्टर्ड एकाउंटेंटों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण

*571. **श्री ब्रजमोहन राम :**
श्री पी.आर. खुंटे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत व्यवसाय आरम्भ करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने में शिक्षित बेरोजगार युवा समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो समस्याएं किस तरह की है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने ऋण हेतु आवेदन किया;

(घ) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक बैंक द्वारा राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और उक्त अवधि के दौरान उक्त बैंकों द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि स्वीकृत और वितरित की गई और इससे कितने युवा लाभान्वित हुए;

(ङ) आज की स्थिति के अनुसार राज्यवार कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं और उन्हें ऋण स्वीकृत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) ऋण संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आम तौर पर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अन्तर्गत कारोबार शुरू करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। तथापि, कभी-कभी कुछ उधारकर्ताओं को कागजात प्राप्त करने या अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने में अधिक समय लग जाता है जिससे बैंक द्वारा ऋण राशि के संवितरण में देरी होती है। कभी-कभी जिला उद्योग केन्द्र (डी.आई.सी.) जैसे प्राधिकारियों द्वारा गैर-अर्थक्षम परियोजनाओं की सिफारिश किए जाने, हिताधिकारियों के प्रशिक्षण में देरी, क्रियाकलाप शुरू करने के लिए संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में होने वाली देरी/सामने आने वाली कठिनाई और शेड, बिजली का कनेक्शन, जल आपूर्ति आदि के आवंटन में देरी के कारण भी विलम्ब होता है।

(ग) से (ङ) वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्यवार लक्ष्य, प्राप्त, मंजूर, संवितरित और लम्बित आवेदनों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ऋणों की मंजूरी में देरी के कारण उत्तर के भाग (क) और (ख) में दिए गए हैं।

(च) ऋणों को मंजूर कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

- पात्र व्यक्तियों के चयन और अर्थक्षम कार्यकलापों के लिए ब्लाक स्तर/उप-खण्ड स्तर पर कार्य बल समिति का गठन।
- जिला स्तर पर परियोजना प्रोफाइल/आय प्रजनन कार्यकलापों की सूची तैयार करना।
- उनके आवेदन-पत्रों की मंजूरी, संवितरण आदि के लिए अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए उधारकर्त्ताओं को सहायता प्रदान करना।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि यदि किसी मामले में आवेदक के बेबाकी पत्र के बारे में अन्य बैंकों से सन्दर्भ की तारीख से एक महीने के अन्दर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, बैंक, योजना के अन्तर्गत ऋण मंजूर कर सकता है बशर्ते कि ऋण की अन्य सभी शर्तें पूरी कर दी गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि वे आवेदन-पत्रों को प्रस्तुति के समय स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र के लिए जोर न दें, उसे तब मांगा जा सकता है जब उधारकर्ताओं को ऋण मंजूर किया जाए।

प्रक्रिया में उपर्युक्त सरलीकरण से आशा है कि बैंकों से ऋण प्राप्त करने में पात्र आवेदनों को सहायता मिलेगी।

विवरण

वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अन्तर्गत लक्ष्य, प्राप्त आवेदनों, मंजूर और संवितरण राशि तथा बैंक के पास लम्बित आवेदनों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण (दिनांक 29.2.2000 को समाप्त वर्ष के लिए पी.एम.आर.वाई. के अन्तर्गत प्रगति-अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत		संवितरित		लम्बित आवेदन
				सं.	राशि	सं.	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	33600	26239	13735	8167.71	6512	3886.92	7680
2.	अरुणाचल प्रदेश	500	57	26	19.60	21	14.00	20
3.	असम	12800	10213	3974	3198.52	1772	894.13	4356
4.	बिहार	21800	13723	5168	4350.23	2666	1976.55	5725
5.	गुजरात	14600	15356	8648	4028.88	7640	3520.94	1459
6.	गोवा	600	668	345	324.25	295	276.94	132
7.	हरियाणा	7500	10148	4726	2895.51	2822	1627.49	1578
8.	हिमाचल प्रदेश	2500	2783	1531	1036.01	1182	801.54	439
9.	जम्मू एवं कश्मीर	4000	2284	1074	952.90	715	582.95	546
10.	कर्नाटक	22200	20666	8130	4733.04	2986	1787.29	8501
11.	केरल	24000	18113	8996	4792.25	4930	2611.11	5497

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	मणिपुर	1350	814	131	76.76	21	8.08	525
13.	महाराष्ट्र	43600	51905	21876	12749.87	13307	8298.55	16172
14.	मध्य प्रदेश	31600	50351	16975	12673.34	5645	3913.31	15331
15.	मेघालय	550	160	88	71.18	47	29.24	64
16.	मिजोरम	350	498	2	1.80	1	0.95	496
17.	नागालैंड	200	33	18	15.25	7	6.75	14
18.	उड़ीसा	12150	11375	1566	1320.90	254	140.75	3808
19.	पंजाब	9000	16427	7714	5254.71	5005	3111.94	3512
20.	राजस्थान	16100	22900	10440	5819.06	5106	2784.21	6697
21.	सिक्किम	150	119	52	23.99	24	17.93	41
22.	तमिलनाडु	15000	21361	8362	4407.82	5001	2515.85	3776
23.	त्रिपुरा	1300	1135	271	170.74	16	9.58	640
24.	प. बंगाल	22800	9673	2168	1412.24	1220	743.68	4057
25.	उत्तर प्रदेश	52000	68125	29925	19798.64	19558	12152.25	14870
26.	रा. राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4800	3998	574	380.49	338	212.92	1479
27.	अण्डमान एवं निकोबार	200	268	77	59.59	62	41.78	106
28.	चण्डीगढ़	100	107	59	45.52	32	22.89	13
29.	दादरा एवं नागर हवेली	50	41	17	10.36	15	8.32	20
30.	दमन एवं दीव	50	22	12	7.08	10	5.63	1
31.	लक्षद्वीप	50	50	12	10.51	12	10.07	17
32.	पाण्डिचेरी	550	462	185	66.54	74	26.06	89
	समस्त भारत	354450	380074	156877	98875.89	87296	52040.40	107461

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) में पर्यावरण और श्रम को संबद्ध करना

*572. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका ने सिएटल में हुए विश्व व्यापार संगठन समझौते के अंतर्गत विदेश व्यापार के साथ पर्यावरण और श्रम कानूनों को जोड़ने का प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में हाल में जेनेवा में एक अनुवर्ती बैठक आयोजित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में विकसित देशों द्वारा डाले जा रहे दबाव के विरुद्ध राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका ने 30 नवम्बर से 3 दिसम्बर, 1999 तक सिएटल यू.एस.ए. में आयोजित डब्ल्यू.टी.ओ. के तृतीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान डब्ल्यू.टी.ओ. में व्यापार-पर्यावरण संबंधों को और सुदृढ़ बनाने तथा व्यापार व श्रम के आधारभूत मानकों के बीच संबंध स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका क्योंकि वह अनिर्णायक था।

(ग) और (घ) डब्ल्यू.टी.ओ. की आम परिषद् ने डब्ल्यू.टी.ओ. के भावी कार्यक्रम पर व्यापक आम सहमति तैयार करने के लिए विभिन्न अनौपचारिक और औपचारिक बैठकें की हैं। इन बैठकों में पर्यावरण तथा श्रम के आधारभूत मानकों के मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया है।

(ङ) भारत डब्ल्यू.टी.ओ. में पर्यावरण को संरक्षणवादी उपाय के रुप में बढ़ाने और यू.एस.ए. तथा डब्ल्यू.टी.ओ. के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्शों के श्रम के आधारभूत मानकों के साथ व्यापार को जोड़ने के हर प्रयास के विरुद्ध आवाज उठाता रहा है।

[अनुवाद]

बैंकों में ब्याज दरों में कमी

***573. श्री नरेश पुगलिया :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की ब्याज दरों और नकद जमा अनुपात में एक प्रतिशत की और कमी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) ब्याज दरों और नकद जमा अनुपात में की गई कमी का बैंकों की लाभप्रदता पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या बचत जमा दरों को घटा कर 4.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इससे मध्यम वर्ग के जमाकर्ताओं, विशेषरूप से सेवानिवृत्त लोगों को काफी नुकसान होगा;

(च) क्या सरकार का विचार मध्यम वर्ग के जमाकर्ताओं के हित में बचत जमा दरों में की गई कमी को वापस लेने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल, 2000 को बैंक दर में 1 प्रतिशत बिन्दु की कमी अर्थात् 8.0 प्रतिशत से 7.0 प्रतिशत करने की घोषणा की है। अरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी.आर.आर.) को भी 0.5 प्रतिशत बिन्दु को दो चरणों में 1.0 प्रतिशत बिन्दु घटा दिया गया था जिनमें से प्रत्येक क्रमश: 8 अप्रैल, 2000 तथा 24 अप्रैल, 2000 से शुरू पखवाड़े से प्रभावी है। इन उपायों का उद्देश्य चल निधि में वृद्धि करना तथा बैंकों की निधियों की लागत में कमी लाना है।

(ग) आशा की जाती है कि इन उपायों का बैंकों की लाभप्रदता पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) बचत बैंकों का उपयोग मध्यम वर्ग के द्वारा अधिकांशत: अपने दैनिक लेन-देनों/आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। जमाकर्ताओं के पास उच्चतम ब्याज दरों पर 15 दिन से अधिक की किसी भी परिपक्वता वाली सावधि जमाराशियों में अपने धन का निवेश करने का विकल्प है।

(च) जी, नहीं।

(छ) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विनिवेश के कारण कीमतों में बढ़ोत्तरी

***574. श्री के.पी. सिंह देव :** क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान विनिवेश प्रक्रिया के जरिए किसी धनराशि के अर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस विनिवेश लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक पर विनिवेश की प्रक्रिया के प्रभाव का अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक को नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान विनिवेश के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि को जुटाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) इसे सामरिक-भिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की शेयरधारिता के विनिवेश के माध्यम से हासिल किया जाना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आई.टी.डी.सी. के शेयरों का विनिवेश

***575. डा. बी.बी. रमैया :** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आई.टी.डी.सी. के प्रत्येक होटल को सहायक कंपनी के रूप में अलग करके उसके शेयरों की बिक्री करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) सरकार ने आई.टी.डी.सी. के संबंध में विनिवेश आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। जहां तक आई.टी.डी.सी. के होटल प्रचालनों का संबंध है, आयोग की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:-

(1) दिल्ली तथा बंगलौर जैसे प्रमुख स्थानों में स्थित होटल पट्टा एवं प्रबन्धन आधार पर दीर्घावधिक संरचित संविदा पर चलाए जाने के लिए प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिष्ठित होटल श्रृंखलाओं को सौंप दिए जाएं।

(2) अन्य होटलों को पृथक कारपोरेट कंपनियों में अलग-अलग कर दिया जाए तथा नई कंपनियों में विनिवेश उनमें 100 प्रतिशत सरकारी शेयर-धारिता की बिक्री के जरिए किया जाएगा।

तम्बाकू उत्पादों का निर्यात/आयात

***576. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी-कितनी मात्रा में तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों का आयात और निर्यात किया गया;

(ख) इन उत्पादों का किन-किन देशों से आयात किया गया तथा किन देशों को निर्यात किया गया;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन उत्पादों के आयात में भारी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या समूचे देश में तम्बाकू उत्पादक तम्बाकू आयात के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान, आयातित और निर्यातित तम्बाकू और तम्बाकू के उत्पादों की मात्रा के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	आयात मात्रा (टन में)	निर्यात मात्रा (टन में)
1996-97	720	116,910
1997-98	397	144,697
1998-99	2839	91,123
1999-2000	उपलब्ध नहीं	109,730

(स्रोत: डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.)

निर्मित व अनिर्मित तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के आयात और निर्यात के देश-वार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.) द्वारा प्रकाशित फोरेन ट्रेड स्टेरिक्टिक्स ऑफ इंडिया के मासिक/वार्षिक अंक में उपलब्ध हैं, जिनकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान तम्बाकू के आयात में तेजी आई थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

म्यांमार के साथ वस्तु विनिमय व्यापार

***577. श्री तरुण गोगोई :**
श्री श्रीनिवास पाटील :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने म्यांमार के साथ वस्तु विनिमय व्यापार आरम्भ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सीमा पर स्थित उन शहरों का ब्यौरा क्या है जहां से वस्तु विनिमय व्यापार किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को व्यापारियों से वस्तु विनियम सौदों को समाप्त करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) भारत और म्यांमार के बीच 21 जनवरी, 1994 को हस्ताक्षरित मौजूदा सीमा-व्यापार करार में वस्तु विनिमय व्यवस्था के जरिए व्यापार करने सहित सीमा के दोनों ओर रह रहे लोगों द्वारा स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं का आदान-प्रदान करने का प्रावधान है। भारत में मोरेह और म्यांमार में तामू तथा भारत में चम्पई और म्यांमार में रिह की निर्दिष्ट सीमाशुल्क चौकी के जरिए ऐसा व्यापार करने के लिए भी प्रावधान रखा गया था। हालांकि मोरेह और तामू के जरिए सीमा-व्यापार खुला है, तो भी चम्पई-रिह मार्ग को अभी चालू करना बाकी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सामान्य भविष्य निधि और बचत खातों पर प्रोत्साहन

***578. श्री सुशील कुमार शिंदे :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आम आदमी और कामगारों की बचतों के संबंध में बचत खातों और सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज दर घटाए जाने से उत्पन्न उत्साहहीनता को समाप्त करने हेतु प्रोत्साहन की कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे अनुत्साहनों से औसत कामगार को ब्याज का समग्र रूप से कुल कितने प्रतिशत घाटा हुआ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) जी, नहीं। लघु बचत स्कीमों और सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज की दरें मामूली कम की गई हैं, ताकि उन्हें देश के समग्र ब्याज दर ढांचे के अनुरूप बनाया जा सके। जोखिम रहित प्रतिलाभ, कर रियायतें तथा आसान पहुंच सहित विद्यमान प्रोत्साहन निवेशकों का विश्वास बढ़ा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप लघु बचत स्कीमों में जमाराशियां ब्याज की दरों में कमी करने के बावजूद भी बढ़ी हैं।

(ग) सामान्य भविष्य निधि तथा लघु बचतों पर ब्याज दरों में कमी की तुलना आवश्यक रूप से वृहत्तर लाभों से की जानी चाहिएं, जोकि अर्थव्यवस्था में संभावित वृद्धि के कारण होंगे।

अखबारी कागज का आवंटन

***579. श्री तिरूनावुक्करसु :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटे समाचार पत्र अखबारी कागज का और अधिक तथा न्यायोचित आवंटन करने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या छोटे समाचार पत्रों को अखबारी कागज का पर्याप्त मात्रा में आवंटन करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) लघु समाचारपत्रों द्वारा बैठकों में इस प्रकार की मांग की जाती रही हैं। इस मंत्रालय को लिखित में ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) वास्तविक उपभोक्ता शर्तों के अधीन ऐसे समाचारपत्रों को जिनके पास भारत के समाचारपत्रों में पंजीयक

(आर.एन.आई.) द्वारा जारी ''पंजीकरण प्रमाणपत्र'' हैं तथा भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा जारी 'पात्रता प्रमाणपत्र' सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य के प्रस्तुत करने पर, आयात लाइसेंस के बिना चमकीले/स्तरीय अखबारी कागज के आयात की अनुमति दी जाती है। ऐसे लघु एवं मझौले समाचारपत्र/पत्रिकाएं जिनकी अखबारी कागज की वार्षिक मांग 200 मीट्री टन या उससे कम है, के हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक अनुसूचित अखबारी कागज मिल के देशी अखबारी कागज के वार्षिक उत्पादन की एक तिहाई मात्रा लघु एवं मझौले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की मांग को पूरा करने के लिए आरक्षित रखा जाता है।

(घ) उपरोक्त (ख) और (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में एक समान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

*580. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में एक नई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम.टी.एन.एल. के कर्मचारियों को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मजदूर संघों ने सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों में समान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का वर्गीकरण करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ज) पुरानी योजनाओं की तुलना में यह योजना कर्मचारियों के लिए किस सीमा तक अधिक लाभकारी है; और

(झ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के फालतू कर्मचारियों को कम करने के लिए वर्ष 2000-2001 के लिए बनाई गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): (क) और (ख) सरकार ने वर्तमान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) को संशोधित करने का निर्णय किया है, जोकि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए लागू है। वर्तमान योजना के अन्तर्गत सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 45 दिनों के वेतन के बराबर राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाती है, परन्तु यह राशि कर्मचारी की शेष सेवावधि में आहरित किए जाने वाले वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिए। कर्मचारी ने कम-से-कम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो या वह 40 वर्ष की आयु का हो चुका हो।

2. संशोधित योजना के अन्तर्गत सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाले तथा अपने संसाधनों से योजना के लिए वित्त की व्यवस्था कर सकने वाले उद्यमों को वर्तमान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से भिन्न योजना क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता दी गई है। तथापि, दी जाने वाली क्षतिपूर्ति सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 60 दिनों के वेतन अथवा अधिवर्षिता तक सेवा के शेष माह की संख्या के वेतन, इनमें से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी।

3. मामूली लाभ अर्जित करने वाले अथवा घाटा उठाने वाले उद्यमों को गुजरात में शुरू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के पैटर्न पर एक संशोधित और बेहतर योजना अपनानी होगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिनों का वेतन तथा अधिवर्षिता तक सेवा के शेष वर्ष के लिए 25 दिनों का वेतन दिया जाएगा। परन्तु, दी जाने वाली क्षतिपूर्ति कर्मचारी की शेष सेवावधि के वेतन से अधिक नहीं होगी।

4. भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत बन्द कर दिए जाने वाले एककों के मामले में एक स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वी.एस.एस.) की शुरूआत कामगारों के लिए सुरक्षा तंत्र के रूप में की जा चुकी है, जिसके अन्तर्गत सांविधिक छंटनी क्षतिपूर्ति से अधिक क्षतिपूर्ति की जा रही है। इस योजना को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में भी लागू किया जाना है और इसे नये वी.आर.एस. के अनुसार बनाया गया है।

यदि वी.आर.एस. के लिए बैंक अथवा अन्य साधनों से वित्त की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो बजटीय सहायता देने पर विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) इस योजना के अन्तर्गत सिर्फ एम.टी.एन.एल. के नियमित कर्मचारियों को ही शामिल किया जाएगा।

(ङ) से (ज) व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए अब प्रस्तावित वी.आर.एस./वी.एस.एस. सम्बन्धी योजनाएं वर्तमान व्यवस्था की अपेक्षा अधिक बेहतर हैं।

(छ) पृथक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाने के लिए सरकारी उपक्रमों के वर्गीकरण हेतु निम्न मानदण्ड अपनाए गए हैं- (1) सुदृढ़ वित्तीय स्थिति (2) मामूली लाभार्जन या घाटा उठाना तथा (3) रुग्ण एवं पुनरूद्धार अक्षम।

(झ) विस्तृत विवरण एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

उच्च स्तरीय समिति

6080. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी व्यापार हेतु लाइसेंस जारी करने, कर संबंधी जटिलताओं, बैंकिंग समस्याओं और ऐसे मामलों में हुए विलम्ब को रोकने और बढ़ती लागत को कम करने संबंधी मामलों की जांच हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां।

विदेश में व्यापार हेतु लाइसेंस से संबंधित लेन-देन की उच्च लागतों, कर प्रक्रियाओं और बैंकिंग प्रणालियों के रूप में निर्यातकों के समक्ष आने वाली समस्याओं की जांच करने के लिए राजस्व-सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी। समिति को विदेश व्यापार हेतु लाइसेंस, सीमा-शुल्क निकासी, शुल्क प्रति अदायगी की वापसी, पत्तनों, हवाई पत्तनों, अन्तवर्ती कंटेनर डिपुओं भाण्डागारों और अंतर्देशी परिवहन आदि में निर्यातों की मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली आधारभूत सुविधाओं की अड़चनों के संबंध में प्रशासनिक प्रक्रिया एवं प्रक्रियात्मक रूकावटों से सम्बद्ध प्रक्रियात्मक जटिलताओं एवं बाधाओं के कारण गैर-उत्पादन/गैर-मूल्य कारकों में लगे अतिरिक्त समय और निवेशित संसाधनों के रूप में लेन-देन की लागतों के मुद्दे पर जांच करनी थी। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें विलम्ब को कम से कम करने के लिए प्रक्रियात्मक जटिलताओं को कम करने, नियमों एवं विनियमों की बहुलता तथा आधार ढांचे की अड़चनों को कम करने आदि के उद्देश्य से विस्तृत सिफारिशें की गई हैं। इन्हें निर्दिष्ट समयावधि के अन्तर्गत कार्यान्वित किए जाने हेतु संबंधित एजेंसियों/विभागों को भेजा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीमा पार से तस्करी

6081. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत-पाकिस्तान और भारत-नेपाल सीमा पर सीमा पार से तस्करी से निपटने हेतु कोई नयी विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विशेष योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) से (ग) भारत-पाक सीमा पर सीमा पार से तस्करी तथा अन्य भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, पंजाब तथा राजस्थान के क्षेत्रों में बाड़ लगाने/फ्लड लाइट की व्यवस्था करने के कार्य को पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने 380 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर गुजरात राज्य के रण क्षेत्र के 310 किलो मी. इलाके में बाड़ लगाने/ऊंचे तटबंध पर फ्लड लाइट की व्यवस्था करने, संपर्क सड़कों, सीमा सड़कों और बी.ओ.पी. का निर्माण करने के एक व्यापक प्रस्ताव को हाल ही में अनुमोदित किया है। इस परियोजना को लगभग 5 वर्षों में निष्पादित कर दिया जाएगा। इसी तरह, जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सीलबन्द करने के लिए सरकार ने हाल ही में एक बहुआयामी योजना को अनुमोदित किया है। यह काम डेढ़ से दो वर्षों में पूरा किया जाएगा। राजस्व आसूचना निदेशालय तथा भारत-पाक सीमा पर क्षेत्राधिकार रखने वाली सीमा शुल्क की क्षेत्रीय इकाइयां भी निषिद्ध

वस्तुओं की सीमा पार से तस्करी को रोकने तथा इनका पता लगाने के लिए पूर्णत: सजग तथा चौकस हैं।

जहां तक भारत-नेपाल सीमा का प्रश्न है, सीमा पार से तस्करी तथा अन्य भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, नेपाल की सीमा से लगे राज्यों को यह सुझाव दिया गया है कि वे सीमा पर पुलिस की तैनाती/गश्त लगाने के कार्य में तेजी लाएं तथा कड़ी निगरानी रखें। सीमा शुल्क कार्यालय तथा राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारीगण कलकत्ता बंदरगाह से किसी तीसरे देश से नेपाल में आयात किए जाने वाले माल के आवागमन पर भी कड़ी निगरानी रखते हैं ताकि इसे हटाकर/पथान्तरित कर भारत में न भेजा जा सके।

फलों और सब्जियों का निर्यात

6082. श्री टी. गोविन्दन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फल और सब्जी का उत्पादन करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है जो अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार इस कार्य हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) फल तथा सब्जियों के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं:- आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ राज्य। हालांकि राज्यवार निर्यात आंकड़ें नहीं रखे जाते, फिर भी उपलब्ध सूचना के अनुसार ऊपर बताए गए राज्य भी फल तथा सब्जियों का निर्यात भी करते हैं।

(ख) और (ग) सरकार सब्जियों के विकास और उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण तथा शुष्क क्षेत्र के फलों के विकास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी की गई सहायता की राशि के आंकड़ें निम्नानुसार हैं:-

(राशि लाख रुपए में)

राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	51.69	80.00	118.98
अरुणाचल प्रदेश	24.05	43.64	61.77
असम	5.00	20.00	5.00
बिहार	71.72	20.00	10.00
गोवा	2.79	2.94	12.17
गुजरात	6.50	32.61	45.00
हरियाणा	37.79	80.99	53.50
हिमाचल प्रदेश	22.00	00.00	52.19
जम्मू और कश्मीर	236.00	0.00	7.50
कर्नाटक	88.79	150.00	223.10
केरल	102.62	220.69	91.50
मध्य प्रदेश	144.91	133.00	128.00

1	2	3	4
महाराष्ट्र	109.50	214.00	218.00
मणिपुर	205.30	0.00	86.50
मेघालय	13.10	15.70	27.00
मिजोरम	33.30	22.45	38.18
नागालैंड	55.80	122.00	64.20
उड़ीसा	299.00	515.00	743.81
पंजाब	32.50	39.08	9.40
राजस्थान	45.47	79.00	90.46
सिक्किम	10.30	17.82	46.77
तमिलनाडु	86.90	183.00	157.03
त्रिपुरा	16.70	31.98	37.90
उत्तर प्रदेश	40.78	20.00	137.44
पश्चिम बंगाल	70.00	0.00	18.00
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13.45	4.99	17.69
चण्डीगढ़	12.50	1.00	5.00
दादर और नागर हवेली	4.80	2.50	8.41
दमन और दीव	6.30	2.50	11.20
दिल्ली	5.00	2.97	6.30
लक्षद्वीप	10.90	9.00	14.09
पाण्डिचेरी	3.00	2.50	9.00

सरकार उत्पादकों/निर्यातकों को अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत फलों तथा सब्जियों के निर्यात के संवर्धन के लिए सहायता उपलब्ध कराती रही है। तथापि, राज्यों को विशिष्ट सहायता सीधे उपलब्ध नहीं कराई जाती।

विशेष केन्द्रीय सहायता

6083. श्री समर चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 के दौरान तथा चालू वित्त वर्ष में अब तक अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पुल के अंतर्गत ई.एम.एस., स्लम विकास, एच.ए.डी.पी., बी.ए.डी.पी. ए.टी.आर.पी., तथा झूम खेती के टी.एस.पी. नियंत्रण के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य तथा सिक्किम में विशेषें केन्द्रीय सहायता के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एन.एफ.सी. को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) किसी पूर्वोत्तर राज्य को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के लिए दी गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में तथा राज्य के किसी स्थानीय निकाय को छठी अनुसूची में स्वायतशासी परिषदों के आवंटन को दर्शाते हुए अतिरिक्त सहायता के रूप में उन्हें कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

कुमारमंगलम बिरला रिपोर्ट

6084. श्री रामदास आठवले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''सेबी'' को निगमित अभिशासन संबंधी कुमारमंगलम बिरला समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति की मुख्य सिफारिशें और सुझाव क्या हैं;

(घ) सेबी द्वारा कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत सुझावों और सिफारिशों संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से सुझाव और सिफारिशें अस्वीकृत कर दी गई हैं; और

(ङ) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। समिति की रिपोर्ट पर सेबी बोर्ड द्वारा 25 जनवरी, 2000 की इसकी बैठक में विचार किया गया और इसे स्वीकार किया गया।

(ग) और (घ) रिपोर्ट की सिफारिशों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् आदेशात्मक और आदेशात्मक भिन्न सिफारिशें। आदेशात्मक सिफारिशें स्टॉक-एक्सचेंजों के सूचीकरण करारों में संशोधनों के माध्यम से कार्यान्वित की जानी हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ये शामिल हैं - कार्यकारी और गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों के अनुकूलतम सम्मिलन सहित निदेशक मण्डल का संघटन, बोर्ड प्रक्रिया, निगमित अभिशासन संबंधी अनुपालन रिपोर्ट, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रकटनों तथा आन्तरिक नियंत्रण की पर्याप्तता की निगरानी करने के लिए एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करना।

निदेशक मण्डल की पारिश्रमिक समिति का गठन और कुछ मामलों में ''पोस्टल बैलेट'' का विकल्प जैसी अन्य सिफारिशों को आदेशात्मक-भिन्न सिफारिशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनका अनुपालन स्वैच्छिक है।

4 फरवरी, 2000 को, सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को समिति की आदेशात्मक सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अपने सूचीकरण करारों को संशोधित करने के निर्देश जारी किए।

(ङ) सूचीकरण करार में संशोधन एक चरणबद्ध तरीके से निम्न द्वारा कार्यान्वित किए जाने हैं:

* सूचीकरण के समय, पहली बार सूचीकरण मांगने वाली कम्पनियां;
* 1 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार, मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज अथवा एस. एण्ड पी., सी.एन. एक्स., निफ्टी सूचकांक में समूह ''क'' कम्पनियां, अधिकतम 31 मार्च, 2001 तक;
* इस समय, 10 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी अथवा 25 करोड़ रुपए अथवा अधिक से निवल मूल्य वाली सूचीबद्ध कम्पनियां, अधिकतम 31 मार्च, 2002 तक;
* 3 करोड़ रुपए और इससे अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी वाली सूचीबद्ध कम्पनियां, अधिकतम 31 मार्च, 2003 तक।

[अनुवाद]

वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा भूमि अधिग्रहण

6085. श्री सुबोध मोहिते : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कोयला खानों के लिए अधिगृहीत भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने भू-स्वामियों को पूरा मुआवजा दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो भू-स्वामियों को किस दर पर और कितनी मुआवजा राशि दी गई;

(घ) क्या वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने भूस्वामियों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वायदा किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस वायदे को पूरा किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा कोयला खानों के लिए विभिन्न प्रकार से किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

(1) कोयला धारी क्षेत्रों (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957	9,131.895 है.
(2) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894	3,352.210 है.
(3) राज्य कोड	1,437.370 है.
(4) पारस्परिक समझौते से	1,581.800 है.
जोड़	15,503.275 है.

(ख) भूमि अधिग्रहण के बाद भू-स्वामियों को कानून के अनुसार पूरा मुआवजा दिया जाता है।

(ग) प्रत्येक मामले में मुआवजे की दर में भिन्नता होती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं:-

(1) भूमि का वर्गीकरण

(2) अधिग्रहण का वर्ष

(3) भूमि स्थल

(4) गांव के स्थल जहां भूमि अवस्थित है

(5) सिंचाई की सुविधा

(6) वाणिज्यिक केन्द्रों की निकटता

(7) क्षेत्र आदि में मूल आधारभूत ढांचे की स्थिति

वे.को.लि. द्वारा फरवरी 2000 तक भूमि के अधिग्रहण के एवज में कुल 7,247.84 लाख रु. खर्च किए गए।

(घ) से (च) कोल इंडिया लि. की पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति के अनुसार, वे.को.लि. गैर-सिंचाई वाली कम-से-कम 3 एकड़ भूमि अथवा सिंचाई वाली 2 एकड़ भूमि को खोने वाले प्रत्येक भू वंचित परिवार को एक रोजगार की पेशकश स्वयं उन्हें अथवा भू वंचित के वंशज के आश्रिते पात्र नामिती को की गई है। इसमें विवाद के वे मामले नहीं आते हैं, जहां परिवार के सदस्यों के बीच विवाद हैं और इसके परिणामस्वरूप उपयुक्त नामांकन को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

बैंकों का विलय

6086. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जिन बैंकों को घाटा हो रहा है, उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक बैंक को अलग-अलग कुल कितना घाटा उठाना पड़ा;

(ख) क्या घाटा उठा रहे इन बैंकों को वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ बैंकों के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत किन बैंकों को शामिल किया जाएगा और इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) बैंक कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की योजना इस योजना से किस प्रकार प्रभावित होगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथासूचित घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:-

(रु. करोड़ में)

	निवल हानि 1998-99	दिनांक 31.3.99 की स्थिति के अनुसार संचित हानि (अद्यतन उपलब्ध)
सरकारी क्षेत्र के बैंक		
इंडियन बैंक	778.50	3181.88
यूको बैंक	67.77	1803.90
कुल	848.27	4985.78
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक		
बनारस स्टेट बैंक लि.	20.31	74.57
बैंक आफ राजस्थान लि.	67.46	157.05

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

काफी में कासनी की मिलावट

6087. श्री कृष्णमराजू : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अंतर्गत काफी में कितने प्रतिशत कासनी की मिलावट करने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कॉफी में अधिक मात्रा में कासनी मिलाई जाती है और उसे शुद्ध काफी के रूप में बेचा जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अंतर्गत काफी में 49% तक कासनी की मिलावट करने की अनुमति दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

6088. श्री मोइनुल हसन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी एसोसिएशन से राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक (एन.आर.बी.आई.) के सृजन सहित कई वैकल्पिक मॉडलों पर विचार करने के पश्चात् चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तुलन-पत्रों को ठीक करने हेतु अतिरिक्त पूंजी के निवेशन के माध्यम से "स्टैंड अलोन" आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया था। 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 187 बैंकों को पुनर्पूंजीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है और इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत सरकार के 50% हिस्से सहित 2188.42 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई है। 187 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 158 बैंकों का पुनर्पूंजीकरण किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाया जाना तथा उन्हें अर्थक्षम बनाया जाना सुकर बनाने के लिए कई अन्य नीतिगत परिवर्तन प्रारम्भ किए गए है। मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:-

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से वार्षिक आधार पर विकास कार्य योजना एवं समझौता ज्ञापन (डी.ए.पी./एम.ओ.यू.) शुरू करना तथा आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी मानदंडों को कवर करने वाले विवेकपूर्ण मानदण्डों को लागू करना।

(2) व्यवसाय पोर्टफोलियो और गतिविधियों का विभेदीकरण।

(3) अधिशेष गैर एस.एल.आर. निधियों के निवेश के लिए क्षेत्र बढ़ाना।

(4) हानि उठाने वाली शाखाओं के विलय और पुर्नस्थापन समेत शाखा नेटवर्क का युक्तिकरण।

(5) ब्याज दर ढांचे का अविनियमन।

(6) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन के मामलों में प्रायोजक बैंक को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करना।

दूरदर्शन समाचार एकक में बदलाव

6089. श्री रामप्रसाद सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन समाचार के कार्यक्रमों की लोकप्रियता में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दूरदर्शन समाचार-एकक में बार-बार बदलाव किए जाते रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बार-बार तैनाती/स्थानांतरण को रोकने के लिए और समाचार एकक में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के समाचार स्कन्द में स्टाफ के बार-बार स्थानान्तरण नहीं किए जाते हैं। तथापि, इस सम्बन्ध में आवश्यक होने पर सेवा के हित में परिवर्तन किए जाते हैं। प्रसार भारती ने आगे यह सूचित किया है कि दूरदर्शन अपने समाचार कार्यक्रमों में और सुधार लाने के लिए सभी उपाय कर रहा है। इस प्रयोजनार्थ, भारतीय सूचना सेवा के युवा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उनका उपयोग समाचार रिपोर्टिंग के लिए किया जा रहा है। आवश्यक होने पर नैमित्तिक रिपोर्टरों को भी काम पर लगाया जाता है। ख्याति प्राप्त समाचार प्रस्तुतकर्त्ताओं को भी अनुबंध के आधार पर काम पर लगाया जा रहा है। विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतकर्त्ताओं के साथ चर्चा एवं वाद-विवाद के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। समाचार कार्यक्रमों में स्थित स्टूडियो के बीच घंटे स्विचिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवायी जा रही है।

जाली नोटों में आर.बी.आई. अधिकारियों की संलिप्तता

6090. श्री किरीट सोमैया :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जाली नोट छापकर तथा उनका प्रसार करके भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने में पाकिस्तानी आई.एस.आई. एजेंसी की सहायता करने में कुछ आर.बी.आई. अधिकारी शामिल पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

ऋणों को बट्टे खाते में डालना

6091. श्री के. येरननायडू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने उग्रवादी गतिविधियों की राष्ट्रीय समस्या से निपटने में हुए व्यय के कारण कुल बकाया देय ऋण से 3491 करोड़ रुपए बट्टे खाते डालने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) अपने विचारार्थ विषयों के अंतर्गत ग्यारहवें वित्त आयोग को राज्यों की ऋण स्थिति का आकलन तथा केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों ही के लिए दीर्घ आवधिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए यथा आवश्यक उपचारात्मक उपाय सुझाना अपेक्षित है। राज्य/राज्यों को किसी भी ऋण राहत हेतु ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी होगी।

बचे हुए माल के आधार पर नेट पर मोटर दावे

6092. डा. रमेश चंद तोमर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सामान्य बीमा निगम की अनुषंगी कंपनियां बचे हुए माल के आधार पर नेट पर मोटर दावों का निपटान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान निपटाए गए दावों का ब्यौरा और संख्या क्या है और कम्पनी-वार कुल कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या बीमा कम्पनियों को बचे हुए माल के क्रेताओं की साठगांठ से अधिकारियों और सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा की गई भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मोटर दावों का निपटान करने में भ्रष्टाचार के कार्यों को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक

6093. श्री महबूब जहेदी :
श्री वसुदेव आचार्य :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने शिकायत की है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक के कार्यनिष्पादन में इसके प्रबंधन द्वारा अत्यधिक कदाचार के कारण निरन्तर कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 75 करोड़ रुपए के पूंजी आधार में से 50 करोड़ संदिग्ध कम्पनियों को दे दिए गए थे जिसके कारण यह एक माह के भीतर ही अनुप्रयोज्य परिसम्पत्तियों में बदल गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस अशोध्य ऋण को देने में अच्छी खासी दलाली प्राप्त करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सूचित किया है कि उन्हें कुछ मामलों में ऋण मंजूर करने में अनियमितता तथा भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आई.आई.बी.आई.) पदधारियों की कथित अन्तर्ग्रस्तता के संबंध में स्रोत से सूचना मिली है। सीवीसी ने भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग से वास्तविक रिपोर्ट मांगी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच की गई थी और सीवीसी को रिपोर्ट उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

(ग) आई.आई.बी.आई. ने सूचित किया है कि उन्होंने अपनी पूंजी संदिग्ध कंपनियों को नहीं दी है। हालांकि पूरे मूल्यांकन एवं छानबीन के बाद कंपनियों को सहायता दी जाती है, तथापि नगद राशि की अस्थायी कमी, व्यावसायिक असफलता, उद्योग में मंदी, पूरे देश की आर्थिक स्थिति आदि जैसे विभिन्न कारणों से अनुपयोज्य आस्तियों के मामले बन गए हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

शहरी हाट योजना

6094. श्री जय प्रकाश : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में शहरी हाट योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना के कब तक लागू हो जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किलगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समस्त देश के बड़े शहरों एवं महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर 18 शहरी हाट स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

शिल्पियों/बुनकरों को सीधे विपणन सहायता प्रदान करने तथा मध्यस्थ अभिकरणों को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर दिल्ली हॉट के पैटर्न पर शहरी हॉट स्थापित किए जा रहे हैं।

(ग) शहरी हॉट स्थापित करने की योजना कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है। ऐसे 8 हॉट पहले ही अहमदाबाद, आगरा, भुवनेश्वर, कलकत्ता, रांची, करनाल, जम्मू एवं तिरुपति में स्वीकृत किए जा चुके हैं। शेष नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में स्थापित किए जाएंगे।

[अनुवाद]

रबड़ की खेती

6095. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितने क्षेत्र में रबड़ की खेती की जाती है;

(ख) देश में रबड़ की प्रति हेक्टेयर पैदावार कितनी है;

(ग) क्या मांग और उत्पादन के बीच कोई अंतर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा रबड़ की मांग और उत्पादन को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में कुल 5,63,000 है. क्षेत्र में रबड़ की खेती की गई थी जिसमें औसतन 1588 किग्रा. प्रति हैक्टेयर पैदावार हुई।

(ग) और (घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का अनुमानित उत्पादन और मांग क्रमश: 6.22 लाख मी. टन और 6.28 लाख मी. टन है।

(ङ) देश में प्राकृतिक रबड़ की मांग को पूरा करने के प्रयोजन से भारत सरकार रबड़ बोर्ड के जरिए प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रबड़ उपजकर्त्ताओं को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने सहित विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

ई.टी.वी. चैनल

6096. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान मराठी और कन्नड़ भाषाओं में ई.टी.वी. चैनल आरम्भ करने को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें कब तक आरम्भ कर दिये जाने की संभावना है; और

(घ) ये चैनल महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोगों के लिए कितने लाभदायक हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विदेशी चैनलों के लिए मानदंड

6097. श्री हसीभाऊ शंकर महाले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी चैनलों पर नियंत्रण रखने हेतु कोई मानदंड निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान कौन-कौन से चैनलों ने इन मानदंडों का उल्लंघन किया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) विदेशी उपग्रह चैनलों के कार्यक्रमों को देश के बाहर से अपलिंक किया जाता है और इसलिए ये कार्यक्रम मौजूदा भारतीय कानूनों की परिधि के अंतर्गत नहीं आते हैं लेकिन इन चैनलों के कार्यक्रमों/विज्ञापनों को केबल आपरेटर के माध्यम से प्रसारित करने हेतु डिकोडर्स का इस्तेमाल किये जाने के मामले इन चैनलों द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5 और (6) के तहत निर्धारित कार्यक्रम/विज्ञापन संहिताओं का अनुपालन किया जाना अपेक्षित होता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों के प्राधिकृत अधिकारी विभिन्न आधारों पर किसी कार्यक्रम विशेष के प्रसारण अथवा पुन: प्रसारण से किसी केबल आपरेटर को निषिद्ध कर सकता है और धारा-20 के तहत केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र में जनहित में केबल नेटवर्क के प्रचालन को निषिद्ध कर सकती है।

(घ) दिनांक 20.10.99 को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा-20 के तहत जारी एक अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार ने सम्पूर्ण देश में उस केबल टेलीविजन नेटवर्कस के प्रचालन को निषिद्ध किया था जो विदेशी उपग्रह टेलीविजन चैनल टी.वी.-6 को प्रसारित कर रहे थे क्योंकि उसमें लोक नैतिकता को प्रभावित करने वाली अश्लील एवं अभद्र सामग्री शामिल थी। कारगिल संघर्ष के दौरान भी, पाकिस्तान टी.वी. के कार्यक्रमों की भारत विरोधी प्रवृत्ति के विचार से, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को पाकिस्तान टी.वी. के कार्यक्रमों के प्रसारण/पुन: प्रसारण को धारा-19 के तहत निषिद्ध करने की सलाह दी थी।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के लिए राज्यों को सहायता

6098. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों को विशेषकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों के पक्ष में कुल कितनी सहायता प्रदान की गयी;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य से धन के उपयोग से संबंधित जिलावार उसकी प्रगति रिपोर्ट मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग और वाणिज्य मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों के लिए राज्य सरकारों को सीधे निधियां जारी नहीं करती है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विकास केन्द्र योजना तथा परिवहन राजसहायता योजना को क्रियान्वित कर रहा है। पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश को जारी किये गये अनुदानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

विकास केन्द्र योजना

विवरण सं. 1 (लाख रुपये)

	1996-97	1997-98	1998-99	कुल
उत्तर प्रदेश	शून्य	220	शून्य	220

परिवहन राजसहायता योजना

विवरण सं. 2 (लाख रुपये)

	1997-98	1998-99	1999-2000	कुल
उत्तर प्रदेश	0.92	45.14	–	1582.44

कटे-फटे नोटों को लेना

6099. श्री अमर राघवप्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्राहकों से कम मूल्य के कटे-फटे नोटों को स्वीकार करने हेतु बैंकों को निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बैंकों को किस तारीख को आदेश जारी किए गए थे;

(ग) क्या ऐसे आदेशों के बावजूद कुछ बैंक जनता से कटे-फटे नोट नहीं लेते हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सभी बैंकों द्वारा सही अर्थों में आदेशों का कार्यान्वयन किया जाए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 9.8.76, 2.4.85, 15.1.86, 12.1.88, 25.5.88, 28.6.88, 7.5.90 और 3.12.96 के अपने परिपत्रों के द्वारा सभी बैंकों को हिदायतें जारी की हैं कि वे ग्राहकों से सभी मूल्यवर्गों के खराब/कटे-फटे नोटों को स्वीकार करें।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक को खराब/कटे-फटे करेंसी नोटों को बैंकों से बदलने की खामियों का उल्लेख करते हुए जनता से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी क्षेत्र बैंकों की शाखाओं और करेंसी तिजोरियां रखने वाले निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं द्वारा अदला-बदली की सुविधाओं से संबंधित हिदायतों

को कार्यान्वित किया जाता रहे, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित कुछ कदम उठाए हैं:-

(1) 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए मूल्यवर्गों के खराब नोटों को प्रचलन से हटाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को क्षेत्रीय कार्यालयों और कुछ महत्वपूर्ण करेंसी तिजोरियों ने इन नोटों की अदला-बदली के लिए विशेष काउण्टर खोले हैं।

(2) यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि भारतीय रिजर्व बैंक की तिजोरियों में प्रत्येक मूल्यवर्ग में सिक्कों की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध हैं, स्थानीय समाचार-पत्रों और इलैक्ट्रानिक मीडिया के भी माध्यम से विज्ञापन जारी किए गए ताकि यह सुविधा उचित रूप से जनता के ध्यान में लाई जाए।

(3) सरकारी क्षेत्र बैंक की कुछ शाखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी कटे-फटे नोटों के बदले सिक्कों का वितरण करने के लिए नगर/मण्डी/बाजार क्षेत्र आदि में चलते-फिरते काऊण्टरों (वैनों) की व्यवस्था की है।

कॉफी उत्पादक

6100. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय काफी परिसंघ ने सरकार को अपनी शिकायतों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा परिसंघ की समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) भारतीय काफी परिसंघ ने कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम में इस आशय का संशोधन करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार और कॉफी बोर्ड को हाल ही में अभ्यावेदन दिया है कि भारत से निर्यातों के क्रम में बेची गई काफी पर खरीद/बिक्री करों के भुगतान से छूट प्रदान की जाए।

(ग) कर्नाटक सरकार ने हाल ही में काफी को खरीद कर से छूट दी है यदि ऐसी कॉफी, काफी की खरीद की तारीख से 4 महीनों के भीतर देश के बाहर निर्यात कर दी जाती है और काफी बीन तथा बीजों सहित काफी पर बिक्री कर की दर को भी 8% से 4% तक कम कर दिया गया है।

[हिन्दी]

खनिज भंडार

6101. श्री राजो सिंह : क्या **खान और खनिज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में नये खनिज भंडार का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका पता लगाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) कौन-कौन से स्थानों पर अभी भी खनन कार्य चल रहा है;

(घ) इस संबंध में क्या उपलब्धियां रही;

(ङ) क्या बिहार में खनन कार्य हेतु कुछ विदेशी संस्थानों से कोई तकनीकी सहायता मांगी गई या मांगे जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.), खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एम.ई.सी.एल.) तथा खनन एवं भूविज्ञान विभाग (डी.एम.जी.), बिहार खनिजों का गवेषण कर रहे हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पूर्व बोकारो कोलफील्ड, दक्षिण करनपुरा कोलफील्ड के पश्चिम में तथा कोलफील्ड्स क्षेत्रों के राजमहल ग्रुप में 668.84 मिलियन टन कोयला भंडार को प्रमाणित किया है। इसके अलावा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने दुमका, कोडरमा, देवगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, पूर्व तथा पश्चिम सिंहभूम जिलों में छोटा नागपुर की गनाइसिक तराइयों में 2675 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में वाणिज्यिक ग्रेनाइट के 243 संभावी क्षेत्रों का पता लगाया है।

खनिज गवेषण निगम लिमिटेड ने 4230.51 मिलियन टन कोयला, 9.25 मिलियन टन तांबा तथा 7.94 मिलियन टन बाक्साइट भंडारों का आकलन किया है।

डी.एम.जी., बिहार ने बांका क्षेत्र में गलैना तथा सिंहभूम पूर्व, जमशेदपुर में पाइरोक्सेनाइट की मौजूदी सूचित की है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उप-धारा (1) में परिभाषित कोई कम्पनी या भारतीय नागरिक, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टा प्राप्त करने के बाद खनिज भंडारों का विदोहन करने के लिए स्वतंत्र है।

(ग) और (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1997-98 और 1998-99 का खनिज उत्पादन

(राज्य/जिलों द्वारा/खनिज)
(मूल्य हजार रुपए में)

जिला/ खनिज	इकाई मात्रा	खान	1997-98 मात्रा	मूल्य	खान	1998-99 मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
**बिहार							
*सभी जिले							
कोयला	000 टी	173	81035	47105970	173	76349	44130444
उप उप-जोड़		173		47105970	173	–	44130444
*देवघर							
फेल्सपर	टन	2	1570	141	2	1610	127
क्वार्टज	टन	0	2984	179	0	3140	169
उप उप-जोड़		2		320	2		296
*धनबाद							
चांदी	कि.ग्रा.	0	9073	67004	0	7179	53017
फायरक्ले	टन	2	1690	136	3	2907	285
उप उप-जोड़		2		67140	3		53302
*डुमका							
फेल्सपर	टन	0	818	82	0	1304	98
क्वार्टज	टन	2	3951	395	2	4041	222
उप उप-जोड़		2		477	2		320
*गढवा							
डोलोमाइट	टन	1	288532	154076	1	356547	212502
उप उप-जोड़		1		154076	1		212502

1	2	3	4	5	6	7	8
*गिरीडीह							
अभ्रक	टन	4	215	452	4	178	401
अभ्रक (वेस्ट	टन	0	34	0	0	85	0
एंड स्क्रेप							
उप उप-जोड़		4		452	4		401
*गुमला							
बॉक्साइट	टन	18	575972	123630	18	732232	149093
लैटराइट	टन	0	10	1	0	0	0
उप उप-जोड़		18		123631	18		149093
*हजारीबाग							
फेल्पसर	टन	1	604	79	1	2273	280
फायरक्ले	टन	1	100	6	1	485	20
गारनेट (एबरेजिव)	टन	1	0	4	0	0	0
चूना-पत्थर	000 टी	6	116	24983	6	102	21233
क्वार्टज	टन	0	1662	216	0	2500	312
उप उप-जोड़		9		25288	8		21845
*कोडरमा							
अभ्रक	टन	9	338	4356	9	314	4065
अभ्रक (वेस्ट	टन	0	340	0	0	232	0
एंड स्क्रेप)							
उप उप-जोड़		9		4356	9		4065
*लोहारडगा							
बॉक्साइट	टन	11	540845	113382	9	509769	109162
काओलीन	टन	0	955	965	0	106	106
उप उप-जोड़		11		114347	9		109268
*मुंगेर							
क्वार्टजाइट	टन	4	8266	1748	7	17771	2008
स्टीटाइट	टन	1	1090	65	1	863	45
उप उप-जोड़		5		1813	8		2053

1	2	3	4	5	6	7	8
*नवादा							
अभ्रक	टन	11	334	3118	8	98	1015
अभ्रक (वेस्ट एंड स्केप)	टन	0	0	0	0	18	0
उप उप-जोड़		11		3118	8		1015
*पलामू							
लौह अयस्क	000 टी	1	7	2081	2	6	1749
फेल्सपर	टन	0	5748	611	0	2906	410
फायरक्ले	टन	9	16060	1846	7	5990	812
ग्रेफाइट	टन	5	7979	2328	4	9906	1964
चूना-पत्थर	000 टी	2	157	74640	2	99	42908
क्वार्टज	टन	6	910	79	6	851	68
उप उप-जोड़		23		81585	21		47911
*रांची							
काओलीन	टन	1	2550	332	1	900	117
चूना-पत्थर	000 टी	2	25	3873	1	25	4178
उप उप-जोड़		3		4205	2		4295
*रोहतास							
चूना-पत्थर	000 टी	6	523	168571	6	433	139382
पाइराइटस	टन	1	125474	78919	1	88738	83580
उप उप-जोड़		7		247490	7		222962
*साहिबगंज							
काओलीन	टन	3	33662	21995	4	17097	19116
सिलिका सैंड	टन	3	81215	19263	3	77354	17547
उप उप-जोड़		6		41258	7		36573
*सिंहभूम							
कॉपर अयस्क	टन	5	945827	1073782	5	647844	723526

1	2	3	4	5	6	7	8
स्वर्ण	कि.ग्रा.	0	684	254627	0	505	176222
चांदी	कि.ग्रा.	0	6399	46287	0	5127	38742
क्यानाइट	टन	1	4831	2614	1	4920	2662
उप उप-जोड़		6		1377310	6		941152
*सिंहभूम पश्चिम							
लौह अयस्क	000 टी	17	12495	2270902	19	11997	2220725
मैंगनीज अयस्क	टन	3	8132	3013	2	13115	4367
काओलीन	टन	11	21411	7917	11	12341	6710
क्यानाइट	टन	1	86	170	1	73	138
चूना-पत्थर	000 टी	9	533	67776	8	415	64957
ओकर	टन	1	220	12	1	747	112
क्वार्टज	टन	1	5700	234	1	3398	469
उप उप-जोड़		43		2350024	43		2297478
उप-जोड़		335		51702860	331		48234975

[अनुवाद]

कोयला सोसायटी का वित्तीय संकट

6102. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कोयला सोसाइटी विकट वित्तीय संकट से गुजर रहा है और इसके पास कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने हेतु आय का कोई स्रोत भी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से सहायता का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश की कोयला सोसाइटी को वित्तीय संकट का सामना करने हेतु किस सीमा तक सहायता देने पर सहमति दी है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में कोई कोयला सोसाइटी गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है और उसके कर्मचारियों को वेतन देने के लिए आय के कोई स्रोत नहीं है, कोयला विभाग, संघ सरकार के पास तत्संबंधी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। संघ सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश की किसी कोयला सोसाइटी को वित्तीय सहायता दी जा सकती हो। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी आंध्र प्रदेश में किसी कोयला सोसाइटी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संघ सरकार से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं मांगी है। किंतु, भारत सरकार ने हाल ही में दिनांक 21.6.99 को सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (सिं.को.कं.लि.) की एक पूंजी पुनर्संरचनात्मक योजना का अनुमोदन दिया है। सिं.को.कं.लि. आंध्र प्रदेश सरकार की एक सरकारी कंपनी है, जिसमें राज्य सरकार और भारत सरकार के इक्विटी शेयर 51:49 के अनुपात में है। पूंजी पुनर्संरचनात्मक योजना के अनुसार, नौवीं योजना अवधि के दौरान सिं.को.कं.लि. की इक्विटी में भारत सरकार का निवेश 257.51 करोड़ रु. बढ़ गया है। नौवीं

योजनावधि के दौरान भारत सरकार 77.50 करोड़ रु. तक के ऋण भी देगी और द्विपक्षीय ऋण के रूप में 61.62 करोड़ रु. की अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आठवीं योजनावधि के दौरान कंपनी को स्वीकृत भारत सरकार के ऋण पर प्रोद्भूत 663.34 करोड़ रु. (31.3.97 की स्थिति के अनुसार) के बकाया ब्याज के भुगतान पर सिं.को.कं.लि. को 31.2.2007 तक ऋण-स्थगन की अनुमति दी गई है।

दर्शकों द्वारा आकलन

6103. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1999-2000 के दौरान डी.डी.-1 के दर्शकों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो जी.टी.वी., सोनी टी.वी. तथा डी.डी.-1 चैनलों के दर्शकों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या दर्शकों की तादाद में बढ़ोत्तरी को मद्देनजर रखते हुए डी.डी.-1 द्वारा विज्ञापन दरों में वृद्धि किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह वृद्धि किस हद तक किए जाने की संभावना है;

(ङ) डी.डी.-1 को विज्ञापन से पिछले दो वर्षों के दौरान कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ तथा इसकी प्रतिशतता कितनी है; और

(च) डी.डी. द्वारा अपने दर्शकों का आकलन करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां। टेलीविजन श्रोता ऑडियंस मेजरमेंट (टी.ए.एम.) द्वारा 27 शहरों में ''पीपल मीटर्स'' के जरिए किया गया हाल का सर्वेक्षण (अक्तूबर, 24 से नवम्बर, 99 के दौरान) दर्शाता है कि दूरदर्शन दर्शकों के सन्दर्भ में निजी चैनलों से बहुत आगे है। टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट यह भी दर्शाता है कि जून, 1999 और जनवरी, 2000 के दूरदर्शन चैनल-1 के समग्र दर्शकों में 26% तक बढ़ोत्तरी हुई है।

(ख) उपरोक्त टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट के अध्ययन के अनुसार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

चैनल	दैनिक दर्शकों की मिनट
डी.डी.-1	54
जी.	7
एस.टी. प्लस	2
सोनी	7
एन.टी.वी.	8

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा 1998-99 एवं 1999-2000 के दौरान अर्जित किया गया कुल वाणिज्यिक राजस्व क्रमश: 211.55 करोड़ रुपए एवं 317.50 करोड़ रुपए था। वृद्धि लगभग 50.08% थी।

(च) दूरदर्शन के पास अपने कार्यक्रमों की तुलनात्मक दर पता लगाने के लिए डार्ट के रूप में जानी जाने वाली अपनी पद्धति है। तथापि, काफी समय से दर्शकों में परिवर्तन जानने के लिए, दूरदर्शन टेलीविजन ऑडिसन मेजरमेंट पद्धति से आंकड़ों की मॉनीटरिंग करता है जो अब देश के 27 शहरों को कवर करती है।

मणिपुर में दूरदर्शन/आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र

6104. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मणिपुर से जिलेवार कितने आकाशवाणी/दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार दूरदर्शन और आकाशवाणी की प्रसारण सेवाएं पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में कुछ नए केन्द्रों को खोलने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) वर्तमान में,

इम्फाल में 2 उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों सहित 1 रेडियो केन्द्र तथा मणिपुर में विभिन्न शक्ति के 9 टी.वी. ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं। टी.वी. ट्रांसमीटरों का जिलावार ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:

जिला	टी.वी. ट्रांसमीटरों की संख्या
चंडेल	2
चूराचांदपुर	1
इम्फाल	3
सेनापति	2
उखरल	1

(ख) और (ग) इस समय राज्य की 88% की जनसंख्या रेडियो और 67% जनसंख्या टी.वी. देख सकती है। इसके अतिरिक्त, चूराचांदपुर में स्टूडियो और एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर सहित 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर वाला एक स्थानीय रेडियो केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। 9वीं योजना के दौरान इम्फाल स्थित मौजूदा 50 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर के बदले 300 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर, राज्य में रेडियो और टी.वी. कवरेज में अत्यधिक मात्रा में सुधार होने की आशा है। रेडियो और टी.वी. कवरेज का और अधिक विस्तार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

गुलाबी रंग की प्याज का निर्यात

6105. श्री जी.एस. बसवराज : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के निर्यातक मलेशिया, मालदीव, मारीशस, सिंगापुर और श्रीलंका को विशेष किस्म की गुलाबी रंग की प्याज का निर्यात कर रहे हैं;

(ख) क्या गुलाबी रंग की प्याज के अत्यधिक तीखेपन के कारण इन देशों में इसकी भारी मांग है;

(ग) क्या इस किस्म की गुलाबी रंग की प्याज विशेषत: निर्यात करने न कि स्थानीय बाजार के लिए उगाई जाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या प्याज के निर्यात पर हाल ही के प्रतिबंध से प्याज उत्पादकों/निर्यातकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा गुलाबी रंग की प्याज के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) बंगलौर रोज प्याज का निर्यात जिन देशों को किया जाता है, उनमें मलेशिया, मालदीव, मारीशस, सिंगापुर तथा श्रीलंका आदि शामिल है। क्योंकि इसके तीखेपन के कारण यह एक पसन्द की जाने वाली किस्म है। बंगलौर रोज प्याज की घरेलू मांग बहुत सीमित है।

(घ) और (ङ) बंगलौर रोज प्याज के निर्यात पर लगी रोक को 26.4.2000 से हटा लिया गया है ताकि उपजकर्त्ताओं तथा निर्यातकों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

मसालों का निर्यात

6106. श्री अशोक अर्गल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मसाला बोर्ड को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या इस वर्ष मसालों के निर्यात की मात्रा घटी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए कोई समिति गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) मसाला बोर्ड को सरकार से 1999-2000 के दौरान निर्यात प्रोत्साहन स्कीमों सहित योजना खर्च के लिए 1300 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं।

(ख) हालांकि वर्ष 1999-2000 में मसालों के निर्यात की मात्रा में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली गिरावट आई, लेकिन मूल्य के रूप में मसालों के निर्यात में वृद्धि हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में मैंगनीज अयस्क की खान

6107. **श्री अनंत नायक** : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में कितने मैंगनीज अयस्क की खान हैं और ये कहां-कहां हैं; और

(ख) इन खानों में जमा मैंगनीज अयस्क के उचित दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) खान विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1998-99 के दौरान उड़ीसा में खनिज मैंगनीज अयस्क खानों की संख्या निम्न प्रकार है:-

जिला	खानों की संख्या
क्योंझर	21
सुन्दरगढ़	19

(ख) खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास और पर्यावरणात्मक सुरक्षा के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 18 के तहत खनिज संरक्षण और विकास नियम (एम.सी.डी.आर.), 1988 बनाए गए हैं। केन्द्र सरकार, भारतीय खान ब्यूरो के माध्यम से एम.सी.डी.आर. की मानिटरिंग करती है। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही खनन कार्य किए जाते हैं। भारतीय खान ब्यूरो के अधिकारी निरीक्षण के जरिए समय-समय पर खनन योजना की समय-सीमा के अनुपालन की जांच करते हैं। अनियमितताओं के मामले में, अनुपालन/संशोधन के लिए एम.सी.डी.आर. के उपयुक्त प्रावधानों के तहत आई.बी.एम. द्वारा उनका उल्लेख किया जाता है।

निर्यात को प्रोत्साहन देना

6108. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लैटिन अमरीका के लिए निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु दीर्घकालिक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) लेटिन अमरीकी देशों के साथ भारत के व्यापार को तेजी से बढ़ाने के लिए वर्ष 1997 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए द फोकस : एल.ए.सी. कार्यक्रम को मार्च, 2003 तक बढ़ा दिया गया है। इस विशेष पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रावधान है:- बाजार विकास सहायता के माध्यम से बेहतर सम्पर्क और उदार समर्थन, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, विदेशी मेलों में भागीदारी, लैटिन अमरीका में भण्डारगृहों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना तथा लैटिन अमरीका से क्रेताओं को भारत में आमंत्रित करना। इस पैकेज का ब्यौरा वाणिज्य मंत्रालय की वेब साइड पर भी उपलब्ध है। लैटिन अमरीका के साथ हुए व्यापार के आंकड़ों का विश्लेषण राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र द्वारा किया गया है। लैटिन अमरीका को निर्यात की संभावना वाले उत्पादों का एक उत्पाद केटेलॉग भी तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा लैटिन अमरीकी देशों को होने वाले निर्यातों में बुनियादी सुविधा संबंधी कठिनाइयों के समाधान को सुकर बनाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

पूर्वोत्तर में उत्पाद शुल्क

6109. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई, 1999 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट के लागू होने के बाद वर्ष 1999-2000 में असम और पूर्वोत्तर में उत्पाद शुल्क की कितनी राशि लौटाई गई;

(ख) नई नीति के तहत उत्पाद शुल्क की वापसी का लाभ उठाने के लिए सी.बी.ई.सी. कार्यालय से कितनी नई यूनिटें पंजीकृत हैं;

(ग) क्या वर्ष 1999-2000 में जारी की जाने वाली वापसी राशि का कोई आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) 8 जुलाई, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक की अवधि के दौरान, आसाम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों को 32.55 करोड़ रुपए की उत्पाद शुल्क की राशि वापस की गई है;

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, शिलांग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 36 इकाइयों को नई नीति के तहत वापसी प्राप्त करने के लिए पंजीकृत किया गया है।

(ग) और (घ) ऊपर (क) को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

मीडिया का विकास

6110. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 9 अप्रैल, 2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "सेंटर टु एनकरेज ग्रोथ ऑफ मीडिया-सेज आई एण्ड बी मिनिस्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संदर्भ में सरकार किस प्रकार समाचार-माध्यमों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी; और

(ख) इससे समाचार माध्यमों की गुणवत्ता में किस प्रकार सुधार आ सकेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) सरकार विभिन्न माध्यम एककों के कार्यकरण में परिमाणात्मक और गुणात्मक सुधार लाने के लिए सदैव प्रयासरत है। प्रसार भारती की स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापना की गई है ताकि दूरदर्शन और आकाशवाणी व्यावसायिक ढंग से कार्य कर सकें। एफ.एम. रेडियो केन्द्र निजी पार्टियों को आवंटित किए जा रहे हैं। इलाके में कार्यक्रमों की पहुंच और मात्रा में सुधार करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज भी तैयार किए जा रहे हैं।

प्रयुक्त टायरों का आयात

6111. श्री एस. अजय कुमार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओ.जी.एल. के अंतर्गत प्रयुक्त टायरों के आयातकों को शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो घरेलू टायर उद्योग और रबड़ उत्पादकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) सरकार द्वारा टायरों की डम्पिंग को रोकने और देश के पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) प्रयुक्त/पतरचढ़े टायरों के आयात की अनुमति दिनांक 8.8.97 की अधिसूचना संख्या 11/97-02 के द्वारा दी गई थी। लेकिन यात्री गाड़ियों के प्रयुक्त/परत चढ़े ऐसे टायरों का आयात प्रतिबंधित है जिनकी कीमत 25 अमरीकी डालर प्रति टायर से कम है। इसी प्रकार अपेक्षाकृत बड़े आकार के प्रयुक्त/परत चढ़े ऐसे टायरों के आयात पर भी प्रतिबंध है जिनकी कीमत 175 अमरीकी डालर प्रति टायर से कम है।

इन मदों के लिए सरकार के पास उपलब्ध आयात आंकड़ों के अनुसार इन मदों का का कोई महत्वपूर्ण आयात नहीं हुआ है जिसका कि घरेलू टायर उद्योग पर अथवा रबड़ उत्पादकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

[हिन्दी]

सीमेंट की खपत

6112. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2000 की तिथि के अनुसार देश में सीमेंट की कितनी खपत है और इस मांग को किस प्रकार पूरा किया जाता है;

(ख) सरकार द्वारा आगामी दो वर्षों में देश में सीमेंट की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार सीमेंट का मूल्य घटाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) वर्ष 1999-2000 में देश में सीमेंट की खपत 98.12 मिलियन टन है जबकि कुल उत्पादन 100.25 मिलियन टन है।

(ख) सीमेंट उद्योग लाइसेंस मुक्त और नियंत्रण मुक्त है। इस उद्योग के पास देश में मांग की पूर्ति करने की पर्याप्त क्षमता है और अपेक्षित सीमा तक क्षमता बढ़ाने में समर्थ है।

(ग) से (ङ) इस समय सीमेंट की कीमत और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। अत: मांग व पूर्ति, कीमत आदि का निर्धारण बाजारू ताकतों द्वारा किया जाता है। तथापि, सरकार ने सीमेंट की अतिरिक्त संस्थापित क्षमता के सृजन और बेहतर उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा कायम हो सके।

[अनुवाद]

लाभार्जन करने वाले सरकारी उपक्रमों से विनिवेश

6113. श्री निखिलानन्द सर : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुनाफा कमाने वाले चुने हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों यथा वी.एस.एन.एल., भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, आई.पी.सी.एल., एच.ओ.सी.एल., आई.ओ.एल., ओ.एन.जी.सी. आदि के शेयरों की बिक्री वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मुनाफा कमाने वाली इकाइयों से विनिवेश बाजार-मूल्य से बहुत कम मूल्य पर किया गया; और

(घ) यदि हां, तो मुनाफा कमाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के विक्रय मूल्य की तुलना में उनका बाजार मूल्य क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों की बिक्री के परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है जिसे अन्यों के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र के व्यय को पूरा करने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना करने तथा सरकारी ऋण के शोधन हेतु प्रयुक्त किया जाता है।

(ग) और (घ) उक्त कम्पनियों में से, वी.एस.एन.एल., बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल., आई.पी.सी.एल. तथा एच.ओ.सी.एल. के कुछ शेयरों को अन्य कम्पनियों के शेयरों के साथ बण्डलों में बेचा गया था। अत: व्यष्टि कम्पनियों के शेयरों की कीमत सुनिश्चित नहीं की जा सकती। आई.ओ.सी. और ओ.एन.जी.सी. के मामले में औसत कीमत, जिस पर शेयर बेचे गए थे, इन शेयरों की वर्तमान बाजार कीमत से अधिक है।

[हिन्दी]

भ्रष्ट बैंक कर्मी

6114. श्री रामचन्द्र बैंदा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने ऐसे बैंक अधिकारियों के नाम सुझाए हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कार्यवाही शुरू की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सूचित किया है कि वह किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई का स्वप्रेरित सुझाव नहीं देता। तथापि, आयोग बैंकों अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप बैंकों को उनके कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई पर उचित सलाह देता है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के यहां सी.बी.आई. के छापे

6115. श्री नामदेव हरबाजी दिवाचे : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों के परिसरों में सी.बी.आई. द्वारा वर्ष-वार कितने छापे डाले गए तथा कितने आरोप पत्र दाखिल किए गए;

(ख) इन मामलों की जांच, लगाये गये आरोपों तथा न्यायालय में दायर किये गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) न्यायालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामले निपटाए गए तथा कितने मामलों में सजा दी गई?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि 31.3.2000 तक गत 3 वर्षों के दौरान 235 छापे मारे गए थे तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के विरुद्ध 124 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के विरुद्ध चलाए गए मुकदमों/कार्रवाई से सम्बन्धित

विवरण केन्द्रीय जांच ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध हैं, जिसे सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ऐसी कार्यप्रणाली अपनाता है, जो प्रत्येक मामले की परिस्थिति में अपेक्षित है, जिसमें छापे मारना भी शामिल है।

[हिन्दी]

शुल्क हकदारी पास बुक के माध्यम से आयात

6116. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयातकों को शुल्क हकदारी पास बुक के माध्यम से आयात करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयकर विभाग आयातों की 40 प्रतिशत नगद राशि को शुल्क हकदारी पास बुक के माध्यम से जमा करने के लिए कह रहा है तथा संबंधित नगद राशि जमा न किए जाने से आयातित सामग्रियों की निकासी नहीं हो रही है;

(घ) क्या पत्तनों पर करोड़ों रुपये का सामान पड़ा हुआ है तथा टूट-फूट तथा कीटनाशों पर होने वाला खर्च बढ़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनञ्जय कुमार): (क) और (ख) शुल्क हकदारी पास बुक स्कीम (शु.ह.पा.बु.) के माध्यम से किए गए आयातों में आयातकों को बड़ी मात्रा में कठिनाइयों का सामना करने की कोई बात सरकार की जानकारी में नहीं आयी है। शुल्क हकदारी पास बुक स्कीम का संचालन वर्तमान निर्यात-आयात नीति के तहत वाणिज्य मंत्रालय में महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा किया जाता है परन्तु इस स्कीम के तहत निकासियों को सीमाशुल्क द्वारा संभाला जाता है। कतिपय सैक्टरों के निर्यातों हेतु समय-समय पर जारी किए गए शुल्क हकदारी पास बुक लाइसेंसों के प्रति शुल्क हकदारी पास बुक स्कीम की मार्फत आयातों में विभिन्न सीमाशुल्क गृहों की जानकारी में कतिपय कठिनाइयां आयी है। जैसे ही सीमाशुल्क गृहों अथवा निर्यातकों द्वारा इन कठिनाइयों को मंत्रालय की जानकारी में लाया गया था, महानिदेशक, विदेश व्यापार तथा वाणिज्य मंत्रालय से परामर्श कर इनका शीघ्रता से निपटान कर दिया गया था।

(ग) आयकर अधिनियम में शुल्क हकदारी पास बुक स्कीम की मार्फत किए जा रहे आयातों पर 40 प्रतिशत की दर पर शुल्क लगाए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(घ) और (ङ) महानिदेशालय, विदेश व्यापार के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किए गए शुल्क हकदारी पास बुक लाइसेंसों को वर्तमान निर्यात-आयात नीति के अनुबंधों के अनुसार सत्यापित करने हेतु संबंधित सीमाशुल्क गृहों को प्रस्तुत किया जाता है। सीमाशुल्क गृह द्वारा इनको विधिवत् रूप से सत्यापित कर दिए जाने के बाद ही कोई शुल्क हकदारी पास बुक लाइसेंस वैध होता है। विधिवत् रूप से सत्यापित शुल्क हकदारी पास बुक लाइसेंस के प्रति आयातित माल की निकासी करने में कोई विलम्ब नहीं होता है। तथापि, कतिपय पत्तनों पर कुछेक परेषण बिना निकासी के पड़े रहते हैं जिन्हें की गई गलत घोषणाओं के संबंधी आरोपों के आधार पर निरुद्ध कर लिया गया था तथा इन मामलों की जांच-पड़ताल चल रही है। ऐसे परेषणों के निर्यातकों को अपने माल को भांडागारों में अन्तरित करने का विकल्प दिया जाता है जिससे कि पत्तन विलम्ब शुल्क से बच सकें।

[अनुवाद]

तस्करी का जब्त सामान

6117. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा राज्यवार तस्करी का कितना सामान और कितनी विदेशी मुद्रा जब्त की गयी है;

(ख) सामान की तस्करी और विदेशी मुद्रा के प्रत्येक मामले में कितने लोग पकड़े गए; और

(ग) भविष्य में सामान और विदेशी मुद्रा की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनञ्जय कुमार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सोने की तस्करी

6118. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 फरवरी, 2000 के समाचार पत्र ''दैनिक जागरण'' में ''सोने की तस्करी में कस्टम अफसरों की भी चांदी'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब सीमा शुल्क अधिकारी चरस, हशीश तथा अन्य नशीले पदार्थों की तुलना में सोने और इलेक्ट्रानिक वस्तुओं को पकड़ने को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इन पर अधिक पुरस्कार मिलता है;

(ग) यदि हां, तो इन वस्तुओं को पकड़ने पर सरकार द्वारा सीमा शुल्क अधिकारियों को पुरस्कार देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इस प्रथा को समाप्त करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। निषिद्ध माल की तस्करी की रोकथाम के कार्य में लगे सीमा शुल्क विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय और आसूचना एजेंसियां तस्करी की विभिन्न वस्तुओं का अभिग्रहण करते समय इस तरह का कोई अंतर नहीं करती हैं।

(ग) सरकार द्वारा विहित विस्तृत नीति संबंधी मार्ग दर्शक सिद्धांतों के अनुसार सोने, इलैक्ट्रानिक सामान अथवा स्वापक औषधियों जैसी निषिद्ध वस्तुओं के अभिग्रहणों वाले मामलों में सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों और मुखबिरों को पुरस्कार दिया जाता है, विशेष रूप से उन्हें प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है ताकि वे अपने सामान्य काम-काज के अलावा, और कभी-कभी अत्यधिक व्यक्तिगत जोखिम पर तस्करी/शुल्क अपवंचन की रोकथाम करने और उसका पता लगाने के लिए अतिरिक्त विशेष प्रयास और कार्य कर सकें। सामान्यतया, सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद माल का निपटान करने पर उसके बिक्री मूल्य के आधार पर ही निषिद्ध माल के अभिग्रहणों के संबंध में अधिकारियों को पुरस्कार दिया जाता है। स्वापक-औषधियों के मामले में, यद्यपि इन्हें अन्ततः नष्ट कर दिया जाता है, फिर भी अभिगृहीत स्वापक औषधियों की मात्रा और उनकी गुणवत्ता पर आधारित एक पुरस्कार योजना चल रही है ताकि इनके अवैध व्यापार का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने के लिए अधिकारियों और मुखबिरों को प्रेरित किया जा सके।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) मौजूदा पुरस्कार योजना को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इससे संबंधित विभागों के तस्करी-रोधी और प्रवर्तन संबंधी कार्य-कलापों में गंभीर व्यवधान पैदा हो सकता है। इससे तस्करी और गंभीर वाणिज्यिक धोखा-धड़ियों और औषध-दुरुपयोग का पर्दाफाश करने और उनका पता लगाने के कार्य में लगे मुखबिर और अधिकारी भी हतोत्साहित हो सकते हैं और यदि इनका पता नहीं लगाया गया तो नशीले पदार्थों की तस्करी/औषध दुरूपयोग के कारण अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से समाज के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने के अलावा सरकारी राजस्व की हानि हो सकती है।

[अनुवाद]

नेपाल से आयात

6119. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्विपक्षीय संधियों के अंतर्गत नेपाल से आयात पर मूल सीमा शुल्क से छूट मिलती है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकतर सामग्री की कीमत लघु उद्योगों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं की तुलना में कम होती है;

(ग) क्या आयातित वस्तुओं की सस्ती कीमतों की वजह से लघु उद्योगों को नुकसान हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा लघु उद्योगों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनन्जय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न कारक जैसे आयात-शुल्क, उत्पादन की श्रेणी, श्रम की लागत, बैंकिंग प्रभार और आधारभूत ढांचे की लागत आदि किसी मद की लागत को निर्धारित करते हैं। सरकार के पास नेपाल में वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संबंध में कोई आंकड़े नहीं हैं, इसलिए भारत में लघु-उद्योगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की लागत की तुलना नेपाल में वस्तुओं के उत्पादन की लागत के साथ करना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) जब भी इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो मुद्दे को भारत-नेपाल व्यापार संधि की व्यवस्था के अनुसार महामहिम नेपाल सरकार के पास उठाया जाता है।

[हिन्दी]

ऋण की अनुपलब्धता

6120. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**
श्री सुकदेव पासवान :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र हेतु प्रतिशतता के अनुसार ऋण नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98, 1998-2000 के दौरान कृषि क्षेत्र हेतु निर्धारित कितने प्रतिशत ऋण को अन्य क्षेत्र में पृथक्कत: दिया गया;

(ग) इस वर्ष के दौरान कितना प्रतिशत ऋण दिया जाना निर्धारित है; और

(घ) कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित प्रतिशतता के अनुरूप ऋण नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि को उधार देने के लिए, निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का 18% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मार्च, 1997, 1998 और 1999 और सितम्बर, 1999 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, कृषि को उधार देने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

आंकड़े अनन्तिम
(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	कृषि को बकाया अग्रिम	एनबीसी के % के रूप में उपलब्धि (18% लक्ष्य)	एनबीसी के % के रूप में कमी
मार्च, 1997	31012.11	16.35	1.65
मार्च, 1998	34304.50	15.72	2.28
मार्च, 1999	40077.64	16.28	1.72
सितम्बर, 1999	40660.00	16.16	1.84

मार्च, 1997, 1998 और 1999 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, कृषि को उधार देने में गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है:-

आंकड़े अनन्तिम
(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	कृषि को बकाया अग्रिम	एनबीसी के % के रूप में उपलब्धि (18% लक्ष्य)	एनबीसी के % के रूप में कमी
मार्च, 1997	1953	9.1	8.9
मार्च, 1998	2746	9.7	8.3
मार्च, 1999	3286	9.5	8.5

कृषि क्षेत्र को उधार देने में हुई इस कमी को सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आरआईडीएफ) में कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार में उनकी कमी के अधिकतम 1.5% अंशदान जमा करवा कर किया जाता है।

(ग) कृषि क्षेत्र को एनबीसी के 18% उधार देने की शर्त चालू वर्ष में जारी है।

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कृषि अग्रिमों में वर्ष 1991 में 15,857 से मार्च, 1999 में 40,077.54 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी हुई है। परन्तु वर्ष 1992 में 1,17,443 करोड़ रुपए के सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निवल बैंक ऋण में वर्ष 1998-99 में 2,46,203 करोड़ रुपए की अत्यधिक बढ़ोत्तरी के कारण 18% के लक्ष्य को प्राप्त करने में मामूली कमी आई है।

बौद्धिक सम्पदा का संरक्षण

6121. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री तरुण गोगोई :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अप्रैल, 2000 के राष्ट्रीय सहारा में "भारत में हमारी बौद्धिक सम्पदा को पूरा संरक्षण नहीं मिल रहा - अमेरिका" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अमरीकी फिल्मों का बैरोक-टोक आयात करने और बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के नाम पर हमारी संस्कृति पर हमले की अनुमति देने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय संस्कृति पर इसके सम्भावित प्रतिकूल प्रभाव की कोई समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारत का रवैया

6122. डा. राजेश्वरम्मा बुक्कला :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने जेनेवा में सूचना प्रौद्योगिकी और ई-कॉमर्स जैसे मुद्दों पर सकारात्मक रवैया अपनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व व्यापार संगठन की बैठक में इन मुद्दों को उठाने के लिए अन्य विकासशील देशों को राजी करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति भारत की सकारात्मक वचनबद्धता इस बात से पता चलती है कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी करार (आईटीए) का हस्ताक्षरकर्ता देश है। यह करार विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के अधीन एक बहुआयामी करार है। सूचना प्रौद्योगिकी करार का उद्देश्य विश्व अर्थव्यवस्था के गतिशील विस्तार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग को सुविधाजनक बनाकर वर्धित बाजार पहुंच के अवसर प्रदान करके सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के विश्व व्यापार को बढ़ाना है।

ई-कामर्स के संबंध में, जेनेवा में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ने दिनांक 20 मई, 1998 को अंगीकृत अपने "वैश्विक इलैक्ट्रॉनिक कामर्स संबंधी घोषणा" में घोषित किया था कि डब्ल्यूटीओ करार के अधीन इलैक्ट्रॉनिक कामर्स संबंधी कार्य-योजना या सदस्य-देशों के अधिकारों और दायित्वों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सदस्य-देश इलैक्ट्रॉनिक संचारणों पर किसी प्रकार के सीमाशुल्क नहीं लगाने की अपनी वर्तमान प्रथा को जारी रखेंगे और यह कि इलैक्ट्रॉनिक संचारणों पर सीमाशुल्क नहीं लगाने की इस प्रक्रिया को चालू रखने के मामले पर अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में समीक्षा की जाएगी।

डब्ल्यूटीओ ने वैश्विक इलैक्ट्रॉनिक कामर्स से संबंधित सभी व्यापार संबद्ध मामलों की जांच के लिए एक कार्य-योजना तैयार की है। भारत ने विचार-विमर्श में सक्रिय भाग लिया है। भारत की चिन्ता इलैक्ट्रॉनिक कामर्स के विकासात्मक आयाम, इलैक्ट्रॉनिक संचारणों के मौजूदा डब्ल्यूटीओ नियमों की प्रयोज्यता, अधिकार क्षेत्र के नामों, बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्राधिकार और प्रवर्तन इत्यादि से संबंधित मामलों के संबंध में है। भारत चाहता है कि इन चिंताओं को दूर करने के लिए कार्य-योजना काम करे। तथापि, विचार-विमर्श अभी भी शुरूआती दौर में है और भारत विशिष्ट मुद्दों और विषयों पर दूसरे देशों से समर्थन लेने का प्रयास जारी रखेगा।

सिएटल में डब्ल्यूटीओ का तीसरा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अनिर्णायक रहा था इसलिए इलैक्ट्रॉनिक संचारणों पर सीमाशुल्क नहीं लगाने की प्रथा को बढ़ाने के बारे में कोई विशिष्ट निर्णय नहीं लिया गया था।

भारत की संचित निधि

6123. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों की विशेष रूप से राजस्थान को भारत की संचित निधि से राज्यवार एवं वर्षवार सहायता स्वरूप कितनी राशि दी गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): योजना आयोग द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार राज्यों की वार्षिक योजना के लिए केन्द्रीय सहायता वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। पिछले तीन वर्षों (1997-98 से 1999-2000) के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों को जारी केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को वार्षिक योजना के लिए जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रुपयों में)

	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आन्ध्र प्रदेश	2153.64	1935.42	2557.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	450.19	525.57	559.73
3.	असम	1207.66	1343.13	1439.45
4.	बिहार	1364.33	1952.84	2196.95
5.	गोवा	77.43	71.65	69.56
6.	गुजरात	855.15	1135.48	1371.92
7.	हरियाणा	446.80	411.52	500.40
8.	हिमाचल प्रदेश	546.16	757.98	945.67
9.	जम्मू ब कश्मीर	2259.72	2383.72	2895.57
10.	कर्नाटक	858.50	1019.66	1236.28
11.	केरल	546.45	679.99	719.87
12.	मध्य प्रदेश	1216.11	1366.37	1868.10
13.	महाराष्ट्र	1858.15	1527.25	1207.10
14.	मणिपुर	393.42	417.51	551.85
15.	मेघालय	261.33	336.88	375.82
16.	मिजोरम	326.30	328.92	406.76
17.	नागालैंड	309.50	367.89	450.59
18.	उड़ीसा	1154.17	1200.15	1197.50
19.	पंजाब	525.65	436.31	400.97
20.	राजस्थान	973.37	1169.76	1101.43
21.	सिक्किम	209.66	253.39	296.36
22.	तमिलनाडु	1405.22	1169.13	1454.36
23.	त्रिपुरा	385.02	523.55	642.26
24.	उत्तर प्रदेश	3072.22	3191.12	3767.85
25.	पश्चिम बंगाल	1567.12	2152.16	2145.16
	कुल	24423.27	26659.35	30358.55

उड़ीसा में उद्योग रहित जिले

6124. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में कितने जिले उद्योग रहित हैं;

(ख) क्या इन जिलों में कुछ उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की मंजूरी हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) वर्ष 1988 में नई विकास केन्द्र योजना आरम्भ करने से वर्ष 1983 की पुरानी 'उद्योग रहित जिले' योजना को समाप्त कर दिया गया था। नई योजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य में चार विकास केन्द्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है ताकि पिछड़े जिलों में औद्योगिक एककों को आकर्षित किया जा सके। ये एकक छत्तरपुर (जिला गंजम), कलिंगनगर-दुबूरी (जिला कट्टक), झरसुगुड़ा (जिला झरसुगुडा) और केसिंगा (जिला कालाहांडी) में हैं। कोई भी प्रस्ताव मंजूरी के लिए लम्बित नहीं पड़ा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

साधारण बीमा निगम (जी.आई.सी.) के कर्मचारियों के लिए मकान

6125. श्री भेरूलाल मीणा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय साधारण बीमा निगम (जी.आई.सी.) और उसकी चार सहायक कंपनियों ने अपने अधिकारियों के लिए दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में मकान खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार कितने मकान खरीदे गये और प्रत्येक अनुषंगी कंपनी द्वारा इस पर कुल कितना धन खर्च किया गया;

(ग) क्या बहुत से मकान या तो खाली पड़े हैं या अयोग्य अधिकारियों को आबंटित किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त स्थानों पर मकानों के आबंटन का आवेदन करने वाले ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें कंपनी के स्वामित्व वाले मकान आबंटित नहीं किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय साधारण बीमा निगम ने यह सूचित किया है कि साधारण बीमा निगम की चार अनुषंगी कम्पनियों ने अपने अधिकारियों के लिए आवासीय फ्लैटों की खरीद की है। हालांकि, साधारण बीमा निगम ने कोई फ्लैट नहीं खरीदा है। इनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

	फ्लैटों की संख्या	राशि (लाख रुपए)
दिल्ली	76	204.69
नोएडा	45	101.63
फरीदाबाद	2	3.35
गाजियाबाद	36	69.93

(ग) और (घ) किसी भी अपात्र अधिकारी को मकान आबंटित नहीं किया गया है। खाली पड़े हुए मकानों के बारे में ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

नेशनल : स्थानान्तरित वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विवेकाधीन कोटे की व्यवस्था के तहत एक मकान खाली रखा गया है।

न्यू इंडिया : चार मकान खाली पड़े हैं जिनमें से दो मकान मरम्मताधीन हैं और स्थानान्तरित प्रबन्धकों तथा सहायक महा-प्रबन्धकों के लिए एक-एक मकान आरक्षित है।

ओरियंटल : दो मकान खाली पड़े हैं, जिनमें से एक कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध-निदेशक के लिए है और दूसरा मकान मरम्मताधीन है।

(ङ) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:-

न्यू इंडिया : गाजियाबाद में दो अधिकारी प्रतीक्षा-सूची में हैं।

ओरियंटल : 67 अधिकारियों ने कम्पनी के स्वामित्वाधीन आवास के लिए आवेदन किया है।

यूनाइटिड इंडिया : 9 अधिकारियों ने कम्पनी के स्वामित्वाधीन आवास के लिए आवेदन किया है।

पुस्तकालय कर्मचारी

6126. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने पुस्तकालय कर्मचारियों हेतु कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) सिफारिशों को जल्द लागू करने हेतु कोई समय-सीमा तय की गई है;

(ङ) क्या सरकार को 'सेन्ट्रल गवर्नमेंट लाइब्रेरियन एसोसिएसन' से कोई मांग/शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार में कार्य कर रहे पुस्तकालय कर्मचारियों के संबंध में पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें उनकी रिपोर्ट के अध्याय 55 (पैरा 55.155 से 55.180-खण्ड-II) में निहित हैं।

(ग) और (घ) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें संस्कृति विभाग, जो कि वित्त मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करते हुए पुस्तकालय कार्मिकों के संबंध में पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की विभिन्न सिफारिशों को संसाधित करने के लिए एक परिचालक (नोडल) एजेन्सी है, के तहत विचाराधीन हैं। इसलिए अंतिम निर्णय लेने के लिए समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

(ङ) से (छ) भारत सरकार के लाइब्रेरियन एसोसिएसन, लाइब्रेरी इंचार्ज तथा लाइब्रेरी मांगों में (1) समूह "ए" केन्द्रीय पुस्तकालय सेवा का गठन; (2) लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी इंचार्ज तथा लाइब्रेरी परिचारक के पदों के लिए उच्चतर वेतनमान का प्रावधान; (3) सरकारी लाइब्रेरियनों के लिए मैरिट पदोन्नति तथा लचीली कोटिपूरक योजना को लागू करना; (4) चट्टोपाध्याय कमेटी रिपोर्ट को लागू करना; (5) लाइब्रेरीरियों आदि के विभिन्न श्रेणियों में न्यूनतम स्टाफ का प्रावधान आदि हैं, ये मांगें सरकार के विचाराधीन हैं।

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा पुर्जों का आयात

6127. श्री राजैया मल्याला :
डा. राजेश्वरम्मा चुक्कापल्ला :
श्री जी. गंगा रेड्डी :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **खान और खनिज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन.सी.एल.) ने वाकिंग ड्रैगलाइन्स हेतु पुर्जों के आयात के लिए देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम नामत: हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन (एच.ई.सी.) रांची को आर्डर देने के बदले अमेरिकी कंपनी बूसाईटरस इंटरनेशनल से कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एच.ई.सी. ने ड्रैगलाइन्स के मरम्मत का कार्य प्राप्त करने के लिए अपनी सेवा अमेरिकी कंपनी बूसाईरस इंटरनेशनल द्वारा उधृत दर से काफी कम दर पर पेशकश की थी;

(घ) यदि हां, तो एच.ई.सी. को व्यवहार्य बनाने हेतु मरम्मतों, सुधारों इत्यादि के लिए आर्डर नहीं देने से रुग्ण एच.ई.सी. को सहायता नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारी उद्योग और लोक उद्योग ने एच.ई.सी. को आर्डर देने हेतु उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) मेसर्स बूसाईट्स, यू.के. द्वारा निर्मित और तैयार किए गए डिजाइन वाले ड्रैगलाइनों की आपूर्ति मेसर्स एच.ई.सी. द्वारा की जाती है। ना.को.लि. बूसाईटरस और एच.ई.सी., दोनों से ही कल-पुर्जे प्राप्त करती है। अति महत्वपूर्ण कलपुर्जे, जिनका मूलत: बूसाईरस द्वारा निर्माण किया जाता है, सीधे उनसे मंगवाए जा रहे हैं। वर्ष 1981-82 के दौरान प्राप्त किए गए दो ड्रैगलाइनों में देश में निर्मित घटक 10 प्रतिशत से कम थे। बाद में प्राप्त किए गए ड्रैगलाइनों में देश में निर्मित घटकों का प्रतिशत धीरे-धीरे बढ़कर 72 प्रतिशत हो गया। पहले खेप में प्राप्त किए गए ड्रैगलाइन, जिनमें आयातित घटकों की प्रतिशतता अधिक थी, का कार्य निष्पादन, देश में निर्मित घटकों की अधिक प्रतिशतता वाले ड्रैगलाइनों की तुलना में बेहतर था। अत: एच.ई.सी. द्वारा आपूर्तित देश में विकसित/निर्मित कलपुर्जों के घटिया कार्य निष्पादन के कारण ड्रैगलाइन की विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए और ड्रैगलाइन के डाउन टाइम को न्यूनतम करने के लिए भी ओ.ई.एम. मेसर्स बूसाईरस से अति महत्वपूर्ण कलपुर्जे आयात करने पड़े थे। विशेष रुप से ड्रैगलाइन की डाउनटाइम लागत बहुत अधिक है।

(ग) यह निर्दिष्ट करते हुए कि मेसर्स बूसाइरस यूरोप लि., यू.के. और एच.ई.सी. द्वारा तैयार किए गए संयुक्त कार्य प्रस्ताव के आधार पर ड्रैगलाइनों के पुनर्नवीकरण हेतु एच.ई.सी. ने मेसर्स बूसाइरस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, दिसम्बर, 1997 में एच.ई.सी. ने ओ.ई.एम. मेसर्स बूसाइरस के सहयोग से ड्रैगलाइनों के पुनर्नवीकरण के कार्य को शुरू करने के प्रस्ताव की पेशकश की। ना.को.लि. के निदेशक बोर्ड ने मेसर्स बूसाइरस/एच.ई.सी. द्वारा ड्रैगनाइनों के पुनर्नवीकरण की इस व्यवस्था का अनुमोदन दिया। एच.ई.सी. ने बाद में अपने 17.2.1998 के पत्र के अनुसार उक्त पेशकश को वापिस ले लिया। मेसर्स बूसाइरस ने यह भी सूचित किया कि फरवरी, 1998 में मेसर्स एच.ई.सी. के साथ किया गया समझौता ज्ञापन समाप्त हो गया है और इसका नवीकरण नहीं किया गया है। दिनांक 23.12.1997 को कोयला मंत्रालय द्वारा ना.को.लि. की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, ना.को.लि. को मूल उपकरण निर्माताओं की सहायता से यथासंभव समयावधि विस्तार कार्यक्रम के रूप में उपकरण को पुनर्स्थापित करना था। ओ.ई.ए. मेसर्स बूसाइरस को अगस्त, 1998 में ड्रैगलाइनों के पुनर्नवीकरण के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। तद्नंतर उनके प्रस्ताव (जिसमें बी.ई.एम.एल. द्वारा तकनीकी और सेवा सुविधाएं, भारत में और भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में उनके निर्माण सहयोगी शामिल हैं) को ना.को.लि. बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिया गया। मेसर्स एच.ई.सी. ने सितम्बर, 1998 में स्वयं ही एक पत्र भेजा जिसमें यह उल्लेख था कि एच.ई.सी. किसी अन्य बोली लगाने वाले से 5 प्रतिशत कम कीमत पर काम करने के लिए तैयार है। इस संबंध में उनके द्वारा कोई तकनीकी-वाणिज्य प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए गए। चूंकि उनका ओ.ई.एम. मेसर्स बूसाइरस के साथ सहयोग का करार समाप्त हो गए थे, और एच.ई.सी. ने तकनीकी रुप से उन्नत करने के संबंध में कोई वचन नहीं दिया था, अत: उनके पत्र को अप्रार्थित एवं अयोग्य समझा गया।

(घ) एच.ई.सी. द्वारा निर्मित और आपूर्तित कलपुर्जों की गुणवत्ता बहुत ही खराब है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि एच.ई.सी. द्वारा निर्मित और आपूर्तित कलपुर्जों की समयावधि, मेसर्स बूसाइरस द्वारा निर्मित और आपूर्तित आयातित कलपुर्जों की तुलना में बहुत कम है। मेसर्स बूसाइरस द्वारा निर्मित और आपूर्तित कलपुर्जों के कार्य-निष्पादन, एच.ई.सी. द्वारा निर्मित कलपुर्जों की तुलना में 150 प्रतिशत से 1600 प्रतिशत अधिक है। पुन: एक करोड़ रु. से अधिक की लागत से एच.ई.सी. से प्राप्त निगाही में लगाए गए 20/90 ड्रैगलाइन के रेल और रॉलर समय से पूर्व खराब हो गए, जबकि उन्होंने 30,000 घंटे के समय की गारंटी दी थी। रेल 1195 घंटे के बाद ही खराब हो गए। एच.ई.सी. द्वारा आपूर्तित नवीनतम ड्रैगलाइन, अर्थात् ''ज्वाला'' ड्रैगलाइन, जिसमें देश में निर्मित घटक 70 प्रतिशत से अधिक है, स्थापित किया गया, दिनांक 17.10.1999 को परीक्षण किया गया और अंत में 15.1.2000 को शुरू किया गया। ड्रैगलाइन का बार-बार खराब होना जारी है, क्योंकि एच.ई.सी. द्वारा निर्मित विभिन्न घटक खराब हो जाते हैं। उल्लेख की गई विफलताओं के बावजूद, ना.को.लि. कम महत्वपूर्ण कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए नियमित रूप से मेसर्स एच.ई.सी. को आर्डर दे रही है। पिछले चार वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में एच.ई.सी. को दिए गए आर्डर का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ङ) जी, हां। उद्योग मंत्री ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से खान और खनिज मंत्री से अनुरोध किया है कि वे उनकी नियंत्रणाधीन कंपनियों से आर्डर प्रदान करके एच.ई.सी.को सहयोग प्रदान करे।

(च) उक्त संदर्भ कोयला कंपनियों को अग्रेषित कर दिया गया है।

विवरण

अप्रैल, 1995 से अप्रैल, 2000 तक ना.को.लि. द्वारा एच.ई.सी. को दिए गए आर्डर

(कीमत रुपए में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 (अप्रैल, 2000 तक)
1.	मुख्यालय	21609959.00	83255356.00	42984006.00	76352338.00	33427885.00
2.	झिंगुर्दा	5861688.00	858797.00	1469605.00	1208000.00	0.00
3.	बीना	3761517.00	3695152.00	6006794.00	10832830.00	2809950.00
4.	काकरी	0.00	0.00	0.00	568759.00	594880.00
5.	खादिया	37859800.00	6584684.00	3933575.00	4073857.00	3984953.00
6.	जयंत	1756780.00	6080148.00	22347330.00	7730839.00	5962820.00
7.	दुधीचुआ	0.00	0.00	1522750.00	1841330.00	292474.00
8.	निगाही	0.00	1016124.00	1147440.00	0.00	0.00
9.	अमलोहरी	0.00	83200.00	897208.00	273680.00	2374135.00
10.	गोरबी-बी	0.00	468520.00	1125734.00	0.00	0.00
	जोड़	70851744.00	102041981.00	81434442.00	102881633.00	49447057.00*

*इसके अलावा, ना.को.लि. ने अपने वित्तीय संकट से निपटने के लिए मेसर्स एच.ई.सी. को अग्रिम राशि के रूप में तीन करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी है।

जिला सहकारी बैंक

6128. **श्री पी. राजेन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने जिला सहकारी बैंकों को अपना अधिशेष धन जिला खजाने में न जमा करने का निदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 28 फरवरी, 2000 के परिपत्र में देश में सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डी.सी.सी.बी.) से कहा है कि वे अपनी निधियों को राज्य सरकारों के पास जमा न करवाएं अथवा ऋणों के रूप में राज्य सरकारों को न दें, चूंकि ऐसा करना राज्य सरकारों को अप्रत्यक्ष उधार देने के समान होगा. यह सहकारी बैंकों का कार्य नहीं है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे पत्र के जारी होने के 90 दिनों के अन्दर राजकोष बचत खाते में जमाराशियों के रूप में रखी ऐसी निधियों, यदि कोई हों, को निकाल दें। इसके अलावा, बैंकों से यह नोट करने के लिए कहा गया है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से रियायती पुनर्वित्त सहायता उन बैंकों को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, जिन्होंने जमाराशियां राज्य सरकारों के पास जमा करायी हैं अथवा उन्हें ऋण दिए हैं। दिनांक 16 अक्तूबर, 1992 के परिपत्र में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक की शर्तों के अनुरूप, सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों को उधार देने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि सहकारी बैंकों के संसाधनों में अन्यों के साथ-साथ सामान्य जनता से जुटाई गई जमाराशियां, सहकारी संस्थाओं में जमाराशियां और नाबार्ड से रियायती दरों पर उधार सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण देना

6129. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री पी.आर. खुंटे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को, विशेष रूप से उन किसानों को जिनके खेत बाढ़, भू-क्षरण अथवा अकाल के कारण प्रभावित हो गए हैं उनको कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) इस समय बैंकों की ब्याज दरें पूर्णतया अविनियमित हैं। तथापि, यह निर्धारित किया गया है कि वाणिज्यिक बैंकों को 2.00 लाख रुपए तक की राशि के लिए अपनी मूल उधार दर (पी.एल.आर.) से अनधिक दरों पर कृषि ऋण प्रदान करना है। सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल में किए गए उपायों के बाद कई बैंकों की मूल उधार दरों में कमी आई है। साथ ही, प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को हुई कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में राहत प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को स्थायी मार्गनिर्देश जारी किए हैं, जिसमें अल्पावधि उत्पादन ऋणों के मध्यावधि ऋणों में परिवर्तन, विद्यमान सावधि ऋण की किस्तों के पुनर्निर्धारण/स्थगन, आवश्यकता पर आधारित अतिरिक्त फसल/ऋणों कार्यशील पूंजी के प्रावधान, प्रतिभूति और मार्जिन संबंधी मानदंडों में ढील आदि की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

विनिवेश हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पता लगाना

6130. **डा. वी. सरोजा :**
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री किरीट सोमैया :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री राम मोहन गाइडे :
श्री शिवाजी माने :
श्री कमल नाथ :
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :
श्री कृष्णमराजू :
श्री अनन्त नायक :
श्री सुनील खां :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में महत्वपूर्ण बिक्री के लिए सरकारी क्षेत्र की कुछ इकाइयों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक कंपनी में बेचे जाने वाले शेयरों की प्रतिशतता सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को इस प्रकार कुल कितनी धनराशि एकत्र होने की उम्मीद है;

(घ) ये शेयर किन रूपरेखाओं द्वारा बेचे जाएंगे;

(ङ) पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता किस प्रकार रखी जाती है;

(च) इन यूनिटों में काम करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जो विनिवेश के बाद और अधिक सक्षम हो गई हैं;

(ज) क्या कुछ मामलों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इक्विटी की बिक्री से विनिवेश लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके; और

(झ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र का उपक्रम-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) सरकार ने विनिवेश संबंधी अपनी घोषित नीति के अनुसार, केवल सामरिक-भिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी शेयरधारिता का विनिवेश करने का निर्णय लिया है। विनिवेश किए जाने वाले शेयरों का प्रतिशत और बिक्री के तौर-तरीकों का निर्धारण उचित समय पर विभिन्न घटकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जिनमें बाजार परिस्थितियां, कंपनी का वित्तीय कार्य-निष्पादन और संबंधित

मंत्रालयों/विभागों के विचार शामिल हैं। वर्ष 2000-2001 के दौरान विनिवेश के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने का बजटीय लक्ष्य है।

(ङ) जिस तरीके से विनिवेश किया जाता है वह मुख्य रूप से विनिवेश आयोग की सिफारिशों, अन्य विशेषज्ञ समितियों और विनिर्दिष्ट लेनदेन के लिए व्यावसायिक परामर्शदाताओं/भूमंडलीय सलाहकारों की सलाह पर निर्भर करता है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं विश्व के अन्य भागों में अपनाई जा रही प्रक्रियाओं जैसी हैं और इन्हें प्रतिष्ठित व्यावसायिक सलाहकारों की सहायता से कार्यान्वित किया जाता है, जिनका चयन प्रतियोगी बोली के माध्यम से किया जाता है। यह प्रक्रियाएं पूर्णत: पारदर्शी है।

(च) सरकार अनुकूल भागीदार के साथ शेयरधारिता करार के माध्यम से कर्मचारियों के वैधानिक हितों का संरक्षण करेगी।

(छ) अब तक सरकार द्वारा धारित शेयरधारिता के 51 प्रतिशत से अधिक हिस्से का विनिवेश केवल एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् माडर्न फूड इंडस्ट्रीज लि. में किया गया है। इसे हाल ही में किया गया है और इसके कार्यनिष्पादन को प्रबंधन के हस्तांतरण के बाद केवल पर्याप्त समयावधि के बाद ही आंका जा सकता है।

(ज) सरकार द्वारा धारित शेयर केवल सरकार द्वारा ही बेचे जाते हैं न कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को भेजे गैर-निष्पादक आस्तियों संबंधी मामले

6131. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने बड़े व्यापारिक घरानों के खिलाफ बैंकों और वित्तीय संस्थानों का बकाया ऋण 100 करोड़ रुपए से अधिक है; और

(ख) इनमें से कितने मामलों को ऋण वसूली न्यायाधिकरण को भेजा गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए तरीके से सूचना नहीं मिलती है। 100 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपयोज्य आस्तियों वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों में दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार कुल 1401.56 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त थी।

(ख) चूंकि प्रश्न के भाग (क) में पूछे गए तरीके से सूचना उपलब्ध नहीं है, अत: सूचना देना संभव नहीं है। तथापि, दिनांक 31.3.99 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण वसूली अधिकरणों को भेजे गए मामलों की कुल संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि निम्नलिखित है:-

खातों की संख्या	राशि
21781	17920.95 करोड़

मुखबिर को इनाम दिया जाना

6132. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन** :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तस्करी किए गए सामानों/काले धन की सूचना देने वाले मुखबिरों को मद-वार इनाम दिए जाने की कोई नीति या मार्ग-निर्देश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 31 जनवरी, 2000 तक देश में विशेषकर सौराष्ट्र, गुजरात तथा महाराष्ट्र में सोना/काले धन की तस्करी से संबंधित जानकारी देने वाले मुखबिरों को इस प्रकार के इनाम देने के कितने मामले लंबित है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) और (ख) अघोषित आय, धन, उपहार तथा संपदा शुल्क के संबंध में विशिष्ट सूचना देने वाले मुखबिरों को पारितोषिक प्रदान करने हेतु "मुखबिरों को पारितोषिक प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश, 1993" कहलाए जाने वाले दिशा-निर्देश दिनांक 1.12.1993 से प्रभावी हैं। सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क के अपवंचन अथवा अतिलंघन अथवा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना उपलब्ध कराने वाले मुखबिरों को पारितोषिक देने से संबंधित दिशानिर्देश भी दिनांक 30.3.1985 से प्रभावी हैं। ये दिशानिर्देश पारितोषिक प्रदान करने के लिए नीति तथा कार्यविधि तय करते हैं तथा पारितोषिक प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को भी विनिर्दिष्ट करते हैं।

(ग) दिनांक 31 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार देश में तस्करी के संबंध में मुखबिरों को पारितोषिक के भुगतान के लंबित मामलों की संख्या 323 है जिनमें से गुजरात एवं महाराष्ट्र से संबंधित मामले क्रमश: 8 और 17 हैं। गुजरात एवं महाराष्ट्र में लेखाबाह्य आय की सूचना देने वाले मुखबिरों से संबंधित लंबित मामलों की संख्या क्रमश: 198 तथा 416 है।

आर्थिक विकास

6133. डा. ए.डी.के. जयशीलन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक विकास दर प्रथम तिमाही में 5.9 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.0 प्रतिशत और तीसरी तिमाही में 5.8 प्रतिशत से पीछे है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी वर्ष 1999-2000 की तीसरी तिमाही (अक्तूबर-दिसम्बर) के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के तिमाही अनुमानों के अनुसार 1993-94 के मूल्यों पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 1999-2000 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 5.9 प्रतिशत, दूसरी तिमाही (जुलाई-सितम्बर) में 6.0 प्रतिशत और तीसरी तिमाही (अक्तूबर-दिसम्बर) में 5.8 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 1999-2000 की तीसरी तिमाही में समूचे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में गिरावट मुख्यतया कृषि, वानिकी और मत्स्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 1999-2000 की पहली और दूसरी तिमाही में क्रमश: 1.7 प्रतिशत और 1.8 प्रतिशत से तीसरी तिमाही में 0.5 प्रतिशत तक गिरावट की वजह से है।

[हिन्दी]

औद्योगिक रुग्णता

6134. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में औद्योगिक रुग्णता के कारणों का विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इसके कारणों का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में विशेषकर बिहार में उपयुक्त औद्योगिकरण हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, बाहरी तथा आन्तरिक दोनों प्रकार के अनेक कारण जो प्राय: साथ-साथ चलते हैं, औद्योगिक रुग्णता के लिए उत्तरदायी रहे हैं। मुख्य कारणों में योजना, प्रबंधन, विपणन, आदि संबंधी कमियां शामिल हैं।

सरकार एक नीतिगत व्यवस्था प्रदान करती है, जो उद्योग की उन्नति और विकास को सुविधा एवं पोषण प्रदान करती है। बिहार सहित देश में उद्योग के संतुलित विकास और फैलाव के लिए सरकार के पास विकास केन्द्रों की स्थापना करने और केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तर पर वित्तीय, उद्यमिता, तकनीकी तथा संस्थागत सहायता उपलब्ध कराने की योजनाएं हैं। बिहार में 6 विकास केन्द्र अर्थात बेगुसराय, भागलपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर, हजारीबाग और दरभंगा कार्यान्वयन के लिए मंजूर किए गए हैं।

सरकार ने रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ अनेक उपाय किए हैं, जिसमें ये शामिल हैं - बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश रुग्ण एककों का स्वस्थ एककों के साथ विलय, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना राष्ट्रीय इक्विटी निधि आदि।

[अनुवाद]

थोक में दवाओं के निर्यात हेतु निर्यात संवर्धन परिषद

6135. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और भेषज को बढ़ावा देने के लिए थोक में दवाओं और भेषज के लिए एक स्वतंत्र निर्यात संवर्धन परिषद्, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में हो, गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो भेषज उद्योग की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों द्वारा निर्मित सामानों का निर्यात

6136. श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित सामानों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या प्रोत्साहन और सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) ये प्रोत्साहन और सुविधाएं चालू व अगले वित्तीय वर्ष के दौरान देश के निर्यात को किस हद तक बढ़ाएंगे;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में निर्यात में कोई वृद्धि दर्ज की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) सरकार इस समय लघु उद्योग के लिए निर्यात संवर्धन की दो योजनाएं कार्यान्वित कर रही है अर्थात (क) अंतर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी (ख) निर्यात के लिए पैकेजिंग के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम। इन स्कीमों का कार्यान्वयन 28 क्षेत्रीय कार्यालयों के एक नेटवर्क के जरिए किया जा रहा है जिन्हें लघु उद्योग सेवा संस्थान (एस.आई.एस.आर.) कहा जाता है और जो देश भर में फैले हुए हैं। इसके साथ-साथ लघु उद्योगों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में शामिल हैं - प्रौद्योगिकीय उन्नयन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना, समेकित दृष्टिकोण के जरिए बुनियादी सुविधाओं से संबंधित सहायता, ऋणों की समय पर उपलब्धता, आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों को अपनाना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग इत्यादि। निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना (ई.पी.सी.जी.) को उदार बनाया गया है ताकि इसमें लघु उद्योग क्षेत्र को शामिल किया जा सके जो कि अब निर्यात उत्पादन के लिए जरूरी पूंजीगत सामान का आयात 5 प्रतिशत की रियायती शुल्क दर पर कर सकता है।

(ख) सरकार का दृढ़ निश्चय है कि इन उपायों से देश के निर्यात में और खासकर लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यात में वृद्धि होगी।

(ग) से (ङ) जी, हां। वर्षवार विस्तृत आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

वर्ष	1996-97	1997-98	1998-98
लघु उद्योगों द्वारा निर्यात (करोड़ रु. में)	39248.54	44442.18	48979.23

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन

6137. श्री पी. कुमारासामी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत जोकि 83 देशों की सदस्यता वाले अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन आई.ओ.सी. का एक सदस्य है, ने कॉफी के घरेलू खपत को बढ़ाने हेतु 7.5 मिलियन डॉलर के अनुदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर अंतर्राष्ट्रीय काफी संगठन की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं। भारत सरकार ने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में प्रसारण/दूरदर्शन केन्द्र

6138. श्री टी.एम. सेल्वागनपति :
डा. वी. सरोजा :
डा. सी. कृष्णन :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में कार्य कर रहे प्रसारण/दूरदर्शन केन्द्रों की स्थानवार संख्या कितनी है और ये कहां-कहां स्थित है;

(ख) उक्त केन्द्रों के कार्यक्रम कितनी जनसंख्या तक पहुंच पाते है;

(ग) क्या राज्य में विशेषकर सेलम और मदुरैई में दूरदर्शन स्टूडियो और रेडियो स्टेशन की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वहां स्टूडियो और रेडियो स्टेशन की स्थापना में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इनके कब तक स्थापित/कार्य आरम्भ करने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) इस समय तमिलनाडु में 44 दूरदर्शन ट्रांसमीटर (2 ट्रान्सपोजर सहित) और 8 आकाशवाणी केन्द्र कार्य कर रहे हैं। स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्तमान में तमिलनाडु की 99% एवं 91.3% जनसंख्या को क्रमश: रेडियो एवं टीवी की कवरेज उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) सलेम में कोई नया रेडियो केन्द्र एवं टीवी स्टूडियो स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, नए रेडियो केन्द्र एवं टीवी स्टूडियो से सम्बद्ध निम्नलिखित परियोजनाएं राज्य में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं:-

(1) कोडाईकनाल, धर्मपुरी एवं कोयम्बटूर (विविध भारती) में रेडियो केन्द्र।

(2) मदुरै और कोयम्बटूर में टीवी स्टूडियो।

कोडाईकनाल में रेडियो केन्द्र और कोयम्बटूर में विविध भारती सेवा तकनीकी रूप से तैयार है। शेष परियोजनाओं को 2002 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

विवरण

तमिलनाडु में कार्यरत दूरदर्शन ट्रांसमीटरों एवं आकाशवाणी केन्द्रों का स्थानवार ब्यौरा

दूरदर्शन

1. दूरदर्शन केन्द्र चैन्नई (स्टूडियो उ.श.ट्रा.) (डीडी-1 एवं डीडी-2)
2. उ.श.ट्रा. कोडाईकनाल
3. उ.श.ट्रा. रामेश्वरम
4. अ.श.ट्रा. अरानी
5. अ.श.ट्रा. आरकोट
6. अ.श.ट्रा. अटूटर
7. अ.श.ट्रा. चैयार
8. अ.श.ट्रा. कोयम्बटूर
9. अ.श.ट्रा. कोनूर
10. अ.श.ट्रा. कोर्टलाम
11. अ.श.ट्रा. कुडडालोर
12. अ.श.ट्रा. धर्मपुरी
13. अ.श.ट्रा. गुडियाटम
14. अ.श.ट्रा. कृष्णागिरी
15. अ.श.ट्रा. कुम्बाकोडम
16. अ.श.ट्रा. मरथामडम
17. अ.श.ट्रा. मयूरम
18. अ.श.ट्रा. नागापट्टनम
19. अ.श.ट्रा. नागरकोयाल
20. अ.श.ट्रा. नेवली
21. अ.श.ट्रा. पट्टूकोरई
22. अ.श.ट्रा. पुडूकोटई
23. अ.श.ट्रा. राजापल्याम
24. अ.श.ट्रा. सलेम
25. अ.श.ट्रा. शंकरन कोबिल
26. अ.श.ट्रा. थंजावूर
27. अ.श.ट्रा. थिरूवेयरू
28. अ.श.ट्रा. टिन्डी वनम
29. अ.श.ट्रा. त्रिरूचिरापल्ली
30. अ.श.ट्रा. तिरूचन्डर
31. अ.श.ट्रा. तिरूनेलवेली
32. अ.श.ट्रा. तिरूपट्टू

33. अ.श.ट्रा. तिरूवन्नोमलाई

34. अ.श.ट्रा. टूटीकोरिन

35. अ.श.ट्रा. उदोगामंडलम

36. अ.श.ट्रा. उदुमालयेर

37. अ.श.ट्रा. वनियामबाडी

38. अ.श.ट्रा. वैल्लोर

39. अ.अ.श.ट्रा. वेल्लूपुरम

40. अ.अ.श.ट्रा. वल्लियूर

41. अ.अ.श.ट्रा. पालपाडई

42. अ.अ.श.ट्रा. वाजापांडी

43. ट्रांसपोजर दिन्दीजुल

44. ट्रांसपोजर कांजीपुरमी

आकाशवाणी

1. कोयम्बटूर

2. चेन्नई

3. मदुरै

4. नागरकोयल

5. तिरूनेलवेली

6. तिरूचिरापल्ली

7. ओटॅकामुन्ड

8. टूटीकोरिन

विभिन्न उत्पादों का निर्यात

6139. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1999-2000 के दौरान विभिन्न उत्पादों के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए;

(ख) अब तक इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-मार्च, 2000 के लिए 37538 मिलियन अमरीकी डालर के कुल निर्यातों का अनुमान लगाया गया है जिससे पिछले वर्ष की इसी अवधि के अनन्तिम अनुमानों की तुलना में 11.6% की वृद्धि दर्ज की गई है जबकि निर्यात वृद्धि का लक्ष्य 11.3% रखा गया था।

(घ) निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं - विकेन्द्रीकरण के माध्यम से सौदों की लागत को कम करना, प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा एक्जिम नीति में यथा उल्लिखित विभिन्न अन्य उपाय। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहलों, ग्रस्ट क्षेत्रों तथा फोकस क्षेत्रों की पहचान के माध्यम से भी निर्यात बढ़ाने के उपाय किए गए हैं।

सरकारी खर्च में मितव्ययिता बरतने संबंधी सुझाव

6140. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता लाने संबंधी सुझाव देने के बारे में वर्ष 1998 में एक संशोधित योजना की घोषणा की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने सुझाव प्राप्त हुए और उनमें से कितने सुझाव सरकारी खर्च में मितव्ययिता लाने के लिए उपयोगी सिद्ध हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) सरकारी खर्चों यथा-पदों में कटौती, वाहनों की खरीद/स्टाफ कारों के उपयोग पर नियंत्रण, सेमिनारों, सम्मेलनों, विदेश भ्रमण आदि पर रोक के संबंध में कई सुझाव प्राप्त हुए हैं। समय-समय पर निकलने वाले मितव्ययिता संबंधी अनुदेश जारी करते समय यथा व्यवहार्य सीमा तक इन सभी सुझावों को ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय चैनल

6141. श्री रामपाल सिंह :
डा. अशोक पटेल :
श्री रामदास आठवले :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तानी टीवी पर भारत विरोधी प्रचार से निपटने के लिए जम्मू और कश्मीर में कोई क्षेत्रीय चैनल आरम्भ किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार 2000-2001 के दौरान देश में क्षेत्रीय चैनलों को आरम्भ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यवार कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है;

(ङ) इन्हें कब तक आरम्भ किया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जम्मू कश्मीर में दूरदर्शन कवरेज को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिदिन 2 घंटे से 15 घंटे बढ़ाए गए प्रसारण समय के साथ स्थलीय पद्धति एक पुन: सुसज्जित कश्मीर चैनल को दिनांक 26.1.2000 से शुरू कर दिया गया है। इस चैनल पर महिलाओं, युवाओं, बच्चों, खेल, सामयिक मामलों आदि के कार्यक्रमों सहित मनोरंजनप्रद कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे है।

(ग) से (च) कश्मीर चैनल और स्थलीय क्षेत्रीय नेटवर्क (राष्ट्रीय स्थलीय नेटवर्क दिन के कुछ घंटों के दौरान क्षेत्रीय नेटवर्क से वियुक्त हो जाता है।) के अलावा दूरदर्शन द्वारा 10 क्षेत्रीय उपग्रह चैनल चलाए जा रहे हैं जो सम्पूर्ण देश में पर्याप्त कवरेज उपलब्ध कराते हैं। जनवरी, 2000 से सात क्षेत्रीय उपग्रह चैनलों अर्थात् बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल और तुलुगु चैनलों की प्रसारण अवधि को 24 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान पंजाबी चैनल की प्रसारण अवधि को 24 घंटे तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। तथापि, 2000-2001 के दौरान किसी नए क्षेत्रीय चैनल को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

महाराष्ट्र में खनिजों के खोज हेतु सर्वेक्षण

6142. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेषकर महाराष्ट्र के सहयाद्री पहाड़ियों में खनिजों के भंडारों की खोज हेतु किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वहां खनिज खनन परियोजना आरंभ करने हेतु कोई संभाव्यता अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा खनन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम महाराष्ट्र की सहयाद्रि पहाड़ियों के आस-पास निम्नलिखित सर्वेक्षण/अन्वेषण किये हैं:-

(1) सिन्धुदुर्ग जिले में मैंग्नीज तथा लौह अयस्क का पुनआंकलन।

(2) धूले, नासिक तथा थाणे जिले में आयामी पत्थरों (सजावटी पत्थर) का अध्ययन।

(3) नी-कू-प्लैटिनम ग्रुप के खनिजों के गवेषण के लिए थाणे तथा रायगढ़ जिलों के समीप दक्कन ट्रैपों में मैग्नीशियम बहुल डाइक्स का अध्ययन।

(4) राजापुर, रतनागिरि जिले के समीप (लैटेराइट कैपिंग में) बाक्साइट का प्राथमिक आकलन।

भूविज्ञान तथा खनन निदेशालय, महाराष्ट्र ने कोल्हापुर जिले के चिताले वाटांगी क्षेत्र तथा सतारा जिले के जम्बे-कुशी घाट में बाक्साइट खनिज के लिए गवेषण कार्य किया है। इस कार्य के फलस्वरूप बाक्साइट के 0.6 मिलियन टन निक्षेप प्रमाणित हुए हैं। केवल 1999-2000 के फील्ड सत्र के दौरान, चिताले वाटांगी क्षेत्र में गवेषण कार्य प्रारम्भ किया गया है।

(ख) से (ङ) भारतीय खान ब्यूरो ने उक्त क्षेत्र में नये पट्टे देने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान, निम्नलिखित खनन योजनाओं को मंजूर किया है:-

वर्ष	नये खनन लाइसैंस क्षेत्र तथा आवेदन का नाम	भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खनन योजना की मंजूरी की तारीख
1997-98	शून्य	
1998-99	श्री प्रमोद के. सावंत ने सिन्धुदुर्ग जिले के कुदाल इलाके में क्वार्टजाइट/ सैंड स्टोन के लिए 12.09 हैक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टा देने के बारे में आवेदन किया	5.3.1999
	मैसर्स मिनरल्स एंड मैटल्स ने सिन्धुदुर्ग जिले के सावंतवादी इलाके में लौह तथा मैंग्नीज के लिए 32.25 हैक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टे के के लिए आवेदन किया	20.10.1999
1999-2000	श्री प्रकाश ए. गवान्डी ने कोल्हापुर जिले के उदयगिरि बाक्साइट खनन पट्टा क्षेत्र में 254.51 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए आवेदन किया	6.7.1999
	श्री सुनील डी. वाघडारे ने सिंधुदुर्ग जिले के कुदाल इलाके में 52.5234 हैक्टेयर क्षेत्र पर माइका एवं क्वार्टज के बारे में खनन पट्टे के लिए आवेदन किया।	10.1.2000

[अनुवाद]

हथकरघा उद्योग द्वारा प्रदूषण

6143. श्री पी.एच. पांडियन :
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषरूप से तमिलनाडु में हथकरघा उद्योग भारी मात्रा में रासायनिक पदार्थों को विसर्जित कर रहे हैं जिससे प्रदूषण की समस्या खड़ी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हथकरघा उद्योग की इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिमगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, नहीं। हथकरघा उद्योग की रंगाई इकाइयों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण नगन्य है तथा इकाइयां अधिक मात्रा में प्रदूषण नहीं फैलाती हैं। यद्यपि तमिलनाडु में जहां रंगाई इकाइयों से अधिक मात्रा में बेकार पदार्थ निकलते हैं वहां निस्सारी निरूपण संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं।

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते

6144. श्री बृजलाल खाबरी :
श्रीमती जस कौर मीणा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान आर्थिक संदर्भ में भारत और अमेरिका के बीच कुल कितने मूल्य के व्यापार होने का समझौता हुआ है;

(ख) क्या भविष्य में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने की काफी संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) भारत और अमरीका के बीच व्यापार की काफी संभावनाएं

हैं और व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। गत तीन वर्षों के दौरान व्यापार संतुलन के साथ ही रुपए के रूप में व्यापार का मूल्य नीचे दी गई सारणी में देखा जा सकता है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन
1997-98	25276.65	13813.69	(+) 11462.96
1998-99	30481.56	15319.25	(+) 15522.31
1999-2000 (अ) (अप्रैल-दिसम्बर)	26621.25	12607.52	(+) 14013.73

(अ) अनन्तिम आंकड़े

द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए भारत और सं.रा. अमरीका एवं भारत-अमरीकी वाणिज्य वार्ता तंत्र स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं और इसके विचारार्थ विषयों पर दिनांक 23.3.2000 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस व्यवस्था का उद्देश्य है (क) व्यापार को सुविधाजनक बनाना (ख) व्यापक आर्थिक क्षेत्र में निवेश अवसरों को अधिकतम करना, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, बुनियादी सुविधाएं, जैव प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र शामिल हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंक

6145. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन :
श्री चन्द्र भूषण सिंह:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिन सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों को सरकार ने अर्थक्षम नहीं समझा है उनके नाम क्या हैं;

(ख) इन कमजोर बैंकों द्वारा बैंकवार कितने ऋण दिये गये हैं जो चकाया हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी बैंकों को इन कमजोर बैंकों का अधिग्रहण करने की अनुमति देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन कमजोर बैंकों के पुन: पूंजीकरण हेतु धनराशि उपलब्ध कराने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक को गैर-अर्थक्षम नहीं समझा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विदेशी बैंकों को सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक का अधिग्रहण करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) कमजोर बैंकों के पुन:पूंजीकरण पर तभी विचार किया जाएगा जब पुन:पूंजीकरण कार्यक्रम सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक को स्वीकार्य हो और संबद्ध बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाए।

राज्य सरकारों द्वारा ओवरड्राफ्ट

6146. श्री अनिल बसु : क्या **वित्त मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा राज्यवार ओवरड्राफ्ट के रूप में कितनी राशि ड्रा की गई; और

(ख) राज्यों द्वारा इस संबंध में राज्यवार ब्याज के रूप में कितनी राशि दी गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान राज्यों द्वारा प्राप्त किये गये ओवर ड्राफ्ट तथा राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट पर किये गये भुगतान की स्थिति दिखाने वाला विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000	
		ओवर ड्राफ्ट की राशि	ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	ओवर ड्राफ्ट की राशि	ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	ओवर ड्राफ्ट की राशि	ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	12436.78	3.14	12979.85	3.9	23258.15	6.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	36.12	0.01	0.37	—
3.	असम	34626.74	11.73	49424.92	14.83	53578.84	17.19
4.	बिहार	—	—	—	—	114.27	0.03
5.	गोवा	114.00	0.04	—	—	250.63	0.07
6.	गुजरात	—	—	—	—	20.44	0.01
7.	हरियाणा	240.79	0.09	2689.54	0.77	4128.77	1.21
8.	हिमाचल प्रदेश	1012.17	0.73	5089.39	1.51	11745.77	3.40
9.	कर्नाटक	142.01	0.05	—	—	—	—
10.	केरल	—	—	2520.25	0.78	5261.11	1.51
11.	मध्य प्रदेश	2871.76	0.89	11729.97	3.54	11643.18	3.29
12.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—
13.	मणिपुर	2160.03	0.75	3359.99	1.01	13801.94	4.17
14.	मेघालय	—	—	—	—	—	—
15.	मिजोरम	1865.07	0.63	3858.39	1.18	1230.04	0.36
16.	नागालैंड	2067.76	0.67	2327.81	0.72	3355.04	0.97
17.	उड़ीसा	7198.69	2.35	6414.12	1.95	12446.55	3.59
18.	पंजाब	4658.87	1.47	21688.4	6.56	24637.45	4.95
19.	राजस्थान	14972.10	4.95	8849.82	2.7	16150.52	5.44

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	तमिलनाडु	—	—	—	—	4788.00	1.36
21.	त्रिपुरा	17.27	0.01	306.35	0.09	—	—
22.	उत्तर प्रदेश	211.46	0.06	23575.36	7.01	57724.59	16.58
23.	पश्चिम बंगाल	2051.04	0.64	653.33	0.19	11832.97	3.67
	कुल	88648.54	28.20	155503.61	46.75	255968.63	74.59

*जम्मू एवं कश्मीर तथा सिक्किम भारतीय रिजर्व बैंक के जरिये लेन-देन नहीं करते हैं।

ए.डी.बी. की गैर-सरकारी क्षेत्र में वृद्धि संबंधी योजना

6147. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र के विकास संबंधी रणनीति को इस वर्ष के प्रथम छमाही में गैर-सरकारी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के रूप में अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो एशियाई विकास बैंक के प्रस्तावों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) एशियाई विकास बैंक किन-किन मुख्य मुद्दों के संबंध में गैर-सरकारी क्षेत्र की योजना में वृद्धि करने हेतु सहायता करेगा;

(घ) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों पर मंजूरी दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) एशियाई विकास बैंक ने 30 मार्च, 2000 को निजी क्षेत्र से संबंधित अपनी नीति पारित की है जो सिर्फ भारत के लिए न होकर समूचे क्षेत्र के लिए है। यह नीति एक सामान्य वक्तव्य है जो बैंक के समग्र क्रियाकलापों को मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

(ख) और (ग) बैंक की यह नीति एक व्यवस्थित और सुसंगत ढांचा है जो इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने में इसकी गतिविधियों को दिशानिर्देशित करेगा। इसमें (क) समर्थकारी परिस्थितियों का निर्माण करने (ख) व्यावसायिक अवसर पैदा करने, और (ग) निजी निवेशों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाएगा। उपर्युक्त महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों में सर्वाधिक महत्व सरकारी और निजी क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने, वित्तीय मध्यस्थता, सरकारी-निजी सहभागिता और क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय सहयोग को प्रदान किया जाएगा।

(घ) और (ङ) बैंक की उपर्युक्त नीति पर ध्यान देते हुए सरकार ने बैंक से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि प्रस्तावित नीति से सरकारी परियोजनाओं से संबंधित भारत का पोर्टफोलियो प्रभावित न हो।

[हिन्दी]

कोयले का आबंटन

6148. श्रीमती जसकौर मीणा :
श्री राजो सिंह :

क्या **खान और खनिज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कोयला उत्पादक राज्यों के नाम क्या-क्या हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान कोयले के कुल उत्पादन में इन राज्यों का राज्यवार कितना हिस्सा था;

(ख) विद्युत उत्पादन करने वाली परियोजनाओं, घरेलू खपत तथा औद्योगिक क्षेत्र को तिमाही आधार पर कोयले के आबंटन/आपूर्ति के संबंध में क्या मानदंड निर्धारित हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विद्युत परियोजनाओं, घरेलू खपत तथा औद्योगिक क्षेत्र हेतु राज्यवार और परियोजनावार

अलग-अलग कोयले की तिमाही आधार पर कितनी मांग थी और इसका वास्तविक रूप से कितना आबंटन/आपूर्ति की गई;

(घ) क्या कतिपय विद्युत परियोजनाओं के लिए विशेषकर बिहार और राजस्थान में कोयले की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा विद्युत परियोजनाओं विशेषकर बिहार और राजस्थान स्थित परियोजनाओं हेतु कोयले की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जाने का विचार है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कोयला उत्पादक राज्यों के नाम के साथ-साथ कोयले के कुल उत्पादन में उनके शेयर को संलग्न विवरण-I में राज्य-वार दर्शाया गया है।

(ख) विद्युत उत्पादक परियोजनाओं के लिए कोयले के तिमाही आवंटन, वैयक्तिक विद्युत गृहों के लिए तिमाही आधार पर स्थायी संयोजन समिति (अल्पावधि) द्वारा दिया जाता है। तापीय विद्युत गृहों के लिए संयोजनों को निर्धारित करने के मानदंड निम्नलिखित हैं:

1. विद्युत गृहों के उत्पादन लक्ष्य
2. उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित कोयला
3. विभिन्न तापीय विद्युत गृहों के पास उपलब्ध कोयला स्टॉक
4. विभिन्न कोयला उत्पादक कंपनियों के पास उपलब्ध कोयला
5. विद्युत गृह को कोयले के परिवहन के लिए उपलब्ध आधारभूत ढांचे।

स्थायी संयोजन समिति एक अंतर-मंत्रालयीय निकाय है, जिसके अन्य प्रतिनिधियों में विद्युत मंत्रालय, रेलवे, कोयला विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और कोयला उत्पादक कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सभी संबद्ध निकाय वैयक्तिक विद्युत गृहों के लिए तिमाही आधार पर मासिक संयोजन के बारे में संयुक्त रूप से निर्णय लेते हैं।

कोल इंडिया लि. में घरेलू और गैर-प्रमुख औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए तिमाही संयोजन प्रदान करने की कोई प्रणाली नहीं है। गैर-प्रमुख औद्योगिक उपभोक्ताओं को कोयले का आवंटन, सक्षम संयोजन समिति द्वारा स्थापित संयोजन के आधार पर और संबद्ध प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रायोजन के आधार पर किया जाता है।

(ग) वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान तापीय विद्युत गृहों को स्वीकृत संयोजनों और कोल इंडिया लि. और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. से किए गए प्रेषणों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दर्शाए गए हैं। गैर-प्रमुख क्षेत्र के उपभोक्ताओं के ब्यौरे, जिसमें कोल इंडिया लि. से घरेलू उपभोक्ताओं को किए गए प्रेषण शामिल हैं, संलग्न विवरण-III में दर्शाए गए हैं।

(घ) से (च) जी, नहीं। बिहार और राजस्थान के विद्युत गृहों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति की गई। इसके अलावा, अंतर-मंत्रालयीय समिति द्वारा विद्युत गृहों को आपूर्तित कोयले की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और जहां कहीं भी अपेक्षित हो, आपूर्ति को बढ़ाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

विवरण I

देश में कोयला उत्पादक राज्यों के साथ-साथ उनके शेयर के प्रतिशत के ब्यौरे

(उत्पादन : मिलियन टन में)

राज्यों के नाम	1997-98		1998-99		1999-2000 (अनंतिम)	
	कुल उत्पादन	% शेयर	कुल उत्पादन	% शेयर	कुल उत्पादन	% शेयर
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	28.94	9.74	27.33	9.35	29.56	9.85
असम	0.69	0.23	0.64	0.22	0.57	0.19

1	2	3	4	5	6	7
बिहार	81.27	27.35	76.16	26.06	76.95	25.64
मध्य प्रदेश	84.75	28.52	84.94	29.06	87.94	29.30
महाराष्ट्र	26.17	8.81	25.28	8.65	27.70	9.23
उड़ीसा	42.16	14.19	43.51	14.89	43.55	14.51
उत्तर प्रदेश	15.78	5.31	15.65	5.35	16.20	5.40
पश्चिम बंगाल	17.40	5.85	18.76	6.42	17.59	5.86

विवरण II

स्वीकृत विद्युत गृह-वार संयोजन और वर्ष 1997-98 के दौरान किए गए प्रेषण

('000 टनों में)

क्र.सं.	ताप विद्युत गृह का नाम	लिंकेज	प्रेषण
1	2	3	4
नार्दर्न क्षेत्र			
	दिल्ली		
1.	बदरपुर	4170	3666
2.	आईपी स्टेशन (डी.वी.बी.)	1110	1073
3.	राजघाट (डी.वी.बी.)	810	682
	हरियाणा		
4.	फरीदाबाद	810	624
5.	पानीपत	3090	2559
	पंजाब		
6.	भटिंडा	1890	2333
7.	भटिंडा विस्तार	—	—
8.	रोपड़	5625	5967
	राजस्थान		
8.	कोटा	4425	4613
8.	सूरतगढ़	50	0

1	2	3	4
	उत्तर प्रदेश		
9.	अनपारा	8160	8037
10.	हरदुआगंज	570	925
11.	ओबरा	5220	4067
12.	पंकी ओल्ड	60	17
13.	पंकी विस्तार	530	817
14.	परीचा	600	737
15.	टांडा	1190	1448
16.	ऊंचाहार	2480	2317
17.	रिहांड एस.टी.पी.एस.	4935	4852
18.	सिंगरौली एस.टी.पी.एस.	9120	9496
19.	एन.सी.टी.पी.सी. (दादरी)	4770	4521
वेस्ट क्षेत्र			
	गुजरात		
20.	अहमदाबाद	1920	1556
21.	गांधीनगर	2925	3018
22.	सिक्का	990	1101
23.	उकई	3525	3822
24.	वानकबोरी	5790	6483
	मध्य प्रदेश		
25.	अमरकंटक	1185	602
26.	बिरसिंहपुर	2040	1560
27.	कोरबा ईस्ट	2700	2083
28.	कोरबा वेस्ट	4290	3692
29.	सतपुरा सरनी	6585	6920
30.	कोरबा एस.टी.पी.एस.	11310	11436
31.	विंध्याचल एस.टी.पी.एस.	6105	5605

1	2	3	4
	महाराष्ट्र		
32.	भूसावल	2490	2425
33.	चन्द्रपुर	10650	9336
34.	कोराडीह	5040	6665
35.	खापरखेड़ा	2160	1997
36.	नासिक	3600	4053
37.	परली	3750	3282
38.	पारस	180	195
39.	ट्राम्बे	450	57
40.	धानू	2130	1549
साउथ क्षेत्र			
41.	कोठागुडम	5940	5100
42.	रामागुंडम "बी"	360	281
43.	विजयवाड़ा	8100	8757
44.	रामागुंडम एस.टी.पी.एस.	10860	11050
45.	निल्लोर	120	32
46.	रायलसीमा (मूडानूर)	2655	1495
	कर्नाटक		
47.	रायचूर	5970	4431
	तमिलनाडु		
48.	इन्नोर	2550	2575
49.	मिद्दूर	5250	5705
50.	टूटीकोरिन	5850	3933
51.	नार्थ चेन्नई	2520	1644
ईस्टर्न क्षेत्र			
	बिहार		
52.	बाराउनी	570	306

1	2	3	4
53.	मुज्जफरपुरी	465	138
54.	पतरातु	1650	1261
55.	पटना	60	10
56.	कहलगांव एस.टी.पी.एस.	4680	2976
57.	तनुघाट	1740	1236
	डी.वी.सी.		
58.	बोकारो	2130	2019
59.	चन्द्रपुर	1556	1396
60.	दुर्गापुर	1440	1167
61.	मीज़िया	960	245
	उड़ीसा		
62.	तलचर	2220	2065
63.	तलचर एस.टी.पी.एस.	3090	2752
64.	ईब घाटी	2790	2169
	पश्चिम बंगाल		
65.	बंडेल	1380	1275
66.	संथालडीह	1125	1159
67.	कोलाघाट	5400	3801
68.	कलकत्ता (सी.ई.एस.सी.)	930	1254
69.	टीटागढ़ (सी.ई.एस.सी)	1065	817
70.	साउथ जेन. (सी.ई.एस.सी.)	630	445
71.	बुदगे-बुदगे	450	222
72.	दुर्गापुर बी.पी.एल.	1320	613
73.	फरक्का एस.टी.पी.एस.	7800	5409
नार्थ ईस्टर्न क्षेत्र			
74.	बोगईगाव	555	172

स्वीकृत विद्युत गृह-वार संयोजन और वर्ष 1998-99 के दौरान किए गए प्रेषण

('000 टन में)

क्र.सं.	ताप विद्युत गृह का नाम	लिंकेज	प्रेषण
1	2	3	4
नार्दर्न क्षेत्र			
	दिल्ली		
1.	बदरपुर	3840	3099
2.	आईपी स्टेशन (डी.वी.बी.)	945	664
3.	राजघाट (डी.वी.बी.)	630	528
	हरियाणा		
4.	फरीदाबाद	810	806
5.	पानीपत	2490	2844
	पंजाब		
6.	भटिंडा	1605	1843
6.	भटिंडा विस्तार	810	281
7.	रोपड़	4950	4823
	राजस्थान		
8.	कोटा	3360	3254
8.	सूरतगढ़	690	436
	उत्तर प्रदेश		
9.	अनपारा	7725	7570
10.	हरदुआगंज	570	730
11.	ओबरा	4650	3726
12.	पंकी ओल्ड	0	0
13.	पंकी विस्तार	660	536
14.	परीचा	855	792
15.	टांडा	1590	1574
16.	ऊंचाहार	2070	1995

1	2	3	4
17.	रिहांड एस.टी.पी.एस.	4980	4078
18.	सिंगरौली एस.टी.पी.एस.	9615	9644
19.	एन.सी.टी.पी.सी. (दादरी)	4500	4045
वेस्ट क्षेत्र			
	गुजरात		
20.	अहमदाबाद	1590	1557
21.	गांधीनगर	3150	3544
22.	सिक्का	390	306
23.	उकई	3750	3363
24.	वानकबोरी	5700	6042
	मध्य प्रदेश		
25.	अमरकंटक	1320	768
26.	बिरसिंहपुर	1890	1856
27.	कोरबा ईस्ट	2250	1639
28.	कोरबा वेस्ट	4080	4146
29.	सतपुरा सरनी	6570	6118
30.	कोरबा एस टी पी एस	11385	11380
31.	विंध्याचल एस टी पी एस	6270	6169
	महाराष्ट्र		
32.	भूसावल	2190	2128
33.	चन्द्रपुर	10500	9846
34.	कोराडीह	5160	6169
35.	खापरखेड़ा	1950	1734
36.	नासिक	3600	3651
37	परली	3660	3289
38.	पारस	240	230
39.	ट्राम्बे	120	16
40.	धानू	1500	1565

1	2	3	4
साउथ क्षेत्र			
	आंध्र प्रदेश		
41.	कोठागुडम	7050	4891
42.	रामागुंडम "बी"	315	275
43.	विजयवाड़ा	6900	7273
44.	रामागुंडम एम टी पी एस	11400	10227
45.	नेल्लोर	150	73
46.	रायलसीमा (मूडानूर)	2625	2504
	कर्नाटक		
47.	रायचूर	5160	4354
	तमिलनाडु		
48.	इन्नोर	2130	3577
49.	मिट्टूर	3930	5398
50.	टूटीकोरिन	4500	3789
51.	नार्थ चेन्नई	2880	0
ईस्टर्न क्षेत्र			
	बिहार		
52.	बाराउनी	705	493
53.	मुज्जफरपुरी	570	427
54.	पतरातु	1845	1662
55.	पटना	36	2
56.	कहलगांव एस टी पी एस	3930	3409
57.	तनुघाट	1740	1064
	डी वी सी		
58.	बोकारो	1350	1803
59.	चन्द्रपुर	680	1192
60.	दुर्गापुर	870	775
61.	मीजिया	1020	570

1	2	3	4
	उड़ीसा		
62.	तलचर	2100	2068
63.	तलचर एस टी पी एस	3780	3357
64.	ईब घाटी	2370	2410
	पश्चिम बंगाल		
65.	बंडेल	1260	948
66.	संथालडीह	960	1221
67.	कोलाघाट	5220	3207
68.	कलकत्ता (सी ई एस सी)	900	1061
69.	टीटागढ़ (सी ई एस सी)	1020	1080
70.	साउथ जेन. (सी ई एस सी)	645	347
71.	बुदगे-बुदगे	855	495
72.	दुर्गापुर बी पी एल	840	337
73.	फरक्का एस टी पी एस	5970	4905
नार्थ ईस्टर्न क्षेत्र			
74.	बोगईगांव	270	74

स्वीकृत विद्युत गृह-वार संयोजन और वर्ष 1999-2000 के दौरान किए गए प्रेषण

('000 टन में)

क्र.सं.	टी पी एस का नाम	संयोजन	प्रेषण
1	2	3	4
	उत्तरी क्षेत्र		
	दिल्ली		
1.	बदरपुर	4500	3601
2.	आई.पी. स्टेशन (डी.वी.बी.)	795	711
3.	राजघाट (डी.वी.बी.)	765	754
	हरियाणा		
4.	फरीदाबाद	855	806
5.	पानीपत	2475	1888

1	2	3	4
	पंजाब		
6.	भटिंडा	1830	1853
6.	भटिंडा एक्सटेंशन	2175	2148
7.	रोपड़	5325	5401
	राजस्थान		
8.	कोटा	4470	3867
8ए.	सुरतगढ़	1440	907
	उत्तर प्रदेश		
9.	अनपाड़ा	8880	7947
10.	हड़दुआगंज	750	717
11.	ओबरा	4950	4379
12.	पंकी ओल्ड	0	0
13.	पंकी एक्स.	810	1076
14.	परीचा	990	526
15.	टांडा	1380	
16.	ऊंचाहार	3180	
17.	रिहांद एसटीपीएस	4950	4782
18.	सिंगरौली एसटीपीएस	9825	10031
19.	एनसीटीपीपी (दादरी)	5190	4969
पश्चिमी क्षेत्र			
	गुजरात		
20.	अहमदाबाद	1110	1110
21.	गांधीनगर	3960	3661
22.	सिक्का	765	718
23.	उकाई	2900	3137
24.	वानाकबोरी	6450	7521
	मध्य प्रदेश		
25.	अमरकंटक	990	874
26.	बिरसिंगपुर	3030	2471
27.	कोरबा ईस्ट	2310	2093
28.	कोरबा वेस्ट	4890	4216

1	2	3	4
29.	सतपुड़ा	7500	6137
30.	कोरबा एसटीपीएस	11715	11458
31.	विंध्याचल एसटीपीएस	6720	6243
	महाराष्ट्र		
32.	भुसावल	2580	2500
33.	चंद्रपुर	11340	11613
34.	कोराडीह	5710	5259
35.	खापरखेडा	1800	1587
36.	नासिक	3880	3816
37.	परली	3240	3074
38.	पारस	330	312
39.	ट्रांबे	120	3
40.	धनु	1760	1511
दक्षिणी क्षेत्र			
	आंध्र प्रदेश		
41.	कोठागुडम	6465	5736
42.	रामागुडम बं।	360	344
43.	विजयवाड़ा	6450	6753
44.	रामागुंडम एसटीपीएस	10800	10452
45.	नेल्लोर	210	94
46.	रायलसीमा (मुद्दनुर)	2700	2718
	कर्नाटक		
47	रायचूर	7050	5529
	तमिलनाडु		
48.	इन्नोर	990	3162
49.	मिट्टूर	3690	4749
50.	टुटीकोरिन	3660	3515
51.	नार्थ चेन्नई	2670	0

1	2	3	4
पूर्वी क्षेत्र			
	बिहार		
52.	बरौनी	750	410
53.	मुजफ्फरपुर	750	427
54.	पतरातू	2280	1631
55.	पटना	0	0
56.	कहलगांव एसटीपीएस	3900	3525
57.	तनुघाट डीवीसी	1560	763
58.	बोकारो	1950	1708
59.	चंद्रपुर	1110	1233
60.	दुर्गापुर	1140	885
61.	मेजिया	1455	1503
	उड़ीसा		
62.	तलचर	2310	2247
63.	तलचर एसटीपीएस	3675	4058
64.	ईब वैली	2400	2752
	पश्चिम बंगाल		
65.	बांदेल	1200	1057
66.	संथालडीह	870	949
67.	कोलाघाट	5610	3220
68.	कलकत्ता (सीईएससी)	735	692
69.	टीटागढ़ (सीईएससी)	960	762
70.	साउथ जेन (सीईएससी)	570	419
71.	बज बज	1545	1255
72.	दुर्गापुर (डीपीएल)	800	631
73.	फरक्का एसटीपीएस	6300	5465
74.	बकरेश्वर	645	86
उत्तर पूर्व क्षेत्र			
75.	बोनगाईगांव	240	112

विवरण-III

(आंकड़े लाख टन में)

	1997-98	1998-99	1999-2000
एसएसएफ यूनिट	17.77	14.33	13.61
ब्रिकेटिंग यूनिट	22.83	29.27	40.18
सॉफ्ट कोक	0.33	0.10	0.03
अन्य	321.67	335.93	407.97
जोड़ गैर-प्रमुख	362.60	379.63	461.79

बिस्कुट पर उत्पाद शुल्क

6149. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्पाद शुल्क में वृद्धि के क्या कारण बिस्कुट बनाने वाले उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की आजीविका प्रभावित हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) और (ख) यह कहना कठिन है कि उत्पाद शुल्क में वृद्धि एक ऐसा कारक है जो बिस्कुट विनिर्माण उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों में आजीविका को प्रभावित करता है। तथापि, 100 ग्राम से अनधिक वजन के खुदरा पैक में बंद बिस्कुट पर तथा पांच रुपए से अनधिक खुदरा बिक्री मूल्य के ऐसे प्रत्येक पैक पर 4 मई, 2000 की प्रभावी तिथि से उत्पाद शुल्क को घटाकर 16% सेनवैट का 50% कर दिया गया है।

[अनुवाद]

मिश्रित रेशे वाले वस्त्रों का निर्यात

6150. श्री सी.पी. राधाकृष्णन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मिश्रित रेशे वाले वस्त्रों का वर्ष-वार कितना और कितने मूल्य का निर्यात किया गया है;

(ख) विश्व बाजार में इन वस्त्रों के कुल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात हिस्सेदारी पर्याप्त और संतोषजनक है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए ब्लेंडिड वस्त्र फैब्रिक्स का कुल मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार है:-

मात्रा : मिलियन वर्ग मी. में
मूल्य : मिलियन अमरीकी डालर में

वर्ष	सूती/पोलिएस्टर ब्लेंडिड फ्रैबिक्स		सूती/विस्कोस ब्लेंडिड फ्रैबिक्स		अन्य फ्रैबक्सि के साथ ब्लेंडिड सूती फ्रैबिक्स		कुल सूती वस्त्र फैब्रिक्स निर्यात (ब्लेंड्स सहित)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1999-2000	5.81	8.08	3.84	3.95	4.84	7.26	2226.78	1094.78
1998-1999	6.41	4.76	0.97	1.10	2.68	4.99	2204.75	1100.98
1997-1998	5.94	5.38	3.11	3.51	1.57	2.71	1902.20	1113.75

स्रोत : सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुंबई

(ख) 1997 के लिए उपलब्ध आंकड़े के अनुसार, ब्लेंडिड फैब्रिक्स सहित विश्व वस्त्र निर्यात का भारत का हिस्सा लगभग 2.5% है।

(ग) और (घ) सरकार विश्व वस्त्र व्यापार में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाती रही है। विशेषकर वस्त्र क्षेत्र के संबंध में किये गये कुछ महत्वपूर्ण पहल निम्नानुसार हैं:-

(1) वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना शुरू की गई है।

(2) वस्त्र निर्यातों को स्थिरता तथा निरंतरता प्रदान करने और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2000-2004 की अवधि के लिए निर्यात हकदारी (कोटा) नीति की घोषणा की गई है।

(3) भारतीय वस्त्रों के अपैरल क्षेत्र, मूल्यवर्द्धित क्षेत्र में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए कोटा और गैर-कोटा देशों को गैर-कोटा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए गैर कोटा हकदारी (एन.क्यू.ई.) प्रणाली को कायम रखा गया है।

(4) शुल्क की 5% रियायती दर पर निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल (ई.पी.सी.जी.) योजना के अंतर्गत पूंजीगत माल के आयात की सुविधा देना।

(5) निर्यातोन्मुख एकक (ई.ओ.यू.)/निर्यात संवर्द्धन क्षेत्र (ई.पी.जैड.)/ई.पी.सी.जी. एककों द्वारा किए जा रहे सूती यार्न के निर्यात को उदार बनाया गया है।

(6) कुछ श्रेणियों की ट्रिमिंग्स और अलंकरण के शून्य शुल्क आयात की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

देश की कोयला खानें

6151. श्री नवल किशोर राय :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **खान और खनिज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कोयला खानों की कुल संख्या बताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार संख्या कितनी है और इनमें से कितनी खानें प्रचालनाधीन हैं; और

(ग) उनमें कोयले का अनुमानत: कितना भंडार है और देश में अनुसंधान के आधार पर कोयले का अनुमानत: कितना उत्पादन होने की संभावना है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) देश में विद्यमान राज्य-वार कोयला खानों की संख्या नीचे दर्शाई गई है:-

राज्य	विद्यमान कोयला खानों की संख्या
आंध्र प्रदेश	69
असम	6
बिहार	169
जम्मू एवं कश्मीर	3
मध्य प्रदेश	127
महाराष्ट्र	53
उड़ीसा	22
उत्तर प्रदेश	4
पश्चिम बंगाल	108
जोड़	561

(ग) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1.1.2000 की स्थिति की अनुसार भारत में 1200 मीटर की गहराई तथा 2,11,593.61 मि.ट. कोयला भंडार होने का अनुमान लगाया है। देश में 1998-99 कोयला उत्पादन 292.27 मिलियन टन था। कोयला उत्पादन की मात्रा का अनुमान किसी अनुसंधान के आधार पर नहीं लगाया जाता है। कोयला उत्पादन का लक्ष्य, उपभोक्ताओं से प्राप्त कोयले की मांग को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है।

[अनुवाद]

उड़ीसा को स्वास्थ्य पैकेज योजना के तहत निधियां

6152. श्री अनादि साहू : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान स्वास्थ्य पैकेज योजना के तहत केन्द्र द्वारा 4269 बुनकरों हेतु स्वीकृत 72.00 लाख रुपये की राशि अभी तक जारी नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और उक्त राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान उड़ीसा राज्य सरकार को कोई निधियां स्वीकृत नहीं की गई थी। उड़ीसा राज्य सरकार ने 200 गांव के लिए नलकूप (बोरबेल) प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। यद्यपि, पूर्व में जारी की गई निधि का उपयोग तथा विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जाने हेतु निधियां जारी नहीं की जा सकी। विस्तृत प्रस्तावों को प्रस्तुत किये जाने पर निधियां उपलब्ध की जायेगी।

प्रसारण कानून

6153. श्री अधीर चौधरी :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री श्रीनिवास पाटील :
श्री मोहन रावले :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक व्यापक प्रसारण कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कानून के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार नए प्रसारण विधेयक के जरिए टेलीविजन और प्राइवेट टीवी चैनलों पर दिखाई जाने वाली अश्लीलता को लेकर कड़ा रूख अख्तियार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अधिक से अधिक दर्शकों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दर्शकों के लिये बेहतर और सुगम सेवाएं प्रदान करने का भी है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) इस कानून को सदन में कब तक पेश किये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (छ) सरकार का संसद के समक्ष एक व्यापक विधान प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रसारण के विभिन्न पहलुओं विशेष रूप से निजी प्रसारण के लिए विनियामक तंत्र की व्यवस्था की जाएगी। तथापि, सही ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है इसके लिए फिलहाल कोई समय-सीमा इंगित नहीं की जा सकती है। उपयुक्त विनियामक तंत्र के साथ निजी प्रसारों हेतु इस क्षेत्र को खोलने से बेहतर प्रसारण को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों सहित अधिसंख्यक दर्शकों/श्रोताओं के लिए प्रसारण कार्यक्रमों का चयन करने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का फ्रांस के साथ संयुक्त उद्यम

6154. श्रीमती रेनु कुमारी :
श्री पी.आर. खुंटे :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने फ्रांसीसी कंपनियों के साथ अपने सरकारी क्षेत्र के 24 उपक्रमों के साथ अपने सहयोग करने हेतु संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके साथ किसी संयुक्त उद्यम की स्थापना की गई है;

(ग) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नामों के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप फ्रांस से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगा;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (च) सरकार ने इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के 24 उपक्रमों के संबंध में बृहत (मेजॉरिटी) इक्विटी भागीदारी के साथ संयुक्त उद्यम के भागीदारों को शामिल करने के लिए सिद्धांत रूप से सहमति दे दी है। अधिकांश मामलों में, परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर ली गई है। कुछ मामलों में, प्रभावी संयुक्त उद्यम के भागीदारों से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। खासतौर पर फ्रांसीसी कंपनियों से संपर्क नहीं किया गया है। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के संबंध में फ्रांसीसी कंपनियों से अभी तक कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

दरी के बुनकर

6155. श्रीमती श्यामा सिंह :
डा. रमेश चंद तोमर :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में दरी के बुनकरों की दयनीय स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश भर के दरी के बुनकरों को न तो रियायती दरों पर कच्ची सामग्री मिल रही है और न ही उन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से धन मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में दरी के बुनकरों को बढ़ावा देने और सहायता देने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) प्राप्त सूचना के अनुसार यद्यपि देश के कालीन बुनकरों की स्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता है, तथापि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान बुनकरों सहित कारीगरों की प्रति व्यक्ति आय में कोई गिरावट नहीं आई है।

कालीन बुनकरों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए सहायता प्रदान की जा रही है। जिसमें, प्रशिक्षण डिजाइन विकास, विपणन विकास के लिए सहायता, सामान्य सुविधा केन्द्र एवं सीधे विपणन के अवसर, वर्कशेड-सह-आवास, समूह-बीमा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को दरिद्रावस्था में हैल्थ पैकेज एवं पैंशन शामिल है।

जहां तक वित्तीय सहायता का संबंध है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) एवं कृषि एवं ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) की पुन: वित्तीय सहायता के जरिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पुन: वित्तीय सुविधा के तहत् 2 लाख रुपए तक ऋण लेने वाले कारीगरों/एककों को बैंक कम ब्याज की दर पर ऋण देगा जो बैंकों के प्राइम लैंडिंग दर से अधिक नहीं होगा।

दिवालिया वित्तीय और औद्योगिक संस्थाएं

6156. श्री दिलीप संघानी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वित्तीय और औद्योगिक संस्थाएं दिवालिएपन के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो ये संस्थाएं कौन-कौन सी हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी अखिल भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक के मानदण्डों और मार्गनिर्देशों के अनुसार मार्च 1999 के अंत की स्थिति के अनुसार अपेक्षित पूंजी पर्याप्तता अनुपात को पूरा करती है, कोई भी अखिल भारतीय वित्तीय संस्था को दिवालिएपन का खतरा नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पत्र सूचना कार्यालय (पी.आई.बी.) को अधिकार

6157. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में प्रेस के कार्यकरण की देखरेख हेतु पत्र सूचना कार्यालय को अधिक अधिकार प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) पत्र सूचना कार्यालय सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों एवं उपलब्धियों के बारे में मीडिया के लिए सूचना का प्रसार करने और मीडिया में यथा प्रतिबिम्बित लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में सरकार को फीडबैक मुहैया कराने हेतु सरकार की नोडल एजेंसी है। पत्र सूचना कार्यालय भारत में प्रेस के क्रिया-कलाप की निगरानी नहीं करता है और इसको यह भूमिका देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं

6158. श्री तुफानी सरोज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी शाखाओं में वृद्धि करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्यवार विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कितनी शाखाएं खोलने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश समेत खोले जाने वाली प्रस्तावित शाखाओं की राज्यवार संख्या निम्नलिखित है:

राज्य का नाम	शाखाओं की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	7
असम	3
बिहार	2
चण्डीगढ़	1
दिल्ली	4
गोवा	1
गुजरात	5
हरियाणा	3
हिमाचल प्रदेश	1
कर्नाटक	1
केरल	3
मध्य प्रदेश	3
महाराष्ट्र	10
उड़ीसा	1
पंजाब	2
राजस्थान	1
तमिलनाडु	5
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	8
पश्चिम बंगाल	10
कुल	72

बैंकों का प्रशासन संबंधी व्यय

6159. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण बैंकों को कुल आय का कितना प्रतिशत भाग प्रशासनिक व्यय मद के अंतर्गत खर्च करने की अनुमति दी गई है और इन बैंकों द्वारा वास्तविक रूप से कुल कितनी राशि खर्च की गई/खर्च की जा रही है;

(ख) क्या बैंकों द्वारा अनुमेय राशि से अधिक राशि खर्च की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा खर्चों में कटौती करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) के संबंध में खर्च के लिए कोई विशिष्ट सीमा निर्धारित नहीं की गई है। प्रत्येक आर.आर.बी. की स्थापना लागत विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे, आर.आर.बी. का आकार, कर्मचारी वर्ग की संख्या, कारोबार की प्रकृति आदि। प्रत्येक आर.आर.बी. का निदेशक मण्डल, प्रत्येक

आर.आर.बी. के संबंध में खर्च की निगरानी और उस पर नियंत्रण करने के लिए, उचित प्राधिकारी है। नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1998-99 के लिए सभी आर.आर.बी. द्वारा किया गया प्रशासनिक खर्च 982.66 करोड़ रुपए था जो वर्ष की कुल आय का लगभग 29% है।

(ग) आर.आर.बी. से अपेक्षा की जाती है कि वे कारोबार बढ़ाने तथा लागत घटाने के माध्यम से परिचालनात्मक दक्षता सुधारने के लिए रणनीति सम्मिलित करते हुए विकास कार्य योजना तैयार करें। प्रायोजक बैंक भी इस संबंध में उनके द्वारा प्रायोजित आर.आर.बी. की प्रगति की निगरानी करने के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा बैठकों का आयोजन करते हैं।

[अनुवाद]

भारत से आयात पर अमरीका द्वारा प्रतिबंध

6160. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिकी सरकार ने भारत से कुछ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस प्रतिबंध के कारण सबसे अधिक बीड़ी उद्योग पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो बीड़ी उद्योग को सुचारू रूप से चलाने और उसमें सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) अमरीकी सीमा-शुल्क विभाग ने एक विशिष्ट भारतीय निर्यातक, नामत: मैसर्स मंगलौर गणेश बीड़ी वर्क्स से बीड़ियों के आयात के विरुद्ध अवरोधन आदेश इस आशय के "उचित संदेह" के आधार पर जारी किया है कि इस कंपनी द्वारा बीड़ी के विनिर्माण में बाल मजदूरों से बेगार का उपयोग किया जाता है। इस कम्पनी ने और भारत सरकार ने इस मामले को अमरीकी सरकार के उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठते।

हथकरघा निर्यात में वृद्धि हेतु रणनीति

6161. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हथकरघा वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि हेतु कोई नई रणनीति अपनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिमगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। विश्व बाजार द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हथकरघा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन हेतु क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धा करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप हथकरघा क्षेत्र में आधुनिक डिजाइनों को शुरू करने तथा गुणवत्ता में सुधार तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु प्रभावशाली उपाय आरम्भ किये गये हैं। कौशल - जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मैलों आदि में भाग लेने के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार हेतु प्रदर्शन किया जाना भी शामिल है।

देश में हथकरघा फैब्रिक्स, कपड़ों का मेड-अप्स और हथकरघा की अन्य वस्तुओं के निर्यात को पर्याप्त प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1996-97 के दौरान निर्यातयोग्य उत्पादों का विकास और उनके विपणन की स्कीम आरम्भ की गई थी। स्कीम के अंतर्गत निर्यात के लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, निर्यातयोग्य उत्पादों के विकास के लिए सहायता उपलब्ध करना तथा उसके बाद विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में उनका विपणन करना है। अब तक स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न हथकरघा सहकारी/शीर्ष/निगमों/परिषदों आदि की 55 परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

6162. डा. नीतिश सेनगुप्ता : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च लाभ वाले उपभोक्ता सामग्री उद्योग में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) 22 विनिर्दिष्ट उपभोक्ता माल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भागीदारी के मामले में, उत्पादन के प्रारम्भ में 7 वर्षों की अवधि

के दौरान लाभांशों के संतुलन की शर्त लागू होती है। इस उद्योग में आधुनिक प्रौद्योगिकी, पूंजी और प्रतिस्पर्द्धा लाने के उद्देश्य से उक्त उपभोक्ता वस्त्र उद्योग में 100 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी की अनुमति दी जाती है।

पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य ऑपरेशन

6163. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य ऑपरेशन के अंतर्गत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य ऑपरेशनों के लिए नोडल एजेंसी को हुए पूरे घाटे की भरपाई करती है;

(ख) यदि हां, तो जे.सी.आई. द्वारा खरीदे गए कच्चे पटसन का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितना घाटा हुआ और न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत सरकार द्वारा कितने घाटे की भरपाई की गई;

(ग) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग ने यह माना है कि धन की कमी के कारण भारतीय जूट निगम का न्यूनतम समर्थन मूल्य ऑपरेशन ठीक नहीं रहा और पूर्व वर्षों में हुए घाटे की भरपाई के लिए धन निर्गत करने की सिफारिश की; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संपूर्ण घाटे की कब तक भरपाई की जाएगी?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जे.सी.आई. की स्थापना कच्चे पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन शुरू करने के लिए एक नोडिए एजेंसी के रूप में की गई है। ऐसे प्रचालन शुरू करने के लिए निगम द्वारा उठाए गए घाटों की सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। जे.सी.आई. की अधिप्राप्ति, घाटों और सरकार द्वारा प्रदत्त राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

मात्रा लाख गांठ में
प्रत्येक गांठ 180 कि.ग्रा.
करोड़ रु. में

वर्ष	अधिप्राप्ति मात्रा/अधिप्राप्त	जे.सी.आई. द्वारा सूचित अनुसार घाटे (रु.)	ऋण (रु.)
1997-98	0.85	13.98	26.00
1998-99	0.13	62.06	20.00
1999-2000 (अनंतिम)	0.18	54.69	16.00

(ग) चूंकि सरकार जे.सी.आई. को प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन शुरू करने के लिए बैंक गारंटी प्रदान करती है, इसलिए, निधियों के अभाव में जे.सी.आई. के न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन के घटिया होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जे.सी.आई. द्वारा सब्सिडी के रूप में वर्ष 1998-99 तक 353 करोड़ रु. के दावे के आधार पर सरकार ने सब्सिडी के रूप में जे.सी.आई. को 222.40 करोड़ रु. और 31.3.2000 तक ऋण के रूप में 125.18 करोड़ रु. पहले से ही जारी किए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन के कारण निगम को हुए घाटों के लिए सब्सिडी के रूप में जे.सी.आई. को दिए गए ऋणों को समायोजित करने के लिए एक प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

विदेशी व्यापार

6164. डा. गिरिजा व्यास : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विदेशी व्यापार में भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश का भुगतान संतुलन भी भारी घाटे की ओर बढ़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भुगतान संतुलन के घाटे और विदेश व्यापार में घाटे को रोकने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1999-2000 के दौरान व्यापार घाटा 8616 मिलियन अमरीकी डालर का रहा है जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए व्यापार घाटे से अधिक है। विदेश व्यापार में व्यापार घाटे के कारण कुछ अन्तर्राष्ट्रीय कारक हैं जैसे विश्व बाजार में मंदी का होना, कुछ भागीदार देशों में आर्थिक संकट का होना और बुनियादी सुविधाओं में अवरोध होना।

(ग) और (घ) भुगतान-संतुलन के चालू खाते में घाटे में पर्याप्त गिरावट आई है जो 1997-98 के 5.5 बिलियन अमरीकी

डालर से गिरकर 1998-99 में 4.0 बिलियन अमरीकी डालर हो गई। 1998-99 में यह चालू खाता जीडीपी का केवल 1% था। तेल कीमतों में तीव्र वृद्धि होने से चालू खाता घाटा 1999-2000 के दौरान जीडीपी का 1.6 से 1.8% के बीच होने का अनुमान है।

(ङ) निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं - विकेन्द्रीकरण के माध्यम से सौदों की लागत को कम करना, प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा एग्जिम नीति में यथा उल्लिखित विभिन्न अन्य उपाय। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहल करके थ्रस्ट क्षेत्रों तथा फोकस क्षेत्रों की पहचान के माध्यम से भी निर्यात बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। पूंजीगत लेखा परिवर्तनियता के प्रति सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर, अल्पकालिक विदेशी ऋण और मध्यमकालिक वाणिज्यिक उधार पर कड़े नियंत्रण लागू करके, ऋण नहीं लेकर वित्तीय प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए समुचित नीतिगत उपाय करने और रुपए की विनियम-दर की गति पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

खान मजदूरों हेतु पुनर्वास कार्यक्रम

6165. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **खान और खनिज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड की खानों के बंद हो जाने के फलस्वरूप छंटनी किए या छंटनी की आशंका वाले उन कामगारों के पुनर्वास हेतु कोई योजना तैयार की है/ किए जाने का प्रस्ताव है जो भुखमरी के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कोल इंडिया लि. में किसी कामगार की छंटनी नहीं की गई है और न ही भविष्य में उन्हें छंटनी करने का प्रस्ताव है। जब कभी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी, एक उपयुक्त योजना तैयार की जा सकती है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

6166. श्री दिनशा पटेल : क्या **खान और खनिज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात संयंत्रों को स्वदेशी कोयले की आपूर्ति पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो इस्पात क्षेत्र में कोयले की कुल मासिक मांग कितनी है; और

(ग) उनकी मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) इस्पात संयंत्रों को आपूर्ति करने के लिए अपेक्षित मात्रा में कोककर कोयला देश में पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है।

(ख) कोल इंडिया लि. के वार्षिक कार्यवाई योजना लक्ष्य के अनुसार धुले और सीधे फीड किए जाने वाले कोयले के लिए इस्पात संयंत्रों की मांग (दुर्गापुर कोक ओवन संयंत्र सहित) और वर्ष 1999-2000 के दौरान किए गए प्रेषण का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(आंकड़े 000 टन में)

वर्ष	वार्षिक कार्यवाही योजना लक्ष्य	वास्तविक प्रेषण
1999-2000	7550	6441

(ग) कोककर कोयले की मांग और उत्पादन के बीच अंतराल है। देश में कोककर कोयला भंडारों के स्वरुप और अपर्याप्त भंडार व उत्पादन क्षमता के कारण इस अंतराल को भरने की केवल सीमित संभावना है।

किंतु धुले कोयले के प्रेषणों में सुधार लाने के लिए, केडला (सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.) और मधुबन (भारत कोकिंग कोल लि.) में हाल ही में दो वाशरियों को शुरू किया गया था। सरकार ने कोककर कोयले पर आयात शुल्क भी कम कर दिया है, ताकि देशी कोयले के साथ मिश्रण किए जाने के लिए इस्पात क्षेत्र अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोककर कोयले का आयात कर सके।

तमिलनाडु में स्टॉक एक्सचेंज

6167. श्री तिरूनावक्करसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु के मदुरई में स्टॉक एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सेबी ने सूचित किया है कि तमिलनाडु में मदुरई में स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के संबंध में कोई आवेदन उनके पास लम्बित नहीं है।

आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत ऋण

6168. श्री रघुनाथ झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत ऋण संबंधी सभी आवेदन पत्रों का निपटान एक पखवाड़े के भीतर करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है और बड़ी संख्या में ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र अभी भी लंबित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार कितने ऋण आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) लम्बित आवेदनों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत राज्यवार विशेषरूप से बिहार और कर्नाटक में कितना ऋण संवितरित किया गया; और

(च) इन ऋणों को वापस लौटाने की समय-सीमा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां: भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनुदेश दिए हैं कि वे समेकित ग्रामीण विकास योजना (आई.आर.डी.पी.) ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े के भीतर मंजूर करें। बैंक सामान्यत: निर्धारित समय का पालन करते हैं। तथापि, कई कारणों से देरी हो सकती है जैसे अपेक्षित दस्तावेजों का प्रस्तुत न किया जाना, वर्ष की अंतिम तिमाही में आवेदन पत्रों का इकट्ठा होना आदि।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राज्यवार लंबित ऋण आवेदन पत्रों की संख्या तथा उनके निपटान किए जाने की समय-सीमा से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) बिहार तथा कर्नाटक समेत आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान संवितरित किए गए ऋणों की राशि के राज्यवार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(च) उधारकर्ता द्वारा अपनाए गए कार्यों के आधार पर आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत वापसी अदायगी की अवधि 5 से 10 वर्षों के बीच हो सकती है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि जहां कहीं भी आवश्यक हो उचित अधिस्थगन प्रदान किया जाना चाहिए।

विवरण

आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान संवितरित किए गए ऋणों की राशि के राज्यवार विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	29088.27	27072.69	23157.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	614.60	829.36	788.34

1	2	3	4	5
3.	असम	3160.32	6651.26	7871.27
4.	बिहार	34625.37	33781.31	38243.75
5.	गोवा	272.07	223.43	167.66
6.	गुजरात	7369.74	8267.46	8266.60
7.	हरियाणा	3335.39	2463.52	4116.55
8.	हिमाचल प्रदेश	1779.11	1558.10	2429.63
9.	जम्मू व कश्मीर	1231.28	1904.60	2265.17
10.	कर्नाटक	16287.33	14691.67	14470.36
11.	केरल	9231.00	9417.76	9376.77
12.	मध्य प्रदेश	33113.08	32448.55	31544.46
13.	महाराष्ट्र	26870.43	28233.31	31853.17
14.	मणिपुर	503.73	304.88	188.19
15.	मेघालय	698.43	595.63	536.17
16.	मिजोरम	274.68	248.83	250.01
17.	नागालैंड	440.76	156.16	509.97
18.	उड़ीसा	16823.79	16254.46	20159.01
19.	पंजाब	1667.86	1476.00	2441.72
20.	राजस्थान	17226.15	17168.14	19835.87
21.	सिक्किम	288.17	339.29	383.36
22.	तमिलनाडु	18293.71	23782.03	22351.36
23.	त्रिपुरा	2324.75	1306.37	2846.15
24.	उत्तर प्रदेश	68461.88	68467.42	78354.65
25.	पश्चिम बंगाल	14027.83	12258.74	10744.92
26.	अ. व नि. द्वीप समूह	67.17	77.96	67.40
27.	दादर व नागर हवेली	36.23	38.74	20.88
28.	दमन और द्वीव	32.29	32.86	20.33
29.	लक्षद्वीप	6.04	6.77	5.75
30.	पांडिचेरी	143.37	131.61	133.75
	अखिल भारत	308294.83	309688.81	333400.19

चाय बागानों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

6169. डा. जसवंत सिंह यादव :
श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चाय बागानों में 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके फलस्वरूप घरेलू चाय उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या भारतीय भूमि के विदेशी स्वामित्व संबंधी विभिन्न मुद्दों का समाधान किया जाना शेष है; और

(ङ) यदि हां, तो इनका कब तक समाधान कर लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

6170. श्री मानसिंह पटेल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उद्योग स्थापित किए जाने के लिए अब तक कितने विदेशी प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) इसका संयुक्त सहयोग-वार ब्यौरा यदि कोई है, क्या है और संबंधित देशों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) राज्यवार कुल कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या देश में इन उद्योगों की स्थापना से सम्भावित परिणामों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ङ) अगस्त, 1991 से जनवरी 2000 तक की अवधि के दौरान कुल, 10,382 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं। इनमें से 8216 संयुक्त सहयोग हैं जिनमें 1,33,888.56 करोड़ रुपये की राशि के निवेश आशय अन्तर्ग्रस्त हैं। राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। देश-वार अलग-अलग ब्यौरे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक एस.आई.ए. न्यूजलैटर में दिये गये हैं जिन्हें संसद पुस्तकालय सहित विस्तृत रूप से परिचालित किया जाता है।

विवरण

अगस्त, 1991 से जनवरी, 2000 के दौरान अनुमोदित विदेशी सहयोग तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे

राज्य	अनुमोदनों की संख्या			अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि (करोड़ रुपये)	कुल का प्रतिशत
	कुल	तकनीकी	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	711	197	514	8763.88	4.16
असम	17	13	4	1.50	0.00
बिहार	111	65	46	831.67	0.39

1	2	3	4	5	6
गुजरात	859	432	427	11092.32	5.27
हरियाणा	650	251	399	2938.92	1.40
हिमाचल प्रदेश	85	51	34	360.61	0.17
जम्मू और कश्मीर	5	3	2	8.41	0.00
कर्नाटक	1254	367	887	15978.83	7.59
केरल	170	51	119	811.75	0.39
मध्य प्रदेश	238	94	144	9491.52	4.51
महाराष्ट्र	2527	889	1638	28919.41	13.73
मणिपुर	1	0	1	3.19	0.00
मेघालय	4	0	4	52.96	0.03
नागालैंड	2	1	1	3.68	0.00
उड़ीसा	128	48	80	7986.74	3.79
पंजाब	157	51	106	1933.72	0.92
राजस्थान	276	93	183	2443.71	1.16
तमिलनाडु	1496	462	1034	14122.64	6.70
त्रिपुरा	2	1	1	0.68	0.00
उत्तर प्रदेश	648	254	394	3767.87	1.79
पश्चिम बंगाल	461	166	295	7687.80	3.65
अण्डमान तथा निकोबार	7	0	7	13.79	0.01
अरुणाचल प्रदेश	2	0	2	11.05	0.01
चंडीगढ़	25	3	22	140.03	0.07
दादरा तथा नागर हवेली	65	42	23	123.94	0.06
दिल्ली	1066	129	937	30338.99	14.40
गोवा	132	51	81	502.36	0.24
लक्षद्वीप	1	0	1	0.50	0.00
पाण्डिचेरी	81	33	48	393.73	0.19
दमन तथा दीव	33	14	19	42.59	0.02
अन्य (वे राज्य जो दर्शाये नहीं गये)	5405	2476	2929	61880.80	29.38
कुल	16619	6237	10382	210649.60	

[अनुवाद]

हथकरघा क्षेत्र से वस्त्र उत्पादन

6171. श्री रामजी लाल सुमन :
श्री सुकदेव पासवान :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुल वस्त्र उत्पादन में हथकरघा उद्योग की भागीदारी लगभग 20 प्रतिशत है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का क्या आंकलन है;

(ग) क्या हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत लोगों की प्रतिशतता वस्त्र उद्योग मिलों और विद्युत करघा क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की प्रतिशतता की अपेक्षा अधिक है;

(घ) यदि नहीं, तो मिलों विद्युत करघा और हथकरघा क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की अलग-अलग प्रतिशतता क्या है;

(घ) क्या हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन की प्रतिशतता बढ़ाने की संभावनाएं सुनिश्चित की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो किस हद तक यह वृद्धि की जा सकती है और इस प्रयोजनार्थ सरकार की क्या योजना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, हां। भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से हथकरघा उद्योग हेतु विकासात्मक तथा कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत विद्यमान वित्तीय सहायता द्वारा हथकरघा उत्पादन का प्रतिशत बढ़ाने का प्रयत्न किया है। इन स्कीमों में प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम, कार्यशाला-सह-आवास स्कीम, मिल गेट कीमत स्कीम आदि शामिल है।

अमरीका के साथ व्यापार समझौते

6172. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही की अमरीकी राष्ट्रपति यात्रा के दौरान किये गये व्यापार समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश के व्यापार संतुलन में इनके किस प्रकार मदद करने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए भारत और सं. राज्य अमरीका एक भारत-अमरीकी वाणिज्य वार्ता तंत्र स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं और इसके विचारार्थ विषयों पर दिनांक 23.3.2000 को हस्ताक्षर किए गए थे। इन व्यवस्था का उद्देश्य है (क) व्यापार को सुविधाजनक बनाना (ख) व्यापक आर्थिक क्षेत्र में निवेश अवसरों को अधिकतम करना, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, बुनियादी सुविधाएं, जैव प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र शामिल हैं। व्यापार संतुलन अभी तक भारत के पक्ष में है।

[हिन्दी]

राजस्थान में एन.टी.सी. की रुग्ण मिलें

6173. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में, विशेषत: राजस्थान में एन.टी.सी. की मिलों को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में जनता और श्रमिक संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ब्यावर की दो मिलों का करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में योजना का ब्यौरा क्या है और क्या संबंधित श्रमिक संघों को विश्वास में लिया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सिक्की एम. रामचन्द्रन): (क) सरकार ने ऐसे किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राजस्थान में मिलों का पुनरूद्धार करने के बारे में श्रमिक संघ से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) और (च) एडवर्ड मिल्स, ब्यावर को महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर के साथ मिलाने का एक प्रस्ताव था। तथापि, संबंधित राज्य सरकार की अनुमति न मिलने और बी.आई.एफ.आर. द्वारा आधुनिकीकरण योजना का अनुमोदन न करने के कारण मिलों की बेशी भूमि/परिसम्पत्तियां न बेचे जा सकने के कारण इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

पात्र/गैर-पात्र वस्तुओं/सेवाओं पर राज सहायता

6174. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पात्र और गैर-पात्र वस्तुओं और सेवाओं को उन पर राज-सहायता उपलब्ध करने की दृष्टि से कोई पहचान कराई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी की वस्तुओं के नाम क्या-क्या हैं और उनके चयन का आधार क्या है;

(ग) उक्त वस्तुओं और सेवाओं पर राज्यों और केन्द्र सरकार द्वारा वस्तुवार कितनी-कितनी राज सहायता दी जाएगी; और

(घ) इन वस्तुओं और सेवाओं पर राज्य और केन्द्रीय राज-सहायता समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) अन्य बातों के साथ-साथ सभी तरह की सब्सिडी (राज-सहायता) अर्थात् व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों के ढांचे का पुनरीक्षण करने, उन्हें जारी रखने के आर्थिक औचित्य की जांच करने और राजसहायताओं को सुस्पष्ट बनाने और न्यूनतम लागत पर लक्षित जनसंख्या पर उनका प्रभाव अधिक से अधिक बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक व्यय सुधार आयोग का गठन किया गया है। आयोग विभागीय और वाणिज्यिक कम्पनियों के प्रयोक्ता प्रभारों के ढांचे का पुनरीक्षण भी करेगा और लागत वसूली हेतु प्रयोक्ता प्रभारों के माध्यम से एक कारगर नीति का सुझाव देगा।

भारतीय स्टेट बैंक के आवश्यकता से अधिक कर्मचारी

6175. श्रीमती रीना चौधरी :
श्री भीम दाहाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक में कर्मचारियों की कितनी संख्या थी;

(ख) क्या भारतीय स्टेट बैंक में आवश्यकता से अधिक स्टाफ है;

(ग) यदि हां, तो इसकी अनुमानित संख्या कितनी है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक प्रस्तावित बीमा क्षेत्र में अपने अतिरिक्त स्टाफ को पुन: तैनात करने पर विचार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके नियम और शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) के अनुसार दिनांक 31.12.99 की स्थिति के अनुसार उनके कर्मचारियों की संख्या 2,34,667 है।

(ख) इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक में विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। प्रारम्भ में एस.बी.आई. अपने कम्प्युटरीकृत शाखाओं (जिसकी इस समय कुल संख्या 2115 है) में स्टाफ स्वरूप तथा कारोबार के स्तर पर विचार कर रहा है।

(ग) अध्ययन की समाप्ति पर अधिशेष स्टाफ की पहचान की जाएगी।

(घ) एस.बी.आई. के अनुसार, विनियामक प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रस्तावित बीमा अध्याय शुरू की जायेगी। उचित समय आने पर एस.बी.आई. बीमा कारोबार में अपने स्टाफ को लगाने की सम्भावना की जांच करेगा।

(ङ) उपरोक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

"स्पेशल इम्पोर्ट लाइसेंसिंग योजना"

6176. श्री भीम दाहाल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्पेशल इम्पोर्ट लाइसेंस (एस.आई.एल.) योजना को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एस.आई.एल. के अन्तर्गत स्वीकृत की गई मदें अब ओपन जेनरल लाइसेंस (ओ.जी.एल.) योजना के अन्तर्गत रख दी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) किसी वस्तु के आयात पर से प्रतिबंध को पूरी तरह हटाने से पहले एक मध्यवर्ती कदम के रूप में विशेष आयात लाइसेंस स्कीम बनाई गई थी। दिनांक 31.3.2001 तक आयातों पर से सभी मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने की भारत की वचनबद्धता को देखते हुए, यह स्कीम अब अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। अत:, विशेष आयात लाइसेंस स्कीम को दिनांक 1.4.2001 से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

685 टैरिफ लाइनों में से जिन्हें एस.आई.एल. पर आयात करने की अनुमति प्रदान की गई थी, 481 लाइनों को 31.3.2000 से मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। तथापि, दिनांक 31.3.2000 से 24 अन्य टैरिफ लाइनों को एस.आई.एल. श्रेणी में रखा गया है। ये मदें इस स्कीम के जारी रहने तक एस.आई.एल. श्रेणी में ही रहेंगी।

नवरत्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए मार्ग निर्देश

6177. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "नवरत्न" सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक-मण्डल के लिए कोई मार्गनिदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) जी, हां। दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि अधिकारों के बढ़े हुए प्रत्यायोजन का प्रयोग करने से पहले प्रथम उपाय के रूप में गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल करके सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों के निदेशक मण्डल का पुनर्गठन किया जाए तथा सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम को सर्व प्रथम दोष रहित प्रतिष्ठा तथा पृष्ठ भूमि वाले कम से कम 4 गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक शामिल करने चाहिएं। छह महीने के भीतर गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों की संख्या बढ़ाकर निदेशक मण्डल की कुल संख्या का कम से कम 1/3 की जाए। दिशा निर्देशों में इन कम्पनियों में गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के चयन के लिए एक खोज समिति गठित करने का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें अध्यक्ष (लोक उद्यम चयन मण्डल), सचिव (लोक उद्यम विभाग), प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिव तथा उद्योग मंत्री द्वारा नामित प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं। खोज समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम चयन प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा। गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के लिए किसी विशेष सतर्कता निकासी की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकारी लिमिटेड कम्पनियों के लिए लागू निदेशकों की अहर्ताओं/अनाहर्ताओं से सम्बन्धित कम्पनी अधिनियम की शर्तें इन मामलों में भी लागू होंगी।

मसाले की खेती

6178. श्री पी.सी. थामस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए मसालों की खेती को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इलायची, कालीमिर्च, अदरख, लौंग और जायफल के विशेष संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मसालों के प्रसंस्करण उद्योग लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) जी, हां। काली मिर्च, अदरक, लौंग तथा जायफल सहित देश में उत्पादित मसालों के उत्पादन, उत्पादकता तथा गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से मसालों के विकास के लिए देश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित एकीकृत कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 8वीं योजना में क्रियान्वित इस कार्यक्रम को 9वीं योजना के दौरान जारी रखा गया है जिसमें वस्तुओं की वर्तमान विकास आवश्यकताओं

को पूरा करने के लिए विभिन्न घटकों को शामिल करते हुए प्रचालन का अधिक विस्तृत क्षेत्र रखा गया है। मसालों की खेती को बढ़ावा देने वाले कदमों में सामान्यत: ये शामिल हैं:-

(1) आई.सी.ए.आर. तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत नर्सरी केन्द्रों में अधिक उपज वाली किस्मों की अत्यंत महत्वपूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन करना।

(2) राज्य सरकार के फार्मों से संबद्ध नर्सरी केन्द्रों में अधिक उपज वाली किस्मों की रोपण सामग्री का बड़े स्तर पर गुणन करके आबंटन करना।

(3) एकीकृत कीटनाशी अपनाना एवं रोग प्रबंधन करना।

(4) स्थिर विकास हेतु एकीकृत पौष्टिक प्रबंधन सहित प्रक्रियाओं के उन्नत पैकेज को अपनाना।

(5) प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के माध्यम से उत्पाद की कटाई के बाद वैज्ञानिक हैंडलिंग।

मसाला बोर्ड द्वारा इलायची के विकास हेतु उठाए गए कदमों में विशेष रूप से शामिल है:- रोपण सामग्री का उत्पादन, इलायची के जीर्ण बागों का पुनर्रोपण, इलायची में सिंचाई तथा भूमि विकास और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना।

निर्यातों के संबंध में, सामान्य व्यापार नीति सुधारों के अतिरिक्त मसालों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में शामिल हैं विदेशी बाजार में मसालों के निर्यातों को कीमत प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इनके निर्यात पर 0.5 प्रतिशत की दर से उपकर को युक्तिसंगत बनाना; ''लोगो संवर्धन'' जैसी ब्रांड संवर्धन योजनाओं को कार्यान्वित करना, गुणवत्ता उत्पादों के प्रसंस्करणकर्त्ता/निर्यातक को मान्यता देने के रूप में ''मसाला गृह प्रमाण पत्र'' देना, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रक्रिया उन्नयन और उत्पाद विकास सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की जांच हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना करना।

(ग) और (घ) निजी उद्यमों को मसाला प्रसंस्करण सहित खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों में पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। मसाला प्रसंस्करण संबंधी किसी प्रस्ताव की लाभ प्रदता की पुष्टि हो जाने पर उसके लिए सहायता, यदि कोई हो, प्रदान की जाती है।

एफ.डी.आई.

6179. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार व्यापार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) स्वत: अनुमोदन मार्ग के जरिये व्यापार के लिए 51% तक की विदेशी निवेश की अनुमति है जो इस शर्त के अध्यधीन होती है कि संबंधित उपक्रम एक ऐसा निर्यात-गृह होना चाहिए जो लागू निर्यात तथा आयात नीति के उपबंधों के अधीन पंजीकृत हो। व्यापार के मामले में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी जाती है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) निर्यात;

(2) निर्यात/गैर-बन्धक (एक्सबांडेड) वेयर हाउस बिक्रियों के साथ प्रपुंज आयात;

(3) नकद लेन-देन संबंधी थोक व्यापार;

(4) वस्तुओं अथवा सेवाओं का अन्य आयात बशर्ते कि वह कम से कम 75% एक ही समूह की कंपनियों में वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति और बिक्री के लिए हो और अन्य पक्ष के उपयोग अथवा आगे अंतरण/वितरण/बिक्री इत्यादि के लिए न हो।

(ग) से (ङ) सरकार को खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने के विरोध में अनेक क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान नीति के तहत, खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करने की अनुमति नहीं है।

कार-विनिर्माताओं को लाइसेंस

6180. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कार के विनिर्माण के लिए जारी किए गए लाइसेंस का उनकी उत्पादन-क्षमता सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार के पास कार-विनिर्माण का लाइसेंस प्राप्त करने संबंधी लंबित आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार विनिर्माण लाइसेंसों को जारी करने के पूर्व पेट्रोल/डीजल की आवश्यकताओं का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का भविष्य में पेट्रोल की मांग को किस प्रकार पूरा करने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) कार विनिर्माण लाइसेंस मुक्त है और इसलिए इसके लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। तथापि, लाइसेंसमुक्त मदों की मौजूदा औद्योगिक नीति के अनुसार, विनिर्माणकारी कंपनी को लाइसेंसमुक्त मदों के लिए एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) दायर करना होता है, जिसके लिए एक पावती जारी की जाती है और किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। हल्के-कार्य-उपयोगिता-वाहनों, स्टेशन वैगनों और रेसिंग कारों सहित मोटर कारों के विनिर्माण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान दायर किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों के ब्यौरे और उनकी उत्पादन क्षमता निम्न प्रकार है:-

	1997-98	1998-99	1999-2000
दायर किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन	5	2	1
प्रस्तावित उत्पादन क्षमता (संख्या में)	9,00,000	1,60,000	10,000

(ग) से (ङ) पर्याप्त तेलशोधन क्षमता का सृजन कर लिया गया है तथा देश में पैट्रोल व डीजल की प्रक्षिप्त (प्रोजक्टेड) मांग को पूरा करने के लिए और क्षमता का सृजन करने की योजना बनाई गई है। वर्तमान में इंडियन रिफाइनरियों से पैट्रोल की आपूर्ति मांग की तुलना में 25% से 30% तक अधिक है। इसी प्रकार डीजल का स्वदेशी उत्पादन इसकी मांग से कुछ अधिक है।

मेट्रो चैनल का निजीकरण

6181. श्रीमती कैलाशो देवी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन मेट्रो-चैनल को नान-प्राइम स्लाट, अर्थात 7.00 बजे सायं से 9.00 बजे रात्रि के दौरान निजी क्षेत्र को देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कदम के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मेट्रो चैनल घाटे में चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी नहीं, तथापि, कार्यक्रमों को जुटाने की पद्धति में परिवर्तन प्रभावित हो रहा है।

पहले 13 से 260 तक की सीमा के प्रकरणों की विनिर्दिष्ट संख्या के साथ निर्धारित प्रसारण शुल्कों के आधार पर खास निर्माताओं की स्लाटों का प्रस्ताव किया जा रहा था। तथापि, अब अधिकतम राजस्व का अर्जन करने के उद्देश्य से दिनांक 1.8.2000 से एक वर्ष की अवधि अर्थात् 365 दिन के लिए सम्भावित निर्माताओं/निर्माण कम्पनियों की बोलियों के जरिए स्लाटों का प्रस्ताव किया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय प्रसारक होने के नाते प्रसार भारती को लाभ कमाने के आधार पर नहीं चलाया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कॉफी पर आयात शुल्क

6182. श्री के. मुरलीधरन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कॉफी पर आयात शुल्क बढ़ाने का है;

(ख) क्या सरकार को कॉफी उत्पाद को संकट की स्थिति से उबारने के लिए कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का नेफेड के माध्यम से काफी की खरीद करने और उपभोक्ता देशों को निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारत सरकार, घनी खेती, पुनर्रोपण कार्यक्रमों, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों तथा जल संवर्धन कार्यक्रमों के उद्देश्य से कई योजना स्कीमों और विकास क्रियाकलापों के प्रचालन के अलावा कॉफी बोर्ड के माध्यम से कृषि अनुसंधान, विस्तारण, ऋण एवं वित्तपोषण के प्रबंध के रूप में आवश्यक सहायता और रोपण के उद्देश्य से बीज की आपूर्ति आदि जैसी अन्य आवश्यक सहायता भी प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, सरकारी कॉफी सहित सभी मदों की कीमत स्थिति पर निगरानी भी रखती है और आवश्यक होने पर समुचित कदम उठाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आई.डी.बी.आई. के कर्मचारियों को वेतन

6183. डा. संजय पासवान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं अर्थात् आयात निर्यात बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ.सी.आई.) और भारतीय औद्योगिक और निवेश बैंक (आई.आई.बी.आई.) के कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन भत्ते और अन्य लाभ भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के कर्मचारियों के समान होते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन सभी संस्थाओं में भारतीय रिजर्व बैंक की तर्ज पर ही पेंशन योजना शुरू की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या आई.डी.बी.आई. की प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों के वेतन में कम से कम दुगुनी वृद्धि करने का निर्णय लिया है और आई.डी.बी.आई. कर्मचारियों के वेतन ढांचे को भारतीय रिजर्व बैंक से अलग करने हेतु स्वीकृति के लिए उनके मंत्रालय के बैंकिंग अनुभाग से सम्पर्क किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस मुद्दे पर सरकार का दृष्टिकोण क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते तथा अन्य लाभों का निर्धारण, अधिकारी एसोसिएशन/कर्मकार यूनियनों के साथ बैंक प्रबंधन का नेतृत्व करने वाले भारतीय बैंक संघ के समझौते/निपटाए के अनुसरण में किया जाता है। भारतीय निर्यात आयात बैंक भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू होने वाले वेतन एवं भत्तों का मोटे तौर पर अनुसरण करता है। नाबार्ड, आई.डी.बी.आई., यू.टी.आई. तथा आई.आई.बी.आई. जैसे वित्तीय संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्राह्य वेतन एवं भत्तों के तरीकों का अनुसरण करती हैं। चूंकि आई.एफ.सी.आई. कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, अत: इसके स्टाफ को दिए जा रहे वेतन, भत्ते तथा अन्य लाभ उनके निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तथा वे इस समय सामान्यत: आई.डी.बी.आई. के अनुरुप हैं।

(ग) अंशदायी भविष्य निधि के स्थान पर सरकार की पेंशन योजना के अनुरूप सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में पेंशन योजना शुरू की गई है। (भारतीय स्टेट बैंक के अलावा जहां कि पेंशन योजना पहले से ही जारी है)। तथापि, नाबार्ड तथा आई.डी.बी.आई. में यह पेंशन योजना भारतीय रिजर्व बैंक में विद्यमान पेंशन योजना के अनुरूप है। आई.एफ.सी.आई. लि. के मामले में पेंशन योजना के बारे में निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा लिया गया था। एक्जिम बैंक तथा आई.आई.बी.आई. लि. में पेंशन योजना अभी भी लागू होनी है।

(घ) से (च) सरकार को आई.डी.बी.आई. से उनके जून, 1996 से संप्रेषण के माध्यम से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें उस समय आई.सी.आई.सी.आई. में व्याप्त पैकेज के आधार पर उसके अधिकारियों को संशोधित वेतन ढांचे को देने का उल्लेख था। मामले की जांच की गई और यह अनुभव किया गया कि यह वांछनीय नहीं होगा कि सरकार के स्वामित्व वाली किसी एक वित्तीय संस्था के लिए उच्च वेतन पैकेज पर विचार किया जाए क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं/बैंकों पर भी हो सकती है।

पश्चिम बंगाल में परिवहन सब्सिडी

6184. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में परिवहन सब्सिडी संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) परिवहन सब्सिडी योजना के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में इस योजना की प्रगति से संतुष्ट है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जुलाई, 1971 में आरंभ की गयी परिवहन राजसहायता योजना पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के लिए लागू थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के अतिरिक्त इस योजना की वैधता 31.3.2000 को समाप्त हो चुकी है।

(ख) और (ग) इस योजना को राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा संचालित किया जाता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य से एक औद्योगिक एकक के संबंध में 79.70 लाख रुपये की प्रतिपूरक राशि का दावा प्राप्त हुआ था और यह राशि राज्य सरकार को जारी कर दी गयी थी।

(घ) और (ङ) राज्यों में औद्योगिक विकास संबंधित राज्य सरकारों की ही जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार उनके प्रयासों में राजकोषीय और अन्य छूटें प्रदान करके सहायता करती है। पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में औद्योगिकीकरण के संवर्धन हेतु परिवहन राजसहायता ऐसे ही प्रोत्साहन में से एक थी।

बंगलौर प्रदर्शनी परिसर

6185. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंगलौर में "वाईट फील्ड" के निकट प्रस्तावित बंगलौर प्रदर्शनी परिसर की आधारशिला कब रखी गई थी;

(ख) प्रस्तावित परिसर भवन की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) बंगलौर में प्रस्तावित बंगलौर प्रदर्शनी परिसर की आधारशिला 8 जुलाई, 1999 को रखी गई थी।

(ख) और (ग) प्रस्तावित परियोजना (प्रदर्शनी हाल एवं संबंधित सुविधाएं) के लिए अनुमानित लागत 12 करोड़ रुपए है। भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए अभी तक इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन को 2 करोड़ रुपए की राशि जारी की है।

(घ) इस परियोजना के वित्तीय वर्ष 2001-2002 के भीतर पूरा हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

रुग्ण औद्योगिक एककों को ऋण

6186. प्रो. दुखा भगत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में रुग्ण उद्योगों में अन्तर्ग्रस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य सरकारी वित्तीय संस्थानों की राशि का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विगत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान रुग्ण उद्योगों के मामलों के निपटान के बाद बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को अपनी ऋण राशि वापस मिल गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उन्हें ऋण के भुगतान के रूप में वर्षवार कितनी राशि प्राप्त हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

द्विपक्षीय व्यापार संबंध

6187. श्री अनंत गुढे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के विकास और संवर्धन के लिए 1999-2000 के दौरान कई व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भारत आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे प्रत्येक दौरे का राज्यवार क्या परिणाम रहा;

(ग) क्या इसी तरह इतने भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडलों ने भी द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने और उसे मजबूत करने के लिए मित्र देशों का दौरा किया; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान विश्व के कई मित्र देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई और नई रणनीति अपनाई गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ग) जी हां, द्विपक्षीय व्यापार संबंध और आर्थिक सहयोग के विकास एवं संवर्द्धन के उद्देश्य से वर्ष 1999-2000 के दौरान अनेक व्यापार शिष्टमंडलों ने भारत का दौरा किया और इसी प्रकार भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडलों ने अनेक मित्र देशों का दौरा किया।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(घ) सभी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुधारने के उद्देश्य से संयुक्त आयोगों, उप-समूहों, कार्य-दलों की बैठकें तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों एवं मेलों का आयोजन नियमित आधार पर किया जाता है ताकि व्यापार संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श हो सके। प्रारंभिक स्तर पर समस्याओं को समझने के लिए व्यापार शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान भी कार्य नीति का एक हिस्सा रहा है। व्यापार संबंधी पूछताछ तथा अन्य जानकारी, जो कि दोनों ही पक्षों के व्यापारी वर्ग के लिए मददगार होती है, के बारे में भी संबद्ध देश में हमारे मिशन के प्रतिनिधियों की मदद से उचित ध्यान दिया जाता है। भारत सरकार व्यापार में सुधार तथा विस्तार के लिए कार्यरत है जो कि एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

देश का नाम	भारत में व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का दौरा	ब्यौरे
1	2	3
पोलैंड	दिनांक 28 अप्रैल, 1999 को पोलैंड के आर्थिक उप-मंत्री ने दौरा किया।	व्यापार एवं आर्थिक मुद्दों पर द्विपक्षीय सहायता देने से संबंधित मामले पर विचार-विमर्श किया गया।
रोमानिया	दिनांक 15-16 नवंबर, 1999 को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने भारत का दौरा किया।	भारत-रोमानिया संयुक्त आयोग की 14वीं सत्र की बैठक आयोजित की गई।
नेपाल	दिनांक 10-12 दिसंबर, 1999 को वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया।	भारत-नेपाल अंतर सरकारी समिति की बैठक आयोजित की गई।
रूस	माह जनवरी, 2000 में रूस के उप-स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया।	भेषज संबंधी कार्यकारी समूह की चौथी बैठक आयोजित हुई। द्विपक्षीय सहायता पर एक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए गए।
	माह जनवरी, 2000 में रूस के उप व्यापार मंत्री की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया।	व्यापार एवं आर्थिक सहायता संबंधी कार्यकारी समूह की 6ठीं बैठक आयोजित हुई। द्विपक्षीय सहायता पर एक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए गए।

1	2	3
	रूसी परिसंघ के तुला क्षेत्र के राज्यपाल ने मार्च, 2000 में भारत का दौरा किया।	द्विपक्षीय व्यापार का संवर्धन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पी.एच.डी. चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज फॉर कोओपरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
तुर्कमेनिस्तान एवं ईरान	जनवरी-फरवरी, 2000 के महीने में तुर्कमेनिस्तान एवं ईरान से एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया	भारत, ईरान एवं तुर्कमेनिस्तान के बीच वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय पारगमन पर त्रिपक्षीय करार के तत्वावधान के तहत संयुक्त समिति की बैठक हुई।
नीदरलैंड	जनवरी, 2000 में विदेश व्यापार मंत्री ने भारत का दौरा किया।	द्विपक्षीय व्यापार के संवर्धन हेतु
यू.के.	जनवरी, 2000 में ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ने भारत का दौरा किया।	द्विपक्षीय व्यापार के संवर्धन हेतु।
यूरोपीय आयोग	अप्रैल, 1999 में यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष एवं व्यापार आयोग ने भारत का दौरा किया।	द्विपक्षीय व्यापार के संवर्धन हेतु और बहुपक्षीय व्यापार मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु।
	मार्च, 2000 में यूरोपीय आयोग के व्यापार आयुक्त ने भारत का दौरा किया।	द्विपक्षीय व्यापार के संवर्धन हेतु और बहुपक्षीय व्यापार मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु।
स्विटजरलैंड	फरवरी, 2000 में स्विस फेडरेशन ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष के साथ मिलकर स्विस अर्थव्यवस्था के मंत्री ने भारत का दौरा किया।	द्विपक्षीय व्यापार के संवर्धन हेतु।
क्यूबा	नवम्बर, 1999 में क्यूबा के विदेशी मामलों के उप मंत्री ने भारत का दौरा किया।	विदेशी कार्यालय स्तर की वार्त्ताएं।
उरूग्वे	दिसम्बर, 1999 में उरूग्वे के उप राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया।	"उरूग्वे और मरकोशर" पर हुए एक सेमिनार में शामिल हुए।
यू.एस.ए.	22-27 मार्च, 2000 में यू.एस. राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया।	द्विपक्षीय व्यापार के संवर्धन के लिए भारत और यू.एस.ए., भारत-यू.एस.ए. वाणिज्यिक वार्ताएं करने पर सहमत हुए और विचारार्थ विषयों पर दिनांक 23.3.2000 को हस्ताक्षर किए गए थे।

देश का नाम	विदेशों में भारतीय प्रतिनिधिमंडलों का दौरा	ब्यौरे
1	2	3
रोमानिया	दिनांक 15 सितम्बर, 1999 को वाणिज्य मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकारिक एवं व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने रोमानिया का दौरा किया।	व्यापार संबंधी मुद्दों पर अंतर सत्रीय वार्ताओं में भाग लेने के लिए।
हंगरी	13 सितम्बर, 1999 को अपर सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकारी एवं व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने हंगरी का दौरा किया।	व्यापार संबंधी कार्यकारी समूह की बैठक।
थाइलैंड	19-21 सितम्बर, 1999 के बीच वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने बैंकाक का दौरा किया।	संयुक्त व्यापार समिति की नौवीं बैठक और संयुक्त व्यापार परिषद की तीसरी बैठक आयोजित हुई।
चीन और हांगकांग	फरवरी, 2000 में माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने चीन और हांगकांग का दौरा किया।	विशेष आर्थिक क्षेत्रों का दौरा किया और आर्थिक संबंधों एवं व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर भारत-चीन संयुक्त समूह का छठा सत्र आयोजित हुआ। डब्ल्यू.टी.ओ. में चीन के प्रवेश पर द्विपक्षी करार और धातु विज्ञान क्षेत्र में सहायता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
आस्ट्रिया	13-15 अक्तूबर, 1999 के दौरान अपर सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकारिक एवं व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने आस्ट्रिया का दौरा किया।	भारत-आस्ट्रिया संयुक्त आर्थिक आयोग के छठें सत्र में भाग लेने हेतु।
बेल्जियम	2-3 मार्च, 2000 के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने ब्रुसेल्स का दौरा किया।	व्यापार संवर्धन बैठक में भाग लेने हेतु।
ग्रीस	8-9 जुलाई, 1999 के दौरान वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल एथेंस गया।	भारत-यूनान संयुक्त आर्थिक आयोग के चौथे सत्र में भाग लेने के लिए।
यू.के.	5-7 जुलाई, 1999 के दौरान वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने लंदन का दौरा किया।	व्यापार नीति पर भारत-ब्रिटिश गोलमेज का आयोजन।
मिस्र	अप्रैल-मई, 1999 में संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने काहिरा का दौरा किया।	मिस्र के साथ समझौता करार को अंतिम रूप दिया गया।

1	2	3
यमन	जुलाई, 1999 में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल के साथ वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने साना का दौरा किया।	भारत-यमन संयुक्त समिति के तहत व्यापार संबंधी उप समिति ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधी उप-समिति ने द्विपक्षीय व्यापार एवं सहायता की समीक्षा की।
ईराक	जुलाई, 1999 में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल के साथ वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बगदाद का दौरा किया।	भारत-ईराक संयुक्त समिति के तहत व्यापार संबंधी उप समिति ने द्विपक्षीय व्यापार एवं सहायता की समीक्षा की।
रूस	माह जून, 1999 में आर.बी.आई. की अध्यक्षता में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मास्को का दौरा किया।	बैंकिंग एवं वित्तीय मामलों पर उप समूह की तीसरी बैठक। बैंकिंग क्षेत्र में सहायता के विस्तार के लिए और व्यापार में आने वाली वित्तीय बाधाओं का सुदृढ़ीकरण के लिए प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए गए।
	मार्च, 2000 में वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मास्को का दौरा किया।	तम्बाकू निर्यातकों के प्रतिनिधिमंडल ने निर्यात को बढ़ाने के लिए तरीके खोजे।
तंजानिया	26-29 अगस्त, 1999 के दौरान विधि, न्याय एवं कंपनी मामलों के मंत्री की अध्यक्षता में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने दार-ए-स्लाम का दौरा किया।	मेड इन इंडिया शो का उद्घाटन।
	14-16 जनवरी, 2000 के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ने दार-ए-स्लाम का दौरा किया।	द्विपक्षीय व्यापार में सुधार करने के लिए व्यापार मुद्दों पर विचार करने हेतु।
नाइजीरिया	इंडिया-टेक, 1999 के दौरान इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के सचिव की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने लागोस का दौरा किया।	भारत-टेक, 1999 में भाग लेने के लिए।
क्यूबा	अप्रैल, 1999 के दौरान वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने क्यूबा का दौरा किया।	भारत-क्यूबा संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने हेतु।
सूरीनाम	अप्रैल, 1999 के दौरान वाणिज्य मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने सूरीनाम का दौरा किया।	भारत-सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने हेतु।

[हिन्दी]

बिहार द्वारा (आकाश) को धोतियां खरीदने का आदेश

6188. श्री रामानन्द सिंह : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निगम और हथकरघा की शीर्षस्थ समितियों के संघ (आकाश) जो कि वस्त्र मंत्रालय की एक प्राधिकृत एजेंसी हैं, को बिहार सरकार से सभी राज्य हथकरघा एजेंसियों को बिहार के गरीब लोगों के लिए सस्ती दर पर कपड़े का उत्पादन करने हेतु आदेश जारी करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आकाश ने साड़ियों और धोतियों का 60 प्रतिशत स्टाक मध्य प्रदेश के बुनकरों से नहीं खरीदा है जिसके परिणामस्वरूप बुनकर एजेंसियों को भारी वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है और हजारों बुनकर बेरोजगार हो गये हैं; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार आकाश को मध्य प्रदेश के बुनकरों द्वारा उत्पादित साड़ियों और धोतियों के बाकी स्टाक खरीदने और राज्य के बुनकरों की बकाया राशि का भुगतान करने संबंधी निर्देश देने का है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) बिहार सरकार ने निगमों और हथकरघा की शीर्ष समितियों के संघ (आकाश) को 87.50 प्रति पीस की दर से 81,38,400 साड़ियों तथा 73.00 रुपये प्रति पीस की दर से 94,54,391 धोतियों के उत्पादन तथा आपूर्ति हेतु आदेश दिये थे। आकाश ने इन साड़ियों तथा धोतियों की आपूर्ति तथा उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के हथकरघा अभिकरणों को आदेश दिये थे।

(ग) मध्य प्रदेश में स्थित आपूर्ति करने वाले अभिकरणों को धोतियों तथा साड़ियों हेतु दिये गये आदेश की संख्या तथा उनको आपूर्ति की गई वास्तविक धोतियों तथा साड़ियां नीचे दर्शायी गई हैं:-

	दिये गये आदेश की मात्रा	आपूर्ति की गई मात्रा
मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लि.		
साड़ियां	1,16,2000	12,800
धोतियां	1,16,200	25,000
मध्य प्रदेश राज्य बुनकर सहकारी संघ		
साड़ियां	1,00,000	3,246
धोतियां	1,00,000	7,975

(घ) बिहार सरकार ने आदेश रद् कर दिये थे इस प्रकार आकाश द्वारा शेष स्टाक की खरीद का प्रश्न नहीं उठता है। बिहार सरकार से भुगतान प्राप्त होने पर ही मध्य प्रदेश के अभिकरणों को आकाश द्वारा बकाया का भुगतान किया जा सकता है।

[अनुवाद]

रबड़ का मूल्य

6189. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रबड़ के निर्यात और बिक्री की जिम्मेदारी कौन-कौन सी एजेंसियों पर है;

(ख) क्या रबड़ के मूल्यों में गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो रबड़ के गिरते मूल्यों पर रोक लगाने और रबड़ उत्पादक किसानों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) प्राकृतिक रबड़ का निर्यात एक्जिम नीति के तहत मुक्त है। कोई भी व्यक्ति, एजेंसी रबड़ बोर्ड से एक लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् रबड़ की बिक्री अथवा निपटान अथवा उसकी खरीद अथवा प्राप्ति कर सकता है।

(ख) और (ग) जी, हां। रबड़ उत्पादकों को लाभकारी कीमत सुनिश्चित कराने के लिए भारत सरकार ने एस.टी.सी. के जरिए सरकारी खाते से प्राकृतिक रबड़ की खरीद करने के लिए बाजार हस्तक्षेप किया है। अभी तक एस.टी.सी. ने 30,623 मी. टन प्राकृतिक रबड़ की खरीद की है। अग्रिम लाइसेंस धारकों द्वारा प्राकृतिक रबड़ का आयात भी फरवरी, 1999 में प्रतिबंधित है और एस.टी.सी. इस क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए खरीद करना जारी रखे हुए है।

आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू भण्डार

6190. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से तम्बाकू बाजार में खामियों के कारण न बिके अतिरिक्त तम्बाकू के भण्डारों को खपाने हेतु राज्य व्यापार निगम द्वारा बाजार में हस्तक्षेप सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां।

(ख) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एस.टी.सी.) को निर्देश दिया गया है कि वह अधिक आपूर्ति की स्थिति में तम्बाकू की कीमतों में उछाल लाने के लिए एक उपाय के रूप में आन्ध्र प्रदेश तम्बाकू नीलामियों में हस्तक्षेप करें।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुप्रयोज्य आस्तियों को कम दर्शाया जाना

6191. श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 मार्च, 2000 के ''इकोनोमिक टाइम्स'' में ''आर.बी.आई. पाइड्स आई.सी.आई.सी.आई. विंडो ड्रेस्ड एन.पी.एच.टू. जैक अपनेट बाय रुपीज 403 करोरस'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) अन्य सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के किन-किन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने अपनी अनुप्रयोज्य आस्तियां कम दर्शाई है; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उक्त समाचार भारतीय रिजर्व बैंक से आई.सी.आई.सी.आई. को भेजे गए पर्यवेक्षी पत्र से संबंधित है जो वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों के बारे में आई.सी.आई.सी.आई. के साथ चर्चा की गई और निरीक्षण रिपोर्ट में पाई गई कमियों के संबंध में आई.सी.आई.सी.आई. द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच की गई और उस पर आई.सी.आई.सी.आई. को उपयुक्त निर्देश जारी किए गए।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक वार्षिक आधार पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय निरीक्षण करता है। निरीक्षण रिपोर्ट में अनुपयोज्य आस्तियों (एन.पी.ए.) सहित विभिन्न पहलुओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का मूल्यांकन सम्मिलित है। निरीक्षण के निष्कर्षों के बारे में संस्था के मुख्य कार्यपालक के साथ चर्चा की जाती है। निरीक्षण रिपोर्ट को संस्था के निदेशक मंडल के समक्ष भी रखा जाता है और संस्था द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक संस्था से तब तक उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहता है कि जब तक कि विसंगतियों में भारतीय रिजर्व बैंक की संतुष्टि तक सुधार न आ जाए।

विनिवेश के कारण बेरोजगारी

6192. श्री जार्ज ईडन :
श्रीमती मिनाती सेन :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर प्रतियोगिता हेतु खोलने के बाद अभी तक कितने भारतीय उद्योग बेचे गए/विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों/विदेशों कंपनियों को स्थानान्तरित किए गए;

(ख) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से बेरोजगारी पर पड़े प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) वर्ष 1991-92 के पश्चात्, जबकि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश की प्रक्रिया आरम्भ की गई थी, सरकार ने विनिवेश प्रक्रिया के भाग के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के शेयरों की ही बिक्री की है। विनिवेश आयोग द्वारा परीक्षित 58 कंपनियों में से केवल माडर्न फूड इंडस्ट्रीज के मामले में 74 प्रतिशत शेयर हिन्दुस्तान लीवर लि. को बेचे गए हैं।

(ख) ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है। तथापि, सरकारी नीति में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया है कि सभी मामलों में कामगारों के हितों की रक्षा की जाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निजी बैंकों को लाइसेंस

6193. श्री चिंतामन वनगा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी/विदेशी बैंकों को लाइसेंस मंजूर करने के कुछ प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के पास लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये लाइसेंस कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंक स्थापित करने के लिए 11 आवेदन लंबित हैं। ये आवेदन 1993 के मार्गनिर्देशों के आधार पर किए गए थे। गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंक स्थापित करने के लिए लंबित आवेदन पत्रों पर संशोधित मार्गनिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् विचार किया जाएगा। इसके अलावा, एक विदेशी बैंक की शाखा स्थापित किए जाने का आवेदन पत्र, उस देश के विनियामकों की अनुमति के लिए लंबित है। इन लंबित 12 आवेदनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

लंबित आवेदनों की श्रेणी-वार सूची

क्र.सं.	आवेदन का नाम और तारीख	प्रस्तावित बैंक का मुख्यालय
1	2	3
(1) बड़े उद्योग/औद्योगिक घराने		
1.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. 19.11.1993	अहमदाबाद या गांधीनगर
2.	इस्पात फाइनेंस लि. 17.1.1994	पुणे या विशाखापत्तनम
3.	कपारो ग्रुप, लंदन (श्री स्वराज पाल) 29.6.1994	नई दिल्ली
4.	बिरला ग्रोथ फंड लि. 12.8.1994	भुवनेश्वर
5.	श्री दत्ताराज सालगांवकर (सालगांवकर ग्रुप) 11.10.1994	सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र
6.	रुचि सोया इंडस्ट्रीज लि. 24.2.1995	भोपाल
(2) वित्त कंपनियां		
1.	एपल इंडस्ट्रीज लि. 7.7.1994	भुवनेश्वर
2.	हाथवे इंवेस्टमेंट प्रा.लि. 16.2.1995	नासिक, महाराष्ट्र
(3) व्यक्ति		
1.	श्री जियाउल्ला शरीफ 30.1.1995	कोयम्बटूर, तमिलनाडु
2.	अशोक कपूर 5.2.1998 (राबो बैंक-टेक्नीकल कोलेबोरेटर)	शिमला-उ.प्र. को लखनऊ, उ.प्र. में परिवर्तित कर दिया गया
(4) अन्य		
1.	एक्जिम बैंक 21.1.1993	अंतिम रूप नहीं दिया गया
(5) विदेशी बैंकों द्वारा शाखा खोलने के लिए किया गया अनुरोध		
1.	हट्टन नेशनल बैंक,	श्री लंका

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण सुविधा

6194. डा. बलिराम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जिले-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या अधिकांश बैंकों द्वारा कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए दिए जाने वाले ऋण में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उत्तर प्रदेश में कार्यरत शाखाओं की जिला-वार संख्या अनुबंध में दी गई है।

(ख) और (ग) वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान उत्तर प्रदेश में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि, लघु उद्योग तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों के लिए वार्षिक ऋण योजनाओं के तहत ऋण संवितरण निम्नलिखित तरीके से बढ़ाया गया है:-

(करोड़ रु. में)

क्षेत्र	1996-97	1997-98	1998-99
कृषि	2452.73	2540.73	3261.81
लघु उद्योग क्षेत्र	952.80	961.91	1248.11
सेवाएं	742.87	741.71	975.99
योग	4148.40	4244.35	5485.91

विवरण

क्र.सं.	जिला	शाखाएं
1	2	3
1.	आगरा	189
2.	अलीगढ़	122
3.	इलाहाबाद	206
4.	अलमोड़ा	62
5.	अम्बेडकर नगर	36
6.	आजमगढ़	107
7.	बहरैच	66
8.	बलिया	55
9.	बांदा	38
10.	बाराबंकी	41
11.	बरेली	116
12.	बस्ती	73
13.	भदोही	33
14.	बिजनौर	93
15.	बदायूं	63
16.	बुलंदशहर	146
17.	चमोली	35
18.	देहरादून	147
19.	देवरिया	55
20.	एटा	52
21.	इटावा	62
22.	फैजाबाद	53
23.	फर्रूखाबाद	49
24.	फतेहपुर	52
25.	फिरोजाबाद	51
26.	गढ़वाल	65
27.	गाजियादबाद	247
28.	गाजीपुर	75
29.	गोंडा	105
30.	गोरखपुर	123
31.	हमीरपुर	27
32.	हरदोई	73
33.	हरिद्वार	91
34.	जालौन	45
35.	जौनपुर	92
36.	झांसी	77
37.	कानपुर सिटी	298
38.	कानपुर देहात	46
39.	लखीमपुर खीरी	35
40.	ललितपुर	23
41.	लखनऊ	297
42.	महाराजगंज	42

1	2	3
43.	महोबा	16
44.	मैनपुरी	28
45.	मथुरा	144
46.	मऊ	42
47.	मेरठ	248
48.	मिर्जापुर	59
49.	मोरादाबाद	126
50.	मुजफ्फरनगर	157
51.	नैनीताल	52
52.	पदरौना	43
53.	पीलीभीत	58
54.	पिथौरागढ़	35
55.	प्रतापगढ़	58
56.	रायबरेली	57
57.	रामपुर	59
58.	सहारनपुर	143
59.	शाहजहांपुर	84
60.	सिद्धार्थनगर	46
61.	सीतापुर	51
62.	सोनभद्र	53
63.	सुलतानपुर	48
64.	टिहरी गढ़वाल	49
65.	उधम सिंह नगर	69
66.	उन्नाव	68
67.	उत्तर काशी	23
68.	वाराणसी	176
	कुल योग	5793

[अनुवाद]

असम के साथ समझौता ज्ञापन

6195. श्री अब्दुल हमीद :
श्रीमती रानी नरह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वित्तीय प्रबंधन के लिए असम सरकार के साथ कोई समझौता ज्ञापन तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौता ज्ञापन की पद्धतियां क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) दिनांक 20.3.1999 को केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की उप समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर, राज्यों के राजकोषीय सुधार कार्यक्रमों के मानीटरन और समीक्षा के लिए एक सरकारी समिति का गठन किया गया था। अनेक राज्यों द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान शुरू की गई राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया राजकोपीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए एक विश्वसनीय और प्रचालन योग्य कार्यक्रम के निर्माण और कार्यान्वयन पर जोर देती है। असम राज्य सरकार ने सरकारी समिति के परामर्श से अपना भी एक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम चला रखा है। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक सुधार/ मितव्ययिता उपायों, सरकार में जन शक्ति को तर्कसंगत बनाना, कर और गैर-कर सुधार, व्यय सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार और परिवहन क्षेत्र आदि में सुधार शामिल हैं। सरकारी समिति ने वर्ष 1999-2000 के दौरान, असम राज्य सरकार को उसके राजकोषीय सुधार कार्यक्रम लागू करने के क्रम में मध्यम अवधिक सहायता के रूप में 300 करोड़ रुपए की विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम सहायता देने की मंजूरी दी थी।

रामगिरि स्वर्ण खान के लिए राहत उपाय

6196. श्री बी. वेंकटेस्वरलु : क्या **खान और खनिज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश की रामगिरि स्वर्ण खान की मजदूर संघ ने केन्द्र सरकार से खानों को बंद होने से बचाने के लिए रायल्टी के भुगतान की छूट जैसे कुछ राहत उपाय करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) आंध्र प्रदेश के स्वर्ण खान के मजदूरों के पुनर्वास के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) रामगिरि गोल्ड माइंस वर्कर्स यूनियन, आंध्र प्रदेश ने भारत गोल्ड माइंस लि. (बी.जी.एम.एल.) द्वारा आंध्र प्रदेश में खनित स्वर्ण अयस्क पर लगने वाली रायल्टी को राज्य सरकार द्वारा छोड़ने और बी.जी.एम.एल. द्वारा उपयोग की गई बिजली के लिए आर्थिक सहायता देने का अनुरोध करते हुए जून, 1998 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक अभ्यावेदन दिया था। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को सलाह दी थी कि इन मामलों का निपटान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना है।

(ग) चूंकि, संयुक्त उद्यम रूट के मार्फत सहित, अन्य प्रयासों से बी.जी.एम.एल. के पुनर्वास के प्रयत्न सफल नहीं हुए, अत: सरकार ने महसूस किया कि कम्पनी का पुनर्वास व्यवहार्य नहीं होगा। सरकार ने औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को सूचित किया कि कम्पनी को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (सीका) के प्रावधानों के तहत बंद करने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होगी और सरकार, 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार, कम्पनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों को भारी उद्योग विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अनुमोदित स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना (वी.आर.एस.) के आधार पर पृथक्करण योजना के लाभ देने के लिए तैयार है। सरकार ने, दिसम्बर, 1999 में, पहले ही बी.जी.एम.एल. के उन सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) के लाभ देने की पेशकश कर दी है जो 31.3.2000 तक इसका विकल्प चुनेंगे।

मराठवाड़ा क्षेत्र की परियोजनाएं

6197. श्री शिवाजी विट्ठलराव कांबले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में अनेक चालू परियोजनाओं का कार्य निर्धारित अवधि से कहीं पीछे रह गया है और यह क्षेत्र के पूर्व की भांति पुन: इलेक्ट्रानिक मीडिया अवसंरचना की दृष्टि से उपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के संबंध में परियोजनावार ब्यौरा क्या है साथ ही इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) 2000-2001 के दौरान क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक मीडिया नेटवर्क का विस्तारित करने/मजबूत करने के लिए अंतिम रूप से तय कार्य योजना का ब्यौरा क्या है साथ ही इस संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस क्षेत्र को रेडियो सेवा के द्वारा पूर्ण रूप से कवर किया गया है। टेलीविजन कवरेज के लिए, क्षेत्र में लगभग 96.5% लोगों को टीवी कवरेज मुहैया करते हुए 14 ट्रांसमीटर (2 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 10 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और एक ट्रान्सपोजर कार्यरत हैं जो 87.9% के राष्ट्रीय औसत से अच्छा है। क्षेत्र में मौजूदा कवरेज, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं और पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए नए रेडियो केन्द्रों/टीवी कार्यक्रमों की योजना बनायी जाती है। तथापि, विस्तार योजना को अन्तिम रूप देते समय जन-प्रतिनिधियों और क्षेत्र में कार्यरत अन्य निकायों से प्राप्त अनुरोधों पर विधिवत रूप से विचार किया जाता है। इस समय, क्षेत्र में कोई नया रेडियो केन्द्र या टीवी ट्रांसमीटर स्थापित करने को कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का राष्ट्रीय परिसंघ

6198. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के राष्ट्रीय परिसंघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह अपने बैंकों द्वारा सरकारी उपक्रमों/सरकारी विभागों को जारी डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर स्वीकार करें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के राष्ट्रीय परिसंघ ने सहकारी ऋण एवं बैंकिंग संस्थाओं संबंधी कार्यदल की अपनी रिपोर्ट में सहकारी बैंकों के कार्यसंचालन एवं उनके द्वारा सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं से संबंधित विभिन्न सिफारिशें/सुझाव दिए हैं, जिनमें इन बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी विभागों के लिए जारी मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेशों को स्वीकार करने का अनुरोध शामिल है। सरकार ने रिपोर्ट की प्रति,

उसमें दिये गये विभिन्न सुझावों सहित, विचारार्थ उस कृतिक बल (टास्क फोर्स) को भेज दी है, जिसका गठन देश में सहकारी बैंकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया गया था।

निर्यात संवर्धन परिषद्

6199. श्रीमती निवेदिता माने : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने रुपये का निर्यात किया गया है;

(ख) निर्यात की किस वस्तु की मात्रा में वृद्धि हुई और अधिक मूल्य लिया;

(ग) क्या निर्यात संवर्धन परिषद् को पिछले तीन वर्षों के दौरान अपनी लक्ष्य-प्राप्ति में सफलता मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.) कलकत्ता, के अनुमान के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान रुपये में निर्यात मूल्य इस प्रकार रहा:-

वर्ष	निर्यात मूल्य (करोड़ रुपए में)
1997-98	130101
1998-99	139753
1999-2000	162738 (अनंतिम)

(ख) पिछले तीन वर्षों में निर्यात की प्रमुख मदों में मात्रा और मूल्य दोनों में परिवर्ती वृद्धि प्रदर्शित हुई है। अप्रैल-दिसम्बर, 1999-2000 की अवधि के लिए डी.जी.सी.आई.एण्डएस. कलकत्ता, द्वारा उपलब्ध कराए गए अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार निर्यात की जिन प्रमुख मदों में मूल्य के रूप में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है उनमें शामिल हैं : समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, रसायन एवं संबद्ध उत्पाद, इंजीनियरी सामान, इलैक्ट्रॉनिक सामान, वस्त्र, हस्तशिल्प एवं कालीन इत्यादि। मूल्य एवं मात्रा के विवरण डी.जी.सी.आई. एण्ड एस. कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारतीय विदेश व्यापार सांख्यिकी के नवीनतम अंक में दिए गए हैं, जिसकी प्रतियां, संसद सौंध पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात संवर्द्धन परिषदें सरकार और निर्यातकों के बीच आमने-सामने की वार्ताओं के जरिए और निर्यातक सदस्यों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराकर निर्यात के अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रखे हुए हैं।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद

6200. श्री अरूण कुमार :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व वर्ष की अपेक्षा वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का ब्यौरा क्या है;

(ग) वृद्धि दर में गिरावट के पीछे मुख्य कारण क्या है; और

(घ) उक्त वर्षों के दौरान सर्विस क्षेत्र, उद्योग और कृषि के क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) वर्ष 1998-99 में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1999-2000 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में 5.9 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 1999-2000 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में गिरावट मुख्यतया कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में हुई गिरावट के कारण है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन में उपलब्ध सूचना के आधार पर 1993-94 के मूल्यों पर उपादान लागत पर वार्षिक समूची और

क्षेत्रगत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशत में	
	1998-99 (त्व.)	1999-2000 (अ.)
क्षेत्र		
1. कृषि	7.2	0.8
2. उद्योग	4.0	6.9
3. सेवा	8.3	8.2
4. कुल सकल घरेलू उत्पाद	6.8	5.9

टिप्पणी : त्व: त्वरित अनुमान अ. : अग्रिम अनुमान

1. इसमें कृषि, वानिकी और मत्स्य शामिल हैं।
2. इसमें खनन और उत्खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस और जलापूर्ति तथा निर्माण शमिल हैं।
3. इसमें व्यापार, होटल, परिवहन और संचार, वित्तीय सेवाएं, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

बैंकों का विलय

6201. श्री ए. कृष्णमनैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को चार मुख्य बैंकों में विलय करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितना लाभ होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दूरदर्शन निर्माता

6202. श्री राजेश वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन निर्माताओं को एक बार से अधिक उनके कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्थिति में सुधार लाने के लिए तथ्य अन्वेषक कृतिक बल गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) कमीशन्ड कार्यक्रमों के सभी अधिकार दूरदर्शन के पास हैं और उनके प्रसारण हेतु निर्माताओं को किसी प्रकार का भुगतान करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तथापि, निर्माता को अनुबंध के अनुसार कार्यक्रमों के निर्माण हेतु भुगतान किया जाता है। प्रायोजित कार्यक्रमों के मामले में, कार्यक्रम प्रायोजित करने वाली एजेन्सी दूरदर्शन को प्रसारण शुल्क का भुगतान करती है तथा दूरदर्शन द्वारा निर्माताओं को कोई भुगतान नहीं किया जाता है। रॉयल्टी वाले कार्यक्रमों के मामले में, निर्माता या अधिकार धारक को प्रत्येक प्रसारण के लिए कार्यक्रमों की विषय-वस्तु पर उनके अधिकारों हेतु मुआवजे के रूप में भुगतान किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के लिए तंत्र

6203. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के लिए विनियामक तंत्र की जिम्मेदारी से स्वयं को मुक्त कर रहा है और बल्कि यह जिम्मेदारी इन संस्थानों के आत्म-अनुशासन पर छोड़ दी है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप कुछ धनाड्य (कैशरिच) कम्पनियां कमर्शियल पेपर बिजनेस के मामले में घोर उल्लंघन कर रही हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने निरीक्षण के दौरान यह पाया कि अनेक धनाड्य (कैशरिच) कम्पनियों द्वारा जारी किये गए कमर्शियल पेपर्स में पूरे ब्यौरे नहीं दिये गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक का उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार है जिसके बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जायेगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनका यह अनुभव है कि वाणिज्यिक पत्र जारी करके संसाधन जुटाने का कार्य केवल कुछेक धनाढ्य कंपनियों द्वारा ही किया जाता है। ये आमतौर पर बैंकों और कंपनियों द्वारा अभिदत्त होती है और जनता की जमाराशियों की श्रेणी में नहीं आती है और इस प्रकार जमाराशियां स्वीकार करने संबंधी निदेशों से परे है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

जीवन बीमा निगम अभिकर्त्ता

6204. **श्री शिवाजी माने :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री बसवगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल):
श्री राममोहन गाड्डे :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने भारतीय जीवन बीमा निगम को अपने छः लाख से अधिक अभिकर्ता बल को पुनर्गठित करने के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने अभिकर्ताओं को नए नियमों का पालन करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अभिकर्ताओं के लिए निर्धारित नए मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(च) अभिकर्ता बल के नवीनीकरण के परिणामस्वरूप भारतीय जीवन बीमा निगम के कारोबार में कितना संवर्धन होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एजेंटों से संबंधित ऐसे प्रतिमान विनियमों को विनिर्दिष्ट करेगा जिसका अनुसरण सभी जीवन बीमाकर्ताओं और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाना होगा। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एजेंटों से संबंधित विनियमों के मसौदे पर विचार-विमर्श किया था। उन्होंने जीवन बीमा निगम से यह भी अनुरोध किया है कि जब भी एजेंटों से संबंधित नए विनियम प्रभावी हों, उनके समनुरूप ही अपने भर्ती कार्यक्रम की व्यवस्था करें।

(ग) से (च) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि जहां तक अर्हता और व्यावहारिक प्रशिक्षण का संबंध है, एजेंटों से संबंधित विनियमों के नए प्रावधानों द्वारा विद्यमान एजेंटों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की जाने वाली आचार संहिता के संबंध में प्रावधान उन पर लागू होंगे। जीवन बीमा निगम महसूस करता है कि जब भी बीमा क्षेत्र को अन्य कम्पनियों के लिए खोला जाएगा तो इससे बाजार का भी विस्तार होगा और निगम का व्यवसाय भी अपनी गति बनाए रखेगा।

नया पेटेंट कानून

6205. **श्री बीर सिंह महतो : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विश्व व्यापार संगठन के तहत टी.आर.आई.पी. समझौते के अनुसार सन् 2005 तक उत्पाद पेटेंट व्यवस्था में शामिल होने के उद्देश्य से दिसम्बर, 2000 तक संसद में नया पेटेंट कानून प्रस्तुत करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) पर करार के अन्तर्गत 1.1.2000 से प्रभावी भारत के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति करने के लिए पेटेंट अधिनियम, 1970 को संशोधित करने के लिए एक विधेयक नामत: पेटेंट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 20.12.1999 को राज्य सभा में

पेश किया गया था, उक्त विधेयक इस समय संसद की संयुक्त समिति के विचाराधीन है।

ट्रिप्स करार के अन्तर्गत उपलब्ध संक्रमण अवधि के अनुसार, भारत के पास 31.12.2000 तक प्रौद्योगिकी के अब तक असंरक्षित क्षेत्रों में उत्पाद पेटेंट संरक्षण लागू करने का समय है।

टायर उद्योग

6206. डा. सी. कृष्णन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में रबड़ के भारी उत्पादन के मद्देनजर वहां एक टायर निर्माण कंपनी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रबड़ आधारित टायर उद्योग की स्थापना करने के लिए भारत सरकार से कोई अनुमति अथवा लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है। 1 अगस्त, 1991 से 31 जनवरी, 2000 तक औद्योगिक सहायता सचिवालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में टायर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन के रूप में कन्याकुमारी जिले के लिए रबड़ काष्ठ विनिर्माण हेतु एक प्रस्ताव तथा शल्य चिकित्सा के वास्ते दस्तानों के विनिर्माण के लिए अन्य प्रस्ताव सहित विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली विभिन्न उद्योगों को स्थापित करने हेतु 24 प्रस्ताव दर्ज किये गये हैं।

केरल में निवेश

6207. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में पिछले कुछ वर्षों से केन्द्रीय क्षेत्र द्वारा निवेश में निरन्तर गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा केरल को वितरित की गई सहायता राशि में भी पिछले कई वर्षों से गिरावट आई है;

(घ) क्या केरल में प्रति व्यक्ति राज्य योजना परिव्यय भी राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के अनुसार सकल एकमुश्त के रूप में केरल राज्य में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में निवेश की मात्रा 31.3.1996, 31.3.1997 तथा 31.3.1998 को क्रमश: 3390.02 करोड़ रुपए, 3991.76 करोड़ रुपए और 4715.80 करोड़ रुपए थी।

(ग) भारत में विकास बैंकिंग की 1997-98 की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा केरल राज्य में वितरित की गई सहायता 1995-96 में 354.3 करोड़ रुपए से बढ़कर 1996-97 में 617.5 करोड़ रुपए हो गई थी, लेकिन 1997-98 में यह घटकर 542.7 करोड़ रुपए रह गई।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। 1991 की जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए केरल में प्रतिव्यक्ति अनुमोदित योजना परिव्यय राष्ट्रीय औसत से उच्चतर था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

(रुपए में)

	1997-98	1998-99	1999-2000
केरल	981.77	1067.06	1120.33
बाकी राज्य एवं संघ शासित प्रदेश	757.08	953.86	1048.70

असम को धनराशि

6208. श्रीमती रानी नरह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत असम के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई, और वर्ष 1999-2000 के दौरान शुक्ल आयोग की सिफारिशों और पूर्वोत्तर परिषद के अलग-अलग शीर्षों के अंतर्गत करों में, सहायता अनुदान में प्रधान मंत्री के विशेष आर्थिक पैकेज में, राज्यों का कितना हिस्सा था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): वर्ष 1999-2000 के दौरान विभिन्न शीर्षों के तहत् असम सरकार को आबंटित तथा जारी की गई निधियों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1999-2000 के दौरान विभिन्न मदों के तहत् आबंटित तथा जारी की गई निधियों को दिखाने वाला एक विवरण

(करोड़ रुपए में)

	मद	आबंटित	राशि
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	1149.85	1090.64
2.	बाह्य पोषित परियोजनाएं	166.77	41.19
3.	आधारभूत न्यूनतम सेवाएं	183.53	183.53
4.	स्लम विकास योजना	3.12	2.81
5.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	25.00	14.54
6.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	7.20	7.20
7.	पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम	50.90	50.90
8.	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	16.50	16.50
9.	संसाधनों का न समाप्त होने वाला (नॉन लैप्लेबल) केन्द्रीय पूल (राज्य योजना)	37.35	37.35
10.	रेल यात्री किराया अनुदान के बदले में करों सहित, केन्द्रीय करों में हिस्सा	1453.98	1453.98
11.	आपदा राहत कोष	43.37	43.37
12.	दसवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुदान		
	(1) स्थानीय निकाय	36.89	–
	(2) स्तरोन्नयन अनुदान	36.71	22.27
	(3) विशेष समस्याएं	15.00	–
13.	पूर्वोत्तर परिषद शीर्ष	19.37	19.37

[हिन्दी]

चीनी का आयात

6209. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चीनी का आयात होता है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से चीनी का आयात होता है; और

(ग) इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां। चीनी मुक्त आयात सूची में है।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान इसका निम्नलिखित देशों से आयात किया गया था:-

आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चीन ताइपेई, चीन जनवादी गणराज्य, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, मैक्सिको, नेपाल, नीदरलैंड, पाकिस्तान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, थाइलैंड, यू.ए.ई. तथा यू.के.।

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान चीनी पर कुल 1111.22 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च हुई।

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम में फिल्मों को सेंसर किये जाने में विलम्ब

6210. श्री वी.एस. शिवकुमार : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम में क्षेत्रीय फिल्मों को सेंसर कराये जाने में हो रहे विलम्ब की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय सेंसर बोर्ड में और अधिक सदस्य नामांकित करने का है ताकि त्रिवेन्द्रम में फिल्मों के सेंसर किये जाने में हो रहे विलम्ब को दूर किया जा सके: और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) त्रिवेन्द्रम स्थित केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय आवेदनपत्र प्राप्त होने की तारीख से सात दिन के अन्दर फिल्मों को सामान्यत: प्रमाणित कर देता है जिनके आवेदन पत्र सभी तरह पूरे हों/ प्रमाणपत्र जारी करने में विलम्ब, यदि कोई होता है तो आवेदक द्वारा सेंसर एवं फिल्म की मास्टर वीडियो प्रति प्रस्तुत करने जैसी प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी न करने पर ही होता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

"सेबी" द्वारा निवेशक एसोसिएशन को दी गई धनराशि

6211. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "सेबी" द्वारा निवेशक एसोसिएशन को 1997-98 और 1998-99 के दौरान दी गई सहायता/अनुदान राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निवेशक एसोसिएशनों को दी गई वित्तीय सहायता का एक्सचेंज-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) सेबी ने सूचित किया है कि इसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई निवेशक एसोसिएशनों को सेबी द्वारा वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान प्रतिपूरित की गई राशियां क्रमश: 36,375.85 रुपए तथा शून्य हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निराश्रित हथकरघा बुनकर योजना के तहत आवंटित निधि

6212. श्री विक्रम केशरी देव : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने निराश्रित हथकरघा बुनकर योजना के तहत राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी सहायता दी;

(ख) इस योजना के तहत लाभान्वित बुनकर सहकारी समितियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार स्वास्थ्य पैकेज योजना के तहत बुनकर वर्ग की सेवा हेतु डिसपेंसरियां और अस्पताल खोल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बुनकरों के लिए आवास योजना का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एम. रामचन्द्रन): (क) और (ख) निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी स्कीम 1 अप्रैल, 1997 को समाप्त कर दी गई है और इसे प्रोजेक्ट पैकेज के साथ मिला दिया गया था। इसके बाद बुनकर सहकारी समितियों/राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि पूर्व में स्वीकृत प्रस्तावों के लिए दूसरी तथा अंतिम किस्त के रूप में निधियां जारी की गई है। पिछले 3 वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत राज्यवार सहायता नीचे दी गई है:-

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	–	26.50
2.	गुजरात	–	–	0.70
3.	हिमाचल प्रदेश	2.22	–	–
4.	केरल	12.85	–	–
5.	कर्नाटक	–	2.50	–
6.	नागालैंड	5.00	–	–
7.	उड़ीसा	–	72.50	–
8.	पंजाब	–	–	0.50
9.	तमिलनाडु	33.80	–	–
10.	त्रिपुरा	–	2.50	–
11.	उत्तर प्रदेश	1.00	–	–
12.	पश्चिम बंगाल	–	9.00	–
	कुल	54.87	86.50	27.70

(ग) और (घ) स्वास्थ्य पैकेज स्कीम के अंतर्गत डिस्पेंसरियों तथा हस्पताल खोलने का कोई प्रावधान नहीं है, यद्यपि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ) कार्यशाला-सह-आवास स्कीम बुनकरों की उत्पादकता जीवन में सुधार और आय में वृद्धि करने के लिए उन्हें आवास तथा एक उपयुक्त कार्यशाला मुहैया कराने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण कार्यशाला के लिए क्रमश: 7000 रुपये तथा शहरी कार्यशाला के लिए 10000 रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण कार्यशाला-सह-आवास के लिए 18000 रुपये तथा शहरी कार्यशाला-सह-आवास के लिए 20,00 रुपये प्रति इकाई सहायता दी जाती है।

एम्प्लायी स्टॉक ओप्शन प्लान्स (ई.एस.ओ.पीज.) का कार्यान्वयन

6213. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) ने कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (इ.एस.ओ.पीज.) के कराधान संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया है जिसमें यह कल्पना की गई है कि ओप्शन की बिक्री के समय कर देयता को दो भागों- अनुलाभ और पूंजी लाभ में बांटते हुए आयकर लगाया जाए;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले पर कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) जी हां।

(ख) इस मामले पर सरकार द्वारा विधिवत् विचार किया गया है।

(ग) संसद के इस सत्र में पेश किए गए वित्त विधेयक, 2000 पर सरकार के संशोधनों के जरिए सरकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है।

भारतीय सीमेंट निगम का निजीकरण

6214. श्री टी. गोविन्दन : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

[?](क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय सीमेंट निगम (सी.सी.आई.) की कुछ इकाइयों का निजीकरण करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) चूंकि, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सी.सी.आई.) लगातार हानि उठाती रही है, इसलिए सरकार ने कुछ यूनिटों को बेचने की संभावना सहित सुधार के कई उपायों पर विचार किया है। तद्नुसार, एक यूनिट अर्थात् येरागुंटला (विस्तार के साथ) को ओपेने टेन्डर के आधार पर वर्ष 1997 के दौरान एक निजी पार्टी को बेच दिया गया था। इसके अलावा, तीन अजैव्य यूनिटों अर्थात् अकलतारा, मंढार और चरखी दादरी की बिक्री के लिए विश्वव्यापी (ग्लोबल) निविदाएं आमंत्रित की गई है। सी.सी.आई., सीका (सीका) के प्रावधानों के तहत अप्रैल 1996 से बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित है। इसलिए, कम्पनी के पुनरूद्धार के संबंध में यूनिटों का निजीकरण करना अब बी.आई.एफ.आर. के आदेशों पर निर्भर करता है। येरागुंटला यूनिट की बिक्री तथा तीन अजैव्य यूनिटों की प्रस्तावित बिक्री में बी.आई.एफ.आर. की सहमति है।

व्यापार मेले

6215. श्री कृष्णमराजू : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत तथा विदेशों में प्रायोजित तथा आयोजित राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिष्ठान, कर्मचारियों एवं प्रगति मैदान के रख-रखाव पर कितना व्यय हुआ;

(ग) चालू वर्ष के दौरान आई.टी.पी.ओ. द्वारा व्यापार मेलों के आयोजन से कितनी आय होने की संभावना है;

(घ) क्या आई.टी.पी.ओ. ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में विभिन्न पार्टियों को संवर्धन से भिन्न अन्य प्रयोजनों हेतु कुछ स्थान स्थाई तौर पर पट्टे पर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो पार्टी-वार दिए गए क्षेत्र का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक इकाई किराया कितना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत में आयोजित मेले

वर्ष	राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय	कुल
1997-98	7	9	16
1998-99	8	9	17
1999-2000	8	10	18

विदेश में आयोजित मेले

वर्ष	राष्ट्रीय सहभागिता	आईटीपीओ द्वारा आयोजित अनन्य प्रदर्शनियां	कुल
1997-98	46	5	51
1998-99	45	3	48
1999-2000	50	1	51

व्यय का विवरण निम्न प्रकार है

वर्ष	विदेशी कार्यालयों को छोड़कर स्थापना लागत	(रु. करोड़ में प्रगति मैदान कम्पलैक्स का रख-रखाव
1997-98	21.94	7.75
1998-99	28.08	6.38
1999-2000	28.38	9.11

वर्ष 2000-2001 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल आय निम्न प्रकार होने की संभावना है:

(1) विदेशी मेलों से आय	29.83
(2) आईटीपीओ द्वारा भारत में आयोजित मेले से आय	28.98
(3) प्रगति मैदान में अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित मेलों से आय	36.00

आईटीपीओ द्वारा स्थायी रूप से लीज पर दिए गए स्थान का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	संगठन का नाम	आवंटित क्षेत्र	संगठन के उद्देश्य
1.	मानव संसाधन मंत्रालय, संस्कृति विभाग के अधीन राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र	700 वर्ग मीटर	केन्द्र ने बच्चों में प्रतिभा विकसित करने तथा वयस्क आगंतुकों में वैज्ञानिक मन:स्थिति उजागर करने के लिए संग्रहालय स्थपित किया है।
2.	वस्त्र मंत्रालय के अधीन शिल्प संग्रहालय	3945 वर्ग मी.	संग्रहालय भारत के विभिन्न भागों में शिल्प को बढ़ावा दे रहा है तथा ग्रामीण कलाकारों तथा निपुण शिल्पियों को उनके उत्पादों के प्रदर्शन का अवसर प्रदान कर रहा है।

दोनों संगठन आईटीपीओ को कोई किराया नहीं देते हैं तथा मामला संबंधित मंत्रालयों के साथ उठाया गया है।

कॉफी का उत्पादन और निर्यात

6216. श्री रमेश चेन्नितला ; क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितने क्षेत्र में कॉफी की खेती होती है;

(ख) कॉफी की प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है;

(ग) क्या कॉफी दूसरे देशों को निर्यात की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी कॉफी का निर्यात हुआ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) देश में कॉफी बागान के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 3,29,238 हेक्टेयर का है जिसकी औसत उत्पादकता 877 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लगभग है।

(ग) और (घ) भारतीय कॉफी का निर्यात 40 से अधिक देशों को किया जाता है। कुछ देश हैं-इटली, जर्मनी, रूसी परिसंघ, यू.एस.ए., बेल्जियम, स्पेन, स्लोवेनिया, नीदरलैंड, पोलैंड और जापान। पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रमश: 1,79,054; 2,11,623 और 2,18,269 टन मात्रा का निर्यात किया गया।

[हिन्दी]

मधुबन कोयला धोवनशाला में आग

6217. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोयला धोवनशालाओं में आग की कोई घटना हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आग की घटना के क्या कारण हैं;

(ग) इस घटना के कारण कितना नुकसान हुआ;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या प्रारम्भिक आकलन के आधार पर मधुबन कोयला धोवनशाला ने मार्च, 1995 से कार्य करना शुरू कर दिया था लेकिन इस कोयला धोवनशाला का निर्माण निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जा सका; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) गत 3 वर्षों के दौरान भा.को.को.लि. की कोयला वाशरियों में आग लगने की दो घटनाएं घटीं। आग लगने के कारण और ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(1) दिनांक 6.5.98 को भोजुडीह वाशरी में बिजली नियंत्रण कक्ष के स्टार्टर बोर्ड में आग लगने की एक छोटी घटना घटी। स्टार्टर बोर्ड के नियंत्रण पैनल में हुए शार्ट सर्किट के कारण आग लगी।

(2) मधुबन वाशरी में दिनांक 10.12.98 को रात 10.30 बजे के बाद मुख्य कोयला फीड कन्वेयरों (902 ए और बी) में आग लग गई। इस आग के परिणामस्वरूप 902 ए और बी बेल्ट कन्वेयर पूरी तरह से जल गए और कन्वेयर ढांचे का मुख्य भाग गिर पड़ा। आग के मामलों की जांच के लिए गठित एक समिति ने पाया कि आग लगने की घटना का सर्वाधिक संभावित कारण गर्मी का उत्पन्न होना था, जो रॉसरों के जाम होने से रॉलर और कन्वेयर बेल्ट के बीच उत्पन्न हुए घर्षण के कारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कोयले के चूर्ण में आग लग गई।

(ग) मधुबन वाशरी में 166 लाख रु. की हानि का अनुमान लगाया गया है, जिसमें सिविल, ढांचागत मैकेनिकल और बिजली के उपकरण सहित ढांचे अंतरग्रस्त हैं। भोजूडीह वाशरी में व्यावहारिक रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा मधुबन वाशरी में 245 दिनों के लिए और भोजूडी वाशरी में 1-1/2 दिनों के लिए उत्पादन की हानि हुई।

(घ) और (ङ) मधुबन वाशरी में हुई दुर्घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति ने उल्लेख किया कि आग लगने का सर्वाधिक संभावित कारण कन्वेयर ढांचे में जमा कोयले के चूर्ण में आग लगना है। आइडलर और कन्वेयर बेल्टिंक के बीच भारी मात्रा में जमा कोयले के चूर्ण से आग, जो घूमते बेल्टों और आइडलरों के बीच पैदा हुए घर्षण के कारण उत्पन्न हुई होगी, लगी होगी। कोयला चूर्ण में लगी आग निश्चित रूप से कन्वेयर के नीचे फैली होगी। बेल्टिंग के रोके जाने के बाद कोयला चूर्ण, जिसमें पहले से ही आग लगी हुई थी, से बेल्टिंग में आग लग गई होगी। गर्मी के कारण इस्पात का सारा ढांचा भार से झुक गया होगा और कन्वेयर ढांचा घोड़ी सहित गिर पड़ा होगा। दो कन्वेयर बेल्टिंग के जलने से आग और फैल गई होगी। समिति ने इस घटना के लिए सात अधिकारियों को जिम्मेदार पाया। इन सभी सात अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।

समिति ने ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए निम्नलिखित उपचारी उपायों के भी सुझाव दिए हैं:

(1) मशीनों और उसके आस-पास की भली-भांति सफाई।

(2) सफाई से संबंधित रिकार्डों का रख-रखाव।

(3) पानी के फुहारों से धूल दबाया जाना।

(4) धूल निकासी प्रणाली की स्थापना।

(5) उन स्थलों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना, जहां तेल रिसने की संभावना है।

(6) छलकने से बचाने के लिए स्कर्ट बोर्डों को स्थापित करना।

(7) आग का पता लगाने के उपकरणों की स्थापना।

(8) अग्नि शमन यंत्र की स्थापना।

(9) संयंत्र में आंतरिक अग्नि शमन प्रणाली और अग्नि टेंडर का अनुरक्षण।

(10) अग्नि रोधी बेल्टिंग का उपयोग।

(11) सफाई की अवधि को दर्शाने वाले साइनबोर्डों का प्रदर्शन।

(12) उपयुक्त विलोपन।

(13) समूचे वाशरी संगठन के लिए सुगठित संस्थागत चार्ट।

(च) और (छ) मैसर्स माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लि. को टर्न की आधार पर मधुबन वाशरी के निर्माण कार्य दिए गए। दिसंबर, 1985 में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण और दिसंबर, 1988 को एम.ए.एम.सी. से वाशरी के निर्माण कार्य पूरा कर लिए जाने की आशा थी। आर.सी.ई. (93) के अनुसार इसे मार्च, 1995 तक पूरा कर लिया जाना था, लेकिन निम्नलिखित कारणों से संशोधित निर्धारित समय के अंदर काम पूरा नहीं किया जा सका:-

(1) एम.ए.एम.सी. द्वारा देश में निर्मित और आयातित उपकरण के लिए आर्डर देने में विलंब।

(2) एम.ए.एम.सी. द्वारा जी.ए. ड्राइंग प्रस्तुत करने में विलंब।

(3) एम.ए.एम.सी. द्वारा संयंत्र के निर्माण को पूरा करने और उसे चालू करने में विलंब।

(4) वन भूमि प्राप्त करने में विलंब, जिससे क्रास कंट्री कन्वेयर के कार्य प्रभावित हुए।

(5) मैसर्स एम.ए.एम.सी. और उसके उप-अनुबंधकर्त्ता द्वारा अपर्याप्त संसाधन जुटाया जाना।

(6) एम.ए.एम.सी. की खतरनाक वित्तीय स्थिति और एम.एम.एम.सी. द्वारा अपेक्षित श्रमशक्ति सहित पर्याप्त अभिकरणों को नियोजित न करना।

(7) अक्तूबर, 1985 में वन विभाग, बिहार सरकार द्वारा भा.को.को.लि. को दी गई भूमि के स्वामित्व के बारे में कुछ लोगों ने दावा किया। मामला न्यायालय में न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किए गए हथियार व गोला-बारूद की बिक्री करने वाली दुकानें

6218. श्री अवतार सिंह भड़ाना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किए गए माल की बिक्री करने वाली दुकानों में हथियारों और गोला-बारूदों के मौजूदा स्टॉक का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जो सीमा शुल्क विभाग से हथियार खरीदने के हकदार हैं;

(ग) सांसदों को बेचे जाने वाले हथियारों का मूल्य निर्धारण किस प्रकार किया जाता है;

(घ) क्या आत्मरक्षार्थ हथियारों की खरीदारी के लिए सांसदों को कुछ रियायतें दी जाती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनञ्जय कुमार): (क) विभिन्न सीमा शुल्क गृहों/आयुक्तालयों के पास बिक्री के लिए उपलब्ध जब्तशुदा गैर-निषिद्ध बोर शस्त्रों और गोला-बारूद का मौजूदा स्टॉक कथित रूप से इस प्रकार है:-

	संख्या
(1) पिस्तौलों/रिवाल्वरों/राइफलो/बंदूकों आदि जैसे विभिन्न प्रकार के शस्त्र	572
(2) विभिन्न प्रकार का गोला-बारूद	1,67,646

(ख) विभागीय आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अति विशिष्ट व्यक्तियों के व्यक्तिगत अनुरोधों पर विचार करने की सरकार की नीति रही है। बेचा गया शस्त्र उनके निजी उपयोग/सुरक्षा के लिए होता है और इसके साथ यह शर्त होती है कि इसे "दुबारा बेचा न जाए"। सुरक्षा संबंधी अवधारणाओं और शस्त्रों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की बात को ध्यान में रखते हुए, केवल अति-विशिष्ट व्यक्तियों को ही सीमित बिक्री की अनुमति दी जाती है।

(ग) किसी सांसद को बेचे गए किसी विशेष मॉडल/श्रेणी के जब्त-शुदा गैर-निषिद्ध बोर वाले शस्त्र (पिस्तौल, रिवाल्वर अथवा राइफल) का बिक्री मूल्य उक्त हथियार के भारत में आयात करने पर प्रचालित संभावित लागत बीमा भाड़ा मूल्य जमा सीमा शुल्क तत्व (150% की दर से) जमा लागत बीमा भाड़ा एवं शुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत (बिक्री मार्जिन के लिए) को हिसाब में लेते हुए निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा, इस कुल मूल्य पर लागू बिक्री कर भी प्रभार्य होता है।

(घ) और (ङ) सांसदों को बिक्री केवल आत्मरक्षा के लिए की जाती है और ऊपर (क) में बताए गए अनुसार मूल्य निर्धारित किया जाता है।

देश की वित्तीय प्रणाली

6219. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की तथा प्रत्येक राज्य की भावी वित्तीय प्रणाली का आधार तैयार करने के लिए कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक अन्तिम रूप देकर क्रियान्वित किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की संरचना के सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण संघटकों में एक समुचित विनिमय दर व्यवस्था, पूंजी प्रवाह के प्रबन्ध और पूंजी बाजारों का उदारीकरण, संकट के समाधान में निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए घरेलू वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करना, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संसाधनों की पर्याप्तता और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सुधार निहित हैं। इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किए गए उपायों में डाटा मानक विकास (विशेष डाटा प्रसारण मानक और सामान्य डाटा प्रसारण मानक) राजकोषीय पारदर्शिता और बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए संहिता और नियमों की मॉनीटरिंग शामिल है। भारत विशेष डाटा प्रसारण मानक (एस.डी.डी.एस.) में योगदान करता है और उसने इस व्यवस्था से संबंधित सभी अपेक्षायें पूरी कर दी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग क्षेत्र के प्रभावशाली पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग के लिए समय-समय पर विवेकपूर्ण मानदण्ड और मानक तैयार करता रहता है।

[हिन्दी]

नई औद्योगिक नीति

6220. श्री राजो सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई औद्योगिक नीति के तहत सरकार ने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में राज्यवार विशेषत: बिहार में कौन-कौन से कार्यक्रम शुरू किए है;

(ख) क्या ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के निवासियों को इन कार्यक्रमों से लाभ मिल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इनसे लाभान्वित और भविष्य में लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) संसद में 24 जुलाई, 1991 को रखे गए औद्योगिक नीति वक्तव्य में आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के संदर्भ में औद्योगिक विकास तेज करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा निर्धारित की गयी है।

संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार ने विकास केन्द्र योजना, एकीकृत अवसंरचना विकास योजना, परिवहन राजसहायता योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण कार्यक्रम जैसे विभिन्न कार्यक्रम आरंभ किए हैं।

आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष बल देने के लिए सरकार ने हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की है जिसमें विकास केन्द्रों तथा एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्रों के संबंध पूंजी निवेश राजसहायता, परिवहन राजसहायता, कर छूट, ब्याज राजसहायता तथा वर्धित केन्द्रीय सहायता जैसे अनेक प्रोत्साहन निहित हैं। इसके अतिरिक्त, पिछड़े क्षेत्रों में पर्याप्त ध्यान देना सुनिश्चित करने के लिए, इन कार्यक्रमों में अन्त: निर्मित मानदंड विद्यमान हैं। इसी प्रकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकलाप भी बिहार सहित विशेष रूप में पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्रित हैं। बिहार को भी राज्य में 6 विकास केन्द्रों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो गयी है।

चूंकि ये कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों/अधीनस्थ संगठनों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं, इसलिए इस मंत्रालय द्वारा राज्यवार ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

सरकार के पहल कार्यों का प्रभाव सकारात्मक रहा है, जैसा कि विशेषतया लघु, ग्रामीण और अति लघु क्षेत्र में सतत् औद्योगिक विकास तथा रोजगार विकास से अनुमान लगाया जा सकता है।

[अनुवाद]

हैदराबाद दूरदर्शन केन्द्र

6221. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन केन्द्र हैदराबाद की कुल प्रसारण क्षमता कितनी है;

(ख) इस दूरदर्शन केन्द्र से हिन्दी, अंग्रेजी, तेलुगु और उर्दू जैसी विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रमों को कितना प्रतिशत समय आबंटित किया गया है;

(ग) क्या इस दूरदर्शन केन्द्र से उर्दू कार्यक्रमों के लिए कम समय आबंटित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उर्दू कार्यक्रमों के लिए प्रसारण समय बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद इस समय अपने स्थलीय नेटवर्क पर प्रति सप्ताह 29 घण्टे 25 मिनट की अवधि के कार्यक्रम प्रसारित करता है।

(ख) ब्यौरा निम्नलिखित है:-

हिन्दी	2%
उर्दू	6%
तेलुगु	80%
अन्य (अंग्रेजी आदि)	12%

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कर्मकारों को उपदान

6222. श्री मोहन रावले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की विशेष रूप से मुंबई स्थित राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में काम करने वाले कर्मकारों को भुगतान की जाने वाली उपदान राशि को 15 दिन से बढ़ाकर 45 दिन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी नहीं। ग्रेच्युटी का भुगतान ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधान के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

'भेल' द्वारा बनाए गए ट्रांसफार्मरों की गुणवत्ता

6223. श्री अशोक अर्गल: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की भोपाल इकाई द्वारा बनाए गए ट्रांसफार्मरों की गुणवत्ता का स्तर दिन-ब-दिन गिरता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आर्डर प्राप्त न होने से भेल को भारी घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, नहीं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) की भोपाल स्थित इकाई में निर्मित सभी ट्रांसफार्मर को ग्राहकों की मौजूदगी में अंतरराष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार जांचा जाता है तथा ग्राहकों की स्वीकृति के पश्चात ही कार्य-स्थल पर भेजा जाता है। भेल के ट्रांसफार्मरों की विफलता दर अंतराष्ट्रीय स्तर से बहुत कम है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। भेल की भोपाल स्थित इकाई लगातार लाभप्रद रही है तथा वर्ष 1999-2000 में कर से पूर्व 4492 लाख रुपये (अंनतिम; लेखा परीक्षण पर निर्भर करता है) का लाभ अर्जित किया है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में बाक्साइट खनन

6224 श्री अनन्त नायक: क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में विभिन्न बाक्साइट खानों से बाक्साइट की कुल कितनी मात्रा का खनन किया गया;

(ख) इसमें से कितनी मात्रा के बाक्साइट का निर्यात किया गया और कितनी मात्रा घरेलू आवश्यकता हेतु उपयोग में लाई गई; और

(ग) नौवीं योजना में बाक्साइट खनन और निर्यात के संबंध में सरकार द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) भारतीय खान ब्यूरो के पास सूचना के अनुसार उड़ीसा की विभिन्न बाक्साइट खानों से पिछले तीन वर्षों के दौरान, उत्खनित बाक्साइट को कुल मात्रा निम्नवत है:-

वर्ष	खानों की संख्या	बाक्साइट का कुल उत्पादन टन में
1997-98	2	26,64,251
1998-	5	28,17,819
1999-2000 (अनन्तिम)	2	28,60,115

(ख) भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा से बाक्साइट का निर्यात नहीं किया गया है। घरेलू आवश्यकता के लिए प्रयुक्त बाक्साइट की मात्रा निम्नवत है:-

वर्ष	आंतरिक खपत के लिए प्रेषण (टन में)
1997-98	26,63,118
1998-99	28,17,535
1999-2000	28,59,255

(ग) उड़ीसा में सार्वजनिक क्षेत्र के एकमात्र उपक्रम नालको की नवीं योजना के दौरान बाक्साइट के निर्यात की कोई योजना नहीं है। नवीं योजना की शेष अवधि में, नालकों के बाक्साइट खनन का कार्यक्रम निम्नवत है:-

वर्ष	मात्रा (टन में)
2000-2001	28,72,500
2001-2002	34,87,500

खनिज और धातु व्यापार निगम (एम.एम.टी.सी.) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी

6225. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम (एम.एम.टी.सी.) के कर्मचारियों के आश्रितों को जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई है, को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान करने हेतु कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने लोगों को नौकरी प्रदान की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा एम.एम.टी.सी. के कर्मचारियों के आश्रितों को जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई है, को नौकरी प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) जी, नहीं। सेवारत कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को नौकरी उपलब्ध करवाने की योजना को सहानुभूति नियुक्तियों के स्थान पर शुरू की गई परिवार लाभ योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों के पश्चात् 6-2-1996 से बंद कर दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 1999 में दो नियुक्तियों के अतिरिक्त, जो कि परिवार लाभ योजना शुरू होने से पहले की अवधि से संबंधित है, कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है।

परिवार लाभ योजना के अंतर्गत मृत कर्मचारियों के आश्रितों को और पति/पत्नी की मृत्यु की स्थिति में वैध संतान, यदि कोई हो, को उपलब्ध लाभों अर्थात् कर्मचारी की मृत्यु के बाद उस माह की पहली तारीख से उस काल्पनिक तिथि तक जिस पर कर्मचारी कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया होता, अंतिम प्राप्त वेतन (वेतन + महंगाई भत्ता) का 60% के अतिरिक्त वे एम.एम.टी.सी. कर्मचारी अंशदान सेवानिवृत्ति सह-परिवार वार्षिकी कोष स्कीम, जो कि आश्रितों को पर्याप्त आर्थिक लाभ उपलब्ध करवा रही है, के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से पेंशन पाने के भी हकदार हैं।

मिलों का आधुनिकीकरण

6226. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की कपड़ा मिलों को चरणबद्ध तरीके से आधुनिकीकृत बनाने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार, संघ राज्य क्षेत्र-वार और चरण-वार ये मिलें कौन-कौन सी हैं;

(ग) निधियों के आबंटन का चरण-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे देश और कामगारों को क्या लाभ होगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) सरकार ने वस्त्र/पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना शुरू की है जो कि पांच वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 31.3.2004 तक प्रभावी है। कोई भी पात्र वस्त्र/पटसन एकक उपर्युक्त योजना के ढांचे और संबंधित वित्तीय संस्थानों/बैंक के सामान्य वित्तीय मानदण्डों के भीतर निधियों का लाभ उठा सकता है। यह एक मुक्त योजना है जो कि बैंक योग्य और तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रस्तावों में निधियों का उपयोग करने में उद्योग की क्षमता पर निर्भर है। सरकार का वित्त पोषण योजना के समनुरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजना पर ऋणदात्री एजेंसी द्वारा प्रभारित ब्याज पर 5% के बिंदु पर ब्याज की प्रतिपूर्ति करने तक ही सीमित है। योजना ने केवल एक वर्ष पूरा किया है और इसलिए योजना का कोई अंतिम मूल्यांकन करना समयपूर्व होगा।

महाराष्ट्र को ''नाबार्ड'' की सहायता

6227. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्री चिंतामन वनगा :
श्री पी.सी. थामस :
श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ''नाबार्ड'' ने राज्यों, विशेषकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और हरियाणा में विभिन्न परियोजनाओं को पुन: वित्तपोषित किया है;

(ख) इन परियोजनाओं के चयन हेतु निर्धारित मानदण्ड और प्रक्रिया क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान विशेषत: उक्त राज्यों को राज्य-वार कुल कितनी राशि वितरित की गई;

(घ) यह वितरण किन-किन क्षेत्रों में किया गया;

(ङ) क्या 1999-2000 के दौरान ''नाबार्ड'' द्वारा पुन: वित्तपोषण पिछले दो वर्षों से अधिक है;

(च) यदि हां, तो यह किस सीमा तक अधिक है; और

(छ) जिन क्षेत्रों के लिए वितरण किया गया उनमें उक्त राज्यों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल एवं हरियाणा राज्यों सहित देश के सभी राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों को योजनाबद्ध ऋण के अधीन पुनर्वित्त सहायता प्रदान की है।

(ख) नाबार्ड पुनर्वित्त के लिए परियोजनाओं का चयन करते समय निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करता है:-

1. पुनर्वित्त सहायता केवल उन्हीं परियोजनाओं को दी जाती है जो तकनीकी रूप से व्यवहार्य एवं वित्तीय रूप से अर्थक्षम हों;

2. राज्यों को पुनर्वित्त आबंटित किया जाता है तथा इसका संवितरण विभिन्न वित्तपोषक बैंकों के माध्यम से किया जाता है जो उनकी खपतें क्षमता एवं पिछले वर्ष की उपलब्धियों पर निर्भर करता है;

3. यह सुनिश्चित किया जाता है कि अधिकतम पुनर्वित्त राशि सहकारी क्षेत्र के माध्यम से संवितरित हो तथा उन राज्यों में जहां सहकारी क्षेत्र कमजोर हैं, अधिक आबंटन वाणिज्यिक बैंकों को किया जाता है;

4. पुनर्वित्त करने का लक्ष्य सतत एवं धारित विकास करना और प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना है;

5. कुछ योजनाओं के अंतर्गत कम से कम 50% पुनर्वित्त छोटे एवं सीमांत किसानों सहित समाज के कमजोर वर्ग को दिया जाता है;

6. सभी राज्यों में महत्वपूर्ण क्षेत्र परियोजनाओं जैसे जल विभाजक परियोजना, जलभूमि विकास आदि के अंतर्गत 100% पुनर्वित्त दिया जाता है;

7. पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी अभिकरणों को 90% से 100% तक पुनर्वित्त दिया जाता है जिसका लक्ष्य क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाना है;

8. सरकार की अगले 10 वर्षों में देश में खाद्य उत्पादन दोगुना करने की नीति को ध्यान में रखते हुए, अधिक मात्रा में पुनर्वित्त उपलब्ध करके लघु सिंचाई के अन्तर्गत योजनाओं को महत्व/प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) सभी राज्यों को पिछले तीन वर्षों के दौरान नाबार्ड द्वारा प्रदान की गई पुनर्वित्त की राज्यवार कुल राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) उच्च प्रौद्योगिकी वाली योजनाओं, वानिकी, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (वर्तमान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना), अ.जा./अ.ज.जा. कार्य योजना, गैर-कृषि क्षेत्र क्रियाकलाप आदि जैसे सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों सहित लघु सिंचाई, भूमि विकास, बीज प्रसंस्करण, फार्म का यंत्रीकरण, डेयरी विकास, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, भंडारण तथा बाजार प्रांगण, शीतागार, कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण जैसे सभी कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए नीतिगत उधार के अन्तर्गत नाबार्ड पुनर्वित्त संवितरित करता रहा है।

(ङ) से (छ) जी, हां। वर्ष 1999-2000 के दौरान नाबार्ड द्वारा प्रदान किया गया पुनर्वित्त वर्ष 1998-99 के दौरान प्रदान किए गए पुनर्वित्त से अपेक्षाकृत अधिक था। पिछले तीन वर्षों के दौरान पिछले वर्ष में अखिल भारत स्तर पर 11 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उपर्युक्त वर्णित चार राज्यों को संवितरित पुनर्वित्त में भी संलग्न विवरण में दर्शाए गए अनुसार वृद्धि हुई है।

विवरण

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान सभी एजेंसियों को नाबार्ड द्वारा किए गए राज्यवार संवितरण का ब्यौरा

(रुपए लाख)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	156	234	247
2.	आन्ध्र प्रदेश	40074	43105	49771
3.	अरुणाचल प्रदेश	509	459	461
4.	असम	8133	10343	6625
5.	बिहार	15967	17230	7590
6.	चंडीगढ़	0	3	0
7.	दादरा और नागर हवेली	17	3	24
8.	गोवा	669	1313	1502
9.	गुजरात	23110	27238	31998
10.	हरियाणा	25683	28819	29668
11.	हिमाचल प्रदेश	5050	6416	7622
12.	जम्मू और कश्मीर	2036	2570	2932
13.	कर्नाटक	29085	31968	34114
14.	केरल	20439	15878	21284
15.	लक्षद्वीप	15	20	21
16.	मध्य प्रदेश	15896	19014	24203

1	2	3	4	5
17.	महाराष्ट्र	33260	35655	49858
18.	मणिपुर	258	325	206
19.	मेघालय	788	796	944
20.	मिजोरम	222	351	478
21.	नागालैण्ड	203	149	315
22.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0	104	100
23.	उड़ीसा	12825	15599	20054
24.	पांडिचेरी	196	247	409
25.	पंजाब	28688	40025	44145
26.	राजस्थान	27471	34188	38545
27.	सिक्किम	134	167	210
28.	तमिलनाडु	31345	33832	39420
29.	त्रिपुरा	1625	1735	2004
30.	उत्तर प्रदेश	54237	68426	77333
31.	पश्चिम बंगाल	14100	15855	19378
	कुल	332191	452067	521468

बीमा क्षेत्र का निजीकरण

6228. श्री बालासाहेब एम.के. पाटील :
श्री किरीट सोमैया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अप्रैल, 2000 के "दि आब्जर्वर" में "फॉरेन इंश्यूरेंस ब्रोकर्स सीक मोर से" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) इस मामले के प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इसमें किए गए अवलोकनों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण आई.आर.डी.ए. अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत गठित बीमा सलाहकार समिति से परामर्श करके बीमा दलाली से सम्बद्ध विनियमों के निर्माण की प्रक्रिया में रत है।

[हिन्दी]

निर्यात कंपनियों की समीक्षा

6229. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निर्यात कंपनियों के कार्यकरण की समय-समय पर समीक्षा करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान दोषी पाई गयी कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) सरकार निर्यात-कंपनियों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। एक्जिम नीति की विनिर्दिष्ट स्कीमों के अंतर्गत अलग-अलग निर्यातक द्वारा किए जाने वाले निर्यात दायित्व की निगरानी करने के लिए निर्मित (इन-बिल्ट) प्रणाली है। विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत उपयुक्त अर्थ-दण्ड लगाने के लिए अलग-अलग व्यक्तियों के चूक के मामले न्याय निर्णयाधीन हैं।

[अनुवाद]

ओ.जी.एल. के अंतर्गत मदों को शामिल किया जाना

6230. श्री जी.जे. जावीया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओ.जी.एल. में कितनी मदों को शामिल किया गया है;

(ख) लघु उद्योगों को कौन-कौन सी और कितनी मदें अंतरित की गई हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा लघु उद्योगों के हितों की सुरक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) 8 अंकीय 714 टैरिफ लाइनों पर से आयात प्रतिबंध 31.3.2000 को हटा लिए गए थे। इन 714 टैरिफ लाइनों में से केवल 58 टैरिफ लाइनें ऐसी हैं जो लघु क्षेत्र के हित की हैं। इन 58 टैरिफ लाइनों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। इन 58 टैरिफ लाइनों पर से आयात प्रतिबंधों को हमारे अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के एक भाग के रूप में हटा लिया गया है। तथापि, देश में सभी आयात सीमाशुल्कों को लागू दरों के अधीन हैं।

सरकार को लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों को उभरते परिदृश्य की जानकारी है और उन्हें विश्व में प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिए सहायता देने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें ये शामिल हैं : प्रौद्योगिकी उन्नयन करना, सामूहिक दृष्टिकोण के जरिए अवस्थापना सहायता करना, ऋण समय पर उपलब्ध कराना, आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों को अंगीकार करना, इलैक्ट्रानिक्स अवसंरचना के प्रयोग करना, विपणन और समय पर सूचना का प्रचार-प्रसार करना और लघु उद्योग को व्यापार के उदारीकरण की उभरती चुनौतियों के लिए तैयार करना आदि जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना।

सरकार का लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों की सहायता करने के लिए निम्नलिखित विशेष उपाय करने का भी प्रस्ताव है:-

(1) ऋण गारंटी की एक योजना शीघ्र शुरू की जा रही है जिसके लिए वर्ष 2000-2001 के बजट में 100 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

(2) केन्द्रीय बजट 2000-2001 में स्माल इंडस्ट्री डेवलपमैंट बैंक ऑफ इंडिया के प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण कोष नामक एक विशेष योजना के प्रचालन की अवधि अगले तीन वर्षों तक और बढ़ाने जाने का प्रस्ताव है।

(3) लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण करने वाले लघु उद्यमियों को ब्याज सहायता प्रदान करने की एक स्कीम शुरू करने की योजना बना रहा है।

(4) 31.3.2000 को घोषित निर्यात और आयात नीति संशोधनों में, निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना में लघु क्षेत्र को शामिल करते हुए उसे उदार बनाया गया है जो अब निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं का आयात 5 प्रतिशत की रियायती शुल्क दर पर कर सकते हैं।

विवरण

लघु उद्योग के हितों की 58 मदों की सूची जिन पर से दिनांक 31.3.2000 से आयात प्रतिबंध हटा लिए गए हैं (8 अंक स्तर पर)

क्र.सं.	एग्जिम कोड	मद विवरणी
1	2	3
1.	ई एक्स 400591.09	मिश्रित रबड़ की अन्य प्लेटें, चादरें और पट्टियां
2.	ई एक्स 401610.00	सेल्यूलर रबड़ की अन्य वस्तुएं
3.	401699.06	रबड़ मद्दी
4.	482090.00	कागज या पेपर बोर्ड के स्टेशनरी की अन्य वस्तुएं
5.	482360.00	कागज या पेपर बोर्ड की ट्रे, डिश, प्लेट्स, कप और समान वस्तुएं
6.	ई एक्स 482370.09	कागज की लुगदी की सांचेदार या संपीडित वस्तुएं
7.	640319.01	चमड़े की बाहरी तली और चमड़े के अपर सहित अन्य स्पोर्ट्स फुटवियर
8.	640319.02	चमड़े के बाहरी तली और चमड़े के अपर सहित अन्य स्पोर्ट्स फुटवियर
9.	640319.09	प्लास्टिक या मिश्रित चमड़े की बाहरी तली के साथ अन्य स्पोर्ट्स फुटवियर और चमड़े के अपर्स
10.	640320.01	बंद अंगुली वाला आल लेदर फुटवियर
11.	640320.02	खुली अंगुली वाला आल लैदर फुटवियर
12.	640320.03	चमड़े की तली व कसीदा किए हुए अपर वाले फुटवियर
13.	640320.09	बाहरी तली चमड़े वाली अन्य फुटवियर और अपर्स जो इनस्टेप के बाहर और बड़ी अंगुली के चारों ओर चमड़े की पट्टी से बनी हो।
14.	640340.00	अन्य फुटवियर जिसकी बाहरी तली रबड़ प्लास्टिक, चमड़ा या मिश्रित चमड़े की हो और चमड़े का अपर सुरक्षात्मक धात्विक टो-कैप वाली हो।
15.	640351.01	टखना ढकने वाला आल लैदर शूज
16.	640351.09	टखना ढकने वाले अन्य फुटवियर जिसकी बाहरी तली चमड़े की हो।
17.	640[illegible].00	अन्य फुटवियर जिनका बाहरी तली और अपर चमड़े का हो।
18.	640399.01	रबड़ की तली वाली चमड़े सैंडिलें।
19.	640399.02	प्लास्टिक और सिन्थेटिक तली वाली चमड़े की सैंडिल

1	2	3
20.	640411.01	स्पोर्ट्स फुटवियर, टैनिश जूता, बास्केटबाल शूज, जिम शूज, ट्रेनिंग शूज और इसके समान कैनवास ऊपर वाली रबड़ की तली।
21.	640411.02	स्पोर्ट्स फुटवियर, टेनिश जूता, बास्केटबाल शूज, जिम शूज, ट्रेनिंग शूज और इसके समान, लैदर क्लाथ अपर के साथ रबड़ की तली।
22.	640411.09	स्पोर्ट्स फुटवियर, टेनिश जूता, बास्केटबाल शूज, जिम शूज, ट्रेनिंग शूज और इसके समान अन्य।
23.	640419.01	अन्य स्पोर्ट्स फुटवियर, कैनवास अपर सहित रबड़ की तली।
24.	640419.02	अन्य स्पोर्ट्स फुटवियर, लैदर क्लौथ अपर्स वाली रबड़ की तली।
25.	640419.09	अन्य स्पोर्ट्स फुटवियर, अन्य।
26.	640420.00	फुटवियर जिसकी बाहरी तली चमड़े या मिश्रित चर्म की हो।
27.	680221.01	पालिसदार संगमरमर ब्लॉक या टाइलें
28.	680223.01	पालिसदार ग्रेनाइट ब्लॉक या टाइलें
29.	681019.01	मोजेक के लिए सीमेंट टाइलें
30.	681130.01	एसबेस्टस-सीमेंट पाइप
31.	690490.00	सिरेमिक फ्लोरिंग ब्लॉक, सपोर्ट या क्किलर टाइल्स और इसके समान
32.	690510.00	सेरामिक रूफिंग टाइल्स
33.	690790.00	अनग्लेज्ड सिरामिक फ्लैक्स एंड पैविंग, अर्थ और वाल टाइल्स, अनग्लेज्ड सिरेमिक मोजेक क्यूब्स और इनके समान
34.	690810.01	सिरेमिक मोजेक क्यूब्स, जिसका सबसे बड़ा क्षेत्र एक ऐसे वर्ग से घेरा जा सके जिसकी भुजा 7 सेमी. से कम हो।
35.	690810.02	सिरेमिक मोजेक टाइल्स, सिरेमिक मोजेक क्यूब्स, जिसका सबसे बड़ा क्षेत्र एक ऐसे वर्ग से घेरा जा सके जिसकी भुजा 7 सेमी. से कम हो।
36.	690810.09	अन्य ग्लेज्ड सिरेमिक टाइल्स, क्यूब्स या इसी तरह की वस्तुएं, जिसका सबसे बड़ा क्षेत्र एक ऐसे वर्ग से घेरा जा सके जिसकी भुजा 7 सेमी. से कम हो।
37.	690890.01	सिरेमिक मोजैक क्यूब्स, अन्य
38.	690890.02	सिरेमिक मोजैक टाइल्स, अन्य
39.	690990.00	कृषि में उपयोग में लाए गए सिरेमिक ट्राऊट्स, ट्यूब्स और सेल्यूलर जैसे विधान
40.	691010.00	सिरेमिक वास वेसिन, पेडेस्टल, बाथ विडेट्स, वाटर क्लोजेट पैन्स, फ्लशिंग सिस्टर्न और इसी प्रकार की पोरसिलेन या चीन की सैनिटरी साजोसामान
41.	691090.00	सेरामिक सैनिटरी सामान, अन्य

1	2	3
42.	691190.00	टेबलवेयर, किचेनवेयर, अन्य सिरामिक की अन्य घरेलू वस्तुएं व श्रृंगारिक वस्तुएं
43.	691200.03	टेबलवेयर, किचेनवेयर व अन्य घरेलू वस्तुओं जैसी मिट्टी की वस्तुएं
44.	691200.09	अन्य सेरामिक घरेलू वस्तुएं, पोर्सिलीन या चीन को छोड़कर
45.	691310.00	पोर्सीलिन या चीन की स्टैट्युएट्स एंड अदर ओरनामेंटल आर्टिकल्स
46.	691390.00	सिरामिक की स्टेट्युएट्स व अन्य ओरनामेंटल आर्टिकल्स
47.	700910.00	सवारी गाड़ी के लिए पीछे देखने वाला शीशा
48.	701321.00	लेड क्रिस्टल का पानी पीने वाला ग्लास
49.	701339.00	टैबल या किचेन के प्रयोजन के लिए उपयोगी अन्य प्रकार के ग्लास
50.	701399.00	श्रृंगार घर, कार्यालय, भीतरी सजावट या समान प्रयोजन के लिए उपयोगी ग्लास वेयर, अन्य
51.	701810.02	ग्लास बिड्स इमिटेशन, पर्ल्स, इमिटेशन कीमती व अर्द्ध कीमती पत्थर
52.	701810.09	अन्य समान शीशा की छोटी समान
53.	एक्स 702000.00	शीशे की अन्य वस्तुएं
54.	841451.02	एक स्वधारित विद्युत मोटर वाली छत का पंखा जिसकी क्षमता 125 वाट से अधिक न हों।
55.	841451.03	पेडेस्टल पंखा जिसमें एक स्वधारित विद्युत मोटर हों और क्षमता 125 वाट से अधिक न हो।
56.	एक्स 850410.00	सघन प्रतिदिप्त लैम्पों से इतर के लिए डिस्चार्ज लैम्प या ट्यूब्स के लिए बल्लास्ट्स
57.	851679.09	अन्य विद्युत तापीय यंत्र
58.	853110.00	चोट या अग्नि, अलार्म और समान उपकरण

वस्त्र नीति

6231. **श्री आर.एल. भाटिया :**
श्री अब्दुल हमीद :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 मार्च, 2000 के "दि हिंदू" में "वीवर्स फील थ्रेटेन्ड फ्राम टेक्सटाइल पालिसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा सरकार द्वारा बुनकरों के हितों की रक्षा हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) "दि हिंदू" में वस्त्र नीति विशिष्टिता हेतु संबंधित मामले मुख्यत: हैंक यार्न बाध्यता आदेश तथा हथकरघा आरक्षण अधिनियम की सिफारिशों से संबंधित है। हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा हेतु हैंक यार्न बाध्यता आदेश तथा हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 से प्रचलन में है।

मुक्त व्यापार जोन का सृजन

6232. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मुक्त व्यापार जोन बनाने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) उन शहरों, कस्बों अथवा क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऐसे मुक्त व्यापार जोन बनाने की मांग की है; और

(ग) देश में मुक्त व्यापार जोन बनाने के लिए सरकार के पास अद्यतन प्रस्ताव कौन-कौन से हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) एग्जिम नीति के अनुसार, "मुक्त व्यापार जोन" (एफ.टी.जेड.) और "निर्यात संस्करण जोन" (ई.पी.जेड.) समानार्थक नाम हैं। निर्यात संस्करण जोन की स्थापना करते समय जिन बातों का ध्यान रखा जाता है, उनमें शामिल हैं: समुद्री/हवाई पत्तन से निकटता; अवस्थापना संबंधी मौलिक सुविधाओं जैसे सड़क, ऊर्जा और जल आपूर्ति, बैंकिंग, संचार सुविधाओं की उपलब्धता और आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा जैसी सामाजिक सुविधाओं तक पहुंच।

(ख) मुक्त व्यापार जोन की स्थापना के लिए हाल ही में प्राप्त कुछ विशिष्ट जगहों में काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) और गुमीडिपूंडी (तमिलनाडु) शामिल हैं।

(ग) भारत सरकार के अधीन किसी नए ई.पी.जेड./एफ.टी.जेड. की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, निर्यात संस्करण जोन राज्य सरकार या संयुक्त/निजी क्षेत्र में स्थापित किए जा सकते हैं।

विदेश व्यापार

6233. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारत का विदेश व्यापार किन-किन देशों के साथ बढ़ा है और उनके साथ कौन-कौन से उत्पादों का व्यापार किया जा रहा है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न उत्पादों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे उत्पादों के निर्यात/आयात में सुधार लाने के लिए कोई नई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) अप्रैल-दिसम्बर, 1999-2000 के दौरान डालर के रूप में निर्यातों तथा आयातों में सकारात्मक वृद्धि को दर्शाने वाली प्रमुख वस्तुओं की सूची तथा वर्ष 1998-99 के दौरान उनके निष्पादन वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी महानिदेशालय के अनंतिम आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

मदें	1998-99*	1999-2000* (अप्रैल-दिसम्बर)
रासायनिक उत्पादन	(-)8.1	10.6
इंजीनियरी वस्तुएं	(-)14.2	22.3
इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर	(-)34.3	19.7
समुद्री उत्पाद	14.0	7.8
रत्न तथा आभूषण	10.4	22.1
वस्त्र	(-)1.1	8.9
हस्तशिल्प	19.0	7.8
कालीन	(-)2.0	21.1

आयात वृद्धि दर (%)

मदें	1998-99*	1999-2000* (अप्रैल-दिसम्बर)
उर्वरक	(-)3.9	46.0
पैट्रोलियम अपरिष्कृत और उत्पाद	(-)21.2	58.3
मोती एवं कीमती तथा अर्द्ध-कीमती रत्न	12.6	44.1
कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	(-)8.1	10.8
कृत्रिम रेजिन आदि	(-)4.5	9.1
इलेक्ट्रानिक वस्तुएं	4.1	19.7

*ये आंकड़े अनंतिम हैं और बताई गई वृद्धि की दरें पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में दी गई हैं।

अप्रैल-दिसम्बर, 1999-2000 की अवधि के दौरान हमारे जिन प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ हमारे निर्यातों में सकारात्मक वृद्धि दिखाई दी है वे हैं: बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, यू.के., स्विटरजलैंड, नेपाल, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, चीन जनवादी गणराज्य, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, सिंगापुर, थाइलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, नाइजीरिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरीका, रूस आदि तथा जिनके साथ हमारे आयातों में सकारात्मक वृद्धि दिखाई दी है, वे हैं: नीदरलैंड, चीन जनवादी गणराज्य, हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, यू.एस.ए., ब्राजील और रूस।

(ग) और (घ) निर्यात वृद्धि को और बढ़ाने के अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें ये शामिल हैं - विकेन्द्रीकरण के माध्यम से कारोबार लागत में कमी लाना, क्रियाविधियों को सरल बनाना तथा एक्जिम नीति में वर्णित विभिन्न अन्य उपाय। निर्यातों का संवर्धन करने के लिए बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय पहल के माध्यम से तथा थ्रस्ट क्षेत्रों और फोकस क्षेत्रों का पता लगाने जैसे उपाय किए गए हैं।

अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार व्यापार और उद्योग द्वारा आयात किए जाते हैं।

दूरदर्शन में समाचार वाचकों की आवश्यकता से अधिक संख्या

6234. श्री राशिद अलवी :
डा. जसवंतसिंह यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन समाचार वाचक आवश्यकता से अधिक संख्या में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ग) इस संबंध में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना कार्यान्वयन सहित सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

वनों में रहने वाले जनजातियों के गांवों का विकास

6235. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जनजातियों के उत्थान हेतु वनों में रहने वाले जनजातियों के गांवों के विकास के संबंध में मध्य प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो जनजातीय बहुल वाले बेतूल जिले में जनजातियों के विकास हेतु कितनी धनराशि मांगी गई है; और

(ग) उक्त धनराशि को कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से जनजातियों के उत्थान के लिए वनों में रहने वाले जनजातियों के ग्रामों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कृषि उत्पादों का आयात

6236. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान और मार्च, 2000 तक कितनी मात्रा में दूध-पाउडर, गेहूं, चीनी और अन्य कृषि उत्पादों का आयात किया गया;

(ख) घरेलू बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) ऐसे आयात को संयमित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) कृषि उत्पादों के आयात की नीति देश की निर्यात आयात नीति का अभिन्न अंग है। कृषि उत्पादों की आयात नीति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घरेलू आपूर्तियों को बढ़ाना और खाद्य मदों के उपजकर्त्ताओं/

विनिर्माताओं को उचित कीमतों पर निविष्टियां प्रदान करना है। देश में किए जाने वाले सभी आयात, सीमाशुल्क की लागू दरों तथा देश के सभी कानूनों, नियमों, आदेशों तथा विनियमों आदि के अधीन है। सरकार जब आवश्यक समझती है तभी हस्तक्षेप करती है। पिछले दिनों सीमाशुल्क बढ़ाकर गेहूं पर 50%, चीनी पर 60%, चावल पर 70-80%, मक्का पर 50%, तथा खाद्य तेलों पर 27.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

विवरण

1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 (अप्रैल-फ़रवरी, 2000) के दौरान कृषि उत्पादों का आयात

मात्रा मी. टन

	1997-98	1998-99	1999-2000 (अप्रैल फरवरी, 2000) अनंतिम आंकड़े
दुग्ध पाउडर	692	1858	18226
गेहूं	1485781	1803699	889756
चीनी	346889	901169	1083367
अन्य कृषि उत्पाद			
चावल	54	6636	22904
अन्य अनाज	1121	2023	153156
दालें	1008121	563536	188799
तिलहन	247.34*	851.97*	1338.58*

*मात्रा संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मूल्य संबंधी आंकड़े लाख रुपए में दिखाए गए हैं।

[अनुवाद]

विनिवेश समितियों को कम किया जाना

6287. **श्री नरेश गुगलिया :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कई समितियां सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में विनिवेश संबंधी कार्य देख रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विनिवेश प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु इस प्रकार की समितियों की संख्या में कमी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान इक्विटी का व्यापक बिक्री तथा प्रबन्धन हस्तांतरण हेतु सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों की पहचान की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विनिवेश विभिन्न कारकों जैसे बाजार स्थितियों, कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा संबंधित विभागों के विचारों को ध्यान में रखकर किया जाता है। विनिवेश एक अनवरत प्रक्रिया है। किसी कंपनी में विनिवेश करने का निर्णय उपरोक्त विभिन्न कारकों के आधार पर लिया जाता है, यह व्यावसायिक सलाह तथा अन्तः मंत्रालयीन परामर्शों पर आधारित होता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

देश से बाहर जाते समय विदेशी मुद्रा ले जाने की सीमा

6238. **श्री के.पी. सिंह देव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सीमा शुल्क विभाग से अनुरोध पर विदेश जाते समय 2500 डालर विदेशी मुद्रा ले जाने की अनुमति संबंधी सीमा पर पूर्व में लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार कर इसे बढ़ाकर 5000 डालर करने का है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विदेशी मुद्रा भंडार पर इसका कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में सरकार को प्रति वर्ष राजस्व की कितनी हानि होगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चालासाहिब विखे पाटील): (क) सरकार के पास सीमा शुल्क विभाग का ऐसा कोई प्रस्ताव

विचाराधीन नहीं है जिसमें विदेश ले जाने हेतु विदेशी मुद्रा की सीमा को 2500 डालर से बढ़ाकर 5000 डालर किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

बंगलौर दूरदर्शन पर कन्नड़ में समाचार

6239. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंगलौर दूरदर्शन पर इस समय प्रतिदिन कितनी अवधि तक कन्नड़ भाषा में समाचारों का प्रसारण हो रहा है;

(ख) क्या बंगलौर दूरदर्शन पर प्रत्येक एक घंटे के पश्चात् कन्नड़ में समाचारों का प्रसारण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) बंगलौर दूरदर्शन पर कन्नड़ समाचारों की वर्तमान अवधि 25 मिनट प्रतिदिन है। ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

(1) प्रात: 7.45 बजे 10 मिनट का - डीडी-9 (प्रादेशिक भाषा उपग्रह सेवा)

(2) डीडी-1 और डीडी-9 पर सायं 7.00 बजे 15 मिनट का।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संसाधनों और आधारभूत सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण ऐसा करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

आर्थिक सुधार

6240. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री अब्दुल हमीद :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उदारीकरण तथा भूमण्डलीकरण के युग में सरकार द्वारा अपनाए गए आर्थिक सुधारों से देश को क्या लाभ हुआ;

(ख) समाज में दलित वर्ग के हितों की रक्षा हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) जर्जर होते लघु तथा कुटीर उद्योगों के आर्थिक हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) विगत कुछ वर्षों में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों का, अर्थव्यवस्था की समूची वृद्धि में तेजी, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों की अच्छी स्थिति, मुद्रास्फीति की न्यूनतर दर और विदेशी पूंजी के पर्याप्त अन्तर्प्रवाह के रूप में अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

आर्थिक सुधारों का लक्ष्य रोजगार और इक्विटी के साथ तीव्रतर वृद्धि है। आने वाले वर्षों में जब तक अर्थव्यवस्था में कम से कम 7 से 8 प्रतिशत की दर पर वृद्धि नहीं होती गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना कठिन हो जाएगा। त्वरित और बहु-क्षेत्रीय वृद्धि हासिल करने के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक सुधारों की एक सुदृढ़ नीति अपनाई जाए।

(ग) इस संबंध में नीति ऋण और प्रौद्योगिकी की संवर्धक नीतियों के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग देने की है। वर्ष 2000-2001 के केन्द्रीय बजट में लघु इकाइयों के लिए ऋण में सुधार हेतु कई उपायों का प्रस्ताव किया गया है जिसमें सांपार्श्विक प्रतिभूति की अपेक्षाओं को कम करना और एक ऋण गारंटी योजना तैयार करना शामिल है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए पृथक सेन्सर बोर्ड

6241. **डा. बी. सरोजा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्सर बोर्ड के कार्यों की व्यापकता देखते हुए दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए एक पृथक सेन्सर बोर्ड स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा निगिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कुल मिलाकर, टेलीविजन चैनल, प्रत्येक दिन पूरे समय कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। ये चैनल बहुत अधिक संख्या में है और इसी प्रकार उनके कार्यक्रम की संख्या भी बहुत अधिक है। इनको पूर्व सेंसर किया जाना व्यावहारिक रूप से न तो संभव है और न ही वांछनीय है। चैनल मालिकों और/या उनके वितरकों से पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम संहिताओं के अनुसार कार्यक्रमों को प्रसारित करने/वितरित करने की आशा की जाती है और इनके उल्लंघन के मामले में उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

बैंक में स्वचालित गणक मशीनें

6242. डा. ए.डी.के. जयशीलन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में स्वचालित गणक मशीनों की सुविधा वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों का ब्यौरा क्या है और ये बैंक कहां-कहां पर हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राज्य में निकट भविष्य में और अधिक स्वचालित गणक मशीनें लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि उत्पाद का निर्यात

6243. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि के क्षेत्र में विश्व व्यापार से भारत को लाभान्वित होने के अवसर बेहतर नहीं दिखाई दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उत्पादित आलू, प्याज और अन्य नष्ट होने वाले उत्पादों के निर्यात का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों और राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेल, प्याज, चीनी और टमाटर के निर्यात पर से पाबंदी हटा ली है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इन चीजों के निर्यात में गिरावट के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने अच्छी आमदनी के लिए इन चीजों विशेषकर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात हेतु कोई निर्यातोन्मुखी नीति बनायी है क्योंकि इन चीजों के यूरोपीय संघ के राष्ट्रों में मूल्य की अपेक्षा भारतीय मूल्य काफी कम हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) कृषि में विश्व व्यापार द्वारा भारत के लाभान्वित होने के अवसर इन पर निर्भर करते हैं - सफाई करने की घरेलू क्षमता के साथ-साथ प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मांग, वस्तुओं की प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, व्यापार की जा रही किस्में तथा उपभोक्ता की पसंद। पिछले तीन वर्षों के दौरान फल, सब्जियों तथा फूलों जैसी खराब होने वाली वस्तुओं के निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

वस्तु	मूल्य करोड़ रु. में		
	1997-98	1998-99	1999-2000 (अप्रैल-दिसम्बर)
सब्जियां	319.45	274.86	222.34
फल	268.98	260.04	191.93
पुष्पोत्पाद	81.21	97.22	63.71

स्रोत: डी.जी.सी.आई. एंड एस. कलकत्ता

उपर्युक्त कृषि मदों के देशवार निर्यात के ब्यौरे फोरेन ट्रेड स्टैटिस्किस आफ इंडिया के मासिक/वार्षिक अंक में उपलब्ध हैं जो वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं और उनकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) खाद्य तेल, प्याज, चीनी तथा टमाटर की वर्तमान निर्यात नीति की स्थिति निम्नानुसार है:-

मद	स्थिति	टिप्पणियां
खाद्य तेल	वनस्पति तेल का निर्यात मुक्त है। मूंगफली तेल उपभोक्ता पैकों में 5 किग्रा. से अधिक प्रतिबंधित।	मूंगफली के तेल के निर्यात की अनुमति केवल लाइसेंस के तहत दी जाती है।
प्याज	बंगलौर रोज तथा कृष्णपुरम प्याज को छोड़कर, सभी किस्मों को सरणीकृत किया गया है।	अप्रैल-मई, 2000 के दौरान निर्दिष्ट अधिकर्ता के माध्यम से प्याज की सभी किस्मों के 50,000 मी. टन तक की कुल मात्रा का निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी।
चीनी	निर्यात प्रतिबंधित है। डी.जी.एफ.टी. द्वारा समय-समय पर मात्रात्मक सीमा को अधिसूचित किया गया है।	अधिमानी कोटा के तहत ई.यू. तथा यू.एस.ए. को निर्यात करने के अतिरिक्त इस लाइसेंसिंग के वर्ष दौरान 2 किग्रा. के पैकों में 25,000 मी. टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई है।
टमाटर	निर्यात मुक्त	-

(ङ) और (च) कृषि उत्पादों के निर्यात की नीति देश की निर्यात-आयात नीति का अभिन्न अंग है। कृषि उत्पादों के निर्यात से संबंधित नीति मुख्य रूप से भारत की खाद्य सुरक्षा के बारे में चिंताओं, फार्म की आय को अधिकतम करने तथा विदेशी मुद्रा आय द्वारा शासित होती है। कृषि उत्पादों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और तदनुसार जब भी आवश्यक समझा जाता है, नीति संबंधी संशोधन किए जाते हैं जिनका उद्देश्य कृषि निर्यातों को अधिक लाभप्रद बनाना होता है। कृषि मदों की निर्यात-आयात नीति के ब्यौरे वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित निर्यात और आयात मदों का आई.टी.सी.(एच.एस.) वर्गीकरण में उपलब्ध हैं, जिनकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में भिजवा दी गई हैं।

निजी दूरसंचार आपरेटरों द्वारा कर अपवंचन

6244. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने दूरसंचार विभाग की भागीदारी वाले लाइसेंस शुल्क और राजस्व पर कर भुगतान करने से निजी दूरसंचार आपरेटरों को छूट देने वाले आय कर अधिनियम, 1961 में आवश्यक संशोधन करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में निजी सेल्युलर और बुनियादी सेवा दूर संचार आपरेटर करोड़ों रुपए का कर अपवंचन कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) अधिनियम में संशोधनों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

यूरोपीय संघ द्वारा निर्यात कोटा में लचीलापन लाना

6245. श्री जी. गंगा रेड्डी :
श्री पी.एस. गड़वी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ का विचार भारत से निर्यात किए जा रहे वस्त्रों के लिए निर्धारित कोटे को लचीला बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस कोटे को लचीला बनाने के प्रस्ताव से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है; और

(घ) इस कारण निर्यात से कितनी अतिरिक्त आय होने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) सरकार ने भास्त-यूरोपीय यूनियन समझौता ज्ञापन जिस पर दिसंबर, 1994 में हस्ताक्षर किये गये थे, की धारा 6 के अनुसार यूरोपीय कमीशन (इ.सी.) से विशेष रियायतें प्रदान करने का अनुरोध किया है। हालांकि, यूरोपीय कमीशन द्वारा विशेष रियायतों को रिलीज करना अभी प्रतीक्षित है।

(ग) और (घ) जैसे और जब अतिरिक्त रियायतें प्राप्त हो जाती हैं, उनको मौजूदा कोटा नीति के अनुसार वितरित कर दिया जाएगा। चूंकि सही मात्रा की अभी जानकारी नहीं है, निर्यातों में उनसे होने वाली अतिरिक्त आय का मूल्यांकन करना कठिन होगा।

औद्योगिक नीति की समीक्षा

6246. श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन के संबंध में संरचनात्मक सुधारों को आरंभ किए जाने के समय से औद्योगिक क्षेत्र में प्राप्त की गई उपलब्धियों के मद्देनजर वर्तमान औद्योगिक नीति की समीक्षा का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) देश में औद्योगिक विकास जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति द्वारा शासित होता है। औद्योगिक लाईसेंसिंग, विदेशी निवेश, विदेशी प्रौद्योगिकी करार से संबंधित नीतियों और सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीतियों आदि के संबंध में विभिन्न पहल-कार्य किए गए हैं। उत्पन्न स्थितियों के प्रत्युत्तर में इस नीति, प्रक्रिया और उनके कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करना, एक सतत् प्रक्रिया है।

छोटे काफी उत्पादकों को राजसहायता

6247. श्री पी. कुमारासामी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काफी बोर्ड का विचार दस हेक्टेयर और उससे कम बागान रखने वाले छोटे काफी उत्पादकों को राजसहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कॉफी बोर्ड पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित कॉफी उपज के गैर-परम्परागत क्षेत्रों में कॉफी के विस्तार और चकबंदी के लिए लघु कॉफी उपजकर्त्ताओं को 15,000 रु. प्रति हैक्टेयर की दर से इमदाद प्रदान कर रहा है। परंपरागत क्षेत्रों में इमदाद की दर 7,500 रु. प्रति हैक्टेयर है। कॉफी बोर्ड लघु उपजकर्त्ताओं को कीटों के नियंत्रण के लिए आवश्यक निविष्टि इमदाद, पुनर्रोपण, गुणवत्ता उन्नयन, कॉफी निस्सारण उपचार प्रणाली इत्यादि की स्थापना के लिए भी इमदाद प्रदान करता है।

चीन के साथ व्यापार

6248. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 2000 में भारत और चीन के व्यापारिक नेतृत्व की मुलाकात के बाद दोनों देशों के व्यापार को अत्यावश्यक राजनीतिक समर्थन मिलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या वाणिज्य मंत्री की बीजिंग यात्रा के दौरान चीनी अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय वार्ता हुई थी;

(ग) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच क्या-क्या समझौते हुए;

(घ) क्या दोनों देश व्यापारिक संबंध सुधारने के लिए सहमत हैं;

(ङ) क्या इस समय भारत और चीन के बीच करीब दो बिलियन डालर का व्यापार होता है; और

(च) समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद इसमें किस सीमा तक वृद्धि होगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने फरवरी, 2000 में चीन का दौरा किया जब आर्थिक संबंध एवं व्यापार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी भारत चीन संयुक्त दल का छठा सत्र बीजिंग में आयोजित हुआ था। दौरे के दौरान चीन के विदेश व्यापार एवं आर्थिक सहयोग मंत्री तथा चीन जनवादी गणराज्य के राज्य कौंसिलर के साथ विचार-विमर्श हुआ।

(ग) और (घ) दौरे के दौरान निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किए गए:-

1. विश्व व्यापार संगठन में चीन को शामिल करने के संबंध में द्विपक्षीय करार।
2. आर्थिक संबंध एवं व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी भारत चीन संयुक्त दल के छठे सत्र का अनुमत कार्यवृत्त।
3. लौह धातु विज्ञान संबंधी समझौता ज्ञापन।

दोनों देशों में यह सहमति हुई कि भारत-चीन व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को उच्चतम स्तर तक बढ़ाने के लिए विशिष्ट उपाय किए जाने चाहिएं।

(ङ) और (च) वर्ष 1998-99 के दौरान चीन-भारत व्यापार 1470 मिलि. अमरीकी डालर का हुआ था, जिसमें चीन से आयात 1060 मिलि. अमरीकी डालर का और चीन को निर्यात 410 मिलि. अमरीकी डालर का हुआ था। करारों पर हस्ताक्षर करने का व्यापार पर उत्साहजनक प्रभाव पड़ेगा।

विदेशी ऋण

6249. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन :
श्री रामशकल :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार भारत पर विदेशी ऋण की कुल कितनी राशि बकाया थी और यह ऋण किन देशों/संस्थाओं को देय है;

(ख) 1998-99 के दौरान कुल कितनी राशि की अदायगी की गई और अगले तीन वर्षों हेतु वर्ष-वार कितनी राशि देय है; और

(ग) 1996-97, 1997-98 और 1998-99 में भुगतान संतुलन, घाटे की राशि क्या थी और इस घाटे को कितने और किस तरह के पूंजी प्रवाह से पूरा किया था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30 सितम्बर, 1999 को भारत का कुल बकाया विदेशी ऋण 98.87 बिलियन अमरीकी डालर था। प्रमुख ऋणदाता स्रोतों द्वारा दिए गए ऋण की स्थिति नीचे दी गयी है:-

(बिलियन अमरीकी डालर)

1.	**बहुपक्षीय:**	
	जिसमें से *	30.84
	आई.डी.ए.	18.69
	आई.बी.आर.डी.	7.88
	ए.डी.बी.	3.77
2.	द्विपक्षीय	
	जिसमें से*	18.39
	जापान	9.29
	जर्मनी	3.31
	यू.एस.ए.	1.51
	फ्रांस	0.93
3.	आई.एम.एफ.	0.13
4.	निर्यात ऋण	6.89
5.	व्यावसायिक ऋण	20.47
6.	अनिवासी भारतीय तथा एफ.सी. (बी. एण्ड ओ.) जमाराशियां	13.00
7.	रुपया ऋण	4.54
8.	अल्पावधि ऋण	4.61
	जोड़	98.87

*सरकारी तथा गैर-सरकारी खाते पर

(ख) 1998-99 से 2001-2002 के दौरान कुछ विदेशी ऋण भुगतान (मूल तथा ब्याज) का अनुमान निम्नानुसार है:-

1998-99 से 2001-2002 के दौरान कुल ऋण सेवा अदायगियां

(बिलियन अमरीकी डालर)

	वास्तविक@		अनुमानित*	
	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
कुल ऋण अदायगियां	10.73	9.14	8.72	8.08

@वर्ष 1998-99 के लिए वास्तविक ऋण अदायगियों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1998-99 से लिए गए हैं।
*1999-2000 से 2001-2002 की अवधि के लिए अनुमानित ऋण सेवा अदायगियों से संबंधित आंकड़े जून, 1999 की विदेशी ऋण पर प्रास्थिति रिपोर्ट से लिए गए हैं और 31 दिसम्बर, 1999 के विदेशी ऋण भंडार पर आधारित हैं। ऋण सेवा अदायगियों के अनुमानों में अनिवासी भारतीय जमाराशियां, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड, स्व परिसमापक ऋण और सरकारी प्रतिभूतियों में एफ.आई.आई. निवेश शामिल नहीं हैं।

(ग) 1996-97 से 1998-99 के दौरान भुगतान सन्तुलन तथा घाटों के वित्तपोषण पैटर्न के अनुमान संक्षिप्त रूप में निम्नानुसार हैं:-

1996-97 से 1998-99 के दौरान बी.ओ.पी. घाटों का वित्तपोषण

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्रम सं.	भुगतान सन्तुलन	1996-97	1997-98	1998-99
1.	चालू खाते पर राजकोषीय घाटा	4619	5500	4038
2.	पूंजी खाते पर निवल प्रवाह	2833	1991	1369
	(क) से (ग) :			
	क. आई.एम.एफ. को वापसी अदायगियां	975	618	393
	ख. रुपया ऋण पर ऋण सेवा अदायगियां	727	767	802
	ग. भूल चूक सहित अन्य पूंजी प्रवाह	1131	606	174
3.	कुल वित्तपोषण आवश्यकताएं (1+2)	7452	7491	5407
4.	निवल पूंजी अन्तर्प्रवाह द्वारा वित्तपोषित (क से घ)	13270	11384	9236
	क. विदेशी सहायता	1109	907	820
	ख. वाणिज्यिक उधार	2848	3999	4362
	ग. विदेशी निवेश	5963	5353	2312
	घ. अनिवासी भारतीय जमाराशियां	3350	1125	1742
5.	विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों में वृद्धि (4-3)	5818	3893	3829

स्रोत : आर्थिक समीक्षा 1999-2000

आंध्र प्रदेश के किसान और तम्बाकू उत्पादक

6250. श्री के. येरननायडू : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के कृषकों और तंबाकू उत्पादकों ने तंबाकू क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और खरीदारों द्वारा सीधे नीलामी मंचों से ही खरीद करने की अनुमति देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) किसानों के हितों को भारतीय सिगरेट विनिर्माताओं के शोषण से बचाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश के तम्बाकू उपजकर्त्ताओं द्वारा इस आशय की मांग की जाती रही है कि तम्बाकू क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वीकृति और विदेशी क्रेताओं को नीलामी मंचों पर सीधे ही भागीदारी करने की अनुमति दी जाए। तम्बाकू क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) के प्रस्ताव औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों के अधीन होंगे। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (एस.टी.सी.) को निर्देश दिया गया है कि वह अधिक आपूर्ति की स्थिति में तम्बाकू की कीमतों में उछाल लाने के लिए और तम्बाकू के बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए एक उपाय के रूप में आंध्र प्रदेश तम्बाकू नीलामियों में हस्तक्षेप करें।

एच.ई.सी., रांची

6251. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रांची स्थित सरकारी क्षेत्र की रुग्ण इकाई हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का वर्ष 1999-2000 का कार्य निष्पादन अच्छा नहीं रहा है और यह कंपनी बी.आई.एफ.आर. द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान बी.आई.एफ.आर. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहने वाले अन्य रुग्ण सरकारी उपक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बी.आई.एफ.आर. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान एच.इ.सी. का निष्पादन बी.आई.एफ.आर. की संस्वीकृत पुनरूद्धार स्कीम में दिये गये लक्ष्यों से कम रहा है।

(ख) निष्पादन में कमी होने का मुख्य कारण क्रयादेश का अपर्याप्त होना रहा है।

(ग) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के अन्य सात उपक्रम हैं जो वर्ष 1999-2000 के दौरान बी.आई.एफ.आर. के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहे हैं। ये उपक्रम हैं : जेसप, ब्रेथवेट, बी.बी.वी.एल., बी.पी.सी.एल. आर.बी.एल., टी.एस.एल. तथा बर्न स्टैण्डर्ड लि.।

(घ) उठाए गए कदमों में प्रयोगकर्ता क्षेत्रों से क्रयादेश प्राप्त करने में सहयोग देने और बजटीय सहायता मुहैया कराते हुए सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के निष्पादन की गहनता से तथा नियमित रूप से मॉनिटरिंग करना शामिल है।

[हिन्दी]

अमेरिकी बाजार में भारतीय आम

6252. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जापान और यूरोपीय देशों में भारतीय आम की कितनी मांग है और किस हद तक इनकी पूर्ति किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): आमों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में उपलब्ध व्यापार सांख्यिकी के अनुसार यूरोपीय देशों द्वारा आमों के आयात में वृद्धि हुई है। भारतीय आम का हिस्सा मांग का लगभग 1.5 प्रतिशत है। भारतीय आम का निर्यात जापान को फल मक्खी की परेशानी की वजह से नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

अमरीकन आयात-निर्यात बैंक द्वारा ऋण का रुपए में भुगतान करने की गारंटी देने संबंधी योजना

6253. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकन आयात-निर्यात बैंक ने भारतीय कम्पनियों के लिए ऋण का रुपए में भुगतान करने की गारंटी देने संबंधी योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंक ने भारतीय कम्पनियों द्वारा अमरीका से वस्तुओं और सेवाओं का आयात करने के लिए डालर में किए गए ऋणों के प्रति भी अब तक गारंटी प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो नई योजना से भारतीय बैंकों और भारतीय व्यापारियों को कितनी मदद मिली है अथवा मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) यह योजना भारतीय कम्पनियों को विदेशी विनियम जोखिम से बचाने और घरेलू संसाधन जुटाने में सक्षम बनाएगी।

विशेष संघटक योजना के लिए धन

6254. श्री रतन लाल कटारिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न बैंक खातों में विशेष संघटक योजना के लिए धन के बिना उपयोग किए पड़े रहने से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विशेष संघटक योजना के लिए दी गई धनराशि का सही ढंग से उपयोग किए जाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सूचित किया है कि ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि देश में विभिन्न बैंक खातों में संघटक योजना (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान) का धन बिना उपयोग के पड़ा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

नोटों की छपाई

6255. श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री दिलीप संघाणी :
डा. अशोक पटेल :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या **वित्त मंत्री** 3 दिसम्बर, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 787 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1000 रु. के नोटों की छपाई से संबंधित सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ये नोट कब तक प्रचलन में आ जाएंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार एक, दो और पांच रु. मूल्यवर्ग के नोटों को फिर से छापने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 रु. मूल्य वर्ग की पुरानी श्रृंखला के नोटों को बंद करने के अपने निर्णय के अनुसार इन नोटों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है; और

(च) इस संबंध में लोगों को जानकारी देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) 1000 रुपए के नोटों की छपाई की तैयारियां अन्तिम चरण में हैं।

(ख) नये 1000 रुपए के नोट को जुलाई, 2000 के अन्त तक प्रचलन में लाने की संभावना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के नोटों के स्थान पर उनके सिक्के बनाये जा रहे हैं और इस प्रकार उपलब्ध क्षमता का उपयोग उच्चतर मूल्यवर्ग के नोटों के उत्पादन के लिए किया गया है। इसलिए, इन नोटों को छापना बन्द कर दिया गया है।

(ङ) और (च) 500 रुपए के विशेषरूप से पुराने डिजाइन (1987 की श्रृंखला) वाले जाली नोट बनाने की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कार्यालयों एवं अन्य सरकारी क्षेत्र बैंक की शाखाओं को अनुदेश जारी किए हैं कि 500 रुपए मूल्यवर्ग के पुराने डिजाइन वाले नोटों को जारी/पुन: जारी न करें बल्कि उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों को भेज दें। 500 रुपए मूल्यवर्ग के पुराने नोटों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए उठाए गए ये कदम विशुद्ध रूप से प्रशासनिक प्रकृति के हैं और यह नोट वैध मुद्रा के रूप में बने रहेंगे।

[अनुवाद]

पी.जी.एफ.आई.एल. को व्यवसाय की अनुमति

6256. श्री सी.पी. राधाकृष्णन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने पियरलैस जनरल फाइनेंस एंड इनवेस्टमैंट कम्पनी लिमिटेड को प्रतिदिन जमा और ठगाही योजना को चलाने, एकल जमाकर्त्ताओं और छोटे व्यवसायिओं से जमा एकत्र करने की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी योजना, जो कि स्पष्ट रूप से बैंकों के कार्यक्षेत्र में आती है, को चलाने की अनुमति गैर-बैंककारी वित्त संस्थानों को किस आधार पर दी गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जब तक पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट कंपनी लि. सहित कोई भी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन व है, तब तक ऐसी कंपनी के लिए प्रतिदिन जमा राशि एकत्र करने सहित जमाराशि जुटाने हेतु कानून में कोई प्रतिबंध नहीं है और इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक से किसी पूर्वानुमति की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों की प्रतिदिन जमा एवं ठगाही योजनाएं लम्बे समय से परम्परागत रूप से चल रही हैं और जिन क्षेत्रों में बैंक की पर्याप्त शाखाएं नहीं हैं, वहां उन्हें लोकप्रिय पाया गया है।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि

6257. श्री नवल किशोर राय:
श्री शमशेर सिंह दूल्लो:
श्री शंकर सिंह वाघेला:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु निर्धारित वार्षिक वृद्धि दर योजना के पिछले वर्षों के दौरान प्राप्त कर ली गई है;

(घ) यदि नहीं, तो योजना के दौरान प्रति वर्ष वार्षिक वृद्धि दर क्या रही है; और

(ङ) योजना के शेष वर्षों के दौरान अनुमानित वृद्धि दर क्या होगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन में उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वार्षिक औसत वृद्धि के मुकाबले उपादान लागत पर (आधार वर्ष 1993-94) वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 1997-98 में 5.0 प्रतिशत, 1998-99 में 6.8 प्रतिशत और 1990-2000 में 5.9 प्रतिशत थी।

[अनुवाद]

बैंक और वित्तीय संस्थाओं का निदेशक मण्डल

6258. श्री सुबोध मोहिते :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निदेशक मण्डलों के पुनर्गठन का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निदेशक मण्डलों में और जन प्रतिनिधियों को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र और वित्तीय संस्थाओं के निदेशक मण्डलों को कब तक पुनर्गठित कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निदेशक मण्डल निरन्तर बनी रहने वाली सत्ताएं हैं और उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को समय-समय पर भरा जाता है।

(ग) और (घ) इन निदेशक मण्डलों में निदेशकों की नियुक्ति संगत संविधियों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाती है। इन संविधियों में विभिन्न श्रेणियों/हित समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन निदेशक मण्डलों में अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति की व्यवस्था है।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निदेशक मण्डल में निदेशकों की रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों पर आयात शुल्क

6259. श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री सुखदेव पासवान :
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पिछले एक वर्ष के दौरान अनेक खाद्यान्नों पर आयात शुल्क में वृद्धि की गई है;

(ख) यह वृद्धि प्रत्येक खाद्यान्न पर कितनी है;

(ग) यह वृद्धि कब से लागू की गई तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश के किसानों को इससे किस प्रकार लाभ होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, हां। कुछ खाद्यान्नों पर मूल सीमा शुल्क की दरों में वृद्धि की गई है।

(ख) और (ग) खाद्यान्नों के नाम तथा निर्धारित शुल्क दरों को नीचे दिया गया है:

1. गेहूं - 50%
2. स्पेल्ट - 50%
3. मक्का (अनाज) - 50%
4. धान (धान या मोटा) - 80%
5. धान (भूरा) - 80%
6. सेमी मिल्ड अथवा पूर्णत: मिल्ड चावल (चाहे उस पर पॉलिस की गई हो अथवा चमकीला बनाया गया हो या नहीं) - 70%
7. टूटा चावल - 80%
8. सोरघुम अनाज - 50% और
9. बाजरा - 50%

ऐसी आशा है कि इन परिवर्तनों से इन अनाजों के आयात में कमी आएगी। यद्यपि गेहूं पर 1.12.99 से शुल्क लगाया गया था ताकि केन्द्रीय पूल से इसकी उठाई को बढ़ावा दिया जा सके, अन्य मामलों में दिनांक 5.4.2000 से वृद्धि लागू की गई थी।

(घ) आयात शुल्क में वृद्धि से खाद्यान्नों के आयातों को नियंत्रित किया जा सकेगा; तथा इससे घरेलू किसानों के हितों की रक्षा होगी। इस उपाय से तथा साथ ही सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) तंत्र से, आयातित उत्पाद/उत्पादों से प्रतियोगिता की स्थिति में किसानों को अपने उत्पादन को अलाभकर कीमतों पर नहीं बेचना पड़ेगा।

[अनुवाद]

आई.ओ.सी. को कारण बताओ नोटिस

6260. श्री अधीर चौधरी :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता सीमा शुल्क विभाग ने पेट्रोलियम उत्पादों के आयात संबंधी कथित सीमा शुल्क अपवंचन के लिए आई.ओ..सी. को 2000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की तेल कंपनियां करोड़ों रुपयों का कर अपवंचन कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. धर्मलिंग कुमार): (क) और (ख) जी हां। कलकत्ता सीमा शुल्क गृह ने मैसर्स इंडियन ऑयल कारपोरेशन को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसमें सीमा शुल्क, अनिवार्य अर्थदण्ड और ब्याज सहित कुल देनदारी की रकम 2000 करोड़ रुपये से अधिक बैठती है। उक्त कारण बताओ नोटिस का अब न्याय निर्णयन कर लिया गया है और सीमा शुल्क की मांग की पुष्टि कर दी गई है। सीमा शुल्क के बराबर अनिवार्य अर्थदण्ड लगाया गया है और शुल्क की राशि पर 20 प्रतिशत की दर से ब्याज की भी मांग की गई है।

(ग) और (घ) सीमा शुल्क गृहों को तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात किए जाने के ऐसे मामलों का पता चला है जिनमें विभिन्न मदों पर किए गए व्यय को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत निर्धार्य मूल्य में शामिल नहीं किया गया था, अत: जांच पड़ताल करने के बाद, सीमा शुल्क गृहों ने न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां आरंभ कर दी हैं, किए जाने वाले उपायों में कारण बताओ नोटिस जारी करना, न्यायनिर्णयन, उचित जुर्माना और अर्थदण्ड लगाना और उसकी वसूली करना शामिल है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेन्ट

6261. श्रीमती रेणु कुमारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा क्षेत्र को बढ़ाने में प्राथमिकता नही दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत एजेन्टों को शहरी क्षेत्रों में कार्यरत एजेन्टों के समान प्रशिक्षण और वृत्तिका की सुविधा न देने का क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में शहरी आजीविका एजेन्टों के समान ग्रामीण आजीविका एजेन्टों को नियुक्त करने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि वे बीमा कारोबार में ग्रामीण क्षेत्र को उचित प्राथमिकता देते हैं। वस्तुत: मौजूदा समय में जीवन बीमा निगम के नए कारोबार का 50% से अधिक हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से ही आ रहा है।

जीवन बीमा निगम ने ग्रामीण युवाओं को अवसर मुहैया कराने के लिए विशेष रूप से "ग्रामीण आजीविका एजेंट योजना" बनाई है। इसमें एजेंटों के लिए 4 सप्ताह के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्हें पहले वर्ष में 750/- रु. प्रतिमाह और दूसरे वर्ष 600/- रु. प्रतिमाह की वृत्तिका दी जाती है। अधिक अनुभव और प्रशिक्षण देने के लिए विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध करने की अतिरिक्त सुविधा भी उन्हें दी जाती है। यह सुविधा "शहरी आजीविका एजेंटों" को नहीं दी जाती।

(ग) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि "ग्रामीण आजीविका एजेंट योजना" और "शहरी आजीविका एजेंट योजना" की अपनी निश्चित विशेषताएं हैं और दोनों योजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं। "ग्रामीण आजीविका एजेंट योजना" वर्ष 1979 से चल रही है। इस योजना के अंतर्गत एजेंटों को ग्रामीण क्षेत्रों में निगम द्वारा नियुक्त किया जाता है। ग्रामीण आजीविका एजेंट की नियुक्ति के नियम "शहरी आजीविका एजेंटों" की भर्ती के नियमों की भांति कठोर नहीं है।

"ग्रामीण आजीविका एजेंट" के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अभ्यर्थी को क्षेत्रीय भाषा में एक सरल योग्यता परीक्षा तथा साक्षात्कार में उत्तीर्ण होना होता है।

(घ) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

उत्पाद शुल्क से छूट

6262. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू प्लास्टिक उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगता है जबकि स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम से बनी घरेलू वस्तुओ, छुरी-कांटे और शीशे से बने सामानों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को प्लास्टिक उद्योग विशेषकर महाराष्ट्र से इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्लास्टिक उद्योग के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) स्टेनलैस स्टील, एल्यूमिनियम से बने घरेलू सामान, छुरी-कांटों और टेबल पर रखी जाने वाली कांच की वस्तुओं पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं है। कुछेक शर्तों पर एक वित्तीय वर्ष में प्लास्टिक उत्पादों के लिए 50 लाख रुपये तक उत्पाद शुल्क से छूट है, बशर्ते कि उनका उत्पादन लघु क्षेत्र की इकाइयों द्वारा किया गया हो।

(ख) विभिन्न वस्तुओं के लिए शुल्क ढांचे का निर्णय माल के स्वरूप और उसके उपयोग, कर वसूली को प्रशासनिक संभाव्यता, मूल्य वर्द्धन की राशि, माल की कर-भार वहन करने की क्षमता, राजस्व संभाव्यता आदि जैसे बहुत से कारकों को ध्यान में रख कर लिया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) महाराष्ट्र सहित कुछेक एसोसिएशनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्लास्टिक की वस्तुओं पर बजट-पूर्व छूट योजना को फिर से लागू करने की मांग की गई है।

बजट 2000-2001 में प्लास्टिक सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क की दर को 24% से घटाकर 16% कर दिया गया था। प्लास्टिक की वस्तुओं पर भी उत्पाद शुल्क की दर को 24% से घटा करके 16% कर दिया गया था। फिलहाल, प्लास्टिक के घरेलू सामान पर शुल्क ढांचे को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ट्रांसमीटरों का उन्नयन

6263. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान बहुत कम शक्ति वाले उन ट्रांसमीटरों का ब्यौरा क्या है जिनका उन्नयन कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में किया गया;

(ख) सरकार ने बहुत कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का उन्नयन कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में और कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का उन्नयन उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में करने पर कितना अनुमानित व्यय किया;

(ग) क्या देश के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अभी भी दोषपूर्ण और घटिया ट्रांसमीटरों के कारण दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं देख पाते; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1.4.1997 और 31.3.2000 के बीच चार अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों का अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों में उन्नयन किया गया है। उनके स्थान निम्न प्रकार से हैं:

(1) मियाओ - अरूणाचल प्रदेश

(2) पटनागढ़ - उड़ीसा

(3) उदमलपेट - तमिलनाडु

(4) हल्द्वानी - उत्तर प्रदेश

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित स्थानों पर अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों में बदलने के लिए 371.35 लाख रुपये का पूंजीगत व्यय मंजूर किया गया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वित अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में बदलने के लिए 3881.36 लाख रुपये का पूंजीगत व्यय को मंजूर किया गया था।

(ग) और (घ) दूरदर्शन नेटवर्क के ट्रांसमीटर सामान्यतया संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में दूरवर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या सहित देश की लगभग 87.9% जनसंख्या को स्थलीय टी.वी. सेवा द्वारा कवर किए जाने का अनुमान है। कवरेज का और विस्तार करने के लिए देश के विभिन्न भागों में 310 ट्रांसमीटर परियोजनाएं इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं।

नई कोयला खानें/भंडार

6264. श्री दिलीप संघाणी :
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान कई राज्यों में कुछ नई कोयला खानों/भंडारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थलवार, भंडारवार और ग्रेडवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कोयले के इन भंडारों का दोहन करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) कैलेण्डर वर्ष 1999-2000 के दौरान कोई नया कोलफील्ड नहीं खोजा गया है। किन्तु, देश में कोयला भंडारों का अन्वेषण/संकलन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) द्वारा अनवरत आधार पर किया जाता है। ऐसे अन्वेषण के द्वारा कोयले के भंडारों को जी.एस.आई. द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को अद्यतन किया जाता है। कैलेण्डर वर्ष 1999 के दौरान पहले से पता लगे भंडारों में 2.86 बिलियन टन नए कोयला भंडारों को जोड़ा गया है, जिनके स्थल-वार और भंडार-वार ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं:-

(बिलियन टन में)

स्थल	कुल भंडार
1	2
पश्चिम बंगाल	0.01
बिहार	0.38
मध्य प्रदेश	0.73
महाराष्ट्र	0.10
उड़ीसा	1.39
आंध्र प्रदेश	0.25
जोड़	2.86

उपर्युक्त के ग्रेड-वार ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं:-

ग्रेड	मात्रा (बिलियन टन में)
प्राइम कोककर	शून्य
मीडियम कोककर	0.36
अर्द्ध कोककर	शून्य
अ-कोककर	2.50
टरटैरी	शून्य
जोड़	2.86

(ग) क्षेत्रीय/प्रोन्नत ड्रिलिंग के बाद विस्तृत ड्रिलिंग के लिए संभावित ब्लॉकों को विनिर्दिष्ट किया जाता है और विस्तृत ड्रिलिंग और भू-गर्भीय रिपोर्ट जो आयोजना के मूल दस्तावेज होते हैं, तैयार करने में लगभग 3 वर्ष का समय लग जाता है। इसके बाद कोयला खान की परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसे कंपनी बोर्ड और कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) के अनुमोदन के बाद भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जाती है। भूमि अधिग्रहण, वन भूमि की मंजूरी और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ई.एम.पी.) के अनुमोदन के बाद ही भंडारों का दोहन किया जा सकता है। अत: किसी खास ब्लाक में खनन कार्य शुरू करने में क्षेत्रीय/प्रोन्नत ड्रिलिंग के बाद लगभग 6 से 7 वर्ष का समय लग जाता है।

आंध्र प्रदेश को दूरसंचार क्षेत्र हेतु आई.डी.बी.आई. द्वारा ऋण

6265. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) ने आंध्र प्रदेश को 2000-2001 के लिए दूरसंचार क्षेत्र हेतु किन्हीं आवधिक ऋणों की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे ऋणों को केवल सेल्युलर फोन आपरेटरों के लिए ही मंजूर किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस ऋण को देने का उद्देश्य क्या है;

(ङ) क्या आई.डी.बी.आई. को ऋणों को चुकाने पर सेल्युलर फोन की कीमतें आंध्र प्रदेश में और अधिक हो जाएंगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) और (च) दूरसंचार शुल्क का निर्धारण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

जाली दस्तावेजों पर बैंक ऋण

6266. श्री रामदास आठवले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जनवरी, 2000 के "नवभारत टाइम्स" के दिल्ली संस्करण में "फर्जी कागजों के आधार पर ऋण देने के आरोप में बैंक के चार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कुछ और मामलों का भी पता चला था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) कितने मामलों में जांच कराई गई है/पूरी कर ली गई है;

(च) ऐसी जांच के दौरान किन तथ्यों का पता चला और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई; और

(छ) केन्द्र द्वारा बैंक अधिकारियों को ऐसे मामलों में सतर्क रहने के लिए क्या निर्देश जारी किए गए अथवा जारी करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विजया बैंक की बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली शाखा में मैसर्स यू.एस.आर. एक्सपोर्ट्स के नाम से उसके मालिक द्वारा अपनी व्यक्तिगत हैसियत से परिचय कराए जाने पर अप्रैल 1994 में एक चालू खाता खोला गया था और मार्च 1997 में 50 लाख रुपए की ऋण सीमाओं की अनुमति प्रदान की गई थी और बाद में सहायक महाप्रबंधक द्वारा अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत मई 1997 में 70 लाख रुपए की अतिरिक्त सीमा मंजूर की गई थी। वे सीमाएं एक अन्य पक्ष की भू-सम्पत्ति की संपार्श्विक प्रतिभूति के बदले मंजूर की गई थी, जो ऋण सुविधाओं का गारंटीदाता भी था। अगस्त 1998 में स्थल पर किए गए निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि दस्तावेज में उल्लिखित स्थान पर सम्पत्ति विद्यमान नहीं थी। जांच करने पर इस बात की पुष्टि हुई कि गारंटीदाता का संपत्ति पर कोई हक नहीं था और दस्तावेज फर्जी/जाली थे। बैंक द्वारा की गई प्रारंभिक जांच से ऋण सुविधाओं की मंजूरी में शाखा अधिकारियों की ओर से गंभीर अनियमितताओं का पता चला। इस मामले की सूचना केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) को दे दी गई थी और उन्होंने एक नियमित मामला दर्ज कर लिया है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित एक करोड़ रुपए और इससे अधिक की राशि वाले ऐसे मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) से (छ) बैंक धोखाधड़ियों के इन सभी मामलों की सूचना जांच के लिए सी.बी.आई./स्थानीय पुलिस को देते हैं। उपर्युक्त प्रकृति की धोखाधड़ी का निवारण सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के अपने आंतरिक मार्गनिर्देश हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी पर्यवेक्षण संबंधी जिम्मेदारी के एक भाग के रूप में बैंकों के खिलाफ की गई धोखाधड़ियों की कार्यप्रणाली की ओर बैंकों का ध्यान आकृष्ट करता है और प्रणाली एवं नियंत्रण की उन कमियों के बारे में बताता है, जिनकी वजह से धोखाधड़ियां करने में आसानी होती है और इस प्रकार के मामलों के खिलाफ सतर्क रहने के लिए बैंकों को समय-समय पर मार्गनिर्देश जारी करता है।

विवरण

क्र.सं.	बैंक का नाम	1997		1998		1999	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	भारतीय स्टेट बैंक	1	2.47	2	4.07	0	0
2.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	1	1.85	0	0	0	0
3.	आन्ध्रा बैंक	0	0	1	1.76	0	0
4.	बैंक आफ बड़ौदा	0	0	1	11.72	0	0
5.	बैंक आफ इंडिया	0	0	0	0	2	4.85
6.	केनरा बैंक	0	0	2	120.22	1	2.00
7.	इंडियन बैंक	0	0	0	0	1	5.67
8.	इंडियन ओवरसीज बैंक	0	0	0	0	1	5.42
9.	पंजाब नेशनल बैंक	0	0	2	6.19	0	0
10.	पंजाब एंड सिंध बैंक	0	0	0	0	1	8.55
11.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	0	0	2	3.58	0	0
12.	विजया बैंक	0	0	1	1.19	0	0
	कुल	2	4.32	11	148.73	6	26.49

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश के लिए हथकरघा योजनाएं

6267. श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री राजो सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा देश में विशेषकर मध्य प्रदेश और बिहार में हथकरघा उद्योग के विकास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई है;

(ख) क्या पिछड़े क्षेत्रों में, विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में और अधिक हथकरघा उद्योग स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरणी एम. रामचन्द्रन): (क) सरकार हथकरघा क्षेत्र तथा बुनकरों के समग्र विकास के लिए विभिन्न स्कीमें तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। इनमें प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम, कार्याशाला-सह-आवास स्कीम, थ्रिफ्ट फंड स्कीम, समूह बीमा स्कीम, स्वास्थ्य पैकेज स्कीम, स्वतंत्र डिजाइनरों की स्कीम, निर्यात विकास स्कीम, बुनकरों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण स्कीम, मिल गेट कीमत पर यार्न की आपूर्ति स्कीम तथा हैंक यार्न बाध्यता आदेश स्कीमें शामिल हैं ये मध्य प्रदेश एवं बिहार सहित पूरे देश में हैं।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों के माध्यम से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने पर मध्य प्रदेश सहित देश में पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बुनकरों सहित हथकरघा क्षेत्र तथा बुनकरों के लाभ के लिए विभिन्न विकासात्मक स्कीमों

के अंतर्गत निधियां जारी की जाती हैं। 1999-2000 के दौरान मध्य प्रदेश को विभिन्न हथकरघा विकासात्मक स्कीमों के अंतर्गत जारी की गई निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	जारी की गई राशि
1.	प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम	78.40
2.	थ्रिफ्ट फंड स्कीम	2.96
3.	विपणन विकास सहायता	99.59
4.	नई बीमा स्कीम	1.83
	कुल	182.78

हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र

6268. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक हस्तशिल्प विपणन और सेवा विस्तार केन्द्र का क्षेत्र और क्षेत्राधिकार क्या है और श्रेणीवार कर्मचारियों की मानक संख्या क्या है;

(ख) क्या न सम्हाले जा सकने योग्य बड़े क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए केन्द्र बुनकरों और शिल्पकारों के लिए समुचित विकास और मार्गदर्शन सुनिश्चित करेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक विपणन और सेवा विस्तार केन्द्र का क्षेत्र कम करने और शिल्पकारों की सहायता के लिए कर्मचारियों को ठीक से प्रशिक्षित करने हेतु योजना में संशोधन करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) 52 हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्रों के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

प्रत्येक हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र के लिए स्वीकृत स्टाफ में एक सहायक निदेशक, एक हस्तशिल्प संवर्धन अधिकारी, एक अन्वेषक, एक तकनीकी सहायक (शिल्प)/उच्च श्रेणी लिपिक, एक अवर श्रेणी लिपिक और एक हेल्पर/चौकीदार सम्मिलित हैं।

(ख) और (ग) पूर्व में, 47 हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्रों ने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों में हस्तशिल्प के विकास के लिए सुविधाएं देने और हस्तशिल्प कारीगरों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश भर में फैले विभिन्न केन्द्रों के अन्तर्गत आने वाले बड़े भूभाग को मद्देनजर रखते हुए ऐसे 5 नये केन्द्र सूरत, वाराणसी, थिरूवनथापुरम, एजवाल और विजयवाड़ा में स्थापित किये गये हैं।

समय-समय पर हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्रों के चयनित कर्मचारियों को प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षित किया जाता है जिससे कि उनको शिल्पियों को आगे सहायता देने में सुविधा होती है।

विवरण

मौजूदा विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्रों के क्षेत्रवार जिलों/क्षेत्रों/कार्य क्षेत्रों का विवरण

पूर्वोत्तर क्षेत्र

असम

1. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, गौरीपुर

धुबरी (2) बारपेट (3) दारांग (4) कोकराझार (5) कामरूप (6) लखीमपुर (7) गोलपारा (8) मंगलदाई (9) सोनितपुर

2. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, जोरहाट

जोरहाट (2) डिब्रूगढ़ (3) सिब सागर (4) नवा गांव (5) कर्बी अंगलोग (6) कच्छार (7) करीमगंज (8) उत्तरी कच्छार पहाड़ियां

त्रिपुरा

3. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, अगरत्तला

पूरा त्रिपुरा राज्य

मणिपुर

4. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, इम्फाल

पूरा मणिपुर राज्य

अरुणाचल प्रदेश

5. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, पुराना इटानगर

पूरा अरुणाचल प्रदेश

नागालैण्ड

6. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, कोहिमा

पूरा नागालैंड राज्य

मेघालय

7. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, शिलांग

मेघालय राज्य के सभी जिले

मिजोरम

8. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, आईजोल

मिजोरम राज्य के सभी जिले

पूर्वी क्षेत्र

पश्चिम बंगाल

9. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, बर्द्धवान

बर्द्धवान (2) बांकुरा (3) पुरलिया (4) हुगली (5) 24 परगना (उत्तरी) (6) 24 परगना (दक्षिण) (7) हावड़ा (8) मिदनापुर (9) मुर्शिदाबाद (10) बीरभूम (11) नादिया

10. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, सिलीगुड़ी

दार्जिलिंग (2) कूच बिहार (3) जलपाईगुडी (4) पश्चिम दिनाजपुर (5) मालदा

सिक्किम

11. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, गंगटोक

पूरा सिक्किम राज्य

उड़ीसा

12. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, सम्भलपुर

संबलपुर (2) बोलांगीर (3) सुन्दरगढ़ (4) कालाहांडी (5) धेंकनाल (6) केन्दझार (7) फुलबनी

13. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, भुवनेश्वर

बालेश्वर (2) कटक (3) पुरी (4) गन्जम (5) कोरापुट (6) मयूरभंज

बिहार

14. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, दुमका

दुमका (संथल परगना) (2) साहेबगंज (3) दयोगढ़ (4) गोड्डा (5) भागलपुर (6) मुंगेर (7) नवादा (8) गया (9) गिरिधि (10) धनबाद (11) नालंदा

15. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, मधुबनी

मधुबनी (2) दरभंगा (3) समस्तीपुर (4) वैशाली (5) मुज्जफरपुर (6) पूर्वी चम्पारण, (7) पश्चिमी चम्पारण (8) बेगुसराय (9) सीतामढ़ी (10) छपरा (11) सिवान (12) गोपालगंज (13) पटना (14) खगड़या (15) सहरसा (16) पुरनिया (17) माधोपुरा (18) कठिहार

16. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, रांची

रांची (2) रोहतास (3) जहानाबाद (4) सिंहभूम (5) गुमाला (6) लोहारदगा (7) हजारीबाग (8) पलामू (9) औरंगाबाद (10) भोजपुर

मध्य क्षेत्र

उत्तर प्रदेश

17. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, आगरा

आगरा (2) अलीगढ़ (3) बांदा (4) इटावा (5) एटा (6) फर्रुखाबाद (7) हमीरपुर (8) जालौन (9) मथुरा (10) मैनपुरी (11) ललितपुर (12) झांसी

18. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, सहारनपुर

सहारनपुर (2) बिजनौर (3) देहरादून (4) उत्तरकाशी (5) मुज्जफरनगर (6) गाजियाबाद (7) मेरठ (8) बुलन्दशहर (9) पौडी गढ़वाल (10) टिहरी गढवाल (11) चमोली (12) हरिद्वार

19. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, अल्मोड़ा

अल्मोड़ा (2) नैनीताल (3) पिथौरागढ़ (4) रामपुर (5) मुरादाबाद (6) पीलीभीत (7) बरेली (8) शाहजाहंपुर (9) बदायुं (10) लखीमपुर (खेरी) (11) उधमसिंह नगर

20. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, बाराबंकी

बाराबंकी (2) लखीमपुर (खीरी) (3) शाहजहांपुर (4) हरदोई (5) सीतापुर (6) बहराइच (7) बलरामपुर (8) गोंडा (9) कानपुर शहर (10) कानपुर देहात (11) लखनऊ (12) राय बरेली (13) फैजाबाद (14) शारवस्ती (15) सुल्तानपुर (16) फतेहपुर (17) उन्नाव

21. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, वाराणसी

वाराणसी (2) सोनभद्र (3) इलाहाबाद (4) बदोही (संत रविदास नगर) (5) कौसांबी (6) साहूजी नगर (7) मिर्जापुर (8) चंदोली (9) गाजीपुर (10) मऊ (11) जौनपुर (12) प्रतापगढ़ (13) अम्बेडकर नगर (14) बस्ती (15) गोरखपुर (16) महाराजगंज (17) कुशीनगर (18) बलिया (19) देवरिया (20) सन्त कबीर नगर (21) आजमगढ़ (22) सिद्धार्थ नगर

पश्चिमी क्षेत्र

मध्य प्रदेश

22. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, ग्वालियर

ग्वालियर (2) भिंड (3) मुरैना (4) दतिया (5) शिवपुरी (6) गुना (7) विदिशा (8) भोपाल (9) टीकमगढ़ (10) छतरपुर (11) पन्ना (12) सतना (13) दमेच (14) सागर (15) रायसेन (16) नरसिंहपुर

23. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, पणजी

पूरा गोवा राज्य

24. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, नीमच

(1) मंदसौर (2) रतलाम (3) झबुआ (4) उज्जैन (5) इन्दौर (6) शाजापुर (7) राजगढ़ (8) धार (9) खांडवा (10) खार गांव (11) देवास (12) सेहोर (13) हौजरगाबाद (14) बेतवाल (15) छिंदवाड़ा

25. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, भुज

(1) कच्छ (2) राजकोट (3) जामनगर (4) भावनगर (5) जूनागढ़ (6) अमरेली (7) पोरबन्दर (8) सुरेन्द्रानगर (9) दीव (यूटी)

26. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, नागपुर

(1) नागपुर (2) भान्द्रा (3) चन्द्रपुर (4) गोडछिरोकी (5) यवतमाल (6) अकोला (7) बुलधाना (8) अमरावती (9) वर्धा

27. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, जगदलपुर

(1) बस्तर (2) राजपुर (3) राजगढ़ (4) सरगुजा (5) बिलासपुर (6) दुर्ग (7) राजनंद गांव (8) बालाघाट (9) सिओनी (10) मांडला (11) शाहदोल (12) जबलपुर (13) सिधी (14) रीवा।

28. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, कोल्हापुर

(1) कोल्हापुर (2) सिन्धु दुर्ग (3) सांगली (4) सतारा (5) रतनागिरी (6) पूणे (7) राजगढ़ (8) मुम्बई (9) थाने (10) नासिक।

29. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, औरंगाबाद

(1) औरंगाबाद (2) जालना (3) परभानी (4) बीड (5) लातूर (6) सोलापुर (7) उसमानाबाद (8) अहमदनगर (9) धुलिआ (10) जलगांव (11) नांदेड।

30. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, सूरत

(1) सूरत (2) वलसाद (3) बड़ौदा (4) भड़ौच/नर्मदा (5) नवसार (6) अहमदाबाद (7) गांधी नगर (8) डेंग (9) खेडा (10) पंचमहल (11) दाहोड (12) सबरकान्था (13) आनन्द (14) मेहसाना (15) पातन (16) दादर एवम् हवेली (यूटी) (17) दमन (यूटी)।

दक्षिणी क्षेत्र

आन्ध्र प्रदेश

31. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, विजयवाड़ा

(1) कृष्णा (2) गुन्टुर (3) पूर्व गोदावरी (4) खम्माम (5) विशाखापत्तनम (6) विजियाग्राम (7) श्रीकाकुलेम (8) पश्चिम गोदावरी

32. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, तिरुपति

(1) चित्तौड़ (2) नैल्लोर (3) प्रकासम (4) कुरनूल (5) अनंतपुर (6) कुडाप्पन

33. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, हैदराबाद

(1) वारांगल (2) करीमनगर (3) निजामाबाद (4) अदिलाबाद (5) मेडक (6) रंगारेड्डी (7) महबूब नगर (8) नालगोन्डा (9) हैदराबाद।

कर्नाटक

34. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, मंगलूर

(1) धारवाड़ (2) बेलगाम (3) बीजापुर (4) उ. कन्नार (5) द. कन्नारा (6) गुलबरगा (7) बीदर (8) रायचुर (9) बेल्लारी।

35. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, मैसूर

(1) मैसूर (2) बंगलौर (3) मान्डया (4) हासन (5) तमकुर (6) चित्रदुर्ग (7) चिकमगलूर (8) कोलार (9) शिमोगा (10) कोडागु।

तमिलनाडु

36. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र नागरकोईल

(1) कन्याकुमारी (2) मदुरै (3) रामानाथपुरम (4) पुडेकोट्टई (5) तिरूनिवेली।

37. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, सलेम

(1) सलेम (2) धर्मपुरी (3) नीलगिरि (4) कोइमबटूर (5) उत्तरी आरकोट।

अंडमान और निकोबार

38. (1) विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, पोर्ट ब्लेयर

पूर्णतया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

39. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, पांडिचेरी

(1) पांडिचेरी (2) चेन्नई (3) चिंगलपुट (4) दक्षिणी आरकोट (5) त्रिची (6) तन्जौर।

केरल

40. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, तिरूवनन्तपुरम :

(1) तिरूवनन्तपुरम (2) कोल्लाम (3) अल्लापुझा (4) पत्तनमथिट्टा (5) इड्डिकी (6) कोट्टायम (7) इरनाकुलम (8) लक्षद्वीप द्वीप समूह।

41. विपणन एवं सेवा केन्द्र, तिस्सुर :

(1) तिस्सुर (2) पालघाट (3) माल्लापुरम (4) कोझीकोड (5) व्यान्द (6) कन्नूर (7) कसरगोड

उत्तरी क्षेत्र

पंजाब

42. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, होशियारपुर

सिवाय चंडीगढ़ के सम्पूर्ण पंजाब

राजस्थान

43. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, जयपुर

(1) जयपुर (2) अलवर (3) सीकर (4) अजमेर (5) झुंझुनु (6) चुरू (7) टोंक (8) बूंदी (9) सवाई माधोपुर (10) भरतपुर (11) कोटा (12) झालवर (13) भीलवाड़ा (14) चित्तौड़ (15) धौलपुर

44. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, जोधपुर

(1) जोधपुर (2) गंगानगर (3) बीकानेर (4) नागौर (5) पाली (6) सिरोही (7) जालौर (8) जैसलमेर (9) बाड़मेर (10) उदयपुर (11) डूंगरपुर (12) बांसवाड़ा

हरियाणा

45. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, रिवाड़ी

सारा हरियाणा, दिल्ली (यूटी) तथा चंडीगढ़ (यू.टी.)

हिमाचल प्रदेश

46. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, कुल्लू

सारा हिमाचल प्रदेश

जम्मू और कश्मीर

47. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, अनन्तनाग

(1) अनन्तनाग (2) पुलवामा

48. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, बारामूला

(1) बारामूला (2) कुपवाड़ा

49. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, लेह

(1) लेह (2) कारगिल

50. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, श्रीनगर

(1) श्रीनगर (2) बड़गाम

51. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, ऊधमपुर

(1) ऊधमपुर (2) डोडा (3) कठुआ।

52. विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र, जम्मू

(1) जम्मू (2) पूंछ (3) राजौरी।

खान के मुहाने पर कोयले का भंडार

6269. श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला खानों के मुहानों पर भंडारण के लिए कोयले की मात्रा की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान खानों के मुहानों पर कोयले के कितने भंडार है और इसका विक्रय मूल्य कितना है;

(घ) क्या इन मुहानों पर भंडार किए गए कोयले की समय-समय पर जांच की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 के दौरान की गई जांच का ब्यौरा क्या है; और

(च) मुहानों पर कोयले की मात्रा की किस तरह माप की जाती है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लि. के अधीन अनुषंगी कंपनियों की भंडारण नीति इस प्रकार है:-

(1) किसी अनुषंगी कंपनी के लिए समग्र रूप में, मुहाने पर कंपनी का स्टाक एक माह के उत्पादन के बराबर होना चाहिए;

(2) प्रत्येक कोलियरी में मुहाने का स्टाक तीन माह के उत्पादन से अधिक नहीं होना चाहिए; तथा

(3) कोलियरी के मुहानों पर हमेशा पर्याप्त स्टाक होना चाहिए ताकि उपलब्ध वैगनों का समय से लदान किया जा सके।

(ग) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार विक्रय योग्य कोयले का अनुषंगी कंपनी-वार अनंतिम बुक-स्टाक इस प्रकार है:-

(लाख टन में)

ई.को.लि.	30.60
भा.को.को.लि.	32.77
से.को.लि.	43.54
ना.को.लि.	14.42
वे.को.लि.	23.21
सा.ई.को.लि.	70.94
म.को.लि.	54.93
ना.ई.को.	5.78
कुल को.इं.लि.	276.19

(घ) और (ङ) जी, हां। 1999-2000 के दौरान को.इं.लि. में अपनी सभी खानों और वाशरियों में दिनांक 1.4.1999 की स्थिति के अनुसार कोयले के स्टाक की भौतिक जांच कराई है। वर्ष के दौरान को.इं.लि. द्वारा 44 मुहानों पर जांच सर्वेक्षण भी आयोजित किए गए।

(च) मापन दलों का मार्ग-निर्देशन विद्यमान मानदंडों तथा स्थापित सर्वेक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। मापन दल निम्नलिखित रूप से स्टाक की जांच करते हैं:-

(1) भंडारण के विभिन्न स्थलों पर स्टाक का भौतिक मापन किया जाना।

(2) वर्ष की पहली अप्रैल को स्टाक का परिकलन पिछले वर्ष की पहली अप्रैल को अंगीकृत स्टाक को आधार मानकर तथा वर्ष के दौरान उत्पादन तथा उठान का समायोजन करके किया जाता है।

(3) वर्ष की पहली अप्रैल की स्थिति के अनुसार बुक स्टाक की तुलना किया जाना।

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड का विनिवेश

6270. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनिवेश आयोग ने नवम्बर, 1997 की अपनी पांचवीं रिपोर्ट में हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड की महत्वपूर्ण बिक्री की सिफारिश इस शर्त के साथ की है कि सरकार 26 प्रतिशत इक्विटी अपने पास रखेगी और महत्वपूर्ण खरीददार कंपनी के परिचालन में नई प्रौद्योगिकी शामिल करेगा और कंपनी को चलाएगा;

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार उक्त उपक्रम को बंद करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) विनिवेश आयोग ने अपनी पांचवीं रिपोर्ट में सिफारिश की है कि सरकार हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड में कंपनी के हिस्से के 74 प्रतिशत तक की पेशकश किसी अनुकूल क्रेता को कर सकती है। विनिवेश आयोग के अनुसार, हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड की आमूल परिवर्तन योजना शुरू करने के लिए तथा नई प्रौद्योगिकियों को सन्निविष्ट करने के लिए भी किसी अनुकूल क्रेता का समावेशन वांछनीय है।

(ख) सरकार ने विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

पेटेण्ट प्रणाली

6271. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुंदरलाल तिवारी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकसित देशों में प्रचलित पेटेण्ट प्रणाली से, नवीनतम प्रौद्योगिकी के कारण बेहतर वित्तीय लाभ मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय कम्पनियों को अप्रचलित और तीसरे दर्जे की प्रौद्योगिकी की सीधी खरीद की अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लेने का क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां फेरा/फेमा के तहत 40% तक की विदेशी इक्विटी पर प्रतिबंध के कारण नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने में रुचि नहीं दिखा रही है, और

(च) यदि हां, तो ऐसी नीति अपनाने का सामाजिक और वित्तीय औचित्य क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) विकसित देशों में एक सुदृढ़ पेटेंट व्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया सुरक्षित वातावरण न केवल आविष्कारपूर्ण/रचनात्मक कार्यकलापों के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, बल्कि यह निवेशकों को नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, विशेषकर उन प्रौद्योगिकियों का जिन्हें अनुसंधान पर संसाधनों के वृहद् परिव्यय से विकसित किया जाता है। इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन सुविधाओं की स्थापना, बिक्री और सेवाओं की अधिक बड़ी मात्रा अवसंरचनात्मक विकास और रोजगार सृजन के रूप में सामने आता है, जिनका सम्मिलित प्रभाव उच्च आर्थिक और वित्तीय लाभों पर पड़ता है।

(ग) और (घ) भारतीय कंपनियों को अपने वाणिज्यिक विवेक और प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं के अनुसार अपने विदेशी सहयोगियों के साथ प्रौद्योगिकी अंतरण की शर्तें तय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है।

(ङ) और (च) वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार एक लघु नकारात्मक सूची और क्षेत्रों को छोड़कर जहां राष्ट्रीय हितों के मूल्यांकन के आधार पर विदेशी इक्विटी सीमाओं की व्यवस्था की गयी है, अधिकांश क्षेत्रों में 100% विदेशी इक्विटी की अनुमति है। पूर्व में भी ऐसे मामलों में 100% सहायक कंपनियों को अनुमति प्रदान की जाती थी जहां विदेशी सहयोगकर्त्ता द्वारा अनुसंधान और विकास में बड़े पैमाने पर संसाधनों के उपयोग

से विकसित की गयी प्रौद्योगिकी को लाने का प्रस्ताव किया जाता था और जो मालिकाना प्रकृति की होती थी। इसके अतिरिक्त लागू आयात-निर्यात नीति के अनुसार, कंपनियों को पूंजीगत माल के आयात की खुली अनुमति है।

रेडियो नेटवर्क का निजीकरण

6272. श्रीमती मिनाती सेन: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार, रेडियो नेटवर्क को निजी भारतीय कंपनियों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) सरकार ने 100 प्रतिशत भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों को प्रथम चरण में 40 शहरों में 108 एफएम रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने की अनुमति देने का निर्णय किया है, जो आकाशवाणी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को अनुपूरित करेंगे तथा उन्हें प्रतिस्थापित नहीं करेंगे। निजी एफएम स्टेशनों को लाइसेंस देने का मूल उद्देश्य रेडियो के श्रोताओं को, रेडियो प्रसारण क्षेत्र तक निजी क्षेत्र के संसाधनों को लाकर रोजगार अवसरों के सृजन के अतिरिक्त विषय तथा प्रासंगिकता के क्षेत्र में स्थानीय पुट लिए हुए अधिक कार्यक्रम उपलब्ध कराकर अधिक विकल्प देना है।

[हिन्दी]

बाक्साइट आधारित उद्योग

6273. श्री राम टहल चौधरी : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के बाक्साइट बहुल क्षेत्रों विशेष रूप से लोहरदगा और रांची में बाक्साइट आधारित उद्योग को स्थापित करने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा बाक्साइट आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रीन-फील्ड एल्यूमिना/एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र की एक कम्पनी नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि. (नालको) वर्तमान में अपनी बाक्साइट खानों और शोधनशाला (दामनजोड़ी, उड़ीसा में) और प्रगालक और गृहीत विद्युत संयंत्र (अंगुल, उड़ीसा में) की क्षमता में बढ़ोत्तरी करने के लिए प्रमुख विस्तार कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है।

(घ) एल्यूमिना और एल्यूमिनियम धातु के विनिर्माण को अनिवार्य लाइसेंस वाले प्रावधानों से छूट दे दी गई है। इसलिए उद्यमी अब एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत करके ही बाक्साइट आधारित उद्योग उदाहरणत: नई एल्यूमिना शोधनशाला और एल्यूमिनियम प्रगालक की स्थापना कर सकते हैं। यह क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए भी खुला है।

[अनुवाद]

कंपनी द्वारा पहली बार शेयर जारी करने संबंधी मानदंडों में सेबी द्वारा ढील

6274. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी ने मनोरंजन, दूरसंचार और प्रचार-प्रसार क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा पहली बार शेयर जारी करने संबंधी मानदंडों में ढील दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मानदंडों में ढील देने के संबंध में कोई शर्त रखी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सेबी ने पूंजी के 25 प्रतिशत हिस्से की अनिवार्य न्यूनतम सार्वजनिक पेशकश में ढील देकर प्रचार-प्रसार, मनोरंजन तथा दूरसंचार क्षेत्रों में कंपनियों के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक

पेशकश मानदंडों को सरलीकृत किया है। उन्हें यह ढील प्रदान की गई है कि प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश पश्च-निर्गम पूंजी का कम से कम 10 प्रतिशत हो।

(ग) और (घ) यह ढील निम्नलिखित के अध्यधीन है:

(1) निर्गम में जनता को पेशकश की जाने वाली न्यूनतम 20 लाख प्रतिभूतियां शामिल होनी चाहिए;

(2) जनता को की गई निवल पेशकश की राशि (अर्थात, सभी आरक्षणों तथा निश्चित आबंटन को छोड़कर जनता को पेशकश की गई प्रतिभूतियों की संख्या से गुणित पेशकश मूल्य) 50 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए।

(3) राजस्व तथा लाभ के स्रोत (कम से कम 75 प्रतिशत) यही क्षेत्र होंगे; तथा

(4) क्षेत्र-वार आय, राजस्व तथा परिसंपत्ति की स्थिति का भी पेशकश दस्तावेज में प्रकटन किया जाएगा।

पड़ोसी देशों के साथ आयात/निर्यात

6275. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:**
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक पड़ोसी देशो से विशेषकर पाकिस्तान से आयात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पड़ोसी देशों विशेषकर पाकिस्तान को निर्यात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयात और निर्यात में वर्ष-वार अलग-अलग कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा अब तक पाकिस्तान सहित पड़ोसी देशों के साथ भारत के व्यापार के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

देश	निर्यात (करोड़ रु. में)				(आयात (करोड़ रु. में)			
	1996-97	1997-98	1998-99	अप्रैल-दिस. 2000	1996-97	1997-98	1998-99	अप्रैल-दिसं. 2000
अफगानिस्तान	80.73	78.96	54.11	52.76	10.84	39.77	143.98	70.18
बंगलादेश	3084.80	2922.87	4168.03	1919.86	220.91	188.85	267.65	231.08
भूटान	78.03	49.53	40.26	32.52	119.93	49.95	25.73	60.26
चीन	2182.54	2668.71	1724.38	1674.57	2687.03	4160.04	4458.52	3998.46
मालदीव	36.80	32.46	32.58	24.07	0.61	0.89	0.19	0.81
म्यांमार	160.46	183.26	217.58	116.94	629.04	832.53	687.43	572.68
नेपाल	588.30	631.99	628.32	1329.02	227.45	353.64	597.24	451.20
पाकिस्तान	558.12	532.02	466.00	273.38	128.36	165.19	891 85	219.03
श्रीलंका	1694.79	1818.23	1851.45	1597.39	160.33	112.26	164.00	154.76

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एंड एस.

सभी देशों के लिए मदवार निर्यात एवं आयात आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय कलकत्ता द्वारा संकलित मासिक प्रकाशन "भारतीय विदेश व्यापार सांख्यिकी" में दिए गए हैं जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

गुजरात में आयकर से प्राप्त राजस्व

6276. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1999 से 2000 तक की अवधि के दौरान आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, लघु बचतों के माध्यम से गुजरात और दूसरे राज्यों के विभिन्न जिलों से राजस्व अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक स्रोत से कितनी राशि एकत्र की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि वापस की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) इन उद्देश्यों के लिए जिला-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। गुजरात और अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में वर्ष 1999-2000 के दौरान आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा संग्रहीत राजस्व के अनन्तिम आंकड़े निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़ों में)

	आयकर	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सीमा शुल्क
गुजरात*	1576	9171	7608
अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्र	23720	52218	40707
कुल योग	25296	61389	48315

*आयकर के लिए आंकड़े मुख्य आयुक्त अहमदाबाद क्षेत्र से संबंधित हैं जिसमें गुजरात राज्य भी शामिल है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के लिए आंकड़े बड़ोदरा क्षेत्र से संबंधित हैं जिसमें दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव शामिल हैं।

केन्द्रीय सरकार लघु बचत योजनाओं के माध्यम से कोई राजस्व अर्जित नहीं कर रही है।

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्यों को दी गई राशि संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान बिक्री कर और आयकर के स्थान पर मूल उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का राज्य-वार वितरण दर्शाने वाला विवरण पत्र

(रुपए करोड़ों में)

क्र.सं.	राज्य	मूल उत्पाद शुल्क	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	आयकर	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1709.93	232.29	1401.08	3343.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	286.85	3.09	28.14	318.08
3.	असम	914.23	73.76	460.79	1448.78
4.	बिहार	2597.93	235.97	2128.69	4962.59
5.	गोवा	59.24	6.89	29.79	95.92
6.	गुजरात	817.29	178.08	669.67	1665.04
7.	हरियाणा	250.08	70.28	204.91	525.27
8.	हिमाचल प्रदेश	685.26	17.67	116.52	819.45

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1119.24	25.43	181.57	1326.24
10.	कर्नाटक	1078.48	170.62	883.68	2132.78
11.	केरल	782.75	111.10	641.37	1535.22
12.	मध्य प्रदेश	1674.58	214.94	1372.12	3261.64
13.	महाराष्ट्र	1237.45	357.26	1013.95	2608.66
14.	मणिपुर	335.27	5.85	46.68	387.80
15.	मेघालय	289.34	5.58	46.84	341.76
16.	मिजोरम	298.03	2.35	24.66	325.04
17.	नागालैण्ड	492.01	4.07	29.96	526.04
18.	उड़ीसा	933.75	90.36	743.99	1777.10
19.	पंजाब	295.12	101.65	241.82	638.59
20.	राजस्थान	1121.30	144.75	918.77	2184.82
21.	सिक्किम	103.28	1.57	20.86	125.71
22.	तमिलनाडु	1340.68	227.80	1098.52	2667.00
23.	त्रिपुरा	458.48	8.50	62.57	529.55
24.	उत्तर प्रदेश	3597.83	432.89	2947.99	6978.71
25.	प. बंगाल	1509.14	238.71	1236.56	2984.41
	कुल	23987.54	2970.46	16551.50	43509.50

[हिन्दी]

तिलहनों और दालों का आयात/निर्यात

6277. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री अरूण कुमार :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयात और निर्यात की गई दालों और तिलहनों की मात्रा और मूल्य कितना है;

(ख) इन वस्तुओं के आयात और निर्यात में सरकारी और निजी क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी है; और

(ग) वर्ष 1999-2000 के पहले नौ माह में तिलहनों और दालों के मूल्य सहित इनका कितनी मात्रा में आयात और निर्यात किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) आयात-निर्यात के आंकड़े पूरे देश के लिए समग्र रूप से रखे जाते हैं तथा निजी/सरकारी क्षेत्र के लिए अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

तिलहनों और दालों के आयात और निर्यात

आयात

मात्रा टनों में
मूल्य : लाख रुपये में

	1996-97		1997-98		1998-99(अ)		1999-2000 (अप्रैल-दिसम्बर, 99)(ज)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
तिलहन	उपलब्ध नहीं	470.32	उपलब्ध नहीं	247.34	उपलब्ध नहीं	883.40	उपलब्ध नहीं	1197.51
दालें	654908	89033.76	1008161	119464.38	312744	40451.86	162012	22183.11
निर्यात								
तिलहन	252580	60112.41	374725	86887.75	152197	44706.54	104424	33447.01
दालें	55216	13157.78	168052	36088.63	101448	21874.33	143390	31536.40

(अ) अनन्तिम

[अनुवाद]

वस्त्र निर्यात में कमी

6278. डा. मन्दा जगन्नाथ :
श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्रों के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा वस्त्र निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार निर्यातों को बढ़ाने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठा रही है। विशेषकर वस्त्र क्षेत्र के संबंध में की गई कुछ महत्वपूर्ण पहल निम्नानुसार हैं:-

(1) वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना शुरू की गई है।

(2) वस्त्र निर्यातों को स्थिरता तथा निरंतरता प्रदान करने और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2000-2004 की अवधि के लिए नई निर्यात हकदारी (कोटा) नीति की घोषणा की गई है।

(3) भारतीय वस्त्रों की अपैरल क्षेत्र, मूल्यवर्द्धित क्षेत्र में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए कोटा और गैर-कोटा देशों को गैर कोटा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए गैर कोटा हकदारी (एन.क्यू.ई.) प्रणाली को कायम रखा गया है।

(4) शुल्क की 5% रियायती दर पर निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल (ई.पी.सी.जी.) योजना के अंतर्गत पूंजीगत माल के आयात की सुविधा देना।

(5) निर्यातोन्मुख एकक (ई.ओ.यू.)/निर्यात संवर्द्धन क्षेत्र (ई.पी.जैड.)/ई.पी.सी.जी. एककों द्वारा किए जा रहे सूती यार्न के निर्यात को उदार बनाया गया है।

(6) कुछ श्रेणियों की ट्रिमिंग्स और अलंकरण के शून्य शुल्क आयात की अनुमति दी गई है।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उधार देना

6279. श्री समर चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिपुरा, असम, मिजोरम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों में खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण क्षेत्र सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को बैंकों द्वारा ऋण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में राज्य-वार उपलब्धियां क्या रहीं;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य में प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण-राशि निवल बैंक-जमा का 40 प्रतिशत हिस्सा होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो चूककर्ता बैंकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण क्षेत्र सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को निवल बैंक ऋण का 40% ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के लिए राज्य-वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को बकाया अग्रिम नीचे दिए गए हैं:-

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य का नाम	मार्च 1996	मार्च 1997	मार्च 1998
1	2	3	4
असम	853.64	1095.21	1015.68
मणिपुर	75.76	96.31	102.86
मेघालय	49.39	49.55	62.40
नागालैण्ड	84.94	72.28	59.46
त्रिपुरा	99.13	122.53	132.43
अरूणाचल प्रदेश	17.31	20.27	23.79
मिजोरम	15.78	19.18	22.72

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

रबड़ पर पाटन रोधी शुल्क

6280. श्री पी.सी. थामस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राकृतिक रबड़ और पोलीयूरिथिन तथा कृत्रिम रबड़ जैसे पदार्थ जो औद्योगिक कार्यों के लिए प्राकृतिक रबड़ की जगह उपयोग में लाए जाते हैं पर पाटन रोधी शुल्क लगाने या सीमा शुल्क (आयात शुल्क) बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) पाटनरोधी नियमों के अनुसार, पाटनरोधी जांच तब शुरू की जाती है जब घरेलू उद्योग निर्दिष्ट प्राधिकारी को याचिका दायर करता है जिसमें पाटन के बारे में क्षति और आयातित वस्तुओं के बीच कारणात्मक संबंध और घरेलू उद्योग को क्षति के बारे में प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिया गया हो।

जहां तक प्राकृतिक रबड़ का संबंध है पाटनरोधी नियमों के तहत इसकी कोई जांच नहीं की जा रही है। कृत्रिम रबड़ के उत्पादों पर अंतिम (निश्चयात्मक) पाटनरोधी शुल्क निम्नलिखित मामलों में लगाया गया है:-

क्र.सं.	उत्पाद	देश	लगाए गए शुल्क की सीमा
1	2	3	4
1.	एक्रीलोनीट्राइल बुटानडिन रबड़ (एन.बी.आर.)	जापान	7882 रु./मी. टन
2.	एक्रीलोनीट्राइल बुटानडिन (रबड़ एन.बी.आर.)	जर्मनी और कोरिया गणराज्य	8316 रु./मी. टन से 13255 रु./मी. टन

1	2	3	4
3.	एथिलीन प्रोपिलीन डाइन मोनोमर रबड़ (ई.पी.डी.एम.)	जापान	100644 रु. से 104725 रु. के बीच अंतर तथा आयातों की पहुंच कीमत/किग्रा.
4.	स्टाइरिन बुटाडिन रबड़ (एस.बी.आर.)	जापान, कोरिया, टर्की, चीन, ताईवान, यू.एस.ए., जर्मनी, और फ्रांस	48.20 रु. प्रति किग्रा. से 62.16 रु. प्रति किग्रा.

कोरिया से एथिलीन प्रोपीलीन डाइन मोनोमर रबड़ (ई.पी.डी.एम.) के आयातों के मामले में प्रारंभिक शुल्क की सिफारिश की गई है। वित्त मंत्रालय की शुल्क लगाने वाली अधिसूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

इस समय प्राकृतिक रबड़ या पोलियूरेथीन अथवा किसी अन्य प्रकार के कृत्रिम रबड़ पर सीमा शुल्क टैरिफ (आयात शुल्क) में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

कोयले के भूमिगत भंडार की जांच

6281. श्री ब्रजमोहन राम : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.सी.एल., बी.सी.सी.एल., ई.सी.एल., आदि जैसे कोल इंडिया लि. की विभिन्न कोयला कंपनियों की विभिन्न खानों में स्थित कोयले के भूमिगत भंडारों की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कंपनियों के खान समूहों में वर्षवार पाए गए कोयले के भूमिगत भंडारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विभिन्न कंपनियों के भूमिगत भंडारों में अंतर के संबंध में उनके मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा जांच कराए जाने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) कोल इंडिया लि. अपने सम्पत्ति-सूची दल के माध्यम से से.को.लि., भा.को.को.लि. तथा ई.को.लि. के मुहानों सहित सभी मुहानों के स्टाक की वार्षिक रूप से भौतिक जांच आयोजित करती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए कंपनी-वार विक्रय योजना बुक स्टॉक को नीचे दर्शाया गया है:-

(लाख टन में)

कंपनी का नाम	31.3.98 की स्थिति के अनुसार	31.3.99 की स्थिति के अनुसार	31.3.2000 की स्थिति के अनुसार (अनंतिम)
1	2	3	4
ई.को.लि.	34.8	43.0	30.60
भा.को.को.लि.	53.8	41.7	32.77
से.को.लि.	46.8	47.2	43.54
ना.को.लि.	12.7	22.9	14.42
वे.को.लि.	22.9	33.1	23.21

1	2	3	4
सा.ई.को.लि.	60.1	62.7	70.94
म:को.लि.	23.7	40.6	54.93
ना.ई.को.	9.3	8.4	5.78
जोड़ को.इ.लि.	264.1	299.6	276.19

(ग) और (घ) कोयला स्टाक के संबंध में लेखा प्रणाली से संबंधित सुझाव देने के लिए वर्ष 2000-01 के लिए परामर्शदात्री के रूप में एक बाह्य स्वतंत्र निकाय को नियोजित करने का निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

अमरीका द्वारा एन्टिटीज् सूची में भारतीय संस्थानों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना

6282. श्री किरीट सोमैया :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 1998 में किए गए परमाणु परीक्षण के फलस्वरूप अमरीकी सरकार ने जिन भारतीय संस्थानों को अमरीकी निर्यात बंद कर दिया था, उन्हें अब अपनी "एनटिटीज् लिस्ट" से हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने भारतीय संस्थान अभी भी "एनटिटीज्" सूची में शामिल हैं;

(घ) क्या अमरीकी राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान इस बारे में कोई बातचीत अमरीकी शिष्टमंडल के साथ की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) भारतीय कंपनियों की सूची में से कुल 51 कंपनियों को हटा दिया गया है। ऐसी कंपनियों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं। 150 से अधिक भारतीय कंपनियों को अभी कंपनियों की उक्त सूची में रखा गया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने राष्ट्रपति क्लिंटन के दौरे सहित प्रत्येक अवसर का उपयोग करते हुए अमरीका को यह बतला दिया है कि भारत के खिलाफ लगे सभी एकपक्षीय प्रतिबंध अन्यायपूर्ण और विकास विरोधी हैं और इन्हें पूर्णत: हटा देना चाहिए। यू.एस. पक्ष ने शेष प्रतिबंधों को हटाने के लिए समय सीमा नहीं बताई है।

विवरण

कंपनियों की सूची से हटाई गई कंपनियां

अम्बरनाथ मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी

अम्बरनाथ आर्डनैन्स फैक्टरी

आरूवांकडू कॉरडाइट फैक्टरी

अवाड़ी कम्बाइन इन्जिन प्लांट

अवाडी हैवी वहिकल फैक्टरी

अवाड़ी आरडनैन्स क्लोटिंग फैक्टरी

*भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लि. (बीएचईएल) हार्डवेयर एंड रानी पैट

भुसेवाल आर्डनेन्स फैक्टरी

चंडीगढ़ आर्डनैन्स केबल फैक्टरी

चंडीगढ़ आर्डनैन्स पैराशुट फैक्टरी

काम्बैट वहीकल रिसर्च एंड डैवलपमैंट इस्टेबलिशमैंट (सीवीआरडीई)

कोसीपोर गन एंड शैल फैक्टरी

डिफैंस बायो-इंजीनियरिंग एंड इलैक्ट्रो-मैडिकल लैबोरेट्री (डीईबीईएल)

डिफैंस फूड रिसर्च लैबोरेट्रीज (डीएफआरएल)

डिफैंस इन्स्टीट्यूट ऑफ फायर रिसर्च (डीआईएफआर)

डिफैंस इन्स्टीट्यूट ऑफ फिजिओलॉजी एंड एलाइड साइंसेंज (डीआईपीएएस)

डिफैंस इंसटीट्यूट ऑफ साइकालॉजिकल रिसर्च (डीआईपीआर)

डिफैंस इस्टीट्यूट आफ वर्कस्टडी (डीआईडब्ल्यूएस)

डिफेंस रिसर्च एंड डैवलपमैंट यूनिट (डीआरडीयू)

डिफैंस रिसर्च लैबोरेट्री (डीआरएल)

डिफैंस टीरेन रिसर्च लैबोरेट्री (सीटीआरएल)

देहरादून आप्टो-इलैक्ट्रानिक्स फैक्टरी

देहरादून आर्डनैंस फैक्टरी

देहू रोड आर्डनैन्स फैक्टरी

हजरतपुर आर्डनैन्स इक्विपमैंट फैक्टरी

इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमैटिकल साइंसेज

इस्टीट्यूट आफ फिजिक्स

इस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम्स स्टडीज एंड एनालेसिस (आईएसएसए)

इंटरयूनिवर्सिटी कन्सोर्टियम ऑफ डीएई फैसिलिटीज

जबलपुर ग्रे आयरन फाउन्ड्री

जबलपुर गन कैरिज फैक्टरी

कानपुर फील्ड गन फैक्टरी

कानपुर आर्डनैन्स पैराशूट फैक्टरी

कानपुर स्माल आर्म्स फैक्टरी

कटनी आर्डनेन्स फैक्टरी

खमैरा आर्डनेन्स फैक्टरी

किरकी एम्युनिशन फैक्टरी

मेउक ग्रे आयरन फाउड्री

मेडक आर्डनेन्स फैक्टरी

मेहता रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड मथ फिजिक्स

नेवल कैमिकल एंड मैटलर्जिकल लैबोरेट्री (एमसीएमएल)

आर्डनेन्स फैक्ट्रीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स

प्रूफ एंड एक्सपैरीमैंटल ईस्टैबलिशमैंट

साहा इन्स्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लीयर फिजिक्स साईंटिफिक एनालिसिस ग्रुप (एसएजी)

शाहजहानपुर आर्डनैन्स क्लोरिंग फैक्टरी

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामैंटल रिसर्च

तीरूचिरापल्ली हैवी अलॉय पैनीट्रेटर प्रौजैक्ट

तितलागढ़ एम्यूनिशन प्लांट

वरानागांव आर्डनैन्स फैक्टरी

दि वैरीएबल एनर्जी साइक्लोट्रान सेन्टर (वीईसीसी)

*यह एक संशोधन किया गया है, बिल्कुल समाप्त नहीं किया गया है। इस कम्पनी के केवल दो नगर हटाए जा रहे हैं।

क्षेत्रीय फिल्मों का प्रसारण

*6283. **श्री होलक्कोमांग हीकिप** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय नेटवर्क और डी.डी. दो नेटवर्क पर क्षेत्रीय भाषाओं की कितनी फिल्में प्रसारित की गई; और

(ख) उपरोक्त फिल्मों के प्रसारण हेतु निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने के लिए क्या मार्गनिर्देश अथवा औपचारिकताएं निर्धारित हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय नेटवर्क (डी.डी.-1) पर प्रसारित प्रादेशिक भाषा की फिल्मों की संख्या नीचे दी गई है:

1998-99	20
1999-2000	40

दूरदर्शन के डी.डी.-2 चैनल पर प्रादेशिक भाषा की कोई फिल्म प्रसारित नहीं की जाती है।

(ख) दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क में प्रादेशिक भाषा फिल्मों को प्रसारित करने के लिए पात्रता मानदण्ड/दिशा-निर्देश संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पात्रता मानदण्ड/नियम

निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करने वाली प्रादेशिक फीचर फिल्म पर ही दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित करने हेतु विचार किया जाता है।

1. वर्ष की श्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त (भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषा में)।

2. निर्देशक की श्रेष्ठ प्रथम फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार।

3. राष्ट्रीय एकता पर श्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नर्गिस दत्त पुरस्कार।

4. लोकप्रिय और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली श्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।

5. परिवार कल्याण पर श्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।

(क) मद्य-निषेध, महिला एवं बाल कल्याण, दहेज विरोधी, नशे की बुराई आदि जैसे अन्य मुद्दों पर श्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।

6. भारतीय भाषा/बोली में श्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए "रजत कमल" का राष्ट्रपति पुरस्कार।

7. फिल्म जिसने राष्ट्रीय फिल्म समारोह में "गुणवत्ता का पुरस्कार" जीता हो।

8. भारतीय पैनोरमा और किसी भारतीय अन्तरराष्ट्रीय फिल्म समारोह/फिल्मोत्सव की मुख्य धारा खण्डों में प्रवेश पाने वाली फिल्में।

9. फिल्म जिसने विदेशों में आयोजित मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार जीता हो।

10. (क) कोई राज्य सरकार पुरस्कार:

(1) श्रेष्ठ फीचर फिल्म।

(2) श्रेष्ठ निर्देशन।

या

(ख) फिल्म जिसने ऊपर उल्लिखित के अलावा कोई दो राज्य सरकार पुरस्कार जीते हों।

नोट: राज्य समारोह में भाग लेने के प्रमाणपत्र पर एक पुरस्कार के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

11. फिल्म जिसने सिल्वर जुबली मनाई हो (एक थिएटर में 4/3 नियमित शो में 25 सप्ताहों (175 दिवस) तक लगातार प्रदर्शन)।

12. जनवरी, 1980 से निर्मित फिल्मों पर ही विचार किया जाएगा।

13. हाल की पात्र फिल्मों को प्राथमिकता पर प्रसारित किया जाएगा।

14. राष्ट्रीय नेटवर्क पर पहले प्रसारित की जा चुकी फिल्मों पर विचार नहीं किया जाएगा।

15. केवल वो प्रादेशिक भाषा फीचर फिल्में जिन्हें 'ए' और 'बी+' (बी प्लस) ग्रेड दिया गया हो, टेलीकास्ट करने के लिए पात्र है। "बी" ग्रेड फिल्में टेलीकास्ट करने के लिए पात्र नहीं है।

पूर्वोत्तर राज्यों को धनराशि

6284. श्री भीम दाहाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को विकास संबंधी उद्देश्यों हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों से और अधिक धन आबंटित किए जाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) योजना आयोग, राज्यों की वार्षिक योजनाओं के वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय सहायता आबंटित करता है। पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम को पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) और (ग) राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर योजना आयोग राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आबंटित करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम को आबंटित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम को आबंटित केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	अरुणाचल प्रदेश	478.10	534.82	574.17
2.	असम	1308.77	1443.13	1616.11
3.	मणिपुर	338.56	456.27	506.08
4.	मेघालय	327.31	344.45	421.77
5.	मिजोरम	309.08	335.56	384.67
6.	नागालैंड	350.72	347.40	394.76
7.	सिक्किम	225.33	251.52	329.92
8.	त्रिपुरा	417.00	598.75	656.12

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम को आबंटित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	अरुणाचल प्रदेश	—	0.20	9.74
2.	असम	10.00	4.00	16.50
3.	मणिपुर	32.10	15.23	—
4.	मेघालय	—	2.50	0.50
5.	मिजोरम	2.21	—	3.52
6.	नागालैंड	4.85	5.46	4.35
7.	सिक्किम	2.00	2.00	3.66
8.	त्रिपुरा	3.22	0.50	5.50

एफ.एम. रेडियो सेवाएं

6285. श्री रघुनाथ झा :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ नई कंपनियां एफ.एम. रेडियो सेवाएं आरंभ कर रही हैं;

(ख) क्या कोई आशंका व्यक्त की गई है कि इन नई कंपनियों में से कुछ कंपनियों के पाकिस्तानी आसूचना संगठनों, आई.एस.आई. अथवा अफगान तथा इस्लामी कट्टरपंथियों के साथ संबंध हैं;

(ग) यदि हां, तो एफ.एम. चैनलों का प्रयोग सीधे राष्ट्र विरोधी प्रचार सामग्री का प्रसारण करके तथा फ्रिक्वेंसी का दुरूपयोग करके विघटनकारी संगठनों के बीच व्यापक संचार नेटवर्क स्थापित न हो, यह सुनिश्चित करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या इन कंपनियों की विश्वसनीयता की जांच आई.बी., रॉ आदि से कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) हानिकर संगठनों के साथ संबंध रखने वाली कुछ आवेदक कंपनियों के बारे में प्रेस में रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं।

(ग) से (ङ) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, आपरेटिंग लाइसेंस गृह मंत्रालय से सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ही जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षापाय के लिए निविदा शर्त में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

(1) सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अथवा राष्ट्रीय आपातकाल/युद्ध अथवा न्यून संवेदनशील संघर्ष की स्थिति में अथवा इसी प्रकार की स्थितियों में लाइसेंसी की संपूर्ण सेवाओं एवं नेटवर्कों को कब्जे में लेने अथवा लाइसेंस को वापस लेने या रद्द करने/निलम्बित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। इसके अतिरिक्त सरकार सेवा को बन्द करने हेतु लाइसेंसी को निदेश देने का अधिकार सुरक्षित रखती है यदि सुरक्षा की मंसा से ऐसा करना अपेक्षित हो।

(2) सरकार इस लाइसेंस की शर्तों एवं निबंधनों एवं शर्तों को किसी भी समय संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है यदि आम जनता के हित में अथवा प्रसारण के समुचित संचालन के लिए अथवा सुरक्षा विचारों/कारणों से ऐसा किया जाना आवश्यक है।

ग्रीन चाय की चोरी

6286. श्री अकबर अली खांडोकर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से के कुछ चाय बागानों से ग्रीन चाय की हो रही चोरी से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने का अनुरोध करते हुए भारतीय चाय उत्पादक एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) भारतीय चाय उत्पादक एसोसिएशन ने वर्ष 1998 और 1999 के दौरान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी क्षेत्र में स्थित चाय बागानों से ग्रीन चाय की चोरी की लगातार घटनाओं के बारे में जिला न्यायाधीश जलपाईगुड़ी, आयुक्त, जलपाईगुड़ी प्रभाग और वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार को अभ्यावेदन दिया है।

(घ) भारतीय चाय उत्पादक एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन कानून और व्यवस्था से संबंधित हैं, जो कि राज्य का विषय है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय हथकरघा ऋण निधि की स्थापना

6287. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री सुखदेव पासवान :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार से एक राष्ट्रीय हथकरघा ऋण निधि की स्थापना हेतु कोई निवेदन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) राष्ट्रीय हथकरघा ऋण निधि की स्थापना के लिए सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया गया है। यद्यपि, सुश्री मीरा सेठ, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में भारत सरकार ने उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की थी, उसने दिसम्बर, 1996 में अपनी रिपोर्ट में सहकारिता परिधि से बाहर के हथकरघा बुनकरों के लिए राष्ट्रीय हथकरघा ऋण निधि बनाने की सिफारिश की थी। यह सिफारिशें तब की गई थी जब नाबार्ड पुर्नवित्त सुविधा सहकारिता परिधि के बाहर के बुनकरों को उपलब्ध नहीं थी। यह मामला नाबार्ड के साथ उठाया गया था तथा 1997-98 से सहकारिता परिधि से बाहर के बुनकरों को शामिल करने के लिए राज्य हथकरघा निगमों को यह सुविधा प्रदान की गई है।

रुग्ण उद्योग

6288. डा. गिरिजा व्यास : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2000 के अनुसार देश में मध्यम और लघु उद्योगों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा घोषित रूग्ण उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा इन रुग्ण उद्योगों का पुनरूद्धार करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा इन उद्योगों को ऋण के रूप में राज्य-वार कुल कितनी सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) गैर-लघु उद्योग क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थापित उद्योगों के राज्यवार ब्यौरे और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के उद्योग निदेशकों द्वारा 31.3.1999 तक स्थायी पंजीकरण मंजूरशुदा लघु औद्योगिक (एस.एस.आई.) इकाइयों की कुल संख्या क्रमश: संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दी गई है।

देश में बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किये जाते हैं। प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के राज्यवार ब्यौरे और उनके पास बकाया पड़ी राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-III पर दिए गए हैं।

सरकार ने रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरूत्थान के लिए कई उपाय किये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दिशा-निर्देश जारी करना, रुग्ण इकाइयों को स्वस्थ इकाइयों के साथ मिलाना, रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के तहत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बायफर) की स्थापना करना, राष्ट्रीय इक्विटी फंड इत्यादि जैसे उपाय शामिल हैं। रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरूत्थान के लिए ऋण-विस्तार संबंधी कार्य उपर्युक्त उपायों के मानदंडों के अंदर आते हैं।

विवरण I

1995-1999 के दौरान स्थापित उद्योगों में राज्यवार विवरण

राज्य का नाम	मंजूर किये गये सी.आई.एस./आई.एल.	कार्यान्वित किये गये आई.ई.एम.
1	2	3
आंध्र प्रदेश	37	167
अरुणाचल प्रदेश	1	0
असम	2	8
बिहार	9	22
गोवा	2	25
गुजरात	37	503
हरियाणा	22	178
हिमाचल प्रदेश	1	16
जम्मू और कश्मीर	0	5

1	2	3
कर्नाटक	20	60
केरल	10	49
मध्य प्रदेश	10	145
महाराष्ट्र	63	325
मणिपुर	0	0
मेघालय	0	1
मिजोरम	0	0
नागालैंड	0	0
उड़ीसा	1	7
पंजाब	25	95
राजस्थान	7	186
सिक्किम	0	0
त्रिपुरा	0	0
तमिलनाडु	99	181
उत्तर प्रदेश	56	187
प. बंगाल	9	100
अंडमान और निकोबार	0	0
चंडीगढ़	0	2
दादर और नगर हवेली	1	30
दिल्ली	1	8
दमन और दीव	2	33
लक्षद्वीप	0	0
पांडिचेरी	2	12
एक से अधिक राज्य	2	0
योग	419	2345

विवरण II

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के उद्योग निदेशकों द्वारा लघु औद्योगिक इकाइयों को मंजूर किये गये स्थायी पंजीकरणों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण-पत्र

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	31 मार्च, 1999 तक इकाइयों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	124950
अरुणाचल प्रदेश	2497
असम	23114
बिहार	117573
गोवा	5647
गुजरात	164785
हरियाणा	82801
हिमाचल प्रदेश	15941
जम्मू और कश्मीर	28840
कर्नाटक	150675
केरल	184916
मध्य प्रदेश	267618
महाराष्ट्र	135016
मणिपुर	5829
मेघालय	2514
मिजोरम	4028
नागालैंड	813
ठड़ीसा	18762
पंजाब	151180
राजस्थान	80229
सिक्किम	328

1	2
त्रिपुरा	1783
तमिलनाडु	284943
उत्तर प्रदेश	359379
प. बंगाल	150471
अंडमान और निकोबार	1175
चंडीगढ़	2998
दादर और नगर हवेली	870
दिल्ली	28773
दमन और दीव	1297
लक्षद्वीप	412
पांडिचेरी	4722
योग	2404879

टिप्पण : ऊपर दिये गये आंकड़े अनंतिम/अनुमानित हैं जो संशोधन के अध्यधीन हैं।

स्रोत : राज्य उद्योग निदेशालय।

विवरण III

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	गैर-लघु रुग्ण इकाइयां	रकम (करोड़ रुपयों में)	लघु रुग्ण इकाइयां	रकम (करोड़ रुपयों में
1	2	3	4	5
असम	47	152.22	10586	75.28
मेघालय	1	0.44	447	1.73
मिजोरम	4	13.13	40	0.35
बिहार	74	512.36	26293	142.76
अरुणाचल प्रदेश	2	2.47	116	0.28
प. बंगाल	238	1216.07	146182	579.61
नागालैंड	5	24.51	166	2.56
मणिपुर	2	2.49	5237	11.44
उड़ीसा	68	277.20	10134	97.11
सिक्किम	1	6.35	28	0.10
त्रिपुरा	4	7.96	6914	6.21
अंडमान और निकोबार	0	0.00	25	0.11
उत्तर प्रदेश	218	1401.19	17320	414.09
दिल्ली	60	815.93	3789	280.90

1	2	3	4	5
पंजाब	80	307.48	3551	101.44
हरियाणा	103	557.84	3180	87.53
चण्डीगढ़	5	16.81	187	20.65
जम्मू और कश्मीर	7	8.62	630	12.76
हिमाचल प्रदेश	32	63.89	1103	34.66
राजस्थान	74	266.95	12835	108.69
गुजरात	223	1234.95	4170	308.03
महाराष्ट्र	495	2635.79	13373	510.40
दमन और दीव	5	36.48	13	5.70
गोवा	15	58.83	216	6.36
दादर और नागर हवेली	9	15.91	24	2.24
मध्य प्रदेश	130	899.36	6808	220.58
आंध्र प्रदेश	369	1549.25	6260	268.53
कर्नाटक	180	1164.20	4342	227.53
तमिलनाडु	248	1298.05	11408	593.34
केरल	80	556.00	10074	168.29
पांडिचेरी	13	47.68	770	24.22
योग	2792	15150.41	306221	4313.48

चाय का निर्यात

6289. श्री बृजलाल खाबरी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किन-किन देशों को चाय का निर्यात किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान चाय के निर्यात में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में चाय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय चाय का निर्यात विश्व के लगभग 67 देशों को किया गया था। जिन प्रमुख देशों को चाय का निर्यात किया गया, वे हैं-संयुक्त राज्य, जर्मनी, आयरलैंड, नीदर लैंड्स, पोलैंड, रूसी संघ, उक्रेन, कजाकिस्तान, यू.एस.ए., ए.आर.ई., ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, जापान, टर्की और श्रीलंका।

(ख) और (ग) हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में 1997 और 1998 के वर्षों के दौरान भारत से चाय के निर्यात में वृद्धि

दर्ज की गई से भी वहां 1998 की तुलना में 1999 के दौरान इसमें गिरावट रही है। यह गिरावट विभिन्न कारकों जैसे श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया और केन्या से जबरदस्त प्रतिस्पर्द्धा होने; नीदर लैंड, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ए.आई.ई., यू.ए.ई., टर्की आदि से संबंधित देशों की विशिष्ट समस्याओं के कारण थीं।

(घ) चाय के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार और चाय बोर्ड निर्यात की संभावना वाले देशों पर विशेष ध्यान देते हुए निर्यातों का देश वार विश्लेषण करते रहे हैं। चाय बोर्ड अलग-अलग बाजारों को होने वाले निर्यातों में आ रही बाधाओं का पता चलने पर उनको हटाने का कार्य भी करता है। चाय के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछेक अन्य कदमों में शामिल हैं:-

(1) विदेशों में आयोजित किए जाने वाले प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना;

(2) विशिष्टता रखने वाले (स्पेसिएलिटी स्टोरों) और प्रमुख बाजारों में जाकर नमूने एकत्र करना;

(3) भारतीय चाय की विशिष्टता के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए और चाय बोर्ड के विपणन चिह्न जो शुद्ध भारतीय चाय का प्रतीक है, को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार अभियान चलाना;

(4) भारत और चाय के आयातक देशों के बीच चाय शिष्टमंडलों का आदान प्रदान करना।

[अनुवाद]

उड़ीसा में मकानों के निर्माण के लिए ऋण

6290. श्री भर्तृहरि महताब : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में आए भीषण तूफान से प्रभावित लोगों के लिए मकानों के निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उन लोगों की संख्या क्या है जिन्हें चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंकों ने ऐसा ऋण वितरित किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) उड़ीसा राज्य के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक, यूको बैंक ने सूचित किया है कि चक्रवात से प्रभावित उड़ीसा राज्य में बैंकों द्वारा संवितरित आवास ऋण निम्नानुसार है:-

बैंक का नाम	आवास ऋण	
	संख्या	राशि (लाख रुपए में)
इलाहाबाद बैंक	19	34.75
आन्ध्रा बैंक	16	15.85
बैंक आफ इंडिया	14	14.51
बैंक आफ बड़ौदा	20	26.36
पंजाब नैशनल बैंक	33	19.75
सिंडिकेट बैंक	41	11.33
यूनियन बैंक आफ इंडिया	3	1.90
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	2	0.35
यूको बैंक	29	23.54
बैतरणी ग्राम्य बैंक	6	0.62
पुरी ग्राम्य बैंक	37	58.72
कुल	220	207.68

इसके अलावा, यूको बैंक ने उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मकानों के निर्माण हेतु आवास ऋण प्रदान करने के लिए उड़ीसा ग्रामीण आवास विकास निगम को 4 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक ने विशेष संवितरण के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में आवास के लिए उनके द्वारा दिए गए उधारों के संबंध में, एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 31 दिसम्बर, 2000 तक रियायती ब्याज दर पर 100 करोड़ रुपए की सीमा तक पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, आवास और शहरी विकास निगम लि. (हुडको) ने चक्रवात द्वारा क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु 1112.50 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए उड़ीसा राज्य सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

[हिन्दी]

विदेशी कम्पनियों को प्रसारण की सुविधा

6291. **श्री मनीभाई रामजीभाई चौधरी :**
श्री रामटहल चौधरी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विदेशी प्रसारण कम्पनियों को देश से अपने कार्यक्रमों का प्रसारण करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उन्हें ऐसी सुविधा किन नियमों और शर्तों पर उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अखबारी कागज का आयात

6292. **श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान कितने अखबारी कागज का आयात किया गया है;

(ख) अखबारी कागज की मांग और पूर्ति में कितना अंतर है; और

(ग) अखबारी कागज की इस मांग को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) वर्ष 1999-2000 (अप्रैल-जनवरी, 2000) के दौरान आयातित अखबारी कागज की मात्रा 315016 टन थी।

(ख) चूंकि दिनांक 1.5.95 से वास्तविक उपभोक्ता की शर्त के साथ अखबारी कागज का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है, इसलिए मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है।

(ग) दिनांक 1.5.1995 से ओ.जी.एल. के तहत अखबारी कागज के आयात की अनुमति देने के अलावा, अखबारी कागज के देशीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) स्थान संबंधी नीति के कारण अखबारी कागज उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

(2) अखबारी कागज को उत्पाद शुल्क से छूट दे दी गई है।

(3) अखबारी कागज के विनिर्माण के लिए लकड़ी की लुगदी के आयात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया गया है।

(4) अखबारी कागज की देशीय उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए, जो पेपर मिल बी.आई.एस. मानकों के अनुरूप अखबारी कागज का उत्पादन कर रही हैं, उन्हें न्यूजप्रिंट कंट्रोल आर्डर, 1962 की अनुसूची 1 में रखा जाता है, तथा उन्हें अखबारी कागज बनाने वाली मिलों के रूप में घोषित किया जाता है।

विकास परियोजनाओं के लिए अमरीकी सहायता

6293. **श्रीमती जसवीर भोजा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अमरीका द्वारा भारत में विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) उन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन पर यह राशि खर्च की गई, और इनमें से पूर्ण हो चुकी और लंबित परियोजनाएं कितनी हैं; और

(ग) कुल परियोजनाओं में से कितनी योजनाएं पूरी हो गई हैं और कितनी लंबित पड़ी हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): (क) गत तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा मुहैया कराई गई विकास-सहायता निम्नानुसार है:

(मिलियन अमरीकी डालर)

	1997-98	1998-99	1999-2000
विकास सहायता	36.789	28.743	26.236

(ख) इस सहायता को 15 परियोजनाओं में खर्च किया गया जिनमें से दो परियोजनाओं को अर्थात् "परिवार नियोजन सेवाओं में नवाचार" और "एड्स रोकथाम और नियंत्रण" को क्रमश: उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में कार्यान्वित किया गया है। शेष 13 परियोजनाओं को केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वित किया गया है और कोई राज्य-वार वर्गीकरण संभव नहीं है। 15 परियोजनाओं का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीकी सहायता से कार्यान्वित की गई 15 परियोजनाओं में से 7 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 8 परियोजनाएं अभी भी चल रही हैं और कोई परियोजना लंबित नहीं है।

विवरण

विकास परियोजनाओं के लिए संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा दी गई सहायता

परियोजना का नाम	क्षेत्र/ राज्य	करार अवधि	वचनबद्ध सहायता	गत तीन वर्षों के दौरान संवितरित सहायता			संवितरित सहायता	प्रास्थिति
				1997-98	1998-99	1999-2000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वाणिज्यिक ऊर्जा अनुसंधान में तेजी लाने का कार्यक्रम	केंद्रीय	31.8.87—31.8.97	17.446	4.622	0	0	17.446	पूर्ण
आवास वित्त प्रणाली विस्तार कार्यक्रम	केंद्रीय	30.4.92—31.3.98	4.092	0.391	0.080	0.085	4.092	पूर्ण
प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र	केंद्रीय	29.7.89—30.6.98	7.598	1.214	0.556	0	7.598	पूर्ण
निजी स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन	केंद्रीय	31.8.87—30.4.98	7.801	0.242	1.676	0.003	7.801	पूर्ण
पादप आनुवंशिकी संसाधन	केंद्रीय	31.8.88—30.9.97	18.611	1.078	0.789	0	18.611	पूर्ण
स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी हेतु गुणवत्ता नियंत्रण	केंद्रीय	25.9.90—30.9.98	4.155	1.308	0.214	0.401	4.155	पूर्ण
कृषि वाणिज्यिकीकरण एवं उद्यम	केंद्रीय	28.8.91—30.9.98	10.822	1.452	0.491	0	10.822	पूर्ण
वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी में तेजी लाने का कार्यक्रम	केंद्रीय	30.8.85—31.7.2000	39.755	2.279	2.906	3.696	29.524	जारी
तकनीकी सहायता समर्थन परियोजना	केंद्रीय	31.8.88—31.8.2000	20.00	0.605	1.008	0.427	18.636	जारी
ऊर्जा प्रबंध परामर्श एवं प्रशिक्षण	केंद्रीय	28.6.91—28.6.2001	27.00	2.137	4.455	2.593	22.007	जारी
एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण	तमिलनाडु	30.9.92—31.3.2002	10.00	0.733	0.815	0.925	2.880	जारी
परिवार नियोजन सेवाओं में नवाचार	उत्तर प्रदेश	30.9.92—30.9.2002	90.819	8.100	9.800	11.425	44.19	जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पर्यावरणीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी में व्यापार	केंद्रीय	30.9.92—30.9.2002	20.822	1.448	1.663	2.306	14.031	जारी
वित्तीय संस्थान सुधार और विस्तार	केंद्रीय	27.9.93—30.9.2003	23.320	7.217	2.010	1.767	19.264	जारी
गोनहाउस गैस प्रदूषण रोकथाम	केंद्रीय	10.4.95—31.3.2002	39.00	3.963	2.278	2.606	11.190	जारी
कुल				36.789	28.743	26.236		

[अनुवाद]

आवर्ती जमा खातों पर ब्याज दर

6294. श्री के. मुरलीधरन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार महिला प्रधान एजेंटों को 4 प्रतिशत की घटाई गई दर के बजाए 5 प्रतिशत (पुरानी दर) से देय कमीशन उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का 5 साल के आवर्ती जमा खाते की ब्याज दर 11.5 प्रतिशत पर निश्चित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना में संशोधन

6295. श्री चिंतामन वनगा :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना में संशोधन करने का सुझाव देने संबंधी तथा कपड़ा क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान देने के संबंध में कोई अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने आई.डी.बी.आई. के अतिरिक्त सहयोग विकास निगम को नोडल एजेन्सी के रूप में घोषित करने के लिए किसी प्रतिनिधि की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) सरकार ने वस्त्र/पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) शुरू की है, जो कि 1.4.1999 से प्रभावी है। आई.डी.बी.आई. सिडबी और आई.एफ.सी.आई. को नोडिए अभिकरणों के-रूप में नियुक्त किया गया है। उद्योग को सुगम और व्यापक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य वित्तीय संगठनों/बैंकों को भी सहयोजित किया गया है। अन्तर-मंत्रालयी संचालन समिति (आई.एम.एस.सी.) और तकनीकी परामर्शदात्री समिति (टी.ए.सी.) तिमाही आधार पर योजना के क्रियान्वयन की पुनरीक्षा और मॉनीटरी कर रही है। नोडिए अभिकरणों के प्रतिनिधि भी आई.एम.एस.सी. और टी.ए.सी. के सदस्य हैं। विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त पुनर्निवेशन के आधार पर इसमें और सुधार लाने के लिए योजना में आवश्यक संशोधन किये जाते हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने निर्णय लिया है कि सहकारी वस्त्र क्षेत्र के लिए टी.यू.एफ.एस. के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

(आई.डी.बी.आई.) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ सहयोजित किया जाना चाहिए। तदनुसार, एन.सी.डी.सी. से अनुरोध किया गया है कि वह आई.डी.बी.आई. और सिडबी के साथ सहयोजन के लिए कार्रवाई करे।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

6296. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**
श्री नरेश पुगलिया :
श्री बृज भूषण शरण सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं, जीवन रक्षक औषधियों और अन्य वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिससे आम आदमी को परेशानी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) चावल, गेहूं, आटा, चीनी, दालों, खाद्य तेलों, दूध, जीवन रक्षक औषधियों, किताबों, लेखन-सामग्री आदि के बाजार में तुलनात्मक खुदरा मूल्य 31 मार्च, 1997, 31 मार्च, 1998, 31 मार्च, 1999 और 31 मार्च, 2000 को क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने मूल्य वृद्धि को रोकने और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को आम जनता की पहुंच के भीतर लाने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 में 30 आवश्यक वस्तुओं, जिनके मूल्यों को साप्ताहिक आधार पर मॉनीटर किया जाता है, के थोक मूल्यों में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चालू राजकोषीय वर्ष के पहले तीन सप्ताहों के दौरान, उनकी कीमतों में लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मुख्य रूप से मौसमी वृद्धि को प्रतिबिम्बित करता है।

औषध और दवाइयों, जिनका 1993-94 के आधार वर्ष वाले नए थोक मूल्य सूचकांक में भारांश 2.53 है, ने चालू राजकोषीय वर्ष के पहले तीन वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाया। सरकार, राष्ट्रीय फर्मास्युटिकल मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण के जरिए विनियंत्रित दवाइयों के मूल्यों को मॉनीटर करती है तथा जब भी उनकी कीमतों में अनुचित रूप से वृद्धि होती है सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है।

(ग) दिल्ली में चुन्निदा आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतें (मार्च अन्त के अनुसार)

(रुपए/किलोग्राम)

मदें	1997	1998	1999	2000
चावल	12.00	10.00	11.00	13.00
गेहूं	8.50	7.50	8.00	8.00
चीनी	15.00	16.00	16.00	17.00
चना दाल	17.00	23.00	18.00	20.00
अरहर दाल	23.00	25.00	29.00	29.00
नारियल का तेल	53.00	46.00	77.00	69.00
सरसों का तेल	39.00	40.00	61.00	44.00
दूध	13.00	14.00	16.00	16.00
आटा	9.00	9.00	9.50	9.00
जीवन रक्षक औषधियां*	—	—	—	—

*आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रख्यापित वर्तमान औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डी.पी.सी.ओ.) 1995 जीवन रक्षक औषधियों को परिभाषित नहीं करता।

(घ) और (ङ) सरकार का प्रयास प्रभावी आपूर्ति प्रबंध तथा मूल्यों और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की निरन्तर मॉनीटरिंग के जरिए मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए संयुक्त प्रयास करना रहा है। जब भी जरूरी हो बाजार में हस्तक्षेप के जरिए सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है ताकि मूल्यों में स्थिरता को बनाए रखा जा सके।

[अनुवाद]

प्रतिभूतिकरण विधान

6297. श्री राजैया मल्याला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ती संबंधी प्रतिभूतिकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक के पैनल ने प्रतिभूतिकरण विधान बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार आस्ती प्रतिभूतिकरण संबंधी बैंक के इन-हाऊस कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुशंसा की है कि दीर्घावधि उपाय के रूप में सरकार प्रतिभूतिकरण के सभी पहलुओं को शामिल करने वाले "अम्ब्रैला विधान" पर विचार करे। मध्यम तथा अल्पावधि के लिए दल ने विभिन्न अधिनियमों उदाहरणार्थ कंपनी अधिनियम, 1956, भारतीय स्टाप अधिनियम, 1899, राज्य स्टाम्प अधिनियमों, संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882, आयकर अधिनियम, 1961 इत्यादि के उपबंधों में संशोधन करने की अनुशंसा की है। कार्यकारी दल की रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

यूरोपीय संघ द्वारा भारत से इस्पात आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाया जाना

6298. श्री मोइनुल हसन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ के देशों का भारत से इस्पात आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या भारत ने यूरोपीय संघ के देशों के इस निर्णय के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या विश्व व्यापार संगठन से संपर्क किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) इससे यूरोपीय संघ के देशों को भारतीय इस्पात के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरसोली मारन): (क) यूरोपीय आयोग ने फरवरी, 2000 में भारतीय मूल के (1) हॉट रोल्ड कॉयल्स के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क और साथ ही साथ पाटन-रोधी शुल्क लगाने तथा (2) क्वार्टो प्लेट्स के आयातों पर अनन्तिम पाटन-रोधी शुल्क लगाने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) हॉट रोल्ड कॉयल्स के मामले में यूरोपीय आयोग ने भारतीय कंपनियों से कीमत संबंधी बचनबद्धता को स्वीकार कर लिया है और यह मद इस प्रबंध के तहत निर्यात की जा रही है।

बेयरिंगों की तस्करी

6299. श्री पी.एस. मढ़वी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नेपाल, चीन और अन्य देशों से बड़ी मात्रा में बाल बेयरिंगों की तस्करी के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस मामले में जांच कराई है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) इस वस्तु पर उत्पाद शुल्क की ऊंची दर इसकी तस्करी के लिए किस हद तक जिम्मेदार है क्योंकि इसके कारण देसी बेयरिंगों की लागत बढ़ जाती है;

(घ) क्या बॉल बेयरिंग उद्योग ने तस्करी रोकने के लिए उत्पाद शुल्क में कमी की मांग की है ताकि देसी उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) सरकार को "बॉल एवं रोलर बियरिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया" से बजट, 2000 के लिए प्रस्तावों को

अंतिम रूप देने के लिए उद्योग जगत के साथ चर्चा के सिलसिले में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। एसोसिएशन ने अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया था कि भारत-नेपाल पारगमन संधि की आड़ में नेपाल ले जायी जा रही बियरिंगों-की भारत में बड़े पैमाने पर तस्करी की जा रही है तथा उन्होंने तस्करी पर अंकुश लगाने के उपाय करने के अतिरिक्त बियरिंग पर उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के ढांचे में कतिपय परिवर्तन करने के सुझाव दिये थे।

कथित रूप से तस्करी की दृष्टि से किसी विशेष जांच को जरूरी नहीं समझा गया था क्योंकि ये आरोप सामान्य स्वरूप के थे तथा ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं थे। तथापि, सरकार ने कलकत्ता बंदरगाह से नेपाल को ले जाई जा रही आयातित वस्तुओं पर निगरानी बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं ताकि इनके पथान्तरण को रोका जा सके। सीमा शुल्क विभाग की क्षेत्रीय इकाइयां, विशेष रूप से भारत-नेपाल सीमा पर स्थित इकाइयां तथा राजस्व आसूचना निदेशालय सहित इसकी आसूचना इकाइयां सदैव सतर्क तथा पूरी तरह चौकस रहती हैं ताकि नेपाल तथा दूसरे देशों से निषिद्ध वस्तुओं (बॉल बियरिंग सहित) की तस्करी को रोका जा सके।

(ग) देश में विनिर्मित बियरिंगों पर मूल्यानुसार 16% की दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता है जो दर औद्योगिक वस्तुओं सहित अधिकांश वस्तुओं पर लागू है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि देशी बियरिंगों पर शुल्क की इस दर की वजह से आयातित बियरिंगों की तस्करी की जाती है।

(घ) और (ङ) जी हां। उद्योग/एसोसिएशन ने बियरिंग उद्योग पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 8% करने के लिए अभ्यावेदन दिया था। इस अनुरोध की जांच की गई थी लेकिन इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया था, विशेष रूप से तब जब चालू बजट में अधिकांश उद्योगों के लिए 16% की एक समान दर के साथ सेनवैट को लागू कर दिया गया है।

वस्त्र निर्यात नीति

6300. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र निर्यात नीति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं; और

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन अनुमानों और कपास, वस्त्र व सूती धागे के निर्यात का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) इस प्रकार की कोई पृथक वस्त्र निर्यात नीति नहीं है। तथापि, वस्त्र तथा क्लोदिंग मदों के निर्यातों को यू.एस.ए., यूरोपीय यूनियन और कनाडा जैसे देशों में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। हमारे वस्त्र उद्योग के प्रतिबंध स्तरों का अनुकूलतम उपयोग करने, निर्यात आय में वृद्धि करने तथा व्यवस्थित विकास सुकर बनाने के उद्देश्य से, सरकार समय-समय पर निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों की घोषणा करती है। 2000-2004 की अवधि के लिए नीतियों की घोषणा 12 नवंबर, 1999 को दी गई थी।

(ख) नई नीतियों के महत्वपूर्ण विशेषताओं में कोटा का चरणबद्ध उपयोग, संयंत्र और मशीनरी जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की पात्रता मानदण्ड को पूरा करता है, में किये गये नये निवेश के साथ कोटा को जोड़ना तथा नये निवेश कोटा हकदारी को अहस्तांतरित बनाना शामिल है।

वस्त्र निर्यात लक्ष्य को 1999-2000 के लिए 14,585 अमरीकी डालर के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2000-2001 के लिए 15,532 मिलियन अमरीकी डालर निर्धारित किया गया है।

(ग) वस्त्र जैसे गतिशील और तेजी से बदलने वाली क्षेत्र के विकास का निर्धारण करने वाली अनेक जटिल प्राचल हैं जिसमें कुछ अपरिमेय है तथा इस प्रकार कठोर सांख्यिकीय विधियों पर आधारित विश्वसनीय प्रक्षेपणों को देना संभव नहीं होगा।

वस्त्र आयुक्त द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-दिसम्बर, 1999 की अवधि के दौरान सूती यार्न का उत्पादन 2173 मिलियन कि.ग्रा. और सूती फैब्रिक्स का 18,436 मिलियन वर्ग मी. था।

2000-2001 के लिए निर्यात लक्ष्य के साथ-साथ 1999-2000 के दौरान सूती वस्त्र और सूती यार्न के निर्यात के आंकड़े नीचे दिये गये हैं:-

(आंकड़े मिलियन अमरीकी डालर में)

मद	निर्यात (1999-2000)	निर्यात लक्ष्य (2000-2001)
सूती यार्न	1543.2	170
सूती वस्त्र	2540.9	3050

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

6301. श्री जी.एस. बसवराज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकन निर्यात-आयात बैंक ने दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में काफी कम निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बाधक कारक कौन से हैं जिनके कारण चीन में किए गए 50.09 बिलियन डालर की तुलना में भारत में लगभग 2.00 बिलियन डालर का ही निवेश किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा भारत को निवेशक अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राज्य वित्त मंत्री की बैठक

6302. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 7 फरवरी, 2000 को राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श के मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या निर्णय लिए गए;

(ग) क्या संशोधित योजना के अंतर्गत कृषि अपशिष्ट उत्पाद आधारित पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बिक्री कर से छूट देने के लिए कोई प्रावधान किया गया है अथवा किया जाना प्रस्तावित है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई सम्मेलन नहीं बुलाया गया था।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सोने की तस्करी

6303. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आजकल सोने की तस्करी पूरे जोरों पर चल रही है और क्या इसमें विदेश डाकघर, दक्षिण मुम्बई के कुछ कर्मचारी भी संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अब तक देश में कुल कितना सोना तस्करी पर लाया गया और सोने की तस्करी के प्रत्येक मामले में क्या तरीका अपनाया गया; और

(ग) सोने की तस्करी में संलिप्त विदेश डाकघर दक्षिण-मुम्बई के कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) यद्यपि, तस्करी एक चोरी-छिपे किया जाने वाला धन्धा है, तथापि विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/राजस्व आसूचना निदेशालय इकाइयों द्वारा किए गए अभिग्रहणों के आधार पर, उपलब्ध आसूचना/रिपोर्टों से निश्चित रूप से यह पता चलता है कि हाल में सोने की तस्करी के प्रयास जारी हैं।

मार्च, 2000 में, राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा पता लगाए गए, दो अलग-अलग मामलों में, डाक पार्सलों द्वारा 285 विदेशी मार्का के सोने के बिस्कुटों की (जिनका कुल भार 33.242 कि.ग्रा. था) तस्करी का प्रयास करने के मामले में विदेश डाक-घर, दक्षिणी मुम्बई के छह कर्मचारियों को शामिल पाया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों और राजस्व आसूचना निदेशालय सहित आसूचना इकाइयों द्वारा किए गए सोने के अभिग्रहणों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	मात्रा (कि.ग्रा. में)	मूल्य (लाख रु. में)
1997	1204.474	5730.01
1998	503.592	2123.76
1999	788.231	3407.26
2000 (15.4.2000 तक)	272.504	1220.94

उक्त मामलों में तस्करी के लिए अपनाई गई विभिन्न कार्य प्रणालियों का पता लगा है। पता लगाई गई मुख्य-मुख्य कार्य प्रणालियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(1) अंतर्राष्ट्रीय विमान/समुद्री यात्रियों/कर्मियों के शरीर के अन्दर अथवा बाहर (व्यक्ति द्वारा पहने गए जूतों आदि सहित व्यक्तिगत पहनावों में) छिपाना; (2) यात्रियों द्वारा लाए गए असबाब/घरेलू उपकरणों में छिपाना; (3) वाहनों में छिपाना; (4) कर्मियों के केबिन सहित वायु यानों अथवा समुद्री जहाजों में छिपाना; (5) अपातित इलैक्ट्रोनिक उपकरणों और अन्य एअरकार्गो मदों में छिपाना; (6) डाक-पार्सलों मे छिपाना; (7) राजनयिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करना; (8) वैयक्तिक रूप से अथवा असबाब में रखे गए सोने की घोषणा किए बिना, वायु यात्रियों द्वारा तस्करी का प्रयास करना।

(ग) उपर्युक्त (क) में यथाउल्लिखित, सोने की तस्करी के मामलों में शामिल पाए गए विदेश डाक घर, दक्षिणी मुम्बई के छह कर्मचारियों में से, चार कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। शेष दो कर्मचारियों के फरार होने की सूचना मिली है।

असम को विश्व बैंक द्वारा सहायता

6304. श्री अब्दुल हमीद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान असम में विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सहायता के उपयोग का परियोजनावार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से असम "असम ग्रामीण आधारभूत ढांचा" नामक एक परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के अलावा, असम "तकनीकी शिक्षा-II" नामक एक बहुराज्यीय परियोजना में भागीदारी करने वाली राज्यों में से एक राज्य है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अन्य राज्यों की तरह असम ने भी की केन्द्रीय क्षेत्र की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं द्वारा लाभ प्राप्त किए है।

विवरण

(आंकड़े मिलियन में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्रोत	हस्ताक्षर/ अनुमोदन की तारीख	संवितरण की अंतिम तारीख	मुद्रा	ऋण/अनुदान की राशि	के दौरान संवितरण 1999-2000	1998-99	1997-98
1.	असम ग्रामीण आधारभूत ढांचा	आईडीए	6.6.95	31.12.2003	अमरीकी डालर	126.000	10.288	6.935	1.628
						तकनीकी शिक्षा-II एक बहुराज्यीय परियोजना है। इस परियोजना में असम सहित सभी राज्यों के लिए आवंटित राशि 255.734 मिलियन अमरीकी डालर थी, जिसमें से असम के लिए वर्ष 1999-2000, 1998-99 और 1997-98 के दौरान यह संवितरण क्रमश: 8.73 करोड़ रुपए, 10.53 करोड़ रुपए और 9.58 रुपए था।			
2.	तकनीकी शिक्षा-II	आईडीए	13.8.90	31.10.00					

सिंगरौली कोयला-खानें

6305. **श्री प्रभात झामनलराव :** क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. के निर्णयानुसार, मिर्जापुर (उ.प्र.) की सिंगरौली कोयला खानें राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लिए आरक्षित खानें हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त खानों से कितनी लघु स्थानीय इकाइयों को कोयले की आपूर्ति हो रही है, साथ ही इसकी मात्रा कितनी है; और

(ग) स्थानीय लघु इकाइयों के कितने आवेदकों को उक्त खानों से कोयला प्राप्त करने संबंधी स्वीकृति नहीं दी गई है और इसके क्या कारण हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में "सिंगरौली कोल माइन" नाम की कोई कोयला खान नहीं है। किन्तु, नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (ना.को.लि.), जिसका मुख्यालय मध्य प्रदेश के सिंधी जिले में अवस्थित है, की कोयला खानें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में फैली हुई हैं। यह कोयला कंपनी विद्युत ग्रेड वाले कोयले का उत्पादन करती है, जिसकी आपूर्ति अधिकांशत: क्षेत्र में अवस्थित विद्युत गृहों को की जाती है। ना.को.लि. की कोई भी खान एन.टी.पी.सी. की ग्रहीत खान नहीं है।

(ख) ना.को.लि. के सिंगरौली कोलफील्ड से संयोजन के एवज में चौसठ (64) लघु यूनिटें कोयला प्राप्त करती हैं। इन यूनिटों के लिए कोयले की कुल संयोजित मात्रा लगभग 78,900 टन प्रति माह है।

(ग) ना.को.लि. से कोयले की आपूर्ति किए जाने की कुल मांग, कंपनी में हो रहे उत्पादन से अधिक है। वर्तमान में, कोल इंडिया लि. ना.को.लि. पर किसी नए संयोजन देने के लघु यूनिटों के किसी आवेदन पर विचार नहीं कर रही है।

सोयाबीन का आयात

6306. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका से आयातित कृषि उत्पाद, विशेषत: सोयाबीन घटिया किस्म की होती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने आयातित सामान की गुणवत्ता की जांच के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) खाद्य वस्तुओं की जांच देश में आयातित खेपों की क्लीयरेंस से पहले पत्तन स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा पत्तन पर की जाती है। पत्तन स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही खेप की निकासी की अनुमति दी जाती है। इस दृष्टि से सामान्यत: ऐसे किसी कृषि उत्पाद का आयात संभव नहीं है जो खपत के योग्य नहीं है।

[हिन्दी]

सी.आई.एल. में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

6307. **श्री पी.आर. खुंटे :** क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "गोल्डन हैंडशेक योजना" के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कोल इंडिया लि. की विभिन्न सहायक कंपनियों के कर्मचारियों की सहायक कंपनियों-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को उपदान भविष्य निधि और इस योजना के अन्य लाभों की राशि अदा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का वर्तमान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर से पुराने कर्मचारियों को भुगतान करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का उन कर्मचारियों को, जिनसे यह राशि देय ब्याज के साथ नहीं प्राप्त हुई है, भुगतान करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कोल इंडिया लि. की अनुषंगी कंपनियों में पिछले तीन वर्षों में सार्वजनिक उद्यम विभाग की योजना के विभाग के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्त

होने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या के अनुषंगी-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

कंपनी	1996-97	1997-98	1998-99
ई.को.लि.	95	1221	4880
भा.को.को.लि.	1301	2750	4088
से.को.लि.	445	935	504
वे.को.लि.	5	0	760
सा.ई.को.लि.	58	1	5
म.को.लि.	0	0	0
ना.को.लि.	0	0	2
सी.एम.पी.डी.आई.	0	0	0
ना.ई.को.	0	0	1
को.ई.लि. मुख्यालय	1	5	5
जोड़	1905	4912	10245

(ख) और (ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्त चुनने वाले कोयला कंपनियो के कर्मचारियों को उनकी हकदारी के अनुसार भविष्य निधि/ग्रैच्यूटी सहित आवधिक लाभों का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, उन्हें अनुग्रह राशि का भी भुगतान किया जाता है, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना के अंतर्गत भुगतेय है। वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की ओर अदा की गई अनुग्रह राशि क्रमशः 22.84 करोड़, 119.93 करोड़ रु. और 224.20 करोड़ रु. है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) में दिए गए उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की ओर से भुगतान की जाने वाली दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(च) और (छ) सार्वजनिक उद्यम विभाग की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्त चुनने वाले को उनके सेवानिवृत्त होने के तुरंत बाद अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। अतः इस संबंध में कोई ब्याज देयता के रूप में नहीं होगा।

[अनुवाद]

समाचार वाचकों की सेवाएं समाप्त करना

6308. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने ऐसे कई समाचार वाचकों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं जो कई वर्षों से दूरदर्शन की वेतन सूची में थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दूरदर्शन ने इसके कुछ ऐसी व्यवसायी समाचार वाचकों की सेवाएं समाचार वाचन के लिए ली हैं जिन्हें इलैक्ट्रानिक मीडिया ने इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं पाया था; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) दूरदर्शन में समाचार वाचकों को नैमित्तिक कार्य सुपुर्दगी के आधार पर कार्य पर लगाया जाता है। प्रसार भारती द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति के माध्यम से नैमित्तिक समाचार वाचकों के कार्य निष्पादन

का आकलन करने के पश्चात् पहले पैनल में शामिल कुछ नैमित्तिक समाचार वाचकों को चालू वर्ष के लिए सूची में शामिल नहीं किया गया। तथापि, जो नियमित समाचार वाचकों प्रसार भारती के वेतन पत्रकों पर थे उनमें से किसी की भी सेवा को समाप्त नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म का पुनरूद्धार

6309. डा. सी. कृष्णन : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु की ऊटी स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म कम्पनी के कर्मचारियों को अभी तक अपना वेतन नहीं मिला है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों को वेतन और अन्य देय कब तक दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त उपक्रम का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कंपनी का पुनर्गठन संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि. का मामला औद्योगिक वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के समक्ष है। कम्पनी के कर्मचारियों को उनके कुल वेतन का 52.95% के समतुल्य वेतन के स्थान पर अग्रिम का भुगतान किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) बी.आई.एफ.आर. के दिशानिर्देश में कम्पनी को पुनरूज्जीवित करने के प्रयास के क्रम में एक संयुक्त उद्यम के गठन पर विचार किया जा रहा है। यह मंत्रालय ऑपरेटिंग एजेंसी (आई.सी.आई.सी.आई.), परामर्शदाता और एच.पी.एफ. के प्रबंधन के साथ ताल-मेल करके कम्पनी को एक संयुक्त उद्यम में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि, एक संयुक्त उद्यम के भागीदार का पता लगाने के प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1805/2000]

(3) (एक) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1806/2000]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ह. राजा): महोदय, मैं डा. वल्लभभाई कथीरिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड और भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 2000-01 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1807/2000]

(2) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड और भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 2000-01 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1808/2000]

(3) इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड और भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-01 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1809/2000]

(4) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, और भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 2000-01 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1810/2000]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. धनंजय कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक ब्रोकर्स और सब-ब्रोकर्स) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 14 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 234(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युचअल फंड्स) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 14 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 235(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण से अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 28 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 278(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1811/2000]

(2) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 1 और 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) का.आ. 397(अ) जो 19 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 अप्रैल, 2000 को उस तिथि के रूप में नियत किया गया है, जिसको बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, 1999 प्रवृत्त होगा।

(दो) का.आ. 398(अ) जो 19 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सभापति और पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1812/2000]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 308(अ) जो 5 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एक मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 16/2000-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 309(अ) जो 5 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एक मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 17/2000-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 310(अ) जो 5 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एक मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 19/2000 सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1813/2000]

(4) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 330(अ) जो 11 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय हॉंगकॉंग, सिंगापुर और थाईलैंड में उद्भूत होने वाले अथवा वहां से निर्यातित हार्ड इम्पैक्ट पॉलीस्टाइरीन और जनरल परपज पॉलीस्टाइरीन पर पदनामित प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गई दरों पर अंतिम प्रति-पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 331(अ) जो 11 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 14 अक्तूबर, 1999 की अधिसूचना संख्या 116/99-सी.शु. को रद्द करना है तथा उन पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 337(अ) जो 17 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत होने वाले अथवा वहां से निर्यातित मेट्रोनिडेजोल पर पदनामित प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गई दरों पर अनंतिम प्रति-पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 338(अ) जो 17 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 18/2000-सी.शु. को रद्द करना है तथा उन पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1814/2000]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत दिनांक 11 अप्रैल, 2000 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 332(अ) में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 2000 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1815/2000]

(6) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (2000 का संख्यांक 6) डाक तथा दूरसंचार।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1816/2000]

(दो) मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (2000 का संख्यांक 10) - (अप्रत्यक्ष कर - सीमा शुल्क)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1817/2000]

(तीन) मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (2000 का संख्यांक 11) - (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1818/2000]

(7) वर्ष 1998-99 के लिए संघ सरकार विनियोग लेखे (दूरसंचार सेवाएं) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1819/2000]

(8) वर्ष 1998-99 के लिए संघ सरकार विनियोग लेखे (डाक सेवाएं) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1820/2000]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारन्टी कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-01 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1821/2000]

(2) भारतीय खाद्य व्यापार निगम लिमिटेड और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के बीच वर्ष 2000-01 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1822/2000]

वस्त्र मंत्री (श्री वाइकोचेन्नन): महोदय, मैं श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-01 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1823/2000]

(2) (क) (एक) साऊथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बतूर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1824/2000]

(दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1825/2000]

(तीन) बोम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1826/2000]

(चार) नार्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ख) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बतूर; अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद, बोम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई और नार्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1827/2000]

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1828/2000]

(2) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और खान एवं खनिज मंत्रालय (खान विभाग) के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1829/2000]

अपराह्न 12.02 बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): महोदय, मैं मुम्बई स्थित पोवाई झील को अतिक्रमण से बचाने और उस क्षेत्र में पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने के बारे में पोवाई, मुम्बई के सरदार तारा सिंह, विधायक और अन्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1830/2000]

अपराह्न 12.03 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 8 मई, 2000 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सभा में निम्नलिखित कार्य लिया जाएगा:

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित पर विचार और पारित करना:

(एक) कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 2000

(दो) कॉफी (संशोधन) विधेयक, 2000

(तीन) भारतीय कंपनी (विदेशी हित) और भारतीय कंपनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बंधन) निरसन विधेयक, 2000

(चार) संविधान (89वां संशोधन) विधेयक, 2000

(पांच) संविधान (90वां संशोधन) विधेयक, 2000

(छह) प्रत्यक्ष कर विधि (प्रकीर्ण) निरसन विधेयक 2000

3. राज्य सभा द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना:

(एक) खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 2000

(दो) गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) निरसन विधेयक, 2000

मैं सभा को यह भी सूचित करता हूं कि संविधान (89वां संशोधन) विधेयक, 2000 और संविधान (90वां संशोधन) विधेयक, 2000 मंगलवार, 9 मई, 2000 को विचार तथा पारित किए जाने के लिए लिये जाएंगे।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): महोदय, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किए जाने का अनुरोध करता हूं:

1. ईसाइयों पर हो रहे लगातार हमले और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा भारत के ईसाई समुदाय के बीच विश्वास बहाल करने एवं राज्यों को निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता कि ईसाईयों के विरुद्ध होने वाली हिंसा के लिए वे जिम्मेदार होंगे।

2. देश में भू-जल स्तर की कमी से उत्पन्न गंभीर स्थिति एवं 'महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में भू जल स्तर के रुझान' के संबंध में केन्द्रीय भू-जल समिति की नवीनतम रिपोर्ट। देश के काफी बड़े क्षेत्रों में भू-जल के स्तर में हो रही कमी ध्यान में आयी है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए:

1. महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया जाना बाकी है। लोक सभा के शीतकालीन सत्र में पुर:स्थापित किए गए विधेयक को इस सभा में विचार-विमर्श हेतु लाया जाना चाहिए। संसद एवं राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने हेतु संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए।

2. हमारे देश के कृषक श्रमिक सर्वाधिक शोषित ग्रामीण मजदूर हैं। ज्यादातर राज्यों में उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी प्राप्त नहीं हो पाती। हमारे देश के कृषक मजदूरों के लिए एक व्यापक विधेयक की मांग निरन्तर होती रही है। लोक सभा के चालू सत्र में इसे लाया जाना चाहिए।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किए जाने का अनुरोध करता हूं:

1. सरकार द्वारा नारियल के कृषकों की गंभीर दुर्दशा को गंभीरता से लिया जाए तथा पॉम तेल के आयात सहित आयात पर रोक, समर्थन मूल्य की समीक्षा और माईट रोग से लड़ने के लिए वित्तीय सहायता जैसे उपचारात्मक उपायों को बिना किसी विलंब के कार्यान्वित किया जाए।

2. केरल जैसे राज्यों को मिलने वाली विद्युत (शक्ति) गैर आवंटित केन्द्रीय हिस्से से ठीक-ठीक एवं न्यायोचित होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यवाही में निम्न विषय को सम्मिलित करने का कष्ट करें:-

(1) दिल्ली में बिजली की आपूर्ति में निरंतर बढ़ती जा रही अनियमितता और दिल्ली की जनता की मांग के अनुसार बिजली की आपूर्ति करने में दिल्ली सरकार की असफलता।

(2) दिल्ली में लगातार बढ़ रहे अनधिकृत और अवैध निर्माण जो अधिकारियों और पुलिस की मिलीभगत से हो रही हैं, सभी अनधिकृत निर्माणों को गिराया जाये और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित किया जाये:-

(1) मुम्बई में स्थित माटुंग और परेल रेलवे वर्कशाप तथा महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अंतर्गत कुर्डवाड़ी में स्थित रेलवे वर्कशाप का जीर्णोद्धार किये जाने से संबंधित विषय।

(2) कुर्डवाड़ी रेलवे स्टेशन पर रेलवे बुकिंग की स्थापना किये जाने, वहां पर गुड्स शटल ट्रेन रुकने के परिणामस्वरूप यात्रियों को जो असुविधा होती है, उसको दूर किये जाने के लिये नये प्लेटफार्म की स्थापना किये जाने और वहां से गुजरने वाली विशेषकर चेन्नई मेल में स्लीपर क्लास में बर्थों का कोटा बढ़ाये जाने से संबंधित विषय।

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित राष्ट्रीय मुद्दे को जोड़ने की कृपा करें:

(1) मध्य प्रदेश राज्य से पृथक कर नए छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करने हेतु विधेयक को इसी सत्र में पेश कर स्वीकृत कराया जाये।

(2) देश भर में निराश्रित अपंग व्यक्ति, औरत, महिला, अंधे, मूक-बधिर को 100/- (एक सौ रुपये) प्रतिमाह सहायता राशि को बढ़ाकर 500/- (पांच सौ रुपये) प्रतिमाह चिकित्सा सुविधा सहित प्रदान किया जाये।

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किए जाने का अनुरोध करता हूं:-

1. स्लम संबंधी राष्ट्रीय नीति। दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई इत्यादि जैसे सभी महानगरों में बड़े स्तर पर हो रहे नगरीकरण के कारण स्लम निकल आए हैं। उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों के हाल के निर्णयों ने चिंता पैदा कर दी है। इसके आलोक में स्लमों के लिए पुनर्वास नीति पर चर्चा एवं राष्ट्रीय स्लम नीति को अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित है।

2. राष्ट्रीय वस्त्र निगम का विभिन्न वस्त्र मिलों में भारी घाटे ने सरकार को इन मिलों को बंद करने पर बाध्य किया है। वस्त्र मिल के लाखों मजदूरों की आजीविका का प्रश्न है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के भविष्य पर विचार करने की आवश्यकता है।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मुद्दों को शामिल किया जाए:-

(क) दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा रेलवे प्राधिकारियों द्वारा लाखों गरीब लोगों के लिए

किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना दिल्ली के स्लम क्षेत्रों में झुग्गी-झोंपड़ियों का विध्वंस किया जाना एक गंभीर चिंता का विषय है। यह विध्वंश अवश्य रोका जाए और सभी लोगों को वैकल्पिक भूमि दी जानी चाहिए। सरकार को इस मुद्दे पर वक्तव्य देना चाहिए।

(ख) किसी राष्ट्र की प्रगति का मापदंड 'खेलकूद' होता है। पिछले पचास वर्षों में, इस क्षेत्र में हमारी उपलब्धि नगण्य है। सही, व्यापक, दूरदर्शी खेलकूद नीति और इसके ईमानदारी पूर्वक कार्यान्वयन की कमी के कारण, हम सफल नहीं हो सके। खेलकूद पर एक परिपूर्ण चर्चा की जानी अनिवार्य है।

[हिन्दी]

श्री रामसागर (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित राष्ट्रीय मुद्दे को जोड़ने की कृपा करें:-

देश के विभिन्न अंचलों में आज भी लाखों एकड़ भूमि सीपेज एवं जल रिसाव से प्रभावित पड़ी है। सरकार उसमें सुधार कराकर भूमिहीन किसानों में वितरण करने की नीति बनाने के लिए विचार करे।

अपराह्न 12.11 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

प्रसव पूर्व निदान तकनीक हेतु केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड

[अनुवाद]

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, श्री एन.टी. षणमुगम की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक (दुरूपयोग का विनियमन और निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 7(2)(च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक (दुरूपयोग का विनियमन और निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 7(2)(च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.12 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा दिनांक 4 मई, 2000 को सभा में प्रस्तुत किये गए कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा दिनांक 4 मई, 2000 को सभा में प्रस्तुत किये गए कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, हम एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने नोटिस दिया है?

...(व्यवधान)

श्री ए.सी. जोस : हम नोटिस नहीं दे सके। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया समझिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्यगण, कृपया आप बैठ जाए। चौसठ माननीय सदस्यों ने भाषण के लिए नोटिस दिया है। इसलिए उन्हें पहले बुलाया जाएगा। नोटिस दिए बगैर किसी मुद्दे को उठाया जाना उचित नहीं है। सभा को बाधित न करें। मैं बाद में आपको अवसर दूंगा। कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक): अध्यक्ष महोदय, इस साल हमारे देश में प्याज की फसल बहुत अच्छी हुई है। इस साल कुल मिलाकर लगभग 55 लाख मीटरिक टन से अधिक प्याज का उत्पादन देश में हुआ है। प्याज की ज्यादा फसल होने के कारण हमारे देश में प्याज के लिए ग्राहक भी नहीं मिल रहे हैं और प्याज के दामों में काफी गिरावट आ रही है। प्याज का दाम प्रति क्विंटल सौ रुपये में दो सौ रुपये किसानों को मिल रहा है, जो उचित दाम नहीं है। हमारे देश के लिए सिर्फ 45 लाख टन मीटरिक टन प्याज की आवश्यकता है। इसलिए 45 लाख मीटरिक टन से दस मीटरिक टन ज्यादा प्याज के निर्यात की अनुमति दी जाए। लेकिन सरकार ने प्याज के निर्यात पर पाबन्दी लगाई हुई है, जिसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। चूंकि प्याज पैरिशेबल वैजिटेबल है, इसे अधिक समय तक रखा नहीं जा सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि देश का और किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को रोकने के लिए मैं सरकार से फिर से प्रार्थना करूंगा कि प्याज के ऊपर लगाई गई पाबन्दी को तुरंत हटाया जाए। धन्यवाद।

श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) (बीजापुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बीजापुर में आकाशवाणी तीन वर्ष से प्रारंभ हो गया है लेकिन अनेक समस्याओं के कारण आकाशवाणी ठीक ढंग से कार्यक्रम नहीं दे पा रहा है। कर्मचारियों के अभाव से कार्यक्रम तैयार नहीं हो पा रहे हैं और आकाशवाणी का सही उपयोग लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बीजापुर आकाशवाणी को शीघ्र पूर्ण प्रमाणिक आकाशवाणी का दर्जा दिया जाए और कार्यक्रम पूर्ण रूप से प्रारंभ करने के लिए आदेश भी दिये जाएं।

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण मुद्दा सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा।

वैसे तो भाजपा और आर.एस.एस. हमेशा दूसरो के जज्बात से खेलने का काम करते हैं लेकिन इन दिनों वह पंजाब में जिस आग से खेलने का यत्न कर रहे हैं, वह न तो देश के हित में और मेरी समझ में न ही इंसानियत के हित में है। मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों एक राष्ट्रीय सिख संगत नाम की जत्थेबंदी आर.एस.एस. ने खड़ी की है और उसके माध्यम से जो धर्म किसी का निरादर नहीं करता, जो धर्म सरबत का भला मानता है और जिस धर्म ने हमेशा इंसानियत की बात की है, आर.एस.एस. राष्ट्रीय सिख संगत द्वारा सिख धर्म और संस्कृति की बुनियाद और मूल रूप पर ऐसा प्रहार कर रही है जिससे देश की एकता को खतरा पैदा होने की संभावना है। हमला यह हो रहा है कि पहली बार एक पैम्पलैट बांटा गया कि ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री की तरफ से 17 करोड़ रुपये की मदद आर.एस.एस. के उस चत्थे को दी गई, और जिन्होंने यह प्रचार किया, उन्होंने पंजाब में एक बड़ा विवाद कर दिया है और वह विवाद दशम ग्रंथ और गुरू ग्रंथ साहिब के बीच में खड़ा कर दिया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, मैं बस एक मिनट और लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपको 'शून्य काल' में दो मिनट में अपनी बात का उल्लेख करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि पंजाब के अमन की तबाही पहले भी ऐसी कम्यूनल जत्थेबंदियों ने की है और आर.एस.एस. द्वारा यह जो काम किया जा रहा है, इससे पंजाब का अमन और देश का अमन खतरे में है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इस जत्थेबंदी के कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा कही जाने वाली बातों के अलावा कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल, कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): अध्यक्ष महोदय, जैसा आपको विदित है, इस सदन ने सर्वसम्मति से चार वर्ष पूर्व निर्माण मजदूरों के विकास और उनके पुनर्वास के लिए एक कानून पारित किया था। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा कही जाने वाली बातों के सिवाय कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में लाखों निर्माण मजदूर हैं, लेकिन उनके प्रोटैक्शन के लिए देश में कोई कानून नहीं था। उनके लिए कानून बनाने के लिए हम बहुत समय तक संघर्ष करते रहे। सदन में प्राइवेट मैम्बर बिल भी दिया था। आखिरकार पूरे सदन की सहमति से लगभग चार वर्ष पूर्व कानून पारित कर दिया गया, लेकिन उसके आधार पर नियम बनाया वह भी निर्माण मजदूरों की कोई विशेष मदद नहीं करता, परन्तु चार वर्ष पूर्व पारित हुए कानून के ऊपर नियम बनाने के बाद उस नियम को लागू नहीं किया गया है और उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इस देश में लाखों मजदूर निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। उनके कल्याण के लिए उस नियम को लागू करना लाजमी है। उसे अभी तक लागू न करने के विरोध में रोष प्रकट करने और प्रदर्शन करने के लिए पूरे देश के मजदूर दिल्ली में दिनांक 8.5.2000 को आ रहे हैं। मैं सरकार से अपील करता हूं कि जो कानून बनाया है उसको ठंडे बस्ते में न डाला जाए। उसे तत्काल लागू किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, यह क्या सरकार है कि इस देश में पहले तो निर्माण मजदूरों के कल्याण के लिए कोई कानून ही नहीं था, जब कानून बना, तो नियम बनाने में काफी समय लगा दिया, अब नियम बना है, तो उसे लागू नहीं किया जा रहा है? यह सदन और यह सरकार गरीबों, खेतिहर मजदूरों और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के कल्याण के लिए बनाए गए कानून को लागू करने में इतना विलम्ब क्यों कर रही है? मेरी मांग है कि उस कानून को शीघ्रातिशीघ्र पूरे देश में लागू किया जाए।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हरियाणा की तहसील नूंह के गांव मझैरला में 105 गाय और बछड़ों को बड़ी बेदर्दी से काट दिया गया और अभी तक किसी दोषी को नहीं पकड़ा गया और न इस संबंध में कोई कार्रवाई हुई है।

अध्यक्ष महोदय, इस देश में गाय को गाय माता कहा जाता है और गाय को मां का दर्जा दिया गया है। वहां इस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में गाय एवं बछड़ों की हत्या किए जाने से पूरे क्षेत्र में मायूसी छाई हुई है और सनसनी फैली हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वह दखल दे और दोषियों को पकड़े जिससे सारे इलाके में बना हुआ तनाव समाप्त हो। महोदय, मेरे पास यह फोटो है, जिसमें इन कटी हुई गायों का इतना मार्मिक दृश्य है, जिसको कोई देख नहीं सकता है। इसमें कटी हुई गाय एवं बछड़ों को देखा जा सकता है। ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र बैंदा (फरीदाबाद): अध्यक्ष महोदय, जहां गायों को काटा गया है वह स्थान मेरे चुनाव क्षेत्र से लगता है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रामचन्द्र बैंदा जी, ठीक है। आप अपने आपको इस विषय से एसोसिएट करते हैं। यह बात रिकार्ड पर आ गई है। अब आप बैठ जाएं।

श्री रामचन्द्र बैंदा : अध्यक्ष महोदय, 105 गायों को बड़ी बेदर्दी से काटा गया और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, यह बड़े आश्चर्य और अफसोस की बात है। महोदय, मैं भी अपने को श्री किशन सिंह सांगवान जी द्वारा कही बातों से सम्बद्ध करता हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत ही सैंसिटिव इश्यू की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देश की इसाई संस्थाओं के ऊपर देश भर में हमले हो रहे हैं जिससे सारा सदन चिन्तित है। आज भी समाचारपत्रों के जरिये हमें यह मालूम हुआ कि झांसी में इसाई संस्थाओं के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर अत्याचार हुआ है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चेन्नितला की टिप्पणी के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है। आप उस पर आपत्ति कैसे कर सकते हैं?

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री रमेश चेन्नितला जो नोटिस आपने दिया था वह रबड़ से सम्बन्धित था। आप केवल तत्संबंधित मुद्दे को ही उठा सकते हैं। मैं आपको अन्य मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री रमेश चेन्नितला : इस मुद्दे को उठाना मेरा कर्त्तव्य है। यह अत्यन्त गंभीर मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल रबड़ के मुद्दे पर बोल सकते हैं। अन्य कोई सदस्य इस मुद्दे को उठा सकता है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री रमेश चेन्नितला को रबड़ का मुद्दा उठाने की अनुमति दी है।

श्री रमेश चेन्नितला : यह अत्यन्त गंभीर मुद्दा है। नोटिस देने के बाद, मैंने समाचार पत्र देखा। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे यह मुद्दा उठाना चाहिए जो कि अत्यावश्यक एवं ज्वलंत विषय है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप रबड़ से संबंधित मुद्दा उठाने जा रहे हैं या नहीं?

श्री ए.सी. जोस : इस मुद्दे पर नोटिस देने के लिए हमारे पास समय नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको श्री रमेश चेन्नितला के बाद अनुमति दूंगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल, बहुत हो गया। आप हमेशा बिना अध्यक्षपीठ की अनुमति के बोलते हैं। यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री रमेश चेन्नितला को बोलने के लिए पुकारा है। मैं अन्य सदस्यों को उनके बाद अनुमति दूंगा, अभी नहीं।

[हिन्दी]

श्री रमेश चेन्नितला : अध्यक्ष महोदय, मैंने सुबह 9 बजे जब नोटिस दिया था, तो उस वक्त मैंने रबड़ के इश्यू पर नोटिस दिया था लेकिन जब मैंने हिन्दू पेपर पढ़ा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप रबड़ पर बात करिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको रबड़ के मुद्दे के अलावा अन्य कोई मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी।

श्री रमेश चेन्नितला : जब मैंने रबड़ के मुद्दे पर नोटिस दिया था तो यह बात मुझे मालूम नहीं थी। मैंने इसके बाद ही अखबार पढ़ा था।

अध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप हमेशा ही ऐसा क्यों करते हैं?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। मैंने किसी विषय पर कोई नोटिस नहीं दिया है लेकिन इस सदन में रोज जो सवाल उठते हैं, उससे देश का वातावरण बिगड़ रहा है। अभी हमारे एक मित्र ने पंजाब का सवाल उठाया, तो उन पर खुराना जी को न मालूम क्यों इतना गुस्सा आ गया। मेरा निवेदन है कि ऐसे सवाल जो संवेदनशील हैं, अगर उठाये जायें तो आप सरकार के प्रतिनिधियों को और जो सदस्य सवाल उठाते हैं, उनको बैठाकर कोई हल निकालें। नहीं तो ये सारी बातें अखबारों में जाती हैं और माहौल रोज बिगड़ता है। सिख लोगों का हमारे पास भी एक डेलीगेशन आया था। वे कहते हैं कि कोई नयी संस्था बनी है, जो गुरू ग्रंथ साहब को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रही है। वह सही है या गलत है, मैं नहीं जानता। *...(व्यवधान)* छोड़ दीजिए, आप तो बोल चुके हैं। 17 करोड़ दिया या सात करोड़ दिया, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर ये नहीं, कोई दूसरे हो गये, इनको मालूम होगा। लेकिन इस तरह की बातें हैं, अगर अफवाह हैं तो सरकार को उसका खंडन करना चाहिए और अगर सच्चाई है तो इसका इलाज निकालना चाहिए। यह हमारे लोग जो सवाल उठा रहे हैं, रोज खबर आती है, एक दूसरे ईसाई संस्थान पर हमले होते हैं, कितना सही है या कितना गलत है, क्या सरकार इसकी एक बार सफाई नहीं दे सकती, क्या सरकारों को कोई निर्देश नहीं दे सकती। आप हर चीज पर शोर मचाइये और देश में यह वातावरण बनाइये कि जितने अल्पमत के लोग हैं, उनकी रक्षा करने में यह सरकार असमर्थ है।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस : संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। हर दिन यह विषय सभा में उठाया जाता रहा है। देश में भयंकर स्थिति व्याप्त है *...(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : मंत्री जी को इस मुद्दे पर कुछ कहने दीजिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार को इस मुद्दे पर कुछ कहना है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप मंत्री जी को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं।

श्री ए.सी. जोस : आज के 'हिन्दू' में आप देख सकते हैं कि एक कन्वेंट पर हमला किया गया, ननों के साथ जोर-जबरदस्ती की गई और लखनऊ में हुई दूसरी अन्य घटना में एक चर्च पर हमला किया गया। इन सभी मामलों पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी उत्तर देने जा रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बहुत हो चुका।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं तीन बातें कहना चाहूंगा। मैं वही बात दुहरा रहा हूं लेकिन मैं तीन बातें कहना चाहूंगा। पहली बात यह कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा केन्द्र तथा राज्य सरकारों का संवैधानिक कर्त्तव्य है। इसका मतलब इतना ही नहीं कि केन्द्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर सकती है क्योंकि यह समस्या कई राज्य सरकारों में होती है। मैं किसी विशेष राज्य के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। कई बार हमें सूचना मिलती है। इसलिए यह केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करें।

दूसरी यह कि, मैं विनम्र होकर कहूंगा कि मैं श्री चन्द्रशेखर जी की आपत्तियों से सहमत नहीं हूं कि सरकार अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में असफल हो रही है। मैं इसे नहीं मानता *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : कम से कम, संसदीय कार्य मंत्री से मैं यह आशा नहीं करता कि वे मेरे शब्दों का गलत अर्थ निकालें, यदि वे हिंदी नहीं जानते तो मुझे इसका खेद है। मैंने कहा था कि यह धारणा नहीं बननी चाहिए कि सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं कर रही है और यदि अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित सदस्य ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं तो सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप उन गतिविधियों में शामिल हैं जो कि वे उठा रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन : यदि मैंने श्री चन्द्रशेखर जी के शब्दों का गलत मतलब निकाला हो तो मुझे इसका खेद है। लेकिन मुझे अपनी अंग्रेजी के कम ज्ञान का खेद नहीं है। इसके बारे में खेद होने का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह मेरी मातृ भाषा नहीं है *...(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्यगण : उन्होंने हिंदी में ही कहा था।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, उन्होंने हिंदी में नहीं कहा था, हिंदी को मैं समझ लेता हूं। लेकिन, इसी बीच, यहां पर कई सदस्यगणों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हम कई मुद्दे उठाते

हैं और उनके बारे में दावा करते हैं कि यह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार है क्योंकि वे लोग किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं तथा जब इन सभी घटनाओं की अल्पसंख्यक आयोग ने जांच की तो उसने रिपोर्ट दी कि इसे अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इस देश में नागरिकों पर अत्याचार हुआ है। माना कि बहुसंख्यक लोगों पर अत्याचार होता है तो इसे बहुसंख्यकों के प्रति अत्याचार नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि ...*(व्यवधान)* मुझे पूरा कहने दीजिए।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी उसका उत्तर दे रहे हैं। कृपया, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कृपया समझिए कि जब मंत्री जी उत्तर दे रहे होते हैं तो आपको बीच में व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

श्री सुरेश कुरूप : यह मेरा अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा का व्यवहार नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन : यह किसी का अधिकार नहीं है कि वह मेरे बोलते समय बीच में व्यवधान डालें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मंत्री जी के उत्तर को सुनने के इच्छुक नहीं हैं तो मैं अगली मद पर जाता हूं।

श्री प्रमोद महाजन : इस सभा में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचारों के उल्लिखित कई मामलों में, अल्पसंख्यक आयोग उनसे सहमत नहीं हुआ। अधिकतर मामलों में अल्पसंख्यक आयोग ने कहा है कि यह उनसे सहमत नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री रतिलाल कालीदास वर्मा बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रतिलाल कालीदास वर्मा जो कह रहे हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, मैंने आपको नहीं बल्कि श्री रतिलाल कालीदास वर्मा को बोलने के लिए पुकारा है। आप अभी नहीं बोल सकते हैं। जब वे बोल लेंगे तो आप अपनी बात कह सकते हैं।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं गुजरात और कई प्रदेशों में सूखा पड़ा हुआ है। गुजरात में 18,000 गांव सूखे प्रभावित हैं। सूरत में सारे गांवों में सूखा पड़ा हुआ है। प्रदेश की तीन करोड़ जनता आज पानी के लिए परेशान है। पानी के बिना लोग मुसीबत झेल रहे हैं। मैंने नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा में भी इस मांग को उठाया था कि नर्मदा परियोजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करके उस पर काम कराना चाहिए। गुजरात के सांसदों की ओर से हमेशा इसके लिए प्रयत्न होता रहा है, लेकिन नर्मदा बचाव और पर्यावरण बचाव के नाम पर मेधा पाटकर और उनके साथियों ने इसको पूरा नहीं होने दिया। यह योजना पूरा हो जाती तो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश को इससे लाभ होने वाला था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रतिलाल कालीदास, वर्मा, इस सभा में हमने पहले ही देश में स्थिति पर चर्चा कर ली है, कृपया समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा: मेधा पाटकर जैसे लोगों ने इसको लेकर आंदोलन किया, जिससे आज कच्छ, बनासकांठा और सौराष्ट्र की जनता अपने गांवों को खाली करके कहीं और जा रही है। इस कारण सीमावर्ती इलाका होने के कारण वहां पाकिस्तानी घुसपैठिए आ रहे हैं। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि नर्मदा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

परियोजना में बांध की ऊंचाई जो 360 फीट करने की मांग है, उसको पूरा कर दिया जाए। अगर यह समय रहते पूरा हो जाती है तो आज गुजरात इस मुसीबत में नहीं आता। गुजरात ने विपत्ति के समय सारे देश की मदद की है, चाहे असम में बाढ़ आई हो या उड़ीसा में तूफान आया हो, लेकिन आज गुजरात खुद मदद के लिए हाथ फैला रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके द्वारा सरकार से यही प्रार्थना है कि नर्मदा परियोजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करके बांध की ऊंचाई का काम पूरा किया जाए। इस योजना के जल्द पूरा हो जाने से तीनों राज्यों के अंदर फिर खुशहाली हो सकती है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की ओर से तथा अपनी ओर से मैं पूर्ण विनम्रता से सभा का ध्यान उस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि कुछ देर पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कई गणमान्य सदस्यों द्वारा इस सभा में कई बार उठाए गए अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामलों को अल्पसंख्यक आयोग ने सही नहीं पाया है। उन्होंने कहा कि इस आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों की बात करने वाले माननीय सदस्यों के दावे सही नहीं थे। जबकि उसी समय इसी सभा में माननीय प्रधानमंत्री ने मथुरा के मुद्दे पर तीव्र प्रतिक्रिया जताई थी उन्होंने कहा था कि वे मामले की जांच करेंगे तथा उपर्युक्त कार्यवाही करेंगे। मैं इस बात में नहीं जा रहा हूं *...(व्यवधान)*

चूंकि संसदीय कार्य मंत्री ने अल्पसंख्यकों के बारे में मुद्दा उठाने वाले माननीय सांसदों की सदाशयता पर प्रश्न चिह्न लगाया है और चूंकि उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक आयोग का कहना है कि यह बिल्कुल सही नहीं हैं। मैंने मांग की थी कि अल्पसंख्यक आयोग की जांच रिपोर्ट जो कि इस सभा के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों से संबंधित है को सोमवार को ही सभा पटल पर रखा जाए। मैंने इसकी मांग की थी *...(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मैं श्री दासमुंशी की मांग का समर्थन करता हूं। अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाए। कृपया सरकार को ऐसा करने का निदेश दें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्यों का यही रवैया है तो 'शून्य काल' जारी रखना अत्यधिक कठिन होगा। कृपया इसे समझिए। यह क्या है? माननीय मंत्री जी ने पहले ही उत्तर दे दिया है। आपको और क्या निदेश चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने उत्तर दिया है।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस : हमें आपका संरक्षण चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय क्या आप कुछ कहना चाहते है?

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : मैंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): अध्यक्ष महोदय, मैं मुंशी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे चांस दिया। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या हम लोग झूठ बोलते हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अपना मुद्दा उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत ही बुनियादी सवाल है। *...(व्यवधान)* यह कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसके

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लिए दोनों तरफ के लोग उठें। यह पूरे सदन की आम सहमति है और मैं यह सवाल उठा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुबोध मोहिते के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : मेरा बड़ा बुनियादी सवाल है। ...*(व्यवधान)* यह राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। मैं समझता हूं कि ये जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं, खुराना जी मुझे सपोर्ट करेंगे, खास तौर से मैं प्रमोद महाजन जी का सपोर्ट चाहता हूं क्योंकि उन्हें मैं इस देश का भविष्य समझता हूं। मेरा सवाल यह है कि जो हिन्दुस्तान ...*(व्यवधान)* यह देश कौन चला रहा है? मैं इस प्रश्न पर आ रहा हूं ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं अपना भाषण आधे मिनट में समाप्त कर दूंगा ...*(व्यवधान)* एन.डी.ए. चला रहा है या ब्यूरोक्रेट चला रहे है? ...*(व्यवधान)* मैं आई.ए.एस. ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ...*(व्यवधान)* यह सबसे मजबूत संवर्ग है। आज पोलिटिशियन यह देश नहीं चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। ...*(व्यवधान)* वे फाइलें तैयार कर रहे हैं। वे सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों तरह की राय दे रहे हैं और हम केवल फाइलों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* मैं सबूत के साथ बात करना चाहूंगा। जो हिन्दुस्तान की टेंडेंसी है। फॉरेन विजिट की टेंडेंसी की बात कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* मैं विदेशी दौरों की प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं। अधिकारी वर्ग विदेशी दौरों पर जाते हैं जिसके फलस्वरूप काफी धनराशि खर्च होती है ...*(व्यवधान)* स्टडी ट्यूर्स, वर्कशॉप और सैमीनार के नाम पर खुद फाइलें बनाते हैं, खुद सिगनेचर करते हैं और दूसरे दिन फॉरेन निकल जाते हैं। ...*(व्यवधान)* मैं एक विशिष्ट उदाहरण दे रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अलवी, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। आप किसी विशिष्ट व्यक्ति का मामला कैसे उठा सकते हैं? मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका नोटिस है? इंडिविजुअल के बारे में आप हाउस में कैसे रेज कर सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): सर मैंने नोटिस दिया हुआ है। ...*(व्यवधान)* ऐसा कैसे हो सकता है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : जहां तक टैक्नीकल मैटर का सवाल है, ...*(व्यवधान)* लास्ट वीक जगमोहन जी ने नोटिस इश्यू किया है। ...*(व्यवधान)* जो पंडारा रोड पर आई.ए.एस. ऑफिसर्स हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामानन्द सिंह के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : प्रेस को समझना चाहिए कि इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप किसी विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला कैसे उठा सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामानन्द सिंह के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को एक हजार करोड़ रुपए कम्प्यूटर नेटवर्क के लिए ऋण दिए। इस ऋण में 200 करोड़ रुपए ए.आर.आई.एस. के तहत कम्प्यूटर नेटवर्क के लिए एलाट दिए गए। किन्तु विगत वर्षों में ए.डी.जी. और ए.आर.आई.एस. ने इस योजना में गम्भीर भ्रष्टाचार पाया। इन्होंने इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा माननीय कृषि मंत्री जी को भी लिख कर दी है। इस 200 करोड़ रुपए की योजना में से 50 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। सबसे गम्भीर बात यह है कि जिस अधिकारी ने कम्प्यूटर की खरीद में भ्रष्टाचार की शिकायत की है, वह अधिकारी राष्ट्रपति महोदय द्वारा और प्रधान मंत्री जी द्वारा पुरस्कृत है। यह अधिकारी बहुत ही सक्षम और योग्य अधिकारी है। इस काम के लिए ए.डी.जी. और ए.आर.आई.एस. भारत सरकार के अधिकृत अधिकारी हैं, लेकिन उनसे यह काम छीन लिया गया है और दूसरे भ्रष्ट अधिकारियों को यह काम सौंपा गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि भ्रष्ट अधिकारियों को यह काम सौपने के बजाए, जो अधिकारी इस काम के लिए नियुक्त हैं, उन्हें ही काम पर रखा जाए। साथ ही कृषि मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस प्रकरण की जांच करायें। जो भ्रष्ट अधिकारी इसमें लिप्त है, मेरा निवेदन है कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिभाऊ शंकर महाले के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री, श्री राजनारायण, ने प्रति हजार आबादी के लिए एक ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति की थी। ऐसे छः लाख लोगों की नियुक्ति हो गई है। उस वक्त 50 रुपए प्रतिमाह मेहनताना देना शुरू किया गया था, लेकिन 23 वर्षों के बाद वह मेहनताना अभी तक नहीं बढ़ा है। इन्होंने केन्द्रीय सरकार से मांग की है, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। अभी उन्होंने तीन तारीख को एक बड़ी रैली निकाली और स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग की है कि उनको 750 रुपए प्रतिमाह मेहनताना दिया जाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों को 750 प्रतिमाह रुपए मेहनताना देने की घोषणा की जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? यह आपका कार्य नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : जब आप अध्यक्षपीठ के निर्देश नहीं सुन रहे हैं तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): अध्यक्ष महोदय, अंडमान-निकोबार द्वीप में एलपीजी का एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसका नाम सी.सी.एस. लिमिटेड है और यह छः एक्सटैंशन पाइंट से एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूट करता है। सारे भारत में एल.पी.जी. का रेट सब्जैक्ट-टू-लोकल-टैक्सेस फिक्स है। उदाहरणस्वरूप, दिल्ली में एल.पी.जी. का रेट 196.45 रुपए हैं. इस कास्ट में सैल्स टैक्स, 5 से 10 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कास्ट और 14 रुपए प्रति सिलैंडर कमीशन शामिल है। अंडमान में सेल्स-टैक्स नहीं है और रेट इस प्रकार हैं - पोर्टब्लेयर में 200.17 रुपए, बरातंग में 240.47 रुपए, रंगत में 248.47 रुपए, मायाबंदर में 268.47 रुपए, कार-निकोबार में 511.20 रुपए, दीगलिपुर में 388.47 रुपए, हट-बे में 392.20 रुपए और कैम्पबिल-बे में 415.20 रुपए

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। हर साल अंडमान निकोबार के 21870 कस्टमर्स करीब-करीब सात लाख रुपए इंटर-आयलैंड ट्रांसपोर्टेशन कास्ट दे रहे हैं। अंडमान-निकोबार के लोग वन की रक्षा करते हैं, उनकी मांग है कि उनको दिल्ली के रेट पर एल.पी.जी. उपलब्ध कराई जाए और निम्नलिखित स्थानों पर नई डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोली जाए - चौकीदारी, बराटंग, रंगत, मायाबंदर, दीगलिपुर, कार-निकोबार, हट-बे, काछल, कैम्पबिल-बे आदि।

श्री रामसागर रावत (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर डीजल में मिट्टी का तेल मिला कर बेचने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हमारे जनपद बाराबंकी, हैदरगढ़ में एक ही परिवार में डीजल और मिट्टी के तेल के दो लाइसेंस थोक विक्रेता के हैं। मिट्टी का तेल ईंधन और रोशनी के लिए फुटकर दुकानों से जनता को मिलना चाहिए, वे थोक के डीजल में मिट्टी का तेल मिला कर तीन-चार गुना पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। इस मिलावटी तेल से किसानों के इंजन और ट्रेक्टर के पुर्जे खराब हो रहे हैं। इस वजह से झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों को मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच और आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं। हैदरगढ़, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में मिलावटी तेल बिक रहा है और गरीबों को तेल नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इस पर उचित कार्यवाही करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री खारबेल स्वाइं, जिस विषय के बारे में आपने नोटिस दिया है, उसे तीन दिन पहले डा. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा पहले ही उठाया जा चुका है। वह अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट के संबंध में था।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, क्या आप मुझे उस विषय पर बोलने की अनुमति नहीं देंगे?

अध्यक्ष महोदय : एक माननीय सदस्य द्वारा तीन दिन पहले इस मामले को पहले ही उठाया जा चुका है।

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, क्या मैं दो मिनट के लिए बोल सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले, आप विषय को समझें और फिर बोलें।

श्री पी.सी. थॉमस (मुवत्तुपुजा): हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, वास्तव में विपक्षी दल के माननीय सदस्य हर समय यही सोचते रहते हैं। वह अल्पसंख्यकों विशेषकर कि ईसाइयों पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में मामले उठा रहे हैं। वह समाचार-पत्रों की रिपोर्टों को पढ़ने के बाद यह मामला उठायें। मैं भी 28 अप्रैल को 'एशियन ऐज' में प्रकाशित रिपोर्ट का उल्लेख कर रहा हूं जिसके बारे में किसी भी तरह यह नहीं कहा जा सकता कि यह भा.ज.पा. समर्थक है अथवा एन.डी.ए. सरकार का समर्थक समाचार-पत्र है। *...(व्यवधान)*

आगरा में, एक स्नेहलता थी। वह एक कान्वेंट में काम करती थी। आठ वर्ष के बाद, वह पुलिस स्टेशन आई और कहा कि उसे फिर से कान्वेंट में बहाल किया जाए। अब, उसने आन्ध्र प्रदेश की ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी है। तब इंस्पैक्टर ने क्या किया? उन्होंने उन्हें बुलाया। इस मामले से निपटने के लिए उन्हें एक ही रास्ता समझ में आया कि उन्होंने उन्हें दो घंटे के लिए लॉक अप में बंद कर दिया। इसे ईसाईयों पर अत्याचार का नाम दे दिया।

एक अन्य मामला है, जिसके अनुसार कान्वेंट में एक प्रिंसीपल को परेशान किया गया था क्योंकि उसने उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक नम्बरों का प्रतिशत 35 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिय था। अस्सी विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए थे। उनके संरक्षक आए और उन्होंने प्रिंसीपल को परेशान किया। यहां तक कि दो गुन्डों ने प्रिंसीपल का पीछा भी किया।

सेन्ट डोमिनिक स्कूल के मामले में दो दाखिला लेने वालों ने प्रिंसीपल पर हमला कर दिया।

कोसी में सेन्ट थेरेसा स्कूल में एक डकैती की घटना हुई थी। कुछ डाकू कैम्पस में घुस गए और 1 लाख रुपये लेकर भाग गए।

अन्त में, रिवाड़ी में जिस समय बहुत कम दिखाई दे रहा था, शाम को आंधी चल रही थी उसी समय एक स्कूटर वाले ने दो ननों को टक्कर मार दी।

इन सब घटनाओं को ईसाईयों पर अत्याचार का नाम दिया गया है। मैं बहुत विनम्रता से और हाथ जोड़कर विपक्ष और ईसाई

समुदाय के सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि उन्हें प्रत्येक घटना को ईसाईयों पर हमले का नाम नहीं देना चाहिए। यदि ऐसी कोई घटना हिन्दु समुदाय के किसी व्यक्ति के साथ होती है, तब हम यह नहीं कहते कि यह हिन्दुओं पर हमला है। हम इस तरह कैसे कह सकते हैं? कुछ व्यक्तियों - कुछ भारतीयों के संबंध में कुछ भी समस्या हो सकती है। यह ईसाईयों पर हमला नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

यह हिन्दुओं, बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद् अथवा एन.डी.ए. सरकार द्वारा नहीं किया गया है। माननीय वरिष्ठ संसद सदस्य, श्री एस. जयपाल रेड्डी, जिन्हें इस बार 'उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार' दिया गया है, ने कहा था कि बजरंग दल एक आतंकवादी संगठन है। इन समाचार-पत्रों के समाचार पढ़ने के बाद भी उन्होंने ऐसा कहा।

मैं हाथ जोड़कर सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि उन्हें इसे साम्प्रदायिकता का रंग नहीं देना चाहिए क्योंकि यह साम्प्रदायिक नहीं है और एन.डी.ए. सरकार साम्प्रदायिक नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थॉमस : हमने केवल यह कहा था कि चर्च पर हमला किया गया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अलवी, कृपया पहले मेरी बात सुनिए। आपने विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को मानद डिग्री देने के संबंध में नोटिस दिया है। विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी निकाय हैं। आप विशेष रूप से किसी विशिष्ट व्यक्ति से संबंधित मामले कैसे उठा सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। यदि आप चाहें, तो आप किसी अन्य रूप में इस मुद्दे को उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : महोदय, यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी निकाय हैं। आप यह मुद्दा कैसे उठा सकते हैं

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, विश्वविद्यालयों पर केन्द्र सरकार का काफी नियंत्रण है। यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय है ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : महोदय, यह केन्द्र सरकार द्वारा शासित केन्द्रीय विश्वविद्यालय है ...*(व्यवधान)* मैं किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं। मैं विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी व्यक्ति को डी.एस.सी. की उपाधि दिए जाने के तरीके के बारे में कह रहा हूं। मैं डा. जोशी के विरुद्ध नहीं हूं। ये मेरे भाई की तरह हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : महोदय, मैं नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : यदि आप डा. जोशी को डिग्री देने के विश्वविद्यालय के निर्णय के बारे में कह रहे है, तो आप कुछ भी कह सकते है। सबसे पहले आप इसे समर्थन दीजिए ...*(व्यवधान)* यदि आप इसे समर्थन देते है तो आपकी क्या आपत्ति होगी? यदि आप इसे समर्थन देते हैं, तो कोई मुद्दा नहीं रह जाता ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : महोदय, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री दी जा रही है। मैं इस बात के विरुद्ध नहीं हूं बल्कि मैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): महोदय, उन्हें स्पष्ट रूप से अनुरोध करना चाहिए कि क्या वह डिग्री की उपाधि पर आपत्ति करना चाहते हैं अथवा नहीं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष महोदय, बनारस यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बनारस यूनिवर्सिटी ने सरहदी गांधी जी, रवीन्द्र नाथ टैगोर जी, नेल्सन् मंडेला जी को डिग्रियां दी हैं। डा. साहब को डिग्री दे तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसने राम मंदिर के लिए कोशिश की, जिसने गौशाला के लिए कोशिश की, जिसने स्लॉटर हाउसिज को बंद करने की कोशिश की, उन लोगों को डिग्रियां दी जायें, इस पर मुझे एतराज है। ऐसा पहली बार हुआ है और इससे यूनिवर्सिटी की हैसियत और इज्जत घटेगी। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जिस मामले में क्रिमिनल केस कोर्ट के अंदर पैंडिंग हो उस मामले के अंदर अगर डी.एस.सी. की डिग्री दी जायेगी तो इससे देश के कानून का मजाक उड़ाया जायेगा। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सरकार इस विषय का सीरियसली नोट ले।

श्री निहाल चंद चौहान (श्री गंगानगर): अध्यक्ष जी, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो भारत-पाक सीमा पर स्थित है। श्री गंगानगर में किसानों की भूमि जो कंटीले तारों में आई हुई है उस भूमि का सर्वे नहीं हुआ है। जब किसान अपनी फसल बोता है या काटता है तो बी.एस.एफ. के लोग किसानों को तंग करते हैं जिससे वहां पर किसान अपनी फसल न तो बो सकता है न सिंचाई कर सकता है और न ही काट सकता है। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि किसान की जो भूमि कंटीले तारों में आई हुई है उसका सर्वे कराकर उसका एस्टीमेट बनाया जाये या बदले में किसानों को भूमि दी जाये।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान एक अति आवश्यक विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मार्बल के आयात पर हटाये गये प्रतिबंधों के कारण राजस्थान का मार्बल उद्योग संकट में पड़ गया है। भारत सरकार द्वारा पोषित आयात-निर्यात नीति के चैप्टर 68 के अंतर्गत माबल आयात पर हटाये गये प्रतिबंधों के कारण यह उद्योग संकट में है। राजस्थान में भारत में कुल उत्पादित मार्बल का 90 प्रतिशत मार्बल राजस्थान में ही खनन एवं प्रौसेस किया जाता है। यह उद्योग राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मेरूदंड है। यह अनुमति मार्च 1999 में दी गयी थी और मई 1999 में इसके आयात पर कैप लगाया गया था। कैप लगाने के बाद 9 महीनों के अंदर ही 250 लाख वर्ग फुट निम्न वैल्यू का मार्बल आयात होकर देश में आ गया जिससे मार्बल उद्योग को गहरा झटका लगा है। इससे मार्बल की काफी इकाइयां बीमार पड़ गयी हैं या रुग्ण होने की स्थिति में है।

अपराह्न 1.00 बजे

इसलिए मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि लघु उद्योगों को रुग्ण होने से बचाया जाए। इस पर तीन हजार छोटे उद्योग और दो लाख परिवार आश्रित हैं। मार्बल उद्योग को बचाने के लिए आयात के सम्बन्ध में देश के लघु उद्योगों को समान धरातल पर रखा जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन्, आपको आज नहीं कल बोलने का अवसर दिया जाएगा। यह अध्यक्षपीठ की ओर से अपील है।

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): अध्यक्ष महोदय केरल में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय या चिकित्सालय का कार्यकरण संतोषप्रद नहीं हैं। क्विलोन जिला एक काजू उत्पादक जिला है। यहां निजी और सरकारी क्षेत्र की 200 से अधिक काजू फैक्ट्रियां कार्य कर रही हैं। त्रिवेन्द्रम तथा पथनमथिट्टा जिले भी आंशिक रूप से इस उद्योग में शामिल हैं। केरल में काजू उद्योग में तीन लाख से भी अधिक काजू श्रमिक कार्यरत है। इस उद्योग के माध्यम से देश को प्रत्येक वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। महोदय, सभी काजू श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं और उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा के लाभ भी प्राप्त हो रहे हैं। काजू श्रमिकों में से 90 प्रतिशत श्रमिक निर्धन महिलाएं है और उनमें से भी अधिकतर अनुसूचित जातियों और पिछड़े समुदायों से आती हैं। काजू श्रमिकों को उचित चिकित्सीय सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। भारत सरकार ने काजू श्रमिकों के लिए चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री कोडीकुनील सुरेश : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। दुर्भाग्य से ई.एस.आई. अस्पताल काजू श्रमिकों को चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने में पूरी तरह विफल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.13 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.13 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन* हुए]

सभापति महोदय : अब हम विधायी कार्य करेंगे। श्री काशीराम राणा अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

सूती वस्त्र (निरसन) विधेयक

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि सूती वस्त्र अधिनियम, 1918 के निरसन संबंधी विधेयक पर विचार किया जाए।"

सूत्री वस्त्र अधिनियम 1918 में अधिनियमित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था देश में निर्मित किये जा रहे सूती वस्त्र की निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को उचित मूल्य पर आपूर्ति को बढ़ावा देना और उसे बरकरार रखना। इस अधिनियम का क्षेत्राधिकार पूरा भारत है।

इस अधिनियम के अंतर्गत, राज्य सरकारों को इस अधिनियम को लागू करने के लिए एक नियंत्रक नियुक्त करने तथा नियंत्रक की सहायता के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। राज्य सरकारों के स्टैंडर्ड कपड़े का मूल्य निर्धारित करने, स्टैंडर्ड कपड़े की बिक्री के लिए लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु प्राधिकारी विहित करने तथा अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए अन्य नियम बनाने संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं।

इस अधिनियम के अंतर्गत, नियुक्त किये गये नियंत्रक को सूती वस्त्र के उत्पादन, उसकी बुलाई, वितरण, तथा क्रय और विक्रय के लिए सामान्य अथवा विशेष आदेश देने की शक्ति प्राप्त है। नियंत्रक को यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह वस्त्र निर्माता को अदा किये जाने वाले मूल्य का निर्धारण कर सके तथा स्टैंडर्ड कपड़े के श्रेणी का घोषणा कर सके और उन्हें परिभाषित कर सके। इस अधिनियम में उपबंधों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने संबंधी उपलब्ध भी हैं और इसके लिए छह महीने तक का कारावास और जुर्माना अथवा दोनों हो सकते है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम के अनुसार कपास और वस्त्र आवश्क वस्तुएं हैं। केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत इसे दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक वस्त्र (विकास और विनियमन) आदेश, 1993 जारी किया है, जो बहुत व्यापक है और इसमें सूती वस्त्र अधिनियम, 1918 के सभी उपबंध शामिल हैं। सूत्री वस्त्र अधिनियम-1918 केवल एक श्रेणी अर्थात् सूती वस्त्र से सरोकार रखता है जबकि वस्त्र (विकास और विनियमन) आदेश 1993 सभी तरह के कपड़े, धागे और अन्य वस्त्रों से सम्बन्ध रखता है। इस आदेश को वस्त्र आयुक्त द्वारा लागू किया जाता है जिसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है और जिसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण भारत है। आज के संदर्भ में सूती वस्त्र अधिनियम का विस्तार और केन्द्र बिन्दु बहुत ही सीमित है। यद्यपि, 1918 में मानव निर्मित फाइबर वस्त्र चलन में नहीं थे। इसलिए, वर्तमान उदारीकृत औद्योगिक परिदृश्य में इस अधिनियम को जारी रखना अनावश्यक और निरर्थक है।

कुछ वर्षों से वस्त्र उद्योग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। 1980-81 से 1998-99 के बीच कपड़ा उत्पादन में 6 प्रतिशत की औसत सालाना विकास दर से 190 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1980-81 के दौरान 17.30 वर्ग मीटर थी जो 1998-99 के दौरान बढ़कर 28.19 वर्ग मीटर तक पहुंच गयी है। इसमें कुल वृद्धि 63 प्रतिशत हुई है और इसकी औसत वृद्धि 2.75 प्रतिशत रही है। उत्तरोत्तर बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के अलावा सूती वस्त्र का निर्यात 1981-82 में 407 करोड़ रुपये की तुलना में 1998-99 में बढ़कर 16,448 करोड़ रुपया हो गया। अत: इस परिदृश्य में सूतीवस्त्र अधिनियम 1918 जैसे असंगत और पुराने अधिनियम के अस्तित्व में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कुछ वर्षों से, वस्त्र उद्योग में कई परिवर्तन हुए हैं और अब हमारा प्रयास है कि इसे एक सुदृढ़ और शक्तिशाली उद्योग के रूप में विकसित किया जाये जो लोगों की बढ़ती आवश्यकता के अनुरूप उचित मूल्यों पर बेचे जाने वाले बढ़िया कपड़े का उत्पादन कर सके और देश के आर्थिक विकास में योगदान कर सके और विश्व बाजार में बढ़ती भागीदारी के लिए आत्मविश्वास के साथ

प्रतिस्पर्धा कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार ने कई कदम उठाये है। वस्त्र तथा जूट उद्योगों के आधुनिकीकरण हेतु 1 अप्रैल, 1999 से कार्यरत प्रौद्योगिकी उन्नयन निधियां स्कीम तथा कपास विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन उनमें से एक है।

मंत्रिमंडल ने सूती वस्त्र अधिनियम, 1918 के निरसन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। प्रशासनिक विधियों के पुनरीक्षा संबंधी आयोग ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है।

मैं आशा करता हूं कि यह सभा सूती वस्त्र अधिनियम, 1918 के निरसन को अपनी स्वीकृति प्रदान करेगी।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि सूती वस्त्र अधिनियम, 1918 के निरसन संबंधी विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। ऐसा करते हुए मैं कुछ ऐसे कारकों का उल्लेख करना चाहूंगा जिन पर सरकार विचार कर सकती है।

पहली बात यह है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासक बहुत उदार और निर्धनों के हितों का ध्यान रखने वाले थे यद्यपि हमने उन्हें निकाल बाहर किया। लेकिन इस अधिनियम का उद्देश्य निर्धनों को उचित दरों पर स्टैंडर्ड कपड़ा उपलब्ध कराना था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु साम्राज्यवादी शासकों ने यह अधिनियम बनाया था। यहां तक कि उस समय भी बहुत पहले 1918 में, तत्कालीन विदेशी सरकार राज्य के निर्धनों की सहायता के लिए उदारता और सदिच्छा रखती थी और उन्हें उचित दरों पर स्टैंडर्ड कपड़ा उपलब्ध कराती थी।

वर्तमान में स्थिति क्या है? अब, इस उद्योग में इतना अधिक विकास हुआ है कि हम इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्य कर रहे हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 पारित किया गया है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि उक्त अधिनियम में ये सभी बातें आ जायेंगी और इस बारे में कोई संदेह भी नहीं है। लेकिन कोई न कोई ऐसा तंत्र अवश्य हो जो इस बात की निगरानी रख सके कि निर्धनों को उचित दरों पर कपड़ा उपलब्ध हो। अब हम वैश्वीकरण, निजीकरण तथा उदारीकरण के दौर में हैं। प्रतिस्पर्धा इसकी एक समस्या है। कपास बाजार में बड़ी-बड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। कपास उद्योग भी संकटों से गुजर रहा है। उक्त परिस्थितियों के मद्देनजर सरकार को निर्धन व्यक्तियों को उचित दरों पर कपड़ा उपलब्ध कराने की संभावना पर विचार करना चाहिए।

अब आप इस अधिनियम को रद्द कर रहे हैं। यह अधिनियम पांच या छह दशकों से अस्तित्व में था, और किसी भी संविधि में ऐसा प्रावधान नहीं है कि निर्धनों को उचित दरों पर कपड़ा दिया जाये। क्या ऐसा कोई प्रावधान है। कोई भी राज्य सरकार ऐसा कानून बनाने को तैयार नहीं है जिसमें निर्धनों को जिन्हें कपड़े की आवश्यकता है, कोई संरक्षण दिया जाये। भारतीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है। उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे पहनने के लिए कपड़े खरीद सकें। लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को अपने ध्यान में रखा और इसी कारण उन्होंने 1918 में इस अधिनियम को अधिनियमित किया। इस वैश्वीकरण और निजीकरण के दौर में, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह कोई ऐसा तरीका ढूंढ़ निकाले जिससे निर्धन व्यक्तियों को उचित दरों पर पर्याप्त कपड़ा उपलब्ध कराया जा सके। इस अधिनियम के स्थान पर हम या तो आवश्यक वस्तु अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान कर सकते हैं जिससे कि निर्धन व्यक्तियों को पर्याप्त कपड़ा उपलब्ध कराया जा सके।

मैं समझता हूं कि सरकार निर्धन व्यक्तियों को कपड़े की खरीद में छूट देने संबंधी पहलू पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत निर्धनों को कपड़े बांटे गये थे। प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने निर्धनों को स्टैंडर्ड कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए इसी अधिनियम का प्रयोग किया था। यदि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे लिए यह संभव नहीं होगा कि हम उचित दरों पर निर्धनों को स्टैंडर्ड कपड़ा उपलब्ध करा सकें। इसलिए, एक बार फिर से, मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसा तरीका ढूंढ़ निकाले जिससे निर्धनों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। निर्धनों को कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए कोई न कोई तंत्र अवश्य होना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय, यद्यपि यह विधान अत्यंत ही छोटा है, फिर भी इसका प्रभाव अत्यंत ही व्यापक हैं। अतएव, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस चर्चा में भाग ले रहा हूं तथा मैं वस्त्र मंत्रालय को अपना पूरा समर्थन देता हूं।

सभापति महोदय, आपको स्मरण होगा कि 1970-71 में जब भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 'प्रिवी पर्स' को समाप्त कर दिया तो उन्होंने 'गरीबी हटाओ'

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

के नारे के अलावा एक बात और कही थी कि "इस देश की गांवों में रहने वाली महिलाओं कम से कम गांव की निर्धनतम महिला को भी पर्याप्त वस्त्र मुहैया कराने के लिए पूरे प्रयास किए जाने चाहिए।" इस देश का नाम और ख्याति मात्र इस बात में नहीं है कि हमने कितना औद्योगिक विकास हासिल किया है या कृषि के क्षेत्र में हमने कितनी विकास की है अथवा सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि हुई है, अपितु देश का सम्मान इस बात पर निर्भर करता है कि यहां की महिलाओं का रहन-सहन कैसा है।

मुझे स्मरण है कि विभिन्न राज्य सरकारों, सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्र के टेक्सटाइल यूनिटों, किंतु मुख्यत: राज्य सरकारों की सहायता द्वारा सहकारिताओं के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि महिलाओं को सस्ते से सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराया जाए।

किंतु जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो इसमें बदलाव आया। मुझे 'जनता साड़ी' की अवधारणा अच्छी तरह से याद है। मैं दावे की साथ कहता हूं कि यह एक बहुत ही बढ़िया विचार था और इसे निर्धनतम लोगों ने पसंद किया था। दुर्भाग्यवश, इन सारे वर्षों में, हम जब देश दूरदराज के गांवों में जाते हैं - चाहे गुजरात हो या बंगाल या राजस्थान या और कहीं भी - हम देखते हैं कि महिलाएं सूर्योदय के बाद घर से बाहर बाजार, काम पर या किसी अन्य क्रियाकलाप के लिए जाने में शर्म महसूस करती हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं होते हैं।

मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं जिसके कारण से मैं इस विधान का समर्थन कर रहा हूं। यह बात 1989 की है। मुझे एक संवाद मिला कि मेरे राज्य में निर्धनतम महिला को जनता साड़ी 20 अलग-अलग स्टोर से दिए जाएंगे। लोगों ने जनता साड़ी खरीदने के लिए अत्यधिक उत्सुकता से इन्तजार किया। बंगाल में जैसा कि आप जानते हैं, दुर्गा पूजा के दौरान भी निर्धनतम व्यक्ति उम्मीद करता है कि उसे कुछ मिलेगा। मैंने उन सभी 20 स्टोरों से पता किया और मुझे बताया गया कि सभी साड़ियां बिक चुकी हैं। जब मैंने यह पूछा कि साड़ियों को बेचने का तरीका क्या था और क्या उन्होंने बिक्री का कोई रिकार्ड रखा है। यहां तक कि सहकारी स्टोर में भी जवाब दिया गया कि सभी साड़ियां बिक चुकी हैं। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि जनता साड़ी लक्षित व्यक्तियों तक पहुंच गयी। उसी दिन जब मैं मंडी गया तो मैंने पाया कि जिन जनता साड़ियों जिसे निर्धनतम व्यक्तियों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली अथवा सहकारिताओं के माध्यम से 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' के अंतर्गत बेची जाती थी - खुले बाजार में बहुत ज्यादा कीमत पर बिक रही थी। यह कार्य गुपचुप वर्षों तक चलता रहा। आज तक, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, न तो राज्य सरकार न ही केन्द्र सरकार ने इस पर अंकुश लगाने का कोई प्रयास किया। नि:संदेह, यह विषय राज्य सरकार के अधीन आता है क्योंकि उन्हें ही आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करना होता है। किंतु इस तरह की बातें हो रही है। माननीय वस्त्र मंत्री गुजरात के हैं तथा वह गुजरात के गांवों की समस्याओं से भलीभांति अवगत हैं। मेरा वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार से सिर्फ एक अनुरोध है कि वह स्थिति का जायजा ले।

गुजरात के संदर्भ में, मुझे टैगोर द्वारा लिखी गई एक लघु कथा याद आती है। उन्होंने गुजरात में ग्रामीणों द्वारा कपास ढोने के बारे में लिखा है। गुजरात कपास के लिए प्रसिद्ध है। मैं इस अंश को पढ़कर रो पड़ता हूं। इसमें कहा गया है कि वे आंखों में आंसू भरे हुए बिना कपड़ा पहने कपास ढोते हैं, और अंत में वे सोचते है कि वे शहर के सभ्य समाज को यह दे रहे हैं तथा उनके लिए कुछ नहीं है। टैगोर की अपनी प्रसिद्ध कृति 'कुलित प्रश्न' में यह लिखा है।

मैं वस्त्र मंत्री श्री काशीराम राणा से इस संबंध में एक नई नीति बनाने का अनुरोध करता हूं। उन्हें देश में कपास उत्पादन का आकलन करना चाहिए। उन्हें सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों के मिलों की उत्पादन क्षमता का आकलन करना चाहिए तथा देश के निर्धनतम व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रत्येक राज्य की आवश्यकता की कुल मात्रा का पता करना चाहिए। यदि कृषि मजदूर की दैनिक मजदूरी 50 रु. है कुछ राज्यों में 35 रु. भी है, अन्य राज्यों में 45 रु. है तथा कुछ अन्य राज्यों में 60 रु. भी है तो क्या कोई औरत घरेलू अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद - कुछ परिवार में केवल स्त्रियां ही काम करती हैं पुरुष काम नहीं करते - एक वर्ष में दो साड़ी खरीद सकती हैं जिससे कि वह स्वयं को ढक सके तथा किसी की बेटी अथवा मां के रूप में सामने आ सके? सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्धनों को खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करती है, यह काम के बदले अनाज कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है, सूखा-प्रवण क्षेत्रों में काम मुहैय्या कराती है इत्यादि। क्या सरकार यह कोशिश करेगी कि नई सहस्राब्दि में भारतीय गांवों में कोई भी महिला बिना वस्त्र के नहीं रह जाए? यदि सरकार यह एक चीज सुनिश्चित कर सकें, तो यह इस सरकार तथा सभ्यता के लिए वास्तविक उपलब्धि होगी।

मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि किसने क्या किया। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि जनसंख्या वृद्धि साल दर साल बेरोकटोक होती रही। हम जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोक सके। जब

जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम 1975 और 1977 में जोरशोर से चलाया गया, ठीक हो या गलत इसके अलग-अलग अर्थ लगाए गए। कपास उत्पादन की वर्तमान मात्रा से बाजार में इसकी उपलब्धता तथा अधिशेष जोकि निर्धनतम व्यक्ति को दिया जा सके, हम लोग इसे सफल नहीं बना सके। आज, संसाधन पर्याप्त हैं। औद्योगिक और कृषि विकास में वृद्धि हो रही है।

अतएव, मैं माननीय वस्त्र मंत्री से अनुरोध करता हूं कि एक नीति बनाई जाए जो कि निर्धनतम व्यक्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़े प्रदान करना सुनिश्चित कर सके। यदि गांव के कृषक समुदाय, खेतीहर मजदूर या दस्तकार को यह सुनिश्चित किया जाए कि उसकी पुत्री या उसकी पत्नी या उसकी माता को प्रत्येक वर्ष अत्यन्त ही सस्ते दर पर दो कपड़े दिए जाएंगे तो मैं समझता हूं कि यह सभ्यता की वास्तविक उपलब्धि होगी।

हम यदि कांग्रेस शासन के पचास वर्षों में यह नहीं कर सके, हमें इस पर शर्मिंदगी है। किंतु आप कृपया ऐसा करें। हम आपका नमन करेंगे। इस देश में सिर्फ यही समस्या है। मैं जब गांवों का दौरा करता हूं मैं निर्धनतम व्यक्ति की दशा को देखकर आंखें मूंद लेता हूं। किंतु वे महसूस करते हैं कि हम गांवों में ऐसा करके गलत करते हैं। इसलिए हमें गांव जाना मुश्किल होता है क्योंकि ग्रामीणों के पास कपड़े नहीं हैं। चुनाव के समय भी मैंने इस संबंध में कहा अतएव, मैं रो पड़ता हूं तथा इस देश का नागरिक होने के नाते मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमने उनके लिए क्या किया।

अतएव, क्या आप निर्धनतम महिला को कम से कम वर्ष में दो साड़ी अवश्य दिलाने के लिए जैसा उचित समझें, तंत्र या नीति बना सकते हैं?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, सरकार सूती कपड़े के कानून को समाप्त करने के लिए विधेयक लाई है। उसने दावा किया है कि यह कानून 1918 का था। 1955 के कानून के हिसाब से और 1993 को जो ऑर्डर निकला था, उस हिसाब से यह कानून अनावश्यक हो गया है इसलिए इस एक्ट को हम समाप्त करते हैं। माननीय सदस्य दासमुंशी जी और राधाकृष्णन जी ने सही चिंता व्यक्त की कि व्यक्ति की मूलभूत तीन आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। उसमें कपड़े का महत्व किसी से कम नहीं है। गरीब आदमी को उचित दाम पर कपड़ा उपलब्ध हो, उसके लिए 1918 में कानून बनाया गया था।

जब महात्मा गांधी जी चम्पारण गए थे, उस समय वे मोहनदास कर्मचन्द गांधी थे। जब वे सड़क पर खड़े थे और घर की महिलाएं उन्हें देख रही थीं, तो उन्होंने कस्तूरबा जी को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। जब कस्तूरबा जी वहां गई और उन्होंने घर से झांकती हुई महिलाओं को आने को कहा, पर वे नहीं आईं। तब वे भीतर गईं और बाहर आकर उन्होंने गांधी जी को बताया कि वे सभी महिलाएं अर्धनग्न हैं, कपड़े के अभाव में नहीं आ रही हैं तो उसी समय मोहनदास कर्मचन्द गांधी ने अपने सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए और केवल एक धोती और अंगोछा रख लिया। उसी समय से वे महात्मा गांधी हो गए। उन्होंने यह महसूस किया कि हिन्दुस्तान के एक-एक व्यक्ति पर जितना कपड़ा होना चाहिए, उतना नहीं है, खास कर महिलाओं के लिए, उस हालत में पूर्ण वस्त्र पहनने का औचित्य नहीं है। इसी कारण एक धोती को लपेट वे महात्मा गांधी हो गए। इसका मतलब यह कि हिन्दुस्तान में कपड़े का अभाव है। खास कर गरीब आदमी के लिए तो जाड़े के दिन ऊनी तो क्या सूती कपड़ा भी नहीं मिलता। इसीलिए वह आग ताप कर और चारपाई पर वही पुराना कपड़ा जो ओढ़ा होता है, उसे बिछा कर सोता है। इसलिए यह कानून बना था कि गरीब आदमी को उचित दाम पर कपड़ा मिले, जिससे वह अपना तन ढंक सके। उस कानून को खत्म कर रहे हैं, लेकिन उसके वैकल्पिक प्रबंध के बारे में कहा है कि राज्य सरकारें कानून बना रही हैं। राज्य सरकारों ने तो अपने-अपने राज्यों में जनता धोती स्कीम भी चलाई थी। वहां देखा कि कागजी कार्रवाई ज्यादा हो रही है। कागज में सूत खरीदा, जनता में सारी धोती बंट गई और गरीब लोगों ने पहन भी ली, हेराफेरी होती है। गरीबों में जो कपड़ों की कमी है, उसकी आपूर्ति नहीं हो सकती, इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए और गरीब आदमी को कपड़ा उचित दाम पर मिले, उसका प्रबंध होना चाहिए। उसमें हम कैसे अपेक्षा करें? खादी आजादी की लड़ाई का प्रतीक थी और खादी कमीशन देश भर में चालू है, हजारों लोग उसमें लगे हुए हैं। उसमें भी जितनी सरकारी सहायता थी, सब बंद हो गई। सरकार को खादी से क्यों दुश्मनी है? खादी तो आजादी की लड़ाई का सूचक है। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजियत के खिलाफ आंदोलन चलाया था कि अंग्रेजों द्वारा तैयार किया गया वस्त्र लोग नहीं पहनेंगे, हिन्दुस्तान के लोगों द्वारा तैयार किया गया वस्त्र ही पहनेंगे और खादी में सरकारी सहायता क्यों बंद की गई, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं। खादी के संबंध में खादी भंडार वाले मुझ से मिले थे, उन्होंने बताया कि जितनी भी सहायता तथा सुविधा अक्तूबर में खादी के मामले में दी जाती थी और खादी सस्ती की जाती थी जिससे लोग खादी पहनते थे, वह सब बंद हो गई है।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप खादी का जूता चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं, खादी से आपको इतना प्रेम है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : खादी का जूता चप्पल और मजबूत होता है लेकिन देखने में थोड़ा आकर्षक नहीं होता। ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): लोग आपके चेहरे की तरफ देखेंगे, जूते की ओर कौन देखेगा? ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : जूते उल्टे पड़ जायें तो क्या करें? हम कैटिगरीकली कहना चाहते हैं कि इसकी जानकारी ली जाये कि किस हालत में खादी में मिल रही सरकारी सहायता रोक दी गई है और ऐसा क्यों किया गया है? देश भर के आजादी की लड़ाई में जो लोग शामिल थे और महात्मा गांधी जी का सूत, तकली और चरखा, उसको क्यों बंद किया गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कानून तो खत्म किया है, ठीक है लेकिन गरीब आदमी को कपड़ा सस्ते दाम पर मिले, इसका प्रावधान होना चाहिए। खादी में मिल रही केन्द्रीय सहायता भी सरकार को तुरंत बहाल करनी चाहिए, सरकार को तुरंत मदद देनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री काशीराम राणा : सभापति महोदय, कॉटन क्लॉथ एक्ट के निरीक्षण के लिए जो मैं बिल लाया हूं और माननीय सदस्यों ने उसमें जो पार्टिसिपेशन किया, उसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। मुझे खुशी भी है कि सभी ने इस कानून को रद्द करने के लिए यहां सम्मति जताई है। मैंने शुरूआत में ही कहा कि जो भी कॉटन क्लॉथ एक्ट प्रावधान था, हमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत ऑर्डर निकाला और सभी कवर कर लिया है, इसलिए कानून में जो ओवरलैपिंग थी, हम चाहते हैं कि कानून में सिम्पलीफिकेशन हो, ओवरलैपिंग न हो और इसकी वजह मे यह कानून रद्द करने के लिए हम सभागृह में आये। जैसे कि राधाकृष्णन जी ने यहां सवाल उठाया कि गरीब लोगों को, उनकी जो रिक्वॉयरमेंट है, उनको कपड़ा पहुंचाना चाहिए। सरकार इस बारे में बहुत ही गंभीर है खास तौर से मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सटाइल्स भी जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान सूत्र आजादी के पहले भी था और अब भी है। सरकार चाहती है कि देश के गरीब से गरीब तबके के लोगों को रिजनेबल रेट्स पर कपड़ा पहुंचाया जाए। सरकार ने जो पालिसी इम्पलीमेंट की है, उस पालिसी के तहत, जैसा मैंने बताया, कपड़े का उत्पादन बढ़ा है और पर-कैपिटा कपड़े का कन्जम्पशन भी बढ़ा है। हमने जो नई योजनायें लागू की हैं, उसके तहत हम गरीब तबके के लोगों को रिजनेबल रेट्स पर कपड़ा पहुंचाने में अवश्य सफल होंगे। इसके अलावा आपने कहा है कि अगर शार्टेज हो गई, को क्या किया जाएगा - इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हमने इस कानून को निरस्त करते हुए, सारे प्रावधान एसेंशियल टैक्सटाइल आर्डर 1993 में रखे हैं। और इसके तहत हम एक्शन लेकर ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होने देंगे।

माननीय सदस्य, प्रियरंजन दास मुंशी जी, ने ठीक ही कहा है कि पहले देश भर में जनता क्लोथ स्कीम लागू थी और खासकर गरीब लोगों, बहनों के लिए साड़ी और भाइयों के लिए धोती, के लिए यह व्यवस्था थी। इन्होंने इस योजना को फिर से लागू करने पर जोर दिया है। हम भी नहीं चाहते हैं कि इस देश के गरीब से गरीब लोग, चाहे हमारी बहनें हों या भाई, बिना कपड़े के रहें। हम हर व्यक्ति को कपड़ा पहनाना चाहते हैं। आपको इस बात की जानकारी होगी, देश में कपड़े का उत्पादन हो रहा है और अब मार्केटिंग का सवाल पैदा हो रहा है। सवाल इस बात का नहीं है कि उसके दाम ऊंचे हैं, सवाल मार्केटिंग का पैदा हो रहा है। मैं पिछले साल के आंकड़ों से उसकी तुलना करूं, तो कपड़े की कीमत सस्ती हुई है। आप जानते हैं, यह स्कीम किस वजह से बन्द हुई। अगर इस स्कीम में घपला नहीं होता, तो यह स्कीम अच्छी तरह से चलती रहती। यह स्कीम इस सरकार ने बन्द नहीं की है, पहले से बन्द है। फिर भी आपने जो भावना व्यक्त की है, मैं उसको सरकार के सामने रखूंगा और इस पर विचार किया जाएगा।

माननीय सदस्य, रघुवंश प्रसाद सिंह जी, ने खादी के बारे में अपनी बात कही है। खादी पर रिबेट के बारे में, जो नहीं मिलता है और परिस्थिति पैदा हुई है, मैं अपने साथी मंत्री महोदय को अवश्य बताऊंगा। लेकिन मैं सदन में यह आश्वासन जरूर देना चाहूंगा कि इस देश में छोटे से छोटे व्यक्ति को कपड़े का अभाव नहीं होगा, ऐसी पूरी व्यवस्था सरकार करेगी।

मुझे खुशी है कि सभी माननीय सदस्यों ने इस बिल को पारित करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है और मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि सूती वस्त्र अधिनियम, 1918 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करे कि विधेयक पारित किया जाए।

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.45 बजे

सूती वस्त्र उपकर (निरसन) विधेयक

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"कि सूती वस्त्र उपकर अधिनियम, 1948 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, सूती वस्त्र उपकर अधिनियम, 1948 का अधिनियमन कतिपय सूती वस्त्रों अर्थात् कपड़े, यार्न (धागे) इत्यादि के विनिर्माण पर उपकर लगाने के लिए किया गया था। यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू है। यह उपकर उत्पादक या डीलर द्वारा स्टॉक किए गए किसी भी वस्त्र या यार्न पर उस दर या प्रणाली से लगाई जानी थी जैसा कि केन्द्र सरकार अधिसूचित करे। उपकर का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में दण्ड लगाने, भूराजस्व बकाया की भांति उपकर की वसूली, उत्पादक या डीलर के लेखा बही अथवा दस्तावेजों की जांच तथा इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में परिसर में प्रवेश करने तथा तलाशी लेने तथा वस्त्र या यार्न (सूत) को जब्त करने के प्रावधान है।

कृपया इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि एक और अधिनियम, नामत: वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वस्त्र पर उपकर के संग्रह के लिए प्रावधान हैं। तद्नुरूप, इस अधिनियम के अंतर्गत, उपकर का संग्रह किया जा रहा है तथा इस तरह से संग्रहित उपकर की राशि को भारत की संचित निधि में जमा कर दिया जाता है।

मंत्रिमंडल ने सूती वस्त्र उपकर अधिनियम 1948 के निरसन के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। प्रशासनिक विधि समीक्षा आयोग ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है।

आज के उदारीकृत परिदृश्य में यदि आवश्यक नियंत्रणों को समाप्त करना वांछित है, तो इस अधिनियम के निरसन के पर्याप्त औचित्य हैं। इस अधिनियम के उपबंध अपनी उपयोगिता खो चुके हैं तथा सूत तथा वस्त्र के निर्माण में इन्होंने मोटे तौर पर बाधा के तौर पर देखा जा रहा है। वस्तुत: इन्हीं कारणों से इस अधिनियम को कभी लागू नहीं किया गया है। अनुभव से पता चलता है कि अनावश्यक अड़चनों को हटा देने से व्यापार को सुगम बनाने में सुविधा होगी जिसका उत्पादन की श्रृंखला में स्वस्थ गुणात्मक प्रभाव होगा। चूंकि यह अधिनियम कभी भी लागू नहीं रहा, यह अप्रासंगिक है तथा इसके निरसन से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होता है।

मैं आशा करता हूं कि यह सभा सूती वस्त्र उपकर अधिनियम, 1948 के निरसन का अनुमोदन करेगी। धन्यवाद।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि सूती वस्त्र उपकर अधिनियम, 1948, का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं इस अधिनियम के निरसन किये जाने संबंधी प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह विडंबना है कि इस कानून को 1948 में पारित किया गया जिसका

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

उद्देश्य इसे कतिपय दंड प्रावधानों के साथ कार्यान्वित करना था, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया। इसका उद्देश्य राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत उपकर वसूली का था। यहां पारित कानून गत 52 वर्षों के दौरान कभी लागू नहीं हुआ। यह कहानी का रोचक प्रकरण है। इसे कभी लागू नहीं किया गया और उस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी राजस्व नहीं वसूला गया। इसका मतलब यह हुआ कि इस अधिनियम के माध्यम से राजकोष को कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। कार्यपालिका ने इस सभा द्वारा पारित कानून को लागू करने में लापरवाही की थी उसे लागू करने में निष्क्रिय रही। यह एक त्रासदी है।

यह बड़ी ही रोचक बात है कि केन्द्र द्वारा पारित एक कानून को कभी लागू नहीं किया गया और इस प्रकार कोई भी वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं है। यह वर्तमान स्थिति है।

जो अधिनियम कभी लागू नहीं हुआ उसका अब वे इस सभा द्वारा निरसन चाहते हैं। इसके पीछे क्या तर्क है? यह मेरी समझ में नहीं आता। मंत्री महोदय इस अधिनियम का सभा द्वारा निरसन चाहते हैं जिसका क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ और जिसके अन्तर्गत एक पैसे की भी वसूली नहीं हुई।

अब स्थिति यह है कि कपड़ा व्यापारी इस अधिनियम का निरसन चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति गलती से भी इस कानून को लागू करता है तो वह मुश्किल में फंस पड़ सकता है। मैं समझता हूं कि यह सरकार इस सभा के माध्यम से कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन देती। मंत्री महोदय इस सभा के माध्यम से उस अधिनियम का निरसन चाहती है जो कभी लागू नहीं हुआ। इस सभा में ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए क्योंकि विधायी इतिहास में यह दर्ज हो जाएगा कि इस माननीय सभा ने ऐसे अधिनियम का निरसन किया जो कभी लागू नहीं किया गया।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): मैं सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि इस अधिनियम के गैर-कार्यान्वयन संबंधी दस्तावेज भारतीय राजनीति पर शोध करने वाले उन विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद साबित होगा। जो यह जानना चाहते हैं कि सरकार का कार्य कैसे होता है और कैसे विफल हो जाता है। इसकी व्याख्या मैं इस प्रकार भी कर सकता हूं कि यह उन व्यक्तियों के कार्यकरण को दर्शाता है जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान कपड़ा विभाग को देखते रहे हैं और चाहे वे जिस राजनीतिक दल के भी रहे हों। यह शक पैदा होता है कि तत्कालीन बड़े कपड़ा उद्योगों के साथ जो रुग्ण थे, उनकी सांठ-गांठ थी या कोई समझौता था। मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता हूं। यदि यह सभा राजस्व वसूली के उद्देश्य से कोई विधेयक पारित करती है और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो यह केवल निष्क्रियता ही नहीं बल्कि संसद का अपमान भी है। इस प्रकार मेरा मानना है कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से यह उन शोधार्थियों के लिए उपयोगी दस्तावेज साबित होगा जो पूर्व के टेक्सटाइल आयुक्तों की सांठ-गांठ के बारे में तथा उनकी मौज मस्ती के बारे में अध्ययन की रुचि रखते हैं।

महोदय, इस समय माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे एन.टी.सी. मिलों को फिर से चलाने का विचार करें। आज प्रश्न काल के दौरान एक प्रश्न, तारांकित प्रश्न सं. 566 पूछा गया जो एन.टी.सी. मिलों के बारे में था। उक्त प्रश्न देश में विशेषकर महाराष्ट्र में एन.टी.सी. मिलों को फिर से चलाये जाने के संबंध में था। उत्तर में बताया गया कि सरकार ने अभी तक किसी 'टर्न एराऊंड' योजना को अंतिम रूप नहीं दिया है। यह वास्तव में खेदजनक है। आप छः महीने से सत्तासीन हैं। दक्षिण, उत्तर, पश्चिम तथा पूर्व के राज्यों में कपड़ा मिलों में कार्यरत मजदूर सरकार से यह अपेक्षा करती है कि वह इन एककों को फिर से चालू करने के संबंध में कोई नीति तैयार करे। मुझे स्मरण है कि दसवीं लोक सभा के दौरान जब श्री पी.वी. नरसिंह राव प्रधान मंत्री थे तथा श्री जी. वेंकटस्वामी कपड़ा मंत्री थे, उस समय एन.टी.सी. मिलों की अतिरिक्त भूमि को बेचने के संबंध में एक पैकेज की घोषणा हुई थी जिससे एक कार्पस फण्ड बना कर उन एन.टी.सी. एककों को फिर से चालू किये जाने की योजना थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान जब मैं सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति का सदस्य था तो मैंने पाया कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से वैसी भूमि को बेचने के संबंध में अत्यधिक असहयोगपूर्ण रवैया था। माननीय मंत्री ने अनावश्यक अधिनियम को समाप्त करने की दिशा में पहल की है। अब उन्हें 'टर्न एराऊंड' योजना की घोषणा करने की दिशा में भी पहल करनी चाहिए ताकि एन.टी.सी. मिलों में कार्यरत कपड़ा मजदूरों की हितों की रक्षा हो सके। उन्होंने देश में अच्छा कार्य किया है मैं कोयंबटूर में एन.टी.सी. के एकक में गया था और मुझे वहां सुखद आश्चर्य हुआ कि उक्त एकक अच्छा लाभ अर्जित कर रही थी। मेरे साथी श्री अकबर यहां बैठे हैं। उनके जिले हुगली में भी उचित समय पर सरकार द्वारा निगरानी के अभाव में अनेक कपड़ा एकक बंद हो गए। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह एक योजना तैयार करे।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से एक और अनुरोध है जिसे मैं सभा में पहले भी अनेक बार उठा चुका हूं। पश्चिम बंगाल में गंगा के एक छोर में दक्षिण बंगाल है जबकि दूसरे छोर में उत्तर बंगाल है जो आर्थिक रूप से अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र है। उस क्षेत्र में काफी क्षेत्रीय असंतुलन है। सभी प्रकार के घटनाक्रम कूचबिहार से मालदा के बीच ही हो रहे हैं। संपूर्ण उत्तर बंगाल में एक ही कताई मिल है जो पश्चिम बंगाल सरकार के पहल पर सत्तर के दशक में शुरू की गयी थी। उस समय कांग्रेस सत्ता में थी। यह दिनाजपुर के पिछड़े जिले में शुरू किया गया था। अब यह रायगंज में आता है जो मेरा संसदीय चुनाव क्षेत्र है। पूरे उत्तरी बंगाल में इस एक मात्र कटाई मिल में काफी संभावनाएं हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण किया लेकिन उनके पास इसके भविष्य के लिए अब कोई योजना नहीं है। कताई बहुत अच्छी है। सूत की गुणवत्ता उत्तम है। वहां के मजदूर काम में निपुण हैं। मैंने इस मुद्दे को सभा में अनेक बार उठाया है।

चूंकि सम्पूर्ण वस्त्र क्षेत्र पर निगरानी रखने हेतु वस्त्र मंत्रालय ही प्रमुख एजेंसी है, मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह उत्तर बंगाल में हथकरघा एककों की संख्या के बारे में स्थिति का जायजा ले। उनकी संख्या काफी है सबसे उच्च कोटि की हैंडलूम साड़ियां जो बंगलादेश को बेची जाती हैं वे उत्तर बंगाल की होती हैं। उस क्षेत्र में कटाई मिलों पर, जो वहां की जीवन रेखा है, वस्त्र मंत्रालय तथा पश्चिम बंगाल सरकार के संयुक्त पहल द्वारा उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध है कि वे हमारे चुनाव क्षेत्र के उक्त वस्त्र मिल का दौरा करें। पूरे क्षेत्र में यह एक प्रचुर संभावना वाली मिल हैं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे संसदीय सत्र के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों के साथ उक्त मिल का दौरा करें। यह उस पूरे क्षेत्र के लिए संभावनाओं से परिपूर्ण एकक साबित होगा। इसका यदि समुचित ढंग से पुनरुद्धार किया जाए तो बंगलादेश भी यहां से सूत खरीद सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय को यह कानून लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरा मंत्री जी से एक बार पुन: अनुरोध है कि वे इस ऐतिहासिक मिल को संरक्षण दें और वह देखें कि आखिर यह कानून पहले क्यों लागू नहीं हुआ क्योंकि इससे शोधकर्त्ताओं को जो टेक्सटाइल कमिश्नरों तथा निजी मिल मालिकों के बीच समय-समय पर होने वाली सांठ-गांठ के बारे में जानना चाहते हैं, मदद मिलेगी।

सभापति महोदय : अब, मंत्री महोदय बोलेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय को जवाब देने दें। अभी गैर-सरकारी कामकाज भी निपटाना है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, एन.टी.सी. के अधीन मरौहड़ा की चीनी मिल पर किसानों का बकाया है, यह उन्हीं के एरिया के लोग हैं, उनके बकाया का भुगतान हो और एन.टी.सी. के अधीन 73 हजार वर्कर्स बेकार होने की स्थिति में है, उनका कोई इंतजाम होना चाहिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं किसी को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मंत्री महोदय के भाषण के अलावा और किसी की बातें कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी। सदस्यों को बोलने के पहले पूर्व अनुमति लेनी चाहिए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): सभापति जी, काटन टैक्सटाइल सैस एक्ट, 1948 के निरसन के बारे में यहां जो डिस्कशन हुआ, मुझे खुशी है कि उसका सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। जैसा माननीय सांसद श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह एक्ट जिसका कभी इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ, उस पर मैं आपको बताता हूं कि जो टैक्सटाइल कमेटी एक्ट, 1963 बनाया था, उसमें सैस कलेक्ट करना और जो प्रावधान काटन टैक्सटाइल सैस एक्ट में थे, वे सभी प्रावधानों इसमें भी हैं तथा टैक्सटाइल कमेटी एक्ट के तहत जो भी प्रावधान था उसका हम इम्पलीमेंटेशन करते हैं, सैस कलेक्ट करते है। जैसा माननीय सांसद श्री दासमुंशी ने कहा और खासकर एन.टी.सी. के प्लान के बारे में वह कुछ जानकारी चाहते थे, जैसा सभी जानते है कि वह एक सीनियर सांसद हैं। वैसे 1992 में भी एक प्लान बनाया था, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा लेना था, वह नहीं हुआ।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री काशीराम राणा]

अपराह्न 3.00 बजे

1995 में एक प्लान बना। मुम्बई में बंद मिलों की जमीनें बेचकर 2005 करोड़ रुपये लेने थे लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने परमीशन नहीं दी। वह नहीं हुआ। 1997 में रिवाइवल प्लान बना लेकिन वह भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अभी रिवाइज्ड टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी प्लान बनाया है और उसमें जो भी एन.टी.सी. की 119 मिलें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कैबिनेट के पास हम जा रहे हैं। जैसे कि एक बात उन्होंने कही है, मैं स्पिनिंग मिलों की तकलीफ के बारे में कहना चाहता हूं कि हम साथ बैठेंगे और अवश्य उनके लिए काम करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपील करता हूं कि सूती वस्त्र (निरसन) विधेयक को पास किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि सूती वस्त्र उपकर अधिनियम, 1948 के निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री काशीराम राणा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जायें?"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.02 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 4 मई, 2000 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 4 मई, 2000 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.03 बजे

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 5.5.2000 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री आदित्यनाथ - अनुपस्थित।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, क्या थोड़ी देर के लिए सुविधा से संबंधित मेरी बात सुनी जाएगी? महोदय, यह विधेयक लगातार कार्यसूची में शामिल होता रहा है तथा सदस्य हमेशा अनुपस्थित रहते हैं। परन्तु इसके पुर:स्थापन का विरोध करने के लिए मैं हमेशा यहां उपस्थित रहता हूं। यह बहुत ही असुविधाजनक है। इसलिए, मैं यह कहता हूं कि इस विधेयक को कार्यसूची से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): जी हां, हम उनका समर्थन करते हैं। यह सदस्य इस सभा के प्रति इतना लापरवाह क्यों है। इस विधेयक को इस कार्यसूची से निकाल दिया जाना चाहिए।

अपराह्न 3.04 बजे

(दो) आनुकल्पिक ईंधन संपदा बोर्ड विधेयक*

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटिल (इरन्दोल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि देश में अल्कोहल का आनुकल्पिक ईंधन के रूप में अनुसंधान और उपयोग करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि देश में अल्कोहल का आनुकल्पिक ईंधन के रूप में अनुसंधान और उपयोग करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटिल: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2, दिनांक 5.5.2000 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.05 बजे

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 16 आदि का संशोधन)

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.06 बजे

(चार) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (विकास) विधेयक*

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चहुंमुखी विकास के लिए उपायों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 5.5.2000 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चहुंमुखी विकास के लिए उपायों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.07 बजे

(पांच) विशेष शैक्षणिक सुविधाएं (ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले माता-पिता की संतानों के लिए) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले माता-पिता की संतानों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले माता-पिता की संतानों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 5.5.2000 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.08 बजे

(आठ) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

(नई धारा 26क और 26ख का अंत:स्थापन) - *जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब यह सभा इस विधेयक पर और चर्चा करेगी। श्रीमती जयश्री बनर्जी अपना भाषण जारी करेंगी। मैं समझता हूं कि वे इस समय सभा में उपस्थित नहीं है। इसलिए, मैं श्री रमेश चेन्नितला को बोलने के लिए बुलाता हूं।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): सभापति महोदय, मैं श्री रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गर्व कर सकता है। इसकी सफलता का पता इस बात से चलता है कि हमारे देश में सफलतापूर्वक कई चुनाव हो चुके हैं। हमारे देश में निरक्षरता और पिछड़ापन होने के बावजूद हमने बिना किसी समस्या के कई चुनाव करवाए हैं।

चुनाव करवाना कोई मजाक की बात नहीं है। यह बहुत ही गंभीर और महंगा मामला है। इस चुनाव को करवाने के लिए 5.5 लाख चुनाव केंद्रों, जो 25 राज्यों और 7 केन्द्र शासित प्रदेशों में हैं, में तीन मिलियन सेना के लोग लगाए जाते हैं।

हमारे देश में अब लगातार संसदीय चुनाव हो रहे हैं। यह बहुत ही गंभीर मामला है जिसमें हमारे खजाने का करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। चुनाव करवाना बहुत ही कठिन कार्य है। विशेषकर जब उत्तर के बर्फ से ढके पहाड़ों, दक्षिण के छोटे द्वीपों, पूर्व के घने जंगलों और पश्चिम के बड़ी मरुभूमि में करवाने होते हैं। यह बहुत ही कठिन काम है। मैं अपनी चुनाव व्यवस्था की प्रशंसा करता हूं क्योंकि वे हमारे देश में लगातार चुनाव करवा रहे हैं।

1976 के बाद से हमारे देश की चुनाव व्यवस्था की समीक्षा करने के बारे में गंभीरता से विचार हुआ है। हमारे देश में चुनाव सुधारों के संबंध में गंभीरता से काफी प्रयास किए गए थे। इनमें से सबसे नवीनतम दिनेश गोस्वामी समिति का गठन सभा ने किया था। दिनेश गोस्वामी समिति ने, जिसमें वर्तमान गृह मंत्री भी एक सदस्य थे, अपनी रिपोर्ट में कई सुझाव दिए थे। हमारे सामने मुख्य

प्रश्न यह है कि निष्पक्ष और सही तरीके से किस प्रकार चुनाव कराए जाएं। प्रत्येक चुनाव के दौरान कई गंभीर शिकायतें आती हैं। हम अपने देश में निष्पक्ष और सही चुनाव कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? धन और बाहुबल की भूमिका बढ़ती ही जा रही है। हमारे देश में प्रत्येक देशभक्त नागरिक राजनीति के अपराधीकरण जैसे बड़े मुद्दे से चिंतित है। आज, हमें यह जानकर दुख होता है कि कुछ चुने हुए प्रतिनिधि आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं और कइयों पर तो आरोप भी लग चुके हैं और उन्हें सजा भी मिल चुकी हैं। ऐसी बातों का होना दुर्भाग्य की बात है। हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं? हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा।

धन और बाहुबल एक गंभीर मुद्दा हो गया है। प्रत्येक चुनाव में यद्यपि हमें रिटर्न भरना पड़ता है फिर भी वास्तव में उस रिटर्न और हमारे द्वारा खर्च की गई वास्तविक राशि में कोई मेल नहीं होता। प्रत्येक चुनाव में होने वाला खर्च बढ़ता ही जा रहा है। जिनके पास काफी धन है या अधिक धन है वे चुनाव जीत सकते हैं। इस समय देश में यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिनका बाहुबल अधिक है वे चुनाव जीत सकते हैं। जैसा कि डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने ठीक ही कहा है, बूथों पर कब्जा करना अब गंभीर बात हो गई है। श्री दासमुंशी ने भी अपने भाषण में ठीक ही कहा है कि वोटों की गलत गिनती और चुनाव बूथों पर कब्जे के कारण ही वे तीन बार चुनाव हार चुके हैं। यह उन राज्यों में हो रहा है जहां साक्षर लोग रहते हैं। पिछले संसदीय चुनावों में केरल जैसे 100 प्रतिशत साक्षरता वाले में भी बड़े पैमाने पर बूथों पर कब्जा हुआ। हमने यह देखा है कि चुनाव बूथों पर तैनात पुलिस कर्मियों ने पक्षपात किया और राजनैतिक दल के कुछ कार्यकर्त्ताओं ने चुनाव बूथों में जाकर अधिकारियों को धमकी तक दी। उन्होंने बूथों पर कब्जा किया और वोट डाले। हमने चुनाव आयोग को लिखा था। हमने इस मामले को कई बार चुनाव आयोग के सामने रखा। परंतु कुछ नहीं हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनाव निष्पक्ष और स्पष्ट हों। निष्पक्ष और सही चुनाव कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं? हम उन कारणों का पता किस प्रकार लगाएंगे जो मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने और सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग करने का प्रयास कर रहे है? यह बड़े मुद्दों में से एक है।

अपराह्न 3.16 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

जो सत्ता में है वह सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग कर रहे हैं। वे सरकारी तंत्र की सहायता से मतदान केन्द्र पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। अत: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे है। वह दल जो सत्ता में है वास्तव में सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग कर रहे है और वह मीडिया का प्रयोग कर रहे है। यह अन्य उम्मीदवारों को प्रचार करने और जनता के सम्मुख अपने विचार रखने का मौका नहीं दे रहे है। सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग हुआ है। यह अन्य उम्मीदवारों को धमकाने का प्रयास कर रहे है। हम ऐसी गतिविधियों को किस प्रकार समाप्त कर सकते है क्या हम इन कमियों को दूर कर सकते है? अत: मुद्दों पर गंभीर रूप से विचार किया जाना चाहिए।

आगे मैं बताना चाहता हूं कि गैर-जिम्मेदार उम्मीदवार अभी भी वहां है। हालांकि हमने जमानत राशि को बढ़ा दिया है। हम देख सकते है कि अभी भी गैर जिम्मेदार उम्मीदवार मैदान में होते है। चुनाव आयोग भी प्रभावी रूप से चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने में असमर्थ है। जैसाकि मैंने पहले भी बताया है यह एक विशाल देश है। भारत विश्व में सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देशों में से एक हैं। दो अथवा तीन अधिकारियों का चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया का प्रभावशाली रूप से निगरानी नहीं कर सकता है। अत: दिनेश गोस्वामी समिति ने उचित रूप से चुनावों की निगरानी करने के लिए जब इसकी आवश्यकता हो चार क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। इस समिति ने विभिन्न जोनों के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करने की बात ठीक ही कही थी। अस्थाई तौर पर चुनाव आयोग के प्रभावी कार्यकरण के लिए दिये गए सुझावों में से यह भी एक है। यदि इसे स्वीकार किया गया तो चुनाव आयोग सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया की प्रभावी रूप से निगरानी कर सकता है। यह कमी का पता लगाएगी और तत्काल उसी समय और तत्काल उसे दूर भी करेगी।

पुन: मतदान के बारे में भी, यदि क्षेत्रीय आयुक्तों को शक्तियां प्रदान की जाए तो वह तत्काल पुन: मतदान करने का आदेश दे सकते हैं। अभी चुनाव पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए विभिन्न मतदान केन्द्रों और विभिन्न जिलों में उपस्थित रहते हैं। अत: उन लोगों को वहीं और तत्काल कार्यवाही करने के लिए प्राधिकार प्रदान करने चाहिए। अभी उनके पास कार्यवाही करने के लिए कोई अधिकार नहीं है। उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने के लिए कोई प्राधिकार नहीं है।

महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। इस विधेयक का पूर्ण उद्देश्य निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करना है। अब समय आ गया है कि हम दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट को पूरा का पूरा कार्यान्वित करें। उस रिपोर्ट को ध्यान

[श्री रमेश चेन्नितला]

में रखते हुए सरकार को हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक विधान के साथ आगे आना चाहिए। तथ्य यह है कि पिछले पचास वर्षों में हमने कई चुनाव कराए हैं। हम उन क्षेत्रों को जानते है जिन पर हमें अधिक जोर डालना है। हमें विद्यमान समस्याओं के बारे में भी पता है।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में बाधा बन रही कमियां क्या हैं? यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह स्वर्गीय दिनेश गोस्वामी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर व्यापक विधान लेकर आगे आए।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय, पिछले शुक्रवार को भी मैंने जिक्र किया था कि प्राइवेट मैम्बर्स बिल के ऊपर जब महत्वपूर्ण चर्चा होती है तो उस चर्चा के समय विभागीय दफ्तर के मंत्री का हाउस में रहना जरूरी है ताकि वह सोच-समझ कर जवाब दें और उसकी कार्रवाई करें। मैंने पहले भी देखा कि गृह मंत्री और कानून मंत्री की तरफ से एक भी मंत्री नहीं है। आज मेरा अनुरोध है कि पहले यह स्पष्टीकरण करें कि कौन सा दफ्तर इसका जवाब देने के लिए जिम्मेदार है, गृह मंत्री और लॉ मिनिस्टर। अगर लॉ मिनिस्टर है तो उनकी तरफ से कौन जिम्मेदारी लेकर आया है और गृह मंत्री है तो उनकी तरफ से कौन जिम्मेदारी लेकर आया है, क्योंकि प्राइवेट मैम्बर बिजनेस की मर्यादा को हम छोटा नहीं करना चाहते हैं।

सभापति महोदय : अब हम विधेयकों का पुर:स्थापन करते हैं। मद संख्या 3 - श्री विलास मुत्तेमवार।

अपराह्न 3.21 बजे

(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 85 का संशोधन)

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2, दिनांक 5.5.2000 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विलास मुत्तेमवार : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.22 बजे

(सात) लोक नियोजन (भर्ती) विधेयक*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक नियोजन में भर्ती का विनियमन तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि लोक नियोजन में भर्ती का विनियमन तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित भी करता हूं।

अपराह्न 3.23 बजे

(आठ) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक - जारी

(नई धारा 26क और 26ख का अंतस्थापन)

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): सभापति महोदय, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 1999 पर अपने विचार व्यक्त

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2, दिनांक 5.5.2000 में प्रकाशित।

करने का यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सांसद के रूप में हम सभी जानते है कि चुनाव कराना अत्यंत खर्चीला मामला है। धन शक्ति चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बल शक्ति भी चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। धनशक्ति वोट प्राप्त करने में, मतदाताओं को चुनाव केन्द्रों तक ले जाने अथवा जाली वोट डलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बलशक्ति भी मतदाताओं को खरीदने, मतदान केन्द्र पर कब्जा करने और किसी विशेष मतदान केन्द्र में हेराफेरी कराने में भी बराबर की भूमिका अदा करती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के पास कोई शक्ति नहीं है। इस अधिनियम में प्राधिकारी केवल चीरा-फाड़ी का कार्य ही कर रही है जैसे ही चुनाव खत्म होते है, पराजित उम्मीदवार के पास इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता है कि वह चुनाव याचिका दायर करे जिसका निपटान होने में कम से कम चार अथवा पांच वर्ष लग जाएंगे। कुछ मामलों में तो इनका निपटारा तक नहीं होता है यद्यपि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान है कि चुनाव याचिका को छह माह के भीतर निपटा दिया जाना चाहिए लेकिन यह छह माह में नहीं निपटाए जाते हैं।

जापान की संसद "डाइट" चुनाव याचिकाओं का निर्धारण करती है। वे चुनावी विवादों को निपटाती है चुनावी झगड़ों को न्यायालय में नहीं ले जाया जाता है।

हाल ही में, 1988 में संसदीय चुनावों में "दा हिन्दू" समाचार पत्र में बताया गया था कि चेन्नई शहर के विभिन्न भागों से जाली मतदाताओं को वहां लाया गया। "दा हिन्दू" समाचार पत्र में बसें भी दिखाई गई थी। कोई भी कार्यवाही करने में समर्थ नहीं है।

हाल ही में हुए तमिलनाडू विधान सभा के उपचुनाव में, जहां मुझे मेरे दल ने प्रभारी नियुक्त किया था, मैंने बड़े पैमाने पर मतदान केन्द्रों पर कब्जा करते हुए देखा था। किसी विशेष मतदान केन्द्र में कब्जा इस तथ्य से लगाया जा सका है कि उस मतदान केन्द्र में मतदान का प्रतिशत बहुत अधिक होगा। हालांकि त्रिची निर्वाचन क्षेत्र में कुल मिलाकर मतदान का औसत प्रतिशत जहां मेरे दल द्वारा मुझे प्रभारी नियुक्त किया गया था, 46 प्रतिशत था। 52 प्रतिशत केन्द्रों में 70 प्रतिशत से अधिक और कुछ मतदान केन्द्रों में तो 80 प्रतिशत तक मतदान हुआ था। चुनाव आयोग का सचिव मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने की घटनाओं पर तत्कालिक जांच करने के लिए आया था और उन्होंने 5 दिनों तक मतगणना रूकवा दी थी। जब वह जांच करने आए तो यह एक राजनीतिक मामला बन गया। तत्पश्चात् चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ जाति, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे है। हालांकि विधि में बताया गया है कि इस प्रकार के प्रचार नहीं किये जा सकते। उम्मीदवारों द्वारा साधारणतया ऐसा किया गया है और यहां तक कि चुनाव पर्यवेक्षक इसको देख रहे है वह सामान्यत: कोई कार्यवाही नहीं करते है। अत: मैं अपील करूंगा कि मतदान केन्द्रों पर कब्जा रोकने और जाति, धर्म, जन्म स्थान आदि पर आधारित प्रचार रोकने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कठोर प्रावधान किया जाना चाहिए।

अब मैं नामांकन पत्र भरने, संवीक्षा करने, चुनाव प्रदान करने, मतगणना आदि जैसे पहलूओं पर आता हूं। मैंने अभी तक सात चुनाव लड़े है और मैंने देखा है कि गैर-गम्भीर उम्मीदवारों को केवल इसलिए चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है ताकि मतगणना हाल के भीतर अधिक मतगणना करने वाले ऐजेन्टों को ले जाया जा सके। यदि आपके पास गैर-गम्भीर उम्मीदवारों, जिनको आपने अपने पक्ष में चुनाव में उतारा है, की संख्या अधिक है तो आप अपने पक्ष में मतगणना हाल के भीतर उस उम्मीदवार के चुनाव एजेंटों को ले जा सकते हैं। वे मतगणना प्रक्रिया में बाधा पहुचाएंगे और मतदान पत्र के साथ छेड़छाड़ भी करेंगे। यदि जीतने वाले उम्मीदवार और उसके निकटस्थ उम्मीदवार के बीच मात्र 100 अथवा 200 मतों का ही अन्तर हो तो उस निर्णायक समय में उन एजेन्टों को मतदान पत्रों के साथ छेड़छाड़ करना होगा। अत: मैं सुझाव दूंगा कि गैर गम्भीर उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए लेकिन यह जमानत राशि को बढ़ाकर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह निश्चित रूप से 10,000 रुपए जमानत के रूप में अदा करने में समर्थ होंगे। कभी-कभी एक गम्भीर उम्मीदवार 10 गैर-गम्भीर उम्मीदवारों को खड़ा करेगा और उनके लिए जमानत राशि का भुगतान करेगा क्योंकि उसके लिए यह लागत मात्र एक लाख रुपए होगी। फिर यदि आपको यह दिखाई दे कि इन लापरवाह उम्मीदवारों को पहले दौर की मतगणना के अन्त में केवल 100 या 150 वोट मिले हैं तो इन लापरवाह उम्मीदवारों को तुरन्त मतगणना हाल से बाहर कर देना चाहिए। उनको मतगणना हाल में निर्णय घोषित होने तक क्यों रुके रहने दिया जाए? यदि ऐसा किया जाएगा तो दो गम्भीर उम्मीदवारों को निर्वाचन अधिकारी से न्याय मिलेगा क्योंकि वह भी संकटपूर्ण स्थिति में होगा तथा वह किसी भी पक्ष के प्रति पक्षपात नहीं करेगा। मैं ऐसी परिस्थितियों का दो बार 1981 और 1989 में देख चुका हूं।

सामान्यत: मतगणना 8 बजे शुरू हो जाती है और नतीजे घोषित होने तक लगातार चलती रहती है। दोपहर के भोजनावकाश

[श्री पी.एच. पांडियन]

के समय तक नतीजे मालूम हो जाएंगे क्योंकि ये नतीजे टी.वी. और रेडियो दोनों पर प्रसारित होंगे और सारे राज्य को यह पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। फिर सभी निर्वाचनाध्यक्ष और चुनाव अधिकारी तदनुकूल पक्ष बदलने लगें। अत: एक स्वतंत्र अभिकरण अवश्य होना चाहिए जो निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी करे। चुनावों से पूर्व चुनाव आयुक्त नियमों और विनियमों को कड़ाई से लागू करने की बात करते हैं। यह सब प्रचार के लिए और लोकप्रियता हासिल करने के लिए होते हैं परन्तु वास्तव में वे ऐसा नहीं कर पाते। उन्होंने कहा है कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। ऐसा उन्होंने आपराधिक न्यायशास्त्र को समझे बिना ही कहा है। उदाहरणार्थ मुझ पर किसी सब इंस्पेक्टर ने छोटे से अपराध का आरोप लगाया है।

यदि कोई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट मुझे दोषी सिद्ध कर देता है तो क्या इसका यह मतलब है कि यह मेरी अयोग्यता हो गई? छोटे-छोटे मुकदमों की अदालत है। एक शीर्ष-न्यायालय-उच्चतम-न्यायालय है। जब तक यह मामला उस उच्चतम न्यायालय तक नहीं हो जाता तब तक दोष सिद्ध नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि हारे हुए उम्मीदवार पर दोषसिद्धि के कारण कानून लागू होता है, यदि उसे अपील का मौका दिया जाता है। अगर वह अपील जीत जाता है तो उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जब तक वह किसी निचली अदालत के दोष सिद्ध की पुष्टि नहीं करती तब तक दोष सिद्ध नहीं माना जाएगा। चुनाव आयोग ने आपराधिक न्यायशास्त्र को समझे बिना ही अपराधीकरण के बारे में कहा है। कुछ ऐसे अपराध हैं। यह अलग मामला है। परन्तु यह विचार सर्वप्रथम संसद से आना चाहिए। यह चुनाव आयोग के माध्यम से नहीं आ सकता। चुनाव आयोग विधि मंत्रालय का एक स्कंध है। यद्यपि यह स्वतंत्र होने का दावा करता है परन्तु यह स्वतंत्र नहीं हैं चुनाव आयोग स्वतंत्र कैसे हो सकता है? मैं जानता हूं कि चुनाव के दौरान, चुनाव के पश्चात् और केन्द्र अथवा राज्यों में सरकार के बदलने के समय उनका व्यवहार कैसा होता है। यहां तक कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी भी नतीजा घोषित करते समय स्वतंत्र नहीं होते हैं। यदि 50 या 100 वोटों का झगड़ा होता है तो वे कहते है: देखो, मैं इन 100 या 200 वोटों की पुन: गिनती का आदेश देता हूं।

अत: इस स्थिति में मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तुरन्त कदम उठाए। अब तक सभी पार्टियों का सहयोग सुनिश्चित नहीं होता तब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं? जब तक इस बारे में पार्टियों के विचार पता नहीं चलते तब तक आप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते। हर पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। इस तरह से शक्तियों का ध्रुवीकरण होता है। यह सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। वह सभा में आना चाहते हैं। बस वही उद्देश्य है। सभा में आने के पश्चात् वे सिद्धांतों की बात करते है। अत: उनके विचारों का पता किया जाना चाहिए।

चुनाव आयोग को घोषणा-पत्र की भी जांच करनी चाहिए। चुनावी घोषणा-पत्र लागू करने लायक नहीं होता है। वे हमारे बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं। वे बहुत मीठे-मीठे वायदे करते हैं। वे 'हिन्दु' 'टाइम्स आफ इंडिया' तथा अन्य समाचारपत्रों में पूरे पृष्ठ का विज्ञापन देते है। अत: घोषणा पत्र प्रवर्तनीय नहीं होता। फिर वे चुनाव-घोषणापत्र के बारे में भूल जाते हैं। मतदाताओं को यह बात उसी तरह से है जैसे गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं कहती हैं कि वे 36 प्रतिशत ब्याज देंगी। यह काम करने का राजनीतिक अन्दाज है। अत: चुनाव आयोग को केन्द्र सरकार की सहायता की आवश्यकता होती है। केन्द्र सरकार से शक्तियों के अभाव में चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता। यह एक छोटा सा कार्यालय है। मैं उस कार्यालय में एक बार गया हुआ हूं। वे किसी चीज को लागू नहीं कर सकते। उनके पास कोई शक्तियां नहीं है। यदि वे मतगणना भी बन्द करते हैं या यह कहते हैं कि देखिए हम कुछ समय के लिए चुनाव रोक देंगे, अगले ही दिन उन पर प्रभाव पड़ने लगता है। वह प्रभावित होने के लिए बाध्य होते है। वे स्वतंत्र नहीं है। वे स्वतंत्र होने का दावा करते है परन्तु वे कतई स्वतंत्र नहीं है ...*(व्यवधान)* यह तो केवल निकाय राजनीति है क्योंकि वह स्थिति भिन्न होती है। उनका चुनाव होता है। सचिव को चुनाव आयुक्त चुना जाता है। यह सत्ताधारी पार्टी के प्रति निष्ठावान होता है। उसे स्वर्ग से नियुक्त नहीं किया जाता है। वह मानव है। यह मनुष्य की विशेषता है। जहां कहीं यह विशेषता होती है तो वह प्रभावित होगा ही। वे गर्व और पूर्वाग्रहों से रहित नहीं हैं।

इसलिए चुनाव आयुक्त का चयन इस ढंग से किया जाना चाहिए। यही कारण हैं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इसके बारे में व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके मत स्पष्ट होने चाहिए। उन्हें अचानक नहीं कहना चाहिए कि अमुक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाती है। सैनेट की तरह नाम भी संसद के माध्यम से आने चाहिए। यहां तक कि अमरीकी संसद में भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति हेतु नाम संसद के माध्यम से आते है। यहां तो कहीं और बैठकर उनकी नियुक्तियां हो जाती हैं। सांसद उनके आगे-पीछे जाते रहते हैं।

हमने अपनी शक्तियां छोड़ दी हैं। यदि सभा की सम्प्रभुता बरकरार रखी जाती है और यदि नाम सभा की सम्मति से आते हैं तब तो हम उनके आचरण उनकी स्वतंत्रता उनके पूर्ववृत्तों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। हम उनके पूर्ववृत्तों के बारे में जान सकते हैं। यह संवैधानिक स्थिति है कोई साधारण नहीं। आप तुरन्त इसे नहीं बदल सकते। उनके कार्यालयों को सुरक्षाएं दी गई हैं। अत: केन्द्र सरकार इसके सहारे पर है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा सांसद।

मुझे लगता है कि सांसदों के कर्त्तव्य बहुत कम हैं। यद्यपि हमारा चुनाव होता है लेकिन हमारा कोई सार्वजनिक कर्त्तव्य नहीं है। भ्रष्टाचार अधिनियम के प्रावधानों के उद्देश्य से हमें लोक सेवक घोषित किया जाता है किसी और उद्देश्य के लिए नहीं। अत: संसद सदस्यों का भी कोई महत्व होना चाहिए। सभी मुख्य संवैधानिक नियुक्तियों में उनकी राय अवश्य ली जानी चाहिए। यदि न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की जाती है, यदि उनकी नियुक्तियां पारदर्शी होती हैं तो सही काम के लिए सही व्यक्ति आयेगा और सही कार्य के लिए सही व्यक्ति।

अब उनकी नियुक्ति हेराफेरी या किसी प्रभाव के अन्तर्गत होती है तो हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते। परन्तु आप सरकार के कार्यकरण पर चर्चा कर सकते हैं। सरकार विपक्ष में बैठकर विगत सरकार के कार्यकरण पर बहस कर सकती है। अत: मैं कहूंगा कि यदि चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं तो कोई लोकतंत्र नहीं है।

मैं स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि चुनाव प्रक्रिया में मेरी आस्था नहीं है। 1977 में अपने प्रथम चुनाव में मैंने केवल 25,000 रुपये खर्च किए। बस इतना ही खर्च किया था। दूसरे चुनाव के दौरान मैंने 50,000 रुपये खर्च किए। मैंने ज्यादा खर्चा नहीं किया। मैंने देखा है और सच में मैंने इस चुनाव में अपनी आस्था खो दी है ...*(व्यवधान)* जी हां, मैं जीता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमें दूसरे राज्य से जिला न्यायाधीश रखना चाहिए क्योंकि वह हमेशा मुख्यमंत्री के प्रति वफादार होता है। निर्वाचन अधिकारी भी दूसरे राज्य से ही होना चाहिए।

श्री पी.एच. पांडियन : निर्वाचन अधिकारी भी अन्य राज्य का होना चाहिए ...*(व्यवधान)* मैंने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया। यदि मैंने 1991 और 1996 में अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया होता ...*(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी): उन्होंने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया है परन्तु यदि कोई ऐसा करता भी है तो वह इन तथ्यों को यहां स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री पी.एच. पांडियन : मैंने खर्चे संबंधी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया। उन्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। हमने आस्था खो दी है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : तमिलनाडु में यदि आप प्रत्येक पार्टी के समझदार व्यक्तियों को मिला लें तो पर्यावरण कानून के अधीन एक सकारात्मक मामला बन जायेगा क्योंकि पूरे भारत के वनों के एक चौथाई उत्पादों को तमिलनाडु के समझदार नेताओं की आवश्यकता है। वे किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। तमिलनाडु में उनके बहुत से कट आउट लगे है। मुझे लगता है कि यह पर्यावरण कानून का खुला उल्लंघन है।

श्री वैको : महोदय, उनकी पार्टी भी यही कार्य कर रही है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैंने कहा सभी पार्टियां ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया चुनावों के पूर्वानुमानों के माध्यम से चुनाव के परिणाम पहले से ही बता देते है। यह मामला उच्चतम न्यायालय में गया। इन पूर्वानुमानों का असर मतदाताओं पर होता है। यदि चुनाव से एक या दो दिन पूर्व चुनाव पूर्वानुमान प्रकाशित किए जाएं तो स्वाभाविक रूप से लोग प्रभावित होंगे।

मेरे मित्र ने चुनाव याचिकाओं के निपटारे में विलम्ब के बारे में लिखा है। यहां तक कि मेरे चुनाव के मामले में भी 1998 में 24 अप्रैल को निर्णय सुरक्षित रखा गया। यह 28 दिसम्बर 1999 को घोषित किया गया था।

ऐसा एक साल नौ महीने बाद हुआ था। यह किसी अपील को स्वीकार करवाने और उस पर स्टे होने का सर्वश्रेष्ठ आधार है। इस बीच मैं सभा में आ गया।

इसके पश्चात् मैं पार्टियों के पंजीकरण के मामले का जिक्र करना चाहता हूं। कुछ पार्टियां सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं। कुछ पार्टियां चुनाव प्रक्रिया नियम 1968 के अंतर्गत पंजीकृत हैं। किसी पार्टी को पंजीकृत करने से पूर्व आपको उस पार्टी के सिद्धांतों और विचारों और उसके नेता के आचरण, उसका पूर्ववृत्त देख लेना चाहिए, जिसे वह पंजीकृत करवाना चाहते हैं। पार्टी बनाना बड़ा आसान है। आप एक पार्टी बना सकते हैं

[श्री पी.एच. पांडियन]

अपना सारा काला धन रख सकते हैं और फिर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इस पार्टी एक या दो सीटें मिल सकती है अथवा एक भी सीट नहीं मिल सकती है। ऐसे मामलों में मैं केन्द्र सरकार को अपील करूंगा निर्वाचन आयोग से नहीं क्योंकि वह राजनीतिक निकाय है। हमें सरकार में विश्वास करना है, हमें संसद में विश्वास करना है और हमें उच्चतम न्यायालय में विश्वास करना हैं। यह सभी संवैधानिक कार्य है जो लोगों से उद्भूत हुए हैं।

यदि मेरा संसद पर विश्वास नहीं रहता तो यह नियति है। यदि मेरा उच्चतम न्यायालय पर विश्वास नहीं रहता तो यह नियति है। यदि मेरा किसी संस्थान पर विश्वास नहीं रहता तो यह नियति है। इसका कोई समाधान नहीं है। इस रामस्या का समाधान करना उन व्यक्तियों पर निर्भर करता है जो इन समस्याओं का समाधान करने वाले पदों पर आसीन हैं। लोगों को संतुष्ट करना उन व्यक्तियों पर निर्भर करता है जो उन पदों पर आसीन हैं। लोगों की सेवा करना उन व्यक्तियों पर निर्भर करता है जो उन पदों पर आसीन हैं।

चुनाव आयोग यद्यपि स्वतंत्र होने का दावा करता है परंतु है नहीं। माननीय विधि मंत्री आपको मालूम है कि चुनाव आयोग का गठन कैसे होता है। नियुक्ति से पूर्व वे भिन्न हो सकते हैं। नियुक्ति के पश्चात् वे मित्र हो जायेंगे। कभी-कभी वे सत्तापक्ष के अनुसार चलते हैं। इसलिए चुनावों के दौरान कई परिपत्र जारी किए जाते हैं।

एक बार चुनाव आयुक्त ने कहा था, चुनाव आयोग स्वयं महिलाओं के लिए 15 प्रतिशत सीट आरक्षित करने का विचार कर रहा है। मोहिन्द्र सिंह बनाम भारत संघ का मामला देखिए। चुनाव आयोग ने कानूनी स्थिति का अध्ययन नहीं किया होगा। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग को पर्याप्त और निर्णायक शक्तियां प्रदान की हैं। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग को पर्याप्त और निर्णायक शक्तियां प्राप्त है। मोहिन्द्र सिंह बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या की है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि वे जैसे चाहें वैसे चुनावों का संचालन और निरीक्षण कर सकते हैं। उस प्रावधान के अंतर्गत यदि चुनाव आयोग आज कहता है कि "मैं महिलाओं के लिए 15 प्रतिशत स्थान निर्धारित कर रहा हूं," तो आप उसे चुनौती नहीं दे सकते। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के सिद्धांतों को जाने बिना उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी। केवल यही एक ऐसा मामला है जहां अनुच्छेद 324 की विस्तार से व्याख्या की गई है।

अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग को परिणामों की घोषणा तक कोई भी आदेश जारी करने की व्यापक शक्तियां प्राप्त है। वे पार्टियों को निर्देश और आदेश दे सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मोहिन्द्र सिंह के मामले के बारे में चुनाव आयोग को सूचित करें और स्थिति में सुधार लाने के लिए कहे। उसके बाद कम से कम पांच वर्षों के लिए मुक्त, सही, अप्रभावित, भ्रष्टाचार रहित और निर्बाध चुनाव हों।

यहां कानून तोड़ने वाले हैं। मैंने ऐसे बहुत से व्यावसायियों को देखा है जिनकी शराब की दुकानें हैं और जो ठेकेदार हैं। वे मैदान में उतरे हैं। एक वकील, एक ठेकेदार की बराबरी नहीं कर सकता। एक डाक्टर, ठेकेदार की बराबरी नहीं कर सकता। एक डाक्टर अथवा एक वकील को बहुत कम पैसा मिलता है परन्तु सड़क ठेकेदार की जिसे 200 किलोमीटर का ठेका मिलता है उसे उनसे कहीं अधिक धनराशि मिलती है। अत: उन्हें नामांकन भरने के समय भी व्यक्तियों का पूर्व पद देखना चाहिए। अब वे केवल यह देखते हैं कि उसका नाम निर्वाचक सूची में है अथवा नहीं। बस। उनका कार्य खत्म। वे उसके आगे नहीं जा सकते। वे विस्तृत जांच नहीं कर सकते। यहां तक कि नामांकन भरने के समय भी कड़ी जांच की आवश्यकता होती है।

अब अपराधीकरण के संबंध में चुनाव आयोग ने कहा है कि इस तरह के व्यक्तियों के लिए नामांकन भरने के समय भी कड़ी जांच की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शीश राम सिंह रवि (बिजनौर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे चुनाव सुधार नियमों के विषय में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं प्रथम बार चुनाव जीत कर आया हूं इसलिए चुनावों में जो समस्याएं कार्यकर्त्ताओं, जनता के प्रतिनिधियों और जनता के पिछड़े और गरीब लोगों के सामने आती हैं, मैं उनके विषय में बताना चाहता हूं।

महोदय, इस देश को आजाद हुए 53 वर्ष हो गए और दुनिया का यह सबसे बड़ा प्रजातंत्र कहा जाता है और है भी, परन्तु आज यह देखकर बड़ा अफसोस होता है जब गांव के गरीब, पिछड़े और कमजोर तबके के लोगों को, गिने-चुने लोग धन और बल के बूते पर उनके वोटों का दुरूपयोग करके, प्रजातंत्र में, उन्हें इच्छा के अनुरूप वोट देने से रोकते हैं। इसमें प्रारम्भिक गलतियां

वोटर लिस्ट से होती हैं। वोटर लिस्ट अक्सर यह होता है कि गांवों में प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक और लेखपाल को दे दी जाती है। वह किसी एक चौपाल पर बैठकर अपनी इच्छा के अनुरूप वोटों को भर देता है। उसके बाद वोटर लिस्ट तैयार होकर जब प्रदर्शन के लिए जाती है तो उसका केवल नाममात्र ही प्रदर्शन होता है। वह विद्यालयों में ले जाकर रख दी जाती है और उसका प्रकाशन कर दिया जाता है। यहां तक देखा गया है कि गरीब, पिछड़े तबके और अनुसूचित जाति के लोगों के सौ-सौ वोट एक ही साथ वोटर लिस्ट में कम पाए जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, जब वोटर लिस्ट का सत्यापन एवं प्रकाशन हो तो गांवों, मोहल्लों में और गरीब बस्ती में डुगडुगी पिटवा कर वहां पूरा प्रचार किया जाना चाहिए कि आपकी वोटर लिस्ट गांव और मोहल्ले में आ गई है और आप अपनी वोटर लिस्ट को चैक कर लें और वोटर लिस्ट में जिसका नाम लिखने से रह गया है, उसका नाम तुरंत वहीं पर लिखा जाए। इसके बाद उसके छपने में भी कुछ खामियां रह जाती हैं। वोटर लिस्ट की सूची और कापी अध्यापक और लेखपाल के द्वारा मिलती है, जिसे लिए हुए गांव के गरीब और छोटे तबके के लोग घूमते रहते हैं, परन्तु जब वोट डालने का समय आता है तो वे वोट डालने से वंचित रह जाते हैं।

महोदय, इसी के साथ-साथ एक और नया तरीका निकला है, जो बड़ा अजीब है। जिस समय गांवों में पोलिंग पार्टियां जाती हैं तो अक्सर उन पोलिंग पार्टीज में अध्यापक, लेखपाल और राज्य के छोटे तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। एक पोलिंग पार्टी में चार या पांच लोग होते हैं। पोलिंग पार्टी बनाते समय यह तय किया जाना चाहिए कि पिछड़े और एस.सी. केटेगिरी के व्यक्ति हर पोलिंग पार्टी में होने चाहिए। अगर हो सके तो चुनाव में एक विशेष बात यह भी की जानी चाहिए कि अनुसूचित जाति के मोहल्ले में, पिछड़ी जाति के मोहल्ले में अलग से पोलिंग बूथ बनाया जाए। प्राय: ऐसा देखने में आया है और यह कहा जाता है कि फोर्स की पूरी व्यवस्था है, परन्तु जब चुनाव होता है तो उस समय केवल एक डंडा लिए हुए चौकीदार या होमगार्ड होता है। परन्तु वहां न सेना होती है, न पी.ए.सी. के जवान होते हैं और न ही अन्य पुलिस बल होती है। 2-4 लोग गाड़ी में बैठ कर आते हैं और गरीबों के वोट डाल कर बूथ कैप्चर कर लेते हैं। इससे लोकतंत्र का मजाक उड़ता है। प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए गरीब और पिछड़े मोहल्लों में पोलिंग बूथ बनाने चाहिए और उनमें हर पीठासीन अधिकारी के साथ अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोगों और गरीब लोगों के कर्मचारियों को लगाना चाहिए। जहां होम गार्ड और पुलिस होती है, यदि वहां सेना भेजने की आवश्यकता हो तो वहां उसे भी भेजना चाहिए। सी.आर.पी.एफ. के जवानों के रहते भी चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए। आज कोई भी पैसे वाला आदमी पत्रकार वार्ता करके अपनी पार्टी का गठन कर लेता है। इससे अनेक प्रकार की पार्टियों पूरे देश में बन गई हैं। नॉमिनेशन के समय पैसे वाला आदमी 5-6 नाम नत्थी करा कर अन्य छोटी और बड़ी पार्टियों के टिकट के आधार पर पोलिंग एजेंट बन जाता है। इससे गरीब और पिछड़े तबके के प्रत्याशियों को नुकसान होता है। वे वहां अपने एक ही एजेंट को खड़ा रखते हैं। मेरा निवेदन है कि देश में दो प्रकार की पार्टियां एक सत्ता और एक विपक्षी पार्टी होनी चाहिए तभी देश में चुनावों में नया संचार आएगा और प्रजातंत्र मजबूत होगा। भारत सरकार को चुनाव सुधार में इन बातों की अहमियत देनी चाहिए।

जिलाधिकारी पूरे चुनाव का प्रभारी होता है और उसे पूरे अधिकार होते हैं। जब कोई पोलिंग पार्टी गांव का दौरा करती है तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती है। बैलट बॉक्स छीनने की बहुत सी घटनाएं होती हैं। वहां सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। मतगणना के समय देखने में आया है कि जिलाधिकारी एजेंटों को बहुत दूर खड़ा करते हैं। इससे वह अपनी मर्जी से कई गड्डियां गिनते रहते हैं। ऐसे बहुत से अवैध केस पाए जाते हैं। वे पचास की गड्डी के ऊपर और नीचे किसी एक चुनाव चिह्न का बैलट पेपर लगा देते हैं। मतगणना के समय पारदर्शिता होनी चाहिए। प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए इस बात को अहमियत देनी चाहिए। चुनावों में विशेष रूप से परिवर्तन लाने के लिए कुछ सुधार करने चाहिए जिससे चुनाव ठीक-ठाक सम्पन्न हो सकें।

लगातार 20-25 सालों से यह सुनने में आया है कि जहां एक बार रिजर्व सीट दे दी गई, वह सीट लगातार रिजर्व सीट रहती है - जैसे कोई सीट अनुसूचित जाति की है तो वहां 25 सालों तक कोई एम.पी. या एम.एल. एक की बिरादरी का चुन कर आता है। इससे वोटर्स में मायूसी आती है और क्षेत्र के विकास पर प्रभाव पड़ता है। आप छोटे और बड़े नेता के बीच तुलना करके इस बात को देख सकते हैं। जहां से कोई बड़ा या अपर कास्ट का नेता चुन कर आता है, उस क्षेत्र का अधिक विकास होता है और जहां से अनुसूचित जाति का एम.पी. या एम.एल.ए. चुन कर आता है। उस क्षेत्र का विकास कम होता है। इसलिए इसमें परिवर्तन होना चाहिए। पांच साल के बाद कांस्टीटुवंसी में परिवर्तन होता रहे। यह चुनाव सुधार में नया संचार पैदा करेगा।

अंत में यही कहूंगा कि चुनाव सुधार की अत्यंत आवश्यकता है और चुनाव ही प्रजातंत्र का पूर्णरूपेण रक्षक का काम करता है।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वी. पाटील (लातूर): सभापति महोदय मैं इस विधेयक पर रिकार्ड के लिए बोल रहा हूं। बदकिस्मती से, देश को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे का सामना करना पड़ रहा है जिन पर हमने संसद में चर्चा नहीं की है। उनमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा योजना ही है जिस पर कई वर्षों से चर्चा नहीं हुई। पंचवर्षीय योजना से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। यह उस बजट से अधिक महत्वपूर्ण है जो सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाता है और दुर्भाग्य से अभी तक हम सभी - मैं किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता - सभा पटल पर पंचवर्षीय योजना पर चर्चा करने में विफल रहे हैं। दुर्भाग्य से हम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्य निष्पादन का मध्यावधि मूल्यांकन करने में भी विफल रहे हैं।

सभा के बाहर जिस सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है वह है चुनाव संबंधी सुधार। मुझे नहीं लगता कि हमने सभापटल पर इस विषय पर सही ढंग से चर्चा की है और इस पर ध्यान दिया है।

महोदय, आपने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। आपने चुनाव आयोग अधिकारियों के समक्ष आने वाली कठिनाईयों को प्रकाश में लाने की कोशिश की है और आप चाहते हैं कि इस सभा द्वारा चुनाव आयोग अधिकारियों की सहायता के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। मैं थोड़ी देर बाद इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन मैं, यह कहना चाहूंगा कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक संसद में पारित होने के लिए प्रस्तुत नहीं किए जाते बल्कि मुद्दों को प्रकाश में लाने के लिए उन्हें सभापटल पर रखा जाता है।

महोदय, इस गैर-सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करके आप निर्वाचक प्रणाली की कमियों के उस पहलू पर भी प्रकाश डाल रहे हैं जो हमारे निर्वाचक प्रणाली में हैं। उद्देश्य कमियों पर प्रकाश डाला है। यदि हमें कमियों पर प्रकाश डालना है तो मेरे विचार में आप मुझे इस विधेयक के उद्देश्य से कुछ आगे जाने की अनुमति देंगे ताकि गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक की चर्चा के दौरान यह जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है उस पर और किसी वजह से नहीं तो कम से कम रिकार्ड के लिए चर्चा की जा सके।

अपराह्न 3.59 बजे

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन* हुए]

मुझे याद है कि 9वीं लोक सभा में चुनाव संबंधी सुधारों पर लंबी चर्चा हुई थी और लगभग 10 घंटों के लिए मैं पीठासीन रहा था। यहां पर मुद्दा उठाया गया था और लगभग 10 घंटों तक इसी मुद्दे पर चर्चा हुई थी। उस चर्चा के परिणामस्वरूप, चुनाव संबंधी कमियों का निरीक्षण करने और यह देखने के लिए कि चुनाव संबंधी कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं, दिनेश गोस्वामी समिति गठित की गई थी। दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा रिपोर्ट दे दी गई थी। सौभाग्य से, दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा दिए गए सुझावों को लागू कर दिया गया है, परंतु रिपोर्ट में दिए गए बहुत से सुझावों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर सभा के अंदर और बाहर कई अवसरों पर चर्चा की जाती है।

अपराह्न 4.00 बजे

यह विधेयक किस विषय पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा है? मेरे विचार में यह विधेयक चुनावों में इस्तेमाल किए जाने वाले बाहुबल पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा है। यह कहा जाता है कि मतदाताओं को सूचना दी जाती है, यही नहीं चुनाव अधिकारियों को भी सूचना दी जाती है और मतदाताओं को एक विशिष्ट तरीके से मतदान करने के लिए मजबूर किया जाता है अथवा उन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाती। चुनाव अधिकारी स्वयं को असहाय पाते हैं और इसी वजह से यह कहा गया है कि उन्हें कुछ सहायता दी जानी चाहिए और उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। जब हम यह कहते हैं तो हम पूरी चुनाव प्रणाली की निन्दा कर रहे लेकिन हम यह कह रहे हैं कि संसद के लिए 13 बार और राज्यों के लिए कई बार चुनाव हो चुके हैं और सामान्यत: निर्वाचक मंडल का मत जानने के लिए चुनाव कराने और समय पर और समय से पूर्व चुनाव कराना हमारे लिए संभव हो पाया है और अभी भी चुनाव प्रणाली में कुछ कमियां व्याप्त हैं और हमें उन कमियों को रेखांकित करना होगा और कुछ सुधारात्मक कदम उठाने होंगे।

आज चुनाव किन कमियों से ग्रस्त हैं? एक कमी धन की शक्ति हैं। चुनावों में बहुत से धन की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सा धन एकत्रित किया जाता है, बहुत सी राशि का उपयोग किया जाता है और इसके कारण चुनावों में हेराफेरी होती है। निर्वाचित सदस्य सभा में उस तरीके से नहीं आ पाते जैसे उन्हें आना चाहिए क्योंकि यदि चुनाव में हेराफेरी हुई है तो वे मन ही मन में उन

लोगों के प्रति अनुग्रहित रहते हैं जिन्होंने उन्हें हेराफेरी से जिताया है। अत: यह ठीक नहीं है कि उन संसद सदस्य के साथ ऐसा हो जिन्हें वे नीतियां बनानी हैं जो आने वाले कई वर्षों तक अस्तित्व में रहेंगी और इस प्रकार पूरे देश पर लागू होंगी। यह कमी दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? गोस्वामी समिति का एक सुझाव यह था कि सरकार चुनावों के लिए राशि दे और सौभाग्य से इस सुझाव का एक भाग सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। आज ऐसी स्थिति है जिसमें राजनैतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को अपनी कार्यसूची जिस पर वह कार्य करना चाहते हैं और यदि वे निर्वाचित हो जाते हैं तो अपनी नीतियों और घोषणा-पत्र पर प्रकाश डालने के लिए टी.वी. और रेडियों में समय उपलब्ध कराया जाता है। राजनैतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को लोगों तक जाने और लोगों को यह बताने के लिए कि हमारी राजनैतिक दर्शन शास्त्र, राजनैतिक नीतियां, आर्थिक नीतियां, सामाजिक नीतियां और अन्य सब कार्य क्या होंगे, इन सब के बारे में बताने के लिए सरकार द्वारा समय प्रदान करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह करने के लिए एक उचित कार्य हैं। परंतु इससे स्वयं समस्या का समाधान नहीं होगा क्योंकि राजनैतिक पार्टियां, उम्मीदवार समय का लाभ उठाकर चुनावों में राशि खर्च कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या सरकार के लिए उम्मीदवारों को राशि देना संभव हैं? मेरे विचार में उम्मीदवारों को राशि देना सरकार के लिए संभव हो सकता है। परंतु प्रश्न यह नहीं हैं। प्रश्न यह नहीं है कि इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है परंतु वास्तविक प्रश्न यह है कि सरकार से राशि मिलने के पश्चात भी क्या उम्मीदवार अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करेंगे। मुख्य प्रश्न है। यदि वे सरकार के खजाने से पैसा लेते हैं और अपनी जेब से भी पैसा खर्च करते हैं तो उन्हें राशि देने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस समस्या का क्या समाधान है? हमारे लिए यह पर्याप्त नहीं है कि हम कमियों, समस्याओं और मुद्दों का पता लगाएं परंतु हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि हम यह पता लगाएं कि क्या किया जा सकता है।

यह समस्या वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है और इसका कोई आसान समाधान नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हम इस समस्या का समाधान पा सकते हैं और वह समाधान भी समान रूप से कठिन होगा। इसे इस तरह क्रियान्वित करना कठिन होगा और एक विचारक ने इस संबंध में कहा था कि यदि आप वास्तव में इस दोष मे छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि राजनैतिक पार्टियां और उम्मीदवार अपने चुनाव के लिए एक साथ प्रचार करें। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरकार को सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए 10 स्थानों पर आम सभा आयोजित करें और सरकार द्वारा प्रदान किए गए मंच पर उन्हें आने दें और जनता से बात करने दें। इसके अतिरिक्त उन्हें चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए और यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें चुनाव में बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब यह समाधान बहुत सशक्त समाधान है। मैं नहीं समझता कि राजनैतिक पार्टियां इस समाधान को स्वीकार करेंगी। यद्यपि यह बहुत कठिन समाधान है और फिर भी यदि हम यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि चुनावों में धन बल का प्रयोग न हो तो हमें इस तरह का, यदि इस तरह की बात न हो, कुछ काम करना पड़ेगा और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक यह समस्या नहीं सुलझेगी। दो मुद्दों अर्थात् बाहुबल और राजनीति के अपराधीकरण पर चर्चा की जा रही है। यह सच है कि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बाहुबल का प्रयोग होता है और अनेक स्थानों पर गरीब मतदाताओं जो कमजोर वर्ग के हैं, को सामान्यत: मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया जाता। जो लोग आर्थिक रूप से सशक्त हैं, वे मत देने नहीं जाते और जो लोग मत देना चाहते हैं उन्हें मत देने नहीं दिया जाता। इस तरह हम स्वयं को इस तरह की स्थिति में पाते है। वास्तव में क्या जाना चाहिए? भूतपूर्व चुनाव आयुक्त द्वारा सुझाए गए समाधानों में से एक समाधान उन्हें पहचान पत्र और इसी तरह की चीजें देने का था लेकिन इसमें भी कुछ दोष थे और इन्हें क्रियान्वित नहीं किया जा सका। लेकिन बाहुबल की समस्या से वास्तव में निपटा जाना चाहिए। इससे किस तरह निपटा जाए। कई बार हम समाधानों का सुझाव देने में स्वयं को किंकर्त्तव्यविमूढ़ पाते हैं।

जहां तक अपराधीकरण का संबंध हैं उसके लिए सुझाव हैं। वे कहते हैं कि यदि किसी उम्मीदवार के विरुद्ध मामला दर्ज किया जाता है तो उसे चुनाव लड़ने दिया जाए लेकिन यदि चार्जशीट दायर होती है तो मामला अलग है और यदि आरोप लगाए जाते हैं तब भी मामला अलग है। लेकिन कुछ वकील जो अपराधिक न्यायालयों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वे जानते हैं कि निजी अपराधिक मामलों को दर्ज किया जा सकता है और वे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के विरुद्ध कुछ सबूत एकत्रित कर सकते हैं और कुछ मौखिक सबूत भी दे सकते है और यदि यह बड़ा अपराध है तो वे सुनिश्चित करें कि मामला जिला न्यायालय को भेजने से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाए जाएं अथवा वे इस पर मुकदमा चला सकते हैं। अत: यहां बैठे लगभग सभी अच्छे उम्मीदवार किसी समय यह पाएंगे कि समाज के बेईमान तत्वों ने उनके विरुद्ध मामला दायर कर दिया है इसलिए वे चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इस समस्या का क्या समाधान है? यह एक प्रश्न है जिस पर बहुत सावधानीपूर्वक विचार किया जाना है। इस प्रश्न का भी कोई सरल उत्तर नहीं है लेकिन यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बहुत सावधानीपूर्वक विचार किये की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : *श्री पाटील, कृपया थोड़ी देर के लिए* रूक जाइए। इस विधेयक पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय आबंटित किया गया था। वह समाप्त हो गया है। क्या सभा की अनुमति से मैं समय बढ़ा सकता हूं?

श्री वैको : माननीय, सभापति महोदय, कृपया मुझे छोटा सा निवेदन करने की अनुमति प्रदान करें। मैं भी इस विधेयक पर वाद-विवाद में भाग लेने में दिलचस्पी रखता हूं। लेकिन महोदय, अगला विधेयक वह विधेयक है जिसे मैंने 13 तारीख को पुर:स्थापित किया था। विधेयक का शीर्षक 'अंतर्राज्योय नदियों का राष्ट्रीयकरण' है। यह विधेयक बैलेट में दूसरे स्थान पर है। बारहवीं लोक सभा के दौरान मुझे बैलेट में विधेयक नहीं मिला। अब मुझे यह पहली बार बैलेट में मिला। मौजूदा विधेयक के लिए एक घंटा आबंटित किया गया था। आप एक घंटा अधिक भी ले सकते हैं। यदि मैं आपके द्वारा प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा शुरू नहीं करूंगा तो मैं पुन: बोलने का मौका खो दूंगा और मैं नहीं जानता कि मुझे इसके लिए कितने महीनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

सौभाग्य से, पिछले शुक्रवार को, जब मैंने सभापति से पूछा तो उन्होंने सभा को बताया कि इस विधेयक के लिए एक घंटा आबंटित किया गया है। मैंने स्पष्ट किया। जब मैंने कहा कि अगले शुक्रवार को मुझे अवसर नहीं मिलेगा तो सभापति ने कहा कि समय केवल एक घंटा बढ़ाया जा रहा है।

सभापति महोदय : अभी पांच और सदस्यों को बोलना है और यह निर्णय करना सभा पर निर्भर करता है। यदि सभा सहमत होती है तो हम समय बढ़ा देंगे अन्यथा हम अभी चर्चा समाप्त कर देंगे।

श्री वैको : महोदय, आप पांच बजे तक समय बढ़ा सकते हैं क्योंकि यह कार्यवाही 5.30 म.प. तक चलेगी।

सभापति महोदय : क्या हम शेष पांच सदस्यों को चर्चा में भाग लेने की अनुमति देंगे?

श्री वैको : यदि विधेयक पर चर्चा 5 बजे तक पूरी हो जाती है तो मुझे अपना विधेयक पुर:स्थापित करने का अवसर मिलेगा जिस पर तत्पश्चात् विचार किया जा सकता है।

सभापति महोदय : प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए पांच मिनट बोलेंगे।

श्री वैको : महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा के माननीय सदस्यों से अपने विनम्र अनुरोध पर विचार करने हेतु अपील कर रहा हूं।

सभापति महोदय : ठीक है। श्री पाटील, आप अपनी बात जारी रखें।

श्री शिवराज वी. पाटील (लातूर): महोदय, यदि मुझे बात समाप्त करनी पड़े तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे विचार से श्री वैको का सुझाव बहुत वैध है।

सभापति महोदय : उन्हें एक मौका मिलना चाहिए।

श्री शिवराज वी. पाटील : हम इस तरह से व्यवस्था कर सकते है कि वे विधेयक पुर:स्थापित करें और इसके बाद विधेयक पर चर्चा हो।

महोदय, मुझे इस बात का पता है कि मैं इस विधेयक के दायरे से बाहर जा रहा हूं और फिर भी मैं विधेयक की बजाय मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं। अत:, इस समस्या का भी समाधान किया जाना चाहिए। मेरे विचार से यदि हमें इस तरह की कुछ कठिनाइयों का सामना करना है तो एक काम किया जा सकता है और वह है मतदान की रिकार्डिंग का आधुनिकीकरण किया जाए। यदि हम नामंकन भरे जाने की तारीख और मतदान किए जाने की तारीख के बीच के समय को कम कर दें तो इससे सहायता मिलेगी। यदि हम मत की रिकार्डिंग के लिए मशीनरी का प्रयोग करते हैं तो यह धन बल तथा कुछ हद तक बाहुबल को कम करने में भी सहायक हो सकती है। राजनीति के अपराधीकरण का समाधान इसके आधुनिकीकरण से नहीं होगा लेकिन इस प्रकार बाहुबल कम होगा।

एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात जो हमारे देश में हुई है और जिस पर शायद ध्यान नहीं दिलाया गया है और यदि कभी दिलाया भी गया तो लोगों ने इस पहलू पर स्पष्ट रूप से अपना दिमाग लगाए बिना अपने विचार व्यक्त किए हैं। यह पहलू क्या है? जब हम आजाद हुए थे तब हमारी जनसंख्या 30 करोड़ थी। हमारे देश की जनसंख्या 300 मिलियन थी। आज यह जनसंख्या 1000 मिलियन है अर्थात् 100 करोड़ और फिर भी संसद सदस्यों की संख्या जनसंख्या के अनुरूप नहीं बढ़ाई गई है। ब्रिटेन में एक संसद सदस्य मुश्किल से 60,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन भारत में एक संसद सदस्य देश के डेढ़ मिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। विभिन्न मुद्दों पर अपने मतदाताओं की राय का पता लगाने हेतु उनके सम्पर्क बनाए रखना संसद सदस्यों

के लिए बहुत कठिन है। संसद सदस्य अपने मतदाताओं के विचार जानने की स्थिति में नहीं होते हैं जिससे वे मतदाताओं के विचारों के अनुसार सभा में विभिन्न मुद्दों पर विचार स्पष्ट कर सकें ताकि लोगों की इच्छाओं के अनुसार नीतियां बनाई जा सकें। कानून बनाए जा सके और बजट पारित किए जा सकें। यह स्थिति और जटिल होती जा रही है। यह लोकतंत्र प्रणाली में शामिल एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है और बढ़ती जनसंख्या के कारण सदस्य अपने मतदाताओं से मिलने, जनता के विचार एकत्रित करने और उस प्रकार के विचारों से लैस होकर सभा में आने की स्थिति में नहीं हैं।

यह एक मुद्दा है जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया है। हमने ठीक ही निर्णय लिया कि 2000 ईसवीं तक संसद सदस्यों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी। यदि हमारी ऐसी प्रणाली है जोकि वास्तव में जनता के मत का प्रतिनिधि है तो क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि किस तरह इस समस्या से निपटा जाए और सभा में वास्तविक आम राय का प्रतिनिधित्व करने हेतु हमें किस तरह संसद की सहायता करनी चाहिए? ऐसा किया जा सकता है। ऐसा कैसे किया जा सकता है। इस बात पर कम से कम सभा में चर्चा होनी चाहिए और इस संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिए।

कुछ लोग कहते हैं कि यदि सभा में अधिक सदस्य होंगे तो हम सभा की कार्यवाहियों का संचालन नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से, कई बार पीठासीन अधिकारी के लिए ऐसा करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि वे सभा में 545 सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं तो उनके लिए सभा की कार्यवाही उस तरह चलाना बहुत कठिन होगा जो सदस्यों को स्वीकार्य हो। कुछ लोग महसूस करते हैं कि यदि सदस्यों की संख्या अब बढ़ाई गई तो सभा का संचालन नहीं किया जा सकता है। मेरे विचार से यदि सदस्यों की संख्या बढ़ती है और यदि समय भी बढ़ाया जाता है - और यदि संसद वर्षभर कार्य करती है तो सदस्यों के लिए अपने विचार व्यक्त करना कठिन नहीं होगा। कई बार हम पाते हैं कि सदस्य सभा में आपत्तियां करते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें बोलने का समय नहीं मिलता है। उनके पास वास्तविक मसले हैं, जो उनके निर्वाचकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें वे सभा में उठाना चाहते हैं। उन्हें इन मुद्दों को सभा में उठाने का समय नहीं मिलता और इसलिए वे उत्तेजित हो जाते हैं। इसी कारणवश वे बोलने का अवसर प्राप्त करने हेतु पीठासीन अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अन्य सदस्यों से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करते है। यदि सभा की बैठक लम्बी अवधि के लिए होगी तो इस समस्या का भी समाधान किया जा सकता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि यदि सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है तो उनको किस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा। विश्व में ऐसे संविधान है जिन्होंने इस समस्या का समाधान किया है। यह मौजूदा प्रणाली उन सभी छोटे देशों में लागू है जहां यह जनसंख्या सीमित है और जहां सदस्य सीमित लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह प्रणाली, संभवत: भारत जैसे देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। विश्व में एक देश ऐसा भी है जहां संसद में 3000 लोग हैं और वे नीति की मुख्य रूपरेखाओं पर निर्णय ले रहे हैं जोकि कानून और नीतियां बनाने में, बजट बनाने में उपयोगी होंगी और इन नीतियों का उपयोग सरकार को जवाबदेह बनाने में किया जाएगा। तत्पश्चात् सूक्ष्म ब्यौरा मशीनरी के दूसरे स्तर पर निकाय पर छोड़ा जाता है जहां विधान का ब्यौरा, बजट बनाने और सरकार को जवाबदेह बनाने पर निर्णय लिया जाता है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देश के लिए यही प्रणाली उपयुक्त है जहां आम विचारधारा की सही अभिव्यक्ति के लिए बहुत से सदस्य होने चाहिए। मैं इस विचार को विचारार्थ रख रहा हूं। अगर यह संभव हो तो इस पर विचार किया जा सकता है।

संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अच्छा नहीं है। 'महिला आरक्षण विधेयक' हमारी कार्य सूची में है लेकिन हम लोग उस विधेयक को पारित करने में समर्थ नहीं हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने-अपने चुनाव घोषणा पत्रों में यह साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा और हम देख रहे हैं कि उनके अपने ही वादे किसी न किसी तरह कानून का रूप नहीं ले पा रहे है जो महिलाओं को यहां आने में वास्तव में मददगार हो सकता था।

कुछ आपत्तियां उठायी गई हैं तथा ये आपत्तियां ऐसी हैं कि इस विधेयक को आसानी से पारित नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि यहां सभा में बैठे सदस्यों की वाकपटुता से ऊपर होना चाहिए तथा उन्हें अपने आपत्तियों पर ध्यान देना चाहिए जिससे यह विधेयक पारित हो सके। कई रास्ते है जिन्हें अपनाकर हम इस विधेयक का पारित कर सकते हैं साथ ही साथ सदस्यों की आपत्तियों का उचित समाधान भी हो सकता है। एकमात्र जरूरी

[श्री शिवराज वी. पाटील]

बात यह है कि यदि हम इसे पारित करने का फैसला लें और इसे एक साथ बैठकर तथा सहमति बनाकर करें, तो यह संभव है। जो कुछ भी किया जा सकता है उस पर इस समय इस सभा में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। समय आने पर इस बात पर चर्चा को जा सकती है कि समाज के सभी हितों की संतुष्टि के लिए वास्तव में क्या किया जा सकता है।

अत:, महोदय, मैं समझता हूं कि चुनाव प्रणाली की ध्यानपूर्वक जांच की जानी चाहिए। यह हमारे देश की लोकतंत्र की जड़ है यदि चुनाव की कमियों को दूर कर दिया जाता है तो लोकतंत्र में जो कमी है उसमें भी क्रमी आएगी।

अब जहां तक इस विधेयक का संबंध है तो इसका सुझाव बहुत ही अभिनंदनीय है। इन चीजों को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। लेकिन विनम्रता के साथ मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि यह ऐसा विधेयक है जो पारित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि यह पारित हो जाता है तो निश्चित रूप से यह अच्छा रहेगा लेकिन इस विधेयक के नहीं पारित होने की स्थिति में भी मैं समझता हूं कि चुनाव अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निश्चित रूप से प्रशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि चुनाव अधिकारियों पर दबाव न डाला जा सके अथवा उन्हें डराया न जा सके जिससे वे वैसे कुछ न करें जो नहीं होना चाहिए।

मैं नहीं समझता कि मुझे अब इससे और ज्यादा कहने की जरूरत है। मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं श्री वाइको को भी धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुबोध राय (भागलपुर)· सभापति महोदय, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि मतदाता निर्भीक होकर अपने मत का प्रयोग करे। जितना ही ज्यादा यह काम होगा, उससे हमारा जनतंत्र मजबूत होगा और जनतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों का विश्वास भी बढ़ता चला जायेगा। लेकिन आज की स्थिति यह है कि बड़े पैमाने पर, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने यहां पर विचार व्यक्त किये हैं कि मसल पावर और मनी पावर का प्रभाव बढ़ा है और राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, उसने इस प्रक्रिया को दूषित किया है और जनतंत्र की जड़ को खोखला करने का काम किया है। इसलिए इस मामले में बहुत गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए और मतदान को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराने की व्यवस्था के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए।

यह बहुत ही गम्भीर बात है, मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र पास ही होने चाहिए, जहां कि मतदाता को आसानी से और समय के अन्दर मतदान करने में सहूलियत हो। हम देखते हैं कि मतदान केन्द्र बहुत दूर-दूर पर मनमाने ढंग से तय कर दिये गये हैं, जिसके चलते जो गरीब लोग हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, वे वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं और बीच में जो अवांछनीय तत्व हैं, वे उनको तंग करते हैं। वे मतदान केन्द्रों पर कब्जा करके बोगस मत डालते हैं और जो भी हो, वे गलत ढंग से मतदान करते हैं। इसके साथ-साथ ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि बड़े पैमाने पर इस तरह से बूथों पर कब्जा करने में, जो मशीनरी है, वह भी उनका साथ देने में कभी-कभी उनके साथ देखी जाती है, इसलिए ऐसे लोग, जो मतदान कराने में निष्पक्षता बरतने में पूरी तरह से विफल हो जायें, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मतदाताओं में असुरक्षा की भावना को कभी भी पनपने नहीं देना चाहिए। मतदान पूरी तरह से हो, साथ-साथ जो उम्मीदवार हैं, उनको भी सरकार के द्वारा और चुनाव आयोग के द्वारा फंड देने की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी जब पिछली बार मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने खुद यह महसूस किया। वहां अचानक भीषण बाढ़ के चलते हमारा चुनाव एक महीने के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन एक महीने के बाद फिर हमको उतनी ही मेहनत करनी पड़ी और फिर उतनी ही परेशानी और उसी तरह से खर्च करने की मजबूरी हमारे सामने आई। हम समझते हैं कि ऐसी स्थिति में कोई भी गरीब राजनैतिक कार्यकर्ता, जो आम जनता से सम्पर्क रखकर चुनाव लड़ने वाले हैं, वह उसके लिए सम्भव नहीं हो सकता, लेकिन जो बड़े-बड़े थैलीशाह हैं, वही सफल हो सकते हैं। हम देखते हैं कि मतदान केन्द्रों पर जिस तरह से आज बातें हो रही है, जिस तरह से चुनावों में उम्मीदवारों की बात हो रही है, बड़े-बड़े शातिर अपराधी चुनाव में जीत जाते हैं। वे धनबल से, अपराधियों के बल पर, शक्तिशाली लोगों के बल पर गांव के गरीब तबके के लोगों, पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों लोगों के वोट डालने के अधिकार को कुचलने का काम करते रहे हैं। इसलिए वे उन पर हावी हो जाते हैं। जैसा रघुवंश बाबू ने सुझाव दिया है कि गांवों में इस व्यवस्था को सही करने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स लगाई जाए और इसमें महिलाओं की बहाली भी होनी चाहिए, ताकि महिलाएं भी वोट देने जा सकें और कोई बाधा या रुकावट इसमें न आए।

इन्हीं शब्दों के साथ रघुवंश प्रसाद जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह): सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे लगभग नौ चुनाव लड़ने का अवसर मिला है। जिसमें सात में मैं जीता और दो में हारा हूं। लेकिन इस अर्से में, इस चुनाव के पीरियड में जो अनुभव हुआ, उसके आधार पर मैं माननीय रघुवंश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी कि मसल्स पावर को रोकने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स को लगाया जाए। चुनाव में निष्पक्षता और पवित्रता बनी रहे, इस उद्देश्य से उनके द्वारा रखे प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

एक समस्या सामने आती है कि बाहुबल को जैसे-तैसे पैरा मिलिट्री फोर्स से रोक देंगे, लेकिन धनबल को कैसे रोकेंगे। इसके कारण बहुत से वोटर गुमराह हो जाते हैं। खास कर जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको पैसे के बल पर गुमराह कर दिया जाता है, फिर वे अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। ऐसे बहुत से पिछड़े इलाके हैं जहां पर वे बेचारे वोट डालने नहीं आ पाते। परिणाम यह होता है कि उनके वोट फिर भी पड़ जाते हैं। हाल ही में जब लोक सभा चुनाव हुए थे, उस समय बरसते पानी में वोटिंग हुई। लोग वोट डालने नहीं गए, फिर भी 80 प्रतिशत तक वोटिंग हुई। आखिर ये वोटर कहां से आए और कैसे इतने वोट पड़े, यह सोचने की बात है। यह एक नहीं, सब जगह हुआ है। बरसते पानी में, उफनते नदी-नालों के कारण वोट डालने लोग नहीं आए, लेकिन वोटिंग का प्रतिशत 80 तक रहा। यह एक विचारणीय प्रश्न है। आज की व्यवस्था में निष्पक्षता नहीं रह पाती और चुनाव की पवित्रता नष्ट हो जाती है। इसका भी सही प्रबंध करने के लिए हमें विचार करना पड़ेगा।

हमारे पूर्व वक्ता ने एक बात अच्छी कही कि हमारे पोलिंग स्टेशन जहां दो किलोमीटर की दूरी पर बनने चाहिए, वहां दस किलोमीटर की दूरी पर बनाए जाते हैं। हमारे आदिवासी, गरीब और पिछड़े लोग, जिनके पास वाहन नहीं है, वे इतनी दूर नहीं आ-जा सकते। वे जब वोट डालने नहीं आते, उनके वोट का दुरुपयोग माफिया लोग करते हैं। अभी पहले शैषन साहब जो भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उस समय उन्होंने कार्ड बनाने की व्यवस्था शुरू की थी लेकिन मैं नहीं जानता कि कितने प्रदेशों में ये कार्ड बने और कितने प्रदेशों में नहीं बने। लेकिन उन कार्डों का उपयोग नहीं हो रहा है। उन कार्डों के आधार पर मतदान नहीं हो रहा है और इसलिए फर्जी मतदान हो रहा है। कार्ड बनाने में हमारी धनराशि लगी है। जो पैसा खर्च हुआ है, उसका कोई उपयोग समझ में नहीं आया। वे कार्ड सब जगह नहीं बन पाये हैं और आज भी फर्जी मतदान होता है, इसको रोकने की आवश्यकता है। इसी के साथ-साथ एक विशेष बात यह है कि इसमें अपराधी तत्वों को चुनाव लड़ने से नहीं रोक पाते और जब अपराधी तत्व चुनाव लड़ते हैं तो मसल पॉवर का उपयोग होता है और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन बातों पर ध्यान दिया जाये और निर्वाचन में सारी बातों को ध्यान में रखकर सुधार किया जाये तो निश्चित रूप से जिस पवित्रता को बनाये रखने के लिए रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने प्रस्ताव रखा है, इन बातों को उसमें और समावेश करके किया जाये जो लोकतंत्र की मर्यादा कायम होगी, चुनाव की पवित्रता कायम होगी। इससे जो लोग लोक सभा में चुनकर आएंगे, वे हमारे देश की प्रगति, तरक्की और हित के लिए अपना कर्तव्य निर्वहन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): सभापति महोदय, चुनाव सुधार के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि पहले पोलिंग बूथ में सुधार हो, दो कि.मी. से अधिक दूरी तक रहता है। लोग वोट देने नहीं जा पाते। चुनाव होता है, चुनाव के दिन देखने में आता है कि लोग गाड़ी में जाते हैं या तो कैंडीडेट उन्हें गाड़ी में ले जाते हैं और कुछ लोग रह जाते हैं। इस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए चुनाव के समय सरकारी गाड़ी स्वतंत्र रूप से फ्री में चले जिससे निष्पक्ष चुनाव का वातावरण बने, स्वतंत्रतापूर्वक चुनाव कराने में वह अपने को स्वतंत्र समझे।

वोट के समय दो प्रकार के वोट देते हैं। सरकारी कर्मचारी को बी फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। जो पोलिंग बूथ में जाते हैं अगर वह फॉर्म नहीं भरते तो अनुमति लेनी पड़ती है। यह अनुमति लेनी की आवश्यकता न हो, सरकारी कर्मचारी के लिए उस दिन छुट्टी घोषित हो जिससे सरकारी कर्मचारी वोट दे सके।

गिनती के पहले और गिनती के बाद की बात मैं बताना चाहूंगा। जिस समय गिनती शुरू होती है, गिनती शुरू होने से पहले पचास-पचास के बंडल बांधे जाते हैं। बांधने के बाद जब गिनती होती है, उसमें एक रिजेक्ट वोट होता है और एक डाउटफुल वोट होता है। पेटियां वहीं रहनी चाहिए। पेटियों की गिनती एक साथ हो। बैलट जो होते हैं, वे सौ-सौ या हजार-हजार की गड्डी में बांधे जायें क्योंकि लोक सभा का क्षेत्र कई मतदान केन्द्रों से घिरा रहता है। कई मतदान केन्द्रों में एजेंटों की व्यवस्था कुछ लोग नहीं कर पाते क्योंकि ऐसी व्यवस्था में बहुत से कर्मचारी, अधिकारियों की आवश्यकता होती है। लोक खड़े-खड़े बैलट पेपर को देखते हैं और मतपत्र की गिनती होती रहती है। चुनाव के दौरान अनेक प्रकार की रुकावटें आती हैं। जिस पक्ष में वहां के कर्मचारी वोट करना चाहते हैं, उसको फेंकते हैं। मान लें कि एक मतदान केन्द्र में एक लाख वोट पड़ा तो वहीं दस-पांच जितने एजेंट बैठे हैं और वे जिस पक्ष के हैं और सरकारी कर्मचारी अलग बैलट तो करते हैं लेकिन समय उतना ही लगता है। उतने ही समय में पूरी

[श्री पुन्नू लाल मोहले]

मतपेटियों की गिनती हो सकती है। सबसे पहले हर दल के मतपत्रों को अलग-अलग छांट लेना चाहिए और उसके बाद रिजैक्ट व डाउटफुल वोट्स को अलग-अलग कर लेना चाहिए। निर्वाचन अधिकारी और एजेंट के सामने डाउटफुल वोट्स की वोट गिनती सबसे पहले करनी चाहिए। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, इससे संबंधित एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। 1996 के म.प्र. विधान सभा उप चुनाव में डाउटफुल वोट्स की गिनती नहीं हुई थी और बाकी गिनती होती रही। सात राउन्ड की गिनती तक भाजपा प्रत्याशी जीतता रहा, लेकिन आखिरी राउन्ड में 90 वोट्स से हार गया। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बात कह रहा हूं। मैंने अभी तक नौ बार चुनाव लड़ा है, आठ बार जीता हूं और एक बार हारा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं, गिनती के बाद पेटी अन्दर जाती है और फिर दूसरी पेटी गिनती के लिए लाई जाती है और जिसके पक्ष में जीताना होता है, पहले गिनती की हुई मतपत्र पेटी को दोबारा मिला दिया जाता है। ऐसा करने पर भाजपा प्रत्याशी 90 वोट्स से हार जाता है। गिनती की हुई पेटी को और गिनती न की हुई पेटी को एक साथ नहीं रखना चाहिए। दोनों प्रकार की मत पेटियों को अलग मतगणना स्थान पर रखा जाए।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, आर्थिक स्थिति से कमजोर कैंडिडेट चुनाव सही ढंग से नहीं लड़ पाता है। एक लोक सभा सीट के चुनाव क्षेत्र में आठ विधान सभा क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र में एक गाड़ी की व्यवस्था हो या दो गाड़ियों की व्यवस्था हो, तो कैंडिडेट के पास आठ या सोलह गाड़ियों की व्यवस्था होनी चाहिए। कभी-कभी गाड़ियां खराब भी हो जाती है, पंक्चर भी हो जाती है, ऐसी स्थिति में 20 गाड़ियों की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं, उम्मीदवारों के बारे में यह भी देखना चाहिए कि किस दल का कौन-कौन से उम्मीदवार को सहायता दिया जा सकता है, उसको उसी आधार पर गाड़ियों की व्यवस्था, पैट्रोल व डीजल की सुविधा देनी चाहिए। आर्थिक स्थिति कमजोर होने से वह निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ सकता है, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह भी होता है, करोड़पति और पूंजीपति तो गाड़ी रख लेते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर साधारण आदमी नहीं व्यवस्था कर पाता है। साथ ही चुनाव के समय दारू की बिक्री भी बढ़ जाती है। यदि किसी गांव में दारू का वितरण बढ़ता है, तो वहां एफआईआर दर्ज कर पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को शीघ्र गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

महोदय, इन शब्दों के साथ, अपनी बात समाप्त करते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की अव्यवस्थाओं में सुधार करके चुनाव प्रक्रिया में सुधार किए जा सकते हैं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगाव): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्य, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी, द्वारा जो बिल प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके बारे में अपनी कुछ बातें कहना चाहता हूं।

वास्तविकता यह है कि जिस तरह से बड़े लोग चलते हैं, वैसे ही काम होता है। मुझे याद है, 1978 में मोरारजी भाई के साथ चुनाव प्रचार में था, तो उन्होंने कश्मीर में कहा था - मत आप किसी को भी दें, लेकिन निर्भीकता से दें। लोग बोलते हैं कि अभी तक काश्मीर में निर्भयता से चुनाव नहीं हुआ, लेकिन श्री मोरारजी भाई के समय में हो गया।

महोदय, कैसी-कैसी बातें होती हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में शरद पवार जी के कंधे पर पालकी थी और उनके कुछ सहयोगी कंधे पर थे। देश के पंथ प्रधान मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आए थे। चुनाव के दो दिन रह गए थे और मेरा खर्चा 14 लाख रुपए हो गया था। मेरा कहना है कि छोटा आदमी सहानुभूति देता है, लेकिन यश प्राप्त नहीं करता। महोदय, पैसे के बिना इलैक्शन नहीं होता। मेरे पास एक नया पैसा नहीं था, लेकिन मुझे एक आदमी ने दस लाख रुपये कर्ज दिया, इसलिए मैं चुन कर आया। मेरा कहने का मतलब यह है कि चुनाव में पैसा लगता है, इसलिए सरकार को इस पर खास ध्यान देना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने चाहिए।

महोदय, जहां तक चुनावों में जोर जबर्दस्ती का सवाल है, कई माननीय सदस्यों ने बोला है कि मतदान के बूथ्स में दस-दस, 12-12 किलोमीटर अंतर होता है, यह ठीक नहीं है। मतदान करने के लिए सख्ती होनी चाहिए। मुझे एक बात याद है, जब श्री मोरारजी भाई पंथ प्रधान थे तो उनके सामने ऐसा ही सवाल आया, तब उन्होंने कहा कि मैं एक गरीब देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं चाहता हूं कि मतदान हो और बड़े-बड़े लोग भी उसमें शामिल हों। समझदारी से लोग चुनाव लड़ेंगे तो देश ठीक चलेगा और जनता भी ठीक रहेगी। मैं जनता को भी दोष देता हूं। पहले बोलते थे - "यथा राजा तथा प्रजा", अब यह हो गया है - "यथा प्रजा तथा राजा।" राजा भी भ्रष्ट हो रहे हैं। इसलिए मैं मतदाताओं से विनती कर रहा हूं, बाबासाहेब अम्बेडकर ने जो मतदान का अधिकार दिया, वह अधिकार उन्हें बराबर देना है और लोकशाही को बचाना है तो दोनों को मिल कर बचाना है, यही मेरा सुझाव है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य चुनाव संचालन के दौरान पीठासीन अधिकारी को सुरक्षा प्रदान करना है। विधेयक का मुख्य सुझाव चार अर्धसैनिक बल तथा एक गश्ती दल मुहैया कराना है। यह चुनाव प्रक्रिया का केवल एक पहलू है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे दिमाग में आ रही है वह स्वयं चुनाव प्रक्रिया की है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही खतरे में है।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोगों को कैसे शिक्षित किया जाए? अब तक लोक सभा के लगभग 13 तथा राज्य विधान सभाओं के 15 या 16 चुनाव हो चुके हैं। लोगों को चुनाव प्रक्रिया के बारे में काफी अनुभव है। मतदाताओं में उदासीनता की मनोवृत्ति है।

चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी की प्रतिशतता के बारे में ईमानदारीपूर्वक विश्लेषण करने पर हम पाते है कि चुनाव में भाग लेने वाले लोगों का प्रतिशत घटता जा रहा है। केरल जैसे राज्य में भी जहां मतदाताओं की भागीदारी अधिकतम रही है - एक चुनाव में यह 85% तक था - हम पाते हैं कि चुनाव में लोगों की भागीदारी क्रमश: घट रही है। हमें इस विषय पर सोचना पड़ेगा कि कैसे स्थिति को सुधारा जाए। हम मतदाताओं को कैसे शिक्षित कर सकते है? मेरे लिए सबसे अहम पहलू यही है। लोग इस पूरी चुनाव प्रक्रिया से ही कमोबेश निराश हैं तथा नफरत करते हैं। उनके मन में यह बात घर कर गई है कि कुछ नहीं होने वाला है तथा चुनावों में पूरी गंभीरता से भाग लेने के बावजूद भी कोई प्रगति होने वाली नहीं है। सही परिणाम यह है कि चुनाव उनकी आशाओं के अनुरूप नहीं होते।

अनेक राजनैतिक दल उन्हें धोखा देते हैं। राजनैतिक पार्टियां अपने चुनाव घोषणा पत्रों में कई चीजों के वादा करने के बाद भी उन्हें पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेती है। अत: लोग इस चुनाव को एक गंभीर कार्य न समझकर एक मजाक समझने लगे हैं। पहले उनकी अपेक्षाएं बहुत उच्च थी लेकिन हर चुनाव के बाद उनकी आशाओं पर पानी फिर गया है। वे निराश होने लगे है। इस स्थिति में छुटकारा कैसे पाया जाए यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।

कुछ अन्य लोकतांत्रिक देशों में चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड की संसद में जो एम.एल.ए. मतदाताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता है उसे वापस बुलाया जा सकता है। हमें इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। हमें इस पर सोचना पड़ेगा कि भारत में यदि कोई संसद सदस्य अयोग्य पाया जाता है तो क्या उसे वापस बुलाना संभव है। चुनाव के बाद एक विधायक अथवा संसद सदस्य अपनी मनमानी करने लगता है। वे मतदाताओं का ख्याल नहीं रखते हैं। मतदाताओं तथा प्रतिनिधियों के बीच कोई सामंजस्य नहीं होता। मतदाताओं के बीच बहुत असंतोष है। जनप्रतिनिधियों पर मतदाताओं का कोई नियंत्रण नहीं है। एक प्रतिनिधि लोगों से तीन या चार साल में एक बार मिलता है। वर्तमान स्थिति यही है। अत: मेरा सुझाव है कि हमें अपने संविधान अथवा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में ऐसी व्यवस्था करने पर विचार करना चाहिए जिसमें उस संसद सदस्य को वापस बुलाया जा सके जो लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो। यह एक पहलू है।

फिर हमें लोगों को शिक्षित करना होगा क्योंकि हमारे लोकतंत्र के भीतर खामियां है। कांग्रेस पार्टी ने देश में 45 वर्ष से ज्यादा समय तक शासन किया है। लेकिन अधिकांश दलों को क्या प्रतिनिधित्व दिया गया। वे केवल 25 से 30 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते थे। अत: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अधिकांश मतदाताओं का प्रतिनिधित्व नहीं था यद्यपि, सभी में उनकी बहुमत थी।

सभा में उनका पूर्ण बहुमत था। लेकिन सभा के बाहर वे अल्पमत में थे। यही हमारी चुनाव प्रणाली की आंतरिक कमी है। उत्तर प्रदेश जैसे कुछ बड़े राज्यों के आज भी 85 सांसद सभा में है। हम लोग असहाय स्थिति में है क्योंकि सभा में तमिलनाडु तथा केरल राज्यों की सीटें बहुत कम हैं। यही प्रश्न है। किस प्रकार हम इस प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। संख्या की दृष्टि से भी देखें तो वे अल्पमत हो सकते हैं लेकिन वही अल्पमत के लोग सभा में बहुमत के कारण देश पर शासन कर सकते है। वर्तमान प्रणाली को किस प्रकार बदला जाए इस बारे में हमें सोचना होगा।

अब चूंकि हमारी एक संविधान समीक्षा समिति है इसलिए सरकार की स्थिरता के बारे में हम विस्तार से चर्चा करना नहीं चाहते। समिति इस मामले की जांच कर रही है

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

...*(व्यवधान)* इस बात के लिए मुझे खेद है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी-अभी बोलना शुरू किया है।

श्री वैको : महोदय, मैं सभापति महोदय से एक अनुरोध करना चाहता हूं। इसके लिए एक घंटे का समय दिया गया था। पुन: सभा की राय से एक घंटे का और समय दिया गया। अत: मुझे मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है, मैं सभापति महोदय से जानना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अब आप कृपया समाप्त करे। आप अंतिम वक्ता हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं अपने मित्र श्री वैको तथा सभापति महोदय को सम्मान करते हुए बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

चुनाव प्रणाली को अभी दो खतरे हैं पहला बाहुबल तथा दूसरा धन बल से जहां तक धन बल का संबंध है तो राज्य द्वारा चुनाव खर्च को नियत कर इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। राज्य द्वारा चुनाव खर्च को निश्चित करने की दिशा में हमें गंभीरता से सोचना होगा। यह इसका एक पहलू है।

जहां तक बाहुबल का प्रश्न है तो यह राजनैतिक जागरुकता तथा लोगों की संगठित इच्छा शक्ति के द्वारा ही रोका जा सकता है। अब मैं राजनीतिक अपराधीकरण की चर्चा कर रहा हूं जो भारतीय राजनीति में एक नई घटना है। राजनीति, जैसा कि मैं सोचता हूं, एक अपने स्वार्थ सिद्ध करने का पेशा बन गई है। हमने इसका दुरुपयोग किया है। राजनीति आखिरकार जनता की सेवा है। लेकिन हम लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है तथा अधिकांश लोग आज यही सोचते है कि यह अन्य व्यापार या पेशा जैसा ही है।

सभापति महोदय : आप ये नहीं कहते हैं, "हम लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है।" आप कहते है कि कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : जी, महोदय, मेरा सुझाव है कि अपराधाकरण की प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए। उस स्थिति में हमें दो पहलुओं की जांच करनी चाहिए। पहला, क्या किसी के विरुद्ध सिर्फ अभियोग लाना अथवा अभियोग बनाना किसी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए पर्याप्त आधार है। दूसरा, कुछ लोगों का मानना है कि सजा प्राप्त व्यक्ति को कभी भी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाए। ये दो पहलू है। इस पर हमें विस्तृत चर्चा करनी चाहिए ताकि इस विषय पर हम लोग तत्काल निर्णय कर सकें। ये कुछ तथ्य है जिन्हें चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु मैं सभा के समक्ष पेश करना चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं तथा इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): सभापति महोदय, इस गैर-सरकारी विधेयक से इस सभा को चुनाव सुधार के विभिन्न पहलुओं की जांच करने में सहायता मिली है। मुझे यह देखकर करके खुशी है कि चुनाव सुधार की आवश्यकता के बारे में व्यापक सहमति है। इस विधेयक पर चर्चा करने का दायरा शान्तिपूर्वक चुनावों के लिए मतदान अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा करने तक ही सीमित है।

माननीय सदस्यों ने चुनावों से सम्बन्धित अनेक अन्य पहलू भी उठाये हैं। सरकार सदस्यों की इस चिन्ता से सहमत है कि चुनाव शांतिपूर्व तरीके से हो जिससे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किये जा सके।

अनेक सुझाव दिये गये हैं। हम सदस्यों की चिन्ता समझते हैं। मैं सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जहां तक इस सरकार का सम्बद्ध है, यह चुनाव सुधार लाने के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में पहले ही कुछ कदम उठाये गये हैं। यह प्रक्रिया जारी है। मैं सभा को यह बताना चाहूंगा कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के प्रश्न के सम्बद्ध में सरकार ने आगामी दो सप्ताह में विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के प्रश्न पर विचार करने के लिए हमने 13 मई को विभिन्न राजनैतिक नेताओं की बैठक बुलाई है।

नि:सन्देह चुनाव सुधार के अन्य पहलू भी हैं। वे सरकार के पास लम्बित हैं। हम व्यापक चुनाव सुधार करने के लिए काफी चिंतित हैं और चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये अनेक बहुमूल्य सुझाव स्वाभाविक रूप से परिलक्षित किये जायेंगे और जब सरकार व्यापक विधान लायेगी तो उनको ध्यान में रखा जायेगा।

मतदान कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चिन्ता वास्तविक चिन्ता है। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि यह ऐसा मामला है जो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है। जैसा कि सबको विदित

है, कानून और व्यवस्था बनाये रखने का मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। जैसा कि कुछ सदस्यों द्वारा बताया गया है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग को राज्य सरकार से आवश्यक सहायता प्राप्त करने की शक्ति दी गई है और राज्य सरकार यह सहायता उपलब्ध कराने के प्रति वचनबद्ध है। हम ऐसी स्थिति में हैं जहां अधिकांश राजनैतिक दल किसी न किसी राज्य में सत्ता में हैं। ऐसी स्थिति में यदि केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करे कि चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था बनाई रखी जाए तो मेरे विचार से अनेक राज्य सरकारें इसे स्वीकार नहीं करेंगी। चूंकि अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग को राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की अपेक्षित सहायता प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की गई हैं, अत: इस संबंध में आगे प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है जैसा कि प्रस्तावित विधेयक में विचार किया गया है। तथापि केन्द्र सरकार सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि यह शान्तिपूर्ण चुनाव कराने के बारे में चिन्तित है जिससे बिना किसी भय अथवा पक्ष के प्रत्येक व्यक्ति अपना मतदान कर सके।

इस स्थिति में विधेयक प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता का समर्थन करते हुए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यह विधेयक वापस ले लें। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब सरकार द्वारा यथाशीघ्र चुनाव सुधारों के संबंध में व्यापक विधेयक लाया जायेगा तो उनके द्वारा और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता पर उचित ध्यान दिया जायेगा। मैं उनसे पुन: अनुरोध करना चाहूंगा कि विधेयक वापस ले लें।

अपराह्न 5.00 बजे

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने महसूस किया है कि यह वाजिब बात है और सन् 1995 में जब श्री टी.एन. शेषन चुनाव आयुक्त थे, जैसा मैंने सजेस्ट किया, वैसा उस समय हुआ था लेकिन पैरा मिलिट्री फोर्सेज जमा करने में बहुत समय लगा था। दो तरह की प्रोटेक्शन की मांग हमने की है। पहली यह कि कमजोर वर्ग के लोगों को बूथ पर जाने ही नहीं देते हैं, बदमाश लोग रास्ते में ही उनको रोक देते हैं और दूसरी बात यह है कि जो चुनाव कराने वाले कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध नहीं किया जाता है। इलेक्टोरल रेफार्म्स के लिए चाहे गोस्वामी कमेटी हो या इंद्रजीत गुप्ता कमेटी हो, या जो भी कमेटी हो, कानून को लागू करने वाले जो लोग हैं, जब तक उनको सुरक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक वे क्या कानून लागू करेंगे? बदमाश उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि सारे बैलट पेपर पर दस्तखत कर दो और वे सारे बैलट पेपर छापकर बक्से में डाल देते हैं। वे घंटे भर में 100 प्रतिशत वोट डाल देते हैं जबकि दूसरे पोलिंग स्टेशनों पर लाइन लगाकर शाम तक 50 प्रतिशत ही मतदान हो पाता है। जहां किसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने रेजिस्ट किया तो उनको मारा-पीटा जाता है और कभी-कभी उनकी हत्या भी हो जाती है। गाली-गलौज तो साधारण बात है। उनको मार-पीट कर, डरा-धमका कर काम कराया जाता है। इसलिए कोई आदमी चुनावों में प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं बनना चाहता है। जब तक उनकी सुरक्षा नहीं होगी, तब तक सारा कानून एक दिखावा है। चुनावों में रिटर्निंग ऑफिसर नीचे से सूची मंगाते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बी.डी.ओ. और दरोगा से मोस्ट सेन्सिटिव एरियाज की सूची मंगाता है, जहां पर जबर्दस्ती की संभावना होती है, और फिर सेन्सिटिव इलाकों की सूची और फिर सादी सूची मंगाई जाती है। उस हिसाब से कुछ ऐसे बूथ छोड़ दिये जाते हैं जहां पर सिर्फ चौकीदार ही रहते हैं। उसके बाद पक्ष-विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि फलां बूथ छोड़ दिया। जहां विपक्ष के सपोर्ट वाला बूथ है, वहां के लिए हमारे लोग फोर्स लगाने की बात करते हैं और जहां हमारी सपोर्ट का बूथ है, वहां विपक्ष वाले फोर्स लगाने की बात करते हैं। उसमें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा डिस्क्रिमिनेशन की भी गुंजाइश रहती है। इसलिए कानून में यह प्रावधान किया जाए कि चुनावों में हर बूथ पर पैरा-मिलिट्री फोर्सेज लगाई जाएं। बूथ की सुरक्षा, पोलिंग ऑफिसर की सुरक्षा और पार्टी के प्रतिनिधियों की सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए। सुरक्षा बलों को उस इलाके में घूमना चाहिए ताकि कहीं कोई बदमाश वोट डालने से लोगों को न रोके। उसके लिए ही हमने कहा है कि दो सैक्शन फोर्स होनी चाहिए। उतनी फोर्स हम कहां से लाएंगे यही एक कठिनाई है, नहीं तो इस कानून में कोई अड़चन नहीं है, कोई नैतिक और व्यावहारिक कठिनाई नहीं है। मंत्री जी को इसे कानून में लाना चाहिए क्योंकि फेयर, पीसफुल और निष्पक्ष चुनावों के लिए यह आवश्यक है। ऐसा बिहार में हो भी चुका है। वहां तीन फेज में चुनाव हुए थे। हर बूथ पर 1995 में पैरा मिलिट्री फोर्सेज गईं। 1996 में गड़बड़ हुई और 1998-99 में भी गड़बड़ हुई। फिर असेम्बली चुनावों में भी गड़बड़ी हुई। इसलिए ज्यादा देर तक, समय लगाकर चुनाव हो जाए, वह मंजूर है। तीन फेज के बदले पांच फेज में चुनाव हो जाए, महीने भर में देश भर में चुनाव हो जाए, वह मंजूर है, लेकिन हर बूथ पर पैरा मिलिट्री फोर्स हो और जो गरीब आदमी को वोट डालने से बदमाश रोकते हैं, उन गरीबों को भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, यह हमारी अपेक्षा है। फिर भी हम चुनाव लड़ने के लिए हमेशा तैयार

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

हैं और इनको कहीं भी पछाड़ ही देंगे। लेकिन वैको साहब की भी हमें मदद करनी है, उनको भी बिल लाना है, इसलिए चुनाव सुधारों में कैटोगरिकली रिफॉर्म्स लाने चाहिए।

संभापति महोदय, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे प्रस्ताव को मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का कमीशन है, मैं कहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने स्टेट गवर्नमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। आपको उसका प्रबन्ध करना पड़ेगा। आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस की व्यवस्था सभी बूथों के लिए करनी चाहिए। दो या तीन फेज की जगह आप और ज्यादा फेजेज में इलैक्शन भले ही कराएं, लेकिन आपको सभी बूथों पर पैरामिलिट्री फोसेर्स की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी चाहिए।

सभापति महोदय, वैसे भी ज्यादा राज्य तो ऐसे नहीं हैं जहां जरूरत पड़ेगी, कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां जरूरत होगी। आपको तो मालूम है कि उधर बैठे लोगों के सहयोग से घोषित अपराधी भी इस बार के चुनाव में बूथ पर कब्जा करके, मतपत्रों को खुद छापकर जीत कर आ गए हैं। हम लोगों को तो आशंका है कि जो हमारे सपोर्टर हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं और जो हमें मत देते हैं, उन्हें आप वोट नहीं डालने देंगे और जो बूथ छापने वाले लोग हैं, वे बूथ पर कब्जा करके चुनाव में जीत जाएंगे। *...(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): आप तो "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे" वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : पैरा मिलिट्री फोर्स लगाने में क्या दिक्कत है? आपके आडवाणी जी ने तो पैरामिलिट्री फोर्स को चुनाव में तैनात करने की बात को माना है। हम चाहते हैं कि पूरे चुनाव क्षेत्र में हर बूथ पर पैरा मिलिट्री फोर्स लगाई जाए ताकि देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी आ सके।

[अनुवाद]

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): यदि अर्द्ध सैन्य बल राज्य सरकारों के नियंत्रण में है तो कुछ नहीं होगा क्योंकि राज्य सरकारें बहुत पक्षपात करेगी इसलिए अर्द्ध सैन्य बल केन्द्र सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए न कि राज्य सरकारों के नियंत्रण में *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सेनगुप्ता जी आप तो इंटैलीजेंट आदमी है। सब बूथों पर बिना भेदभाव के फोर्स का इंतजाम किया जाए, हम यही कहना चाहते हैं। यदि फोर्स का इंतजाम किया जाएगा, तो सही और निष्पक्ष चुनाव होगा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी। बूथ पर उपस्थित एक अफसर, बाबू और सिपाही आदि को जोड़ दिया जाए, तो इसमें कोई क्या कर पाएगा। कोई रिटर्निंग आफीसर हो या हम हों कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसमें सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव में जो पिक एंड चूज होता है, भेदभाव, पार्शियलिटी होती है, उस सबका इलाज एक ही है और वह है सब बूथों पर फोर्स का इंतजाम। कहावत भी तो है कि "एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए" लेकिन यहां क्या होने वाला है वह आप भी जानते हैं। जो लोग बूथ छापकर चुनाव जीत कर आने वाले लोग हैं, वे क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? जब तक चुनावों में जोर-जबर्दस्ती चलेगी, समाज के दबे, कुचले, शोषित, लांछित और उपेक्षित वर्ग को डरा-धमका कर, हड़काकर लोग वोट नहीं डालने देंगे, बूथ पर कब्जा कर लेंगे और मतपत्रों को छाप कर सब वोट खुद ही अपने पक्ष में डाल देंगे, तो उसका रिजल्ट तो पहले ही आउट है जिसने बूथ कब्जा किया, वही जीतेगा।

सभापति महोदय, मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि सभी बूथों पर लाजमी तौर पर फोर्स की व्यवस्था होनी चाहिए और दो सैक्शन फोर्स हो जिसमें एक सैक्शन बूथ की रक्षा करे और दूसरा सैक्शन गांव में घूम-घूम कर कहीं कोई वोट डालने वालों को आने से रोक तो नहीं रहा है, कोई डरा धमका तो नहीं रहा है। वैसे ऐसी व्यवस्था होती है, लेकिन कुछ बूथों पर होती है, सभी बूथों पर नहीं। मैंने जो प्रस्ताव दिया है, वह इसीलिए दिया है कि सभी बूथों पर व्यवस्था हो। चुनाव के खर्च में, गाड़ी का खर्च, पेट्रोल का खर्च, पेपर का खर्च तो होता है, लेकिन अब इन सब चीजों के साथ-साथ गोला, बारूद और बंदूक का इंतजाम करना भी आवश्यक होता जा रहा है। यदि सभी बूथों पर अनिवार्य रूप से फोर्स की व्यवस्था होगी, तो कम से कम गोला, बारूद और बंदूक के खर्च से तो बचा जा सकता है।

सभापति महोदय, चुनाव सुधार, बहुत व्यापक विषय है। इसमें सुधार की अपार संभावनाएं हैं। एक कहावत मैं और कह रहा हूं "तू कहत है कागज की लेखी, मैं कहत हूं आंखन की देखी" जो वास्तविकता है वह मैं बता रहा हूं। *...(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : आप सही कह रहे हैं। आप जो करते हैं, वही बोलते हैं। आपकी वाणी से स्पष्ट हो रहा है कि आप ऐसा ही करते हैं और जो करते हैं, उसी को यहां बता रहे हैं। इस मामले में मुझे आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): इस तरह मत कहो।

सभापति महोदय : उन्हें उसका उत्तर देने दो।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमने जो देखा है वहीं बताया है। उसमें हमारी बात होगी। एक न एक दिन हिन्दुस्तान में लोकतंत्र मजबूत होगा। मेरा कहना है कि गरीब आदमी भी उठेगा। फोर्स रहे या न रहे लेकिन वह बराबरी करेगा। वह वोट डालेगा और आपको पछाड़ेगा। हम लोगों का राज फिर बनेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, क्या आप विधेयक वापस ले रहे हैं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति जी, 20 और 22 नवम्बर का आइटम आप कब लेंगे? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम वरीयता क्रम में मद लेते हैं। श्री वैको 13 माह से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका सबको पता चल गया है। उनकी मद संख्या 18 है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 5.11 बजे

अन्तर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम अन्तर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक, 1999 पर चर्चा करेंगे। श्री वैको।

श्री वैको (शिवकाशी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि राज्यों के बीच नदी जल के समान वितरण के उद्देश्य से अन्तर्राज्यीय नदियों के राष्ट्रीयकरण और उससे संसक्त आनुषंगिक विषयों पर उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया जिसकी मैं महीनों से प्रतीक्षा कर रहा था। बारहवीं लोक सभा में भी यही विधेयक पुर:स्थापित किया गया था लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला क्योंकि विधेयक पर विचार नहीं किया गया था।

माननीय सदस्य, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने चुनाव सुधार के संबंध में एक विधेयक पुर:स्थापित किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विधेयक है। मैं उनका भी आभारी हूं कि उन्होंने अपना भाषण छोटा किया जिससे मैं यह सुनिश्चित कर सका कि मेरे विधेयक पर विचार किया गया है।

महोदय, हमारा देश विपुल संसाधनों से युक्त बहुत ही सुन्दर देश है जिसकी विश्व में तुलना नहीं की जा सकती। यहां हिमाच्छादित चोटियां, सुन्दर बारहमासी नदियां, विशेषकर दक्षिण में तीन समुद्रों से घिरा हुआ प्रायद्वीप, एक विशाल भूदृश्य और अत्यधिक जनसंख्या

[श्री वैको]

है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार, पांच वर्ष में हम जनसंख्या के मामले में चीन से आगे निकल जायेंगे। लेकिन सभापति महोदय, जब मैंने हिमाच्छादित चोटियों और बारहमासी नदियों और प्रचुर समुद्र सम्पदा के साथ-साथ इस सुन्दर भूदृश्य का वर्णन किया है तो इसके साथ ही लाखों लोग असहनीय सूखा, के शिकार हुए हैं। विशेषकार हाल ही में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ भागों में जो कुछ हो रहा है, उसे दूरदर्शन और अन्य टेलीविजन चैनलों में देखकर हमें आश्चर्य हुआ है। पशु किसानों की आंखों के सामने मर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि घरेलू किसानों ने इन पशुओं को अपने परिवार के सदस्यों की तरह कैसे पाला है। लेकिन हमने इन सूखा प्रभावित राज्यों में कई स्थानों पर पशुओं के कंकाल देखे हैं। वे पानी की कमी के कारण मर गये हैं और लोगों को भी विशेषकर पेयजल की कमी के कारण अत्यधिक परेशानी हो रही है।

वर्षों पहले, हम विदेशों से पीएल-480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों के बड़े जहाजों के आगमन की प्रतीक्षा करते थे। आज हम न केवल आत्म-निर्भर बन गये है बल्कि हम कभी-कभी खाद्यान्नों का निर्यात करने में भी सक्षम हैं। इसका श्रेय हमारे देश के किसानों को दिया जाना चाहिए। अब इस नई सहस्राब्दि में हम अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं ताकि हम विश्व में सुपर आर्थिक ताकत बन सकें। हमारे देश में अत्यधिक सम्भावनाएं हैं। यहां लाखों एकड़ बंजर भूमि हैं लेकिन सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है।

महोदय, हमारे देश में काफी नदियां कई राज्यों से गुजरती हैं और फिर समुद्र में मिलती हैं। अत्यधिक अप्रयुक्त जल समुद्र में चला जाता है। यदि हम अपनी नदियों की इस सम्पदा का उपयोग करने की कोई संदर्शी योजना बना लें तो हम विशेषकर अपने देश की समृद्ध कृषि सम्पदा के कारण विश्व में प्रथम आर्थिक शक्ति बन सकते हैं।

महोदय, हम अत्यधिक धार्मिक निष्ठा के साथ नदियों का सम्मान करते हैं, हमारे देश में नदियों को महिलाओं के नाम से पुकारा जाता है। उन्हें देवी कहा जाता है। यहां तक रामायण महाकाव्य में भी यह वर्णन किया गया है कि राम गंगा के मैदानों और गोदावरी नदी से गुजरे थे। लेकिन अत्यधिक जल व्यर्थ जा रहा है। हमारे यहां भी अन्तर्राज्यीय नदियों से उत्पन्न कुछ नदी जल भिन्न हैं।

महोदय, ऐसी भी नदियां हैं जो देशों से गुजरती हैं। हमारी कुछ ऐसी नदियां है जो मैक्सिको, अमरीका, फ्रांस और जर्मनी, सुडान और मिस्र, पाकिस्तान तथा भारत आदि से होकर गुजरती हैं। रावी और ब्यास के जल के बंटवारे के लिए नदी जल समझौता हुआ था जिस पर स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खां द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों के कारण अपने चुनाव घोषणा पत्र में हमने यह उल्लेख किया है कि अपने देश की सभी अन्तर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

महोदय, भारत के संघीय देश है, यह एक संघीय देश होना चाहिए और यदि इस देश को भारत संघ राज्य के बजाए संयुक्त राज्य भारत कहा जाये तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैं आशा करता हूं कि वह दिन शीघ्र आये। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी अन्तर्राज्यीय नदियों पर नोडल केन्द्र सरकार का विशेष अधिकार और नियंत्रण होना चाहिए और जल के आबंटन के लिए पूर्व निर्धारित फार्मूला के अनुसार नदी के जल का वितरण किया जाना चाहिए।

इससे न केवल संबंधित राज्यों के हितों को प्रभावित किये बिना विभिन्न राज्यों के बीच नदी के जल का वितरण हो सकेगा बल्कि उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग भी होगा।

बेसिन राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय नदी जल-बंटवारे का मामला न निपटाये जाने के कारण 8000 मे.वा. पनबिजली उत्पादन की क्षति और अत्यधिक सिंचाई क्षमता के सृजन के कारण हमारी अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष 12,000 करोड़ से 14,000 करोड़ रु. तक का घाटा होता है। कावेरी नदी जल विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद और सरदार सरोवर बांध विवाद जैसे प्रमुख विवादों के अतिरिक्त इस देश में अन्य जल विवाद हैं। छः और ऐसे अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद हैं, जो वर्तमान में निपटान प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है। इनमें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्य शामिल हैं। यदि उन्हें समुचित ढंग से और समय पर नहीं निपटाया गया तो उनमें से प्रत्येक विवाद के अति संवेदनशील होने की संभावना है।

पिछले 18 वर्षों के दौरान संख्या-वार और संवेदनशीलतावार अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों में वृद्धि हो रही है। विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार वर्ष 2025 तक हमारे देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता प्रति वर्ष 1500 क्यूबिक मीटर से कम होगी। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की अत्यधिक संभावना है कि हमें आगामी वर्षों में काफी संख्या में अन्तर्राज्यीय नदी विवादों का सामना करना पड़ सकता है।

मैं दलगत विचारों और राजनैतिक पार्टी के विचारों से ऊपर उठकर इस विषय पर बोल रहा हूं। मैं इस अवसर का लाभ किसी

सरकार अथवा किसी राजनैतिक पार्टी अथवा किसी राज्य की आलोचना करने के लिए नहीं उठाना चाहता क्योंकि मैं स्वयं भी गोदावरी नदी जल विवाद में एक असंतुष्ट पक्ष में हूं। इसमें मेरा राज्य भी शामिल है परंतु मैं किसी अन्य राज्य की आलोचना करने के लिए इस अवसर का लाभ नहीं उठाऊंगा।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): आपका मन श्रीलंका में है।

श्री वैको : ठीक है। हम इस विषय पर एक अलग मुद्दे के रूप में चर्चा करते हैं।

चालू अंतर्राज्यीय नदी विवादों से अब यह देखा जा सकता है कि वर्तमान जल विवाद निपटान तंत्र और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 बिल्कुल पर्याप्त, कारगर और प्रभावी नहीं हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय जल नीति, 1987 का भी मामला है। अत: यह अनिवार्य है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम में तुरंत संशोधन किया जाए ताकि अंतर्राज्यीय नदी विवादों के समय पर निपटान के लिए यह वास्तव में एक प्रभावी कानूनी माध्यम बन सके। इसी प्रकार, बेसिन राज्यों के बीच में अंतर्राज्यीय नदी जल बंटवारे के लिए मानदंडों को अंतर्विष्ट करने के लिए राष्ट्रीय जल नीति में भी सुधार किया जाना चाहिए और देश के अपर्याप्त जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए एक नीतिगत ढांचा बनाया जाना चाहिए।

हमारे माननीय सदस्यों, विशेषकर वरिष्ठ सदस्य जैसे इस सभा में श्री शिवराज वी. पाटील जी को याद होगा कि गंगा-कावेरी लिंक की प्रैस में काफी चर्चा की गई। संसद में उस पर चर्चा की गई थी और राजनैतिक नेताओं द्वारा भाषण दिए गए थे।

मुझे याद है कि गंगा-कावेरी लिंक भावनात्मक एकता लाएगा। एक प्रसिद्ध अभियंता, डा. के.एल. राव, 1960 में लगभग एक दशक तक संघ सरकार के मंत्री रहे। वे गंगा-कावेरी नहर एकता के लेखक थे। उन्होंने पूर्ण अध्ययन किया। उन्होंने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि गंगा जल को इस प्रायद्वीप के किनारे तक ले जाया जा सकता है और सभी नदियों को इससे जोड़ा जा सकता है। परंतु क्या हुआ? विशेषज्ञों द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया गया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। भारी धनराशि खर्च करनी होगी क्योंकि विंध्याचल के आगे से जल लेना पड़ता और इसमें विद्युत की आवश्यकता होगी। करोड़ों रुपयों का खर्च वहन नहीं किया जा सकता था। यह सरकार का अंतिम निर्णय था। अत: इस विचार को छोड़ दिया गया।

परंतु, फिर भी सिंचाई मंत्रालय, जो अब जल संसाधन मंत्रालय है, ने और केन्द्रीय जल आयोग ने डा. के.एल. राव द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर एक राष्ट्रीय संदर्शी योजना बनाई है जिसमें जल संसाधन विकास के लिए जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए अधिक जल वाले क्षेत्रों से कमी वाले जल क्षेत्रों को जल पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय और हिमालय की नदियों के बीच अंत:लिंकेजज की परिकल्पना की गई है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय संदर्शी योजना के जल संतुलन और अन्य अध्ययनों को करने के लिए जुलाई 1982 में राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी को स्वायत्तशासी एजेन्सी के रूप में स्थापित किया है।

महोदय, जब पूर्व सिंचाई मंत्रालय, जो अब जल संसाधन मंत्रालय है, और केन्द्रीय जल आयोग ने जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय संदर्शी योजना बनाई तो उस योजना में दो मुख्य घटक समाविष्ट थे। यह पहले ही बताया जा चुका है कि पहला घटक हिमालय की नदियों का विकास और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियों का विकास करना था। वह दो भागों में विभाजित था। प्रायद्वीपीय और साथ ही साथ हिमालय की नदियों के अंत:लिंकिंग के प्रस्ताव को बनाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी और प्रायद्वीपीय विकास एजेन्सी की स्थापना की।

यह अति महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम, हिमालय की नदियों का विकास किया जाएगा और दूसरे, प्रायद्वीपीय नदियों का विकास किया जाएगा और इन हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने के लिए भारत सरकार ने 1982 में राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी की स्थापना की।

महोदय, वर्तमान आदेश लिंकों की संभाव्यता तैयार करने के लिए है। इस उद्देश्य के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में उचित प्रावधान किया गया है। मैं दोनों योजनाओं अर्थात् प्रायद्वीपीय नदी योजना और हिमालय नदी योजना के बारे में चर्चा करूंगा और मेरी इस प्रायद्वीपीय नदी योजना में काफी दिलचस्पी है क्योंकि इससे महानदी, गोदावरी और कावेरी तक सभी नदियों को जोड़ा जाएगा।

अंतर्राज्यीय जल विवाद अर्थात् पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी-व्यास जल विवाद और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के बीच कावेरी जल विवाद को अधिनिर्णयन के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत अदालत में भेजा गया।

सभापति महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे। श्री वैको आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

श्री वैको : महोदय, ठीक है।

अपराह्न 5.30 बजे

आधे घंटे की चर्चा

पुलिस बल का आधुनिकीकरण

सभापति महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे। श्रीमती श्यामा सिंह।

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): सभापति महोदय, आज हम एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमने इस विषय पर पहले भी चर्चा की है। इस संबंध में हमारे पास एक तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और पिछले कई महीनों से बहुत से अन्य प्रश्न आए हैं।

महोदय, सीधे बात पर आते हुए, वे उत्तर जो मुझे माननीय गृह मंत्री से प्राप्त हुए है मेरे पास हैं। अधिकतर जब भी हमने देश में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के बारे में चर्चा की है तो वे उन मामलों पर निर्भर करते हैं जिनमें उन्होंने विभिन्न राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, आंध्र प्रदेश के नक्सलवादी राज्यों को विभिन्न पूर्वापेक्षित आवंटन दिए और उस आधुनिकीकरण और ऐसी ही अन्य जानकारियों पर निर्भर करते हैं जो उन्होंने महाराष्ट्र और उड़ीसा में लाने की कोशिश की।

परंतु महोदय, मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूं। जब हम देश में अर्द्ध-सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर चर्चा करते हैं तो हमें पूर्ण आधुनिकीकरण प्रक्रिया को संपूर्णता में लेना चाहिए। जब हम इस पर चर्चा आरंभ करते हैं कि देश के बाहर अथवा इन पांच राज्यों में आधुनिकीकरण से हमारा क्या अर्थ है तो हमें विभिन्न घटकों पर विचार करना चाहिए। मैं गृह मंत्री को बार-बार लिखती रही हूं। मुझे उत्तरों के भाग मिलते रहे है परंतु अभी तक मुझे मंत्रालय से उत्तरों के महत्वपूर्ण भाग और कुछ सर्वाधिक प्रभावी उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार नक्सलवादी गतिविधियों के चंगुल में हैं। चूंकि मैं बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सदस्या हूं जो नक्सलवादी बहुल क्षेत्र है मैंने अपने पत्र के माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध किया था और प्रश्नवार आपने यह सुझाव भी दिए थे कि केन्द्रीय बिहार मंडल-औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, गया और बिहार में ऐसे ही अन्य सात संसदीय जिलों में नक्सलवादी गतिविधियों को कम करने के लिए वास्तव में क्या उपाय किए जाएं।

मुझे यह कहने में बहुत दुख हो रहा है कि यद्यपि बिहार में स्थिति को सुधारने के लिए माननीय मंत्री और राज्य मंत्री में काफी उत्साह रहा है परंतु हमारे सामने जो तस्वीर है वह अत्यंत निराशापूर्ण है।

जब मैंने पिछले आठ महीनों में अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया था तो मैंने पाया कि किसी भी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हुई थी। मैंने माननीय गृह मंत्री से अनुरोध किया कि वे केन्द्र में और राज्य में दोनों की सरकारों से अनुरोध करें आधुनिकीकरण का मुख्य और पहला कदम संचार माध्यम है। यदि हमारे पास उचित संचार प्रणाली नहीं है तो आधुनिकीकरण के विषय में बात करना और आधुनिकीकरण का पूरा प्रश्न अप्रासंगिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया औरंगाबाद बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और साथ ही सड़कों की स्थिति खराब होने के कारण पीपलवार ग्रुप के नक्सलवादियों, और सभी प्रकार के अन्य समाज विरोधी तत्वों के चंगुल में है।

आपके आधुनिकीकरण योजना के किसी भी प्रकार के क्रियान्वयन में एक सबसे बड़ी रूकावट संचार ही होगी। मैं जानती हूं कि यह आपका विषय नहीं है परंतु गृह मंत्रालय को केन्द्रीय बिहार में वर्तमान संचार प्रणाली के सहयोग से आधुनिकीकरण योजनाएं बनानी चाहिए। पुलिस के आधुनिकीकरण के कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व केन्द्रीय बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग दो पर जो लगभग 45 से 50 किलोमीटर लम्बा है, मरम्मत करने और तत्काल संचार व्यवस्था और सड़क बनाने की आवश्यकता है।

परंतु इन मोर्चों पर विफल होने पर मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि अभी भी स्थिति की जांच करें और देखें कि उस क्षेत्र में पुलिस और अर्द्ध सैन्य बलों का सुधार करने से पूर्व भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग को एक मुख्य मुद्दे के रूप में ले।

महोदय, बहुत से प्रश्न संख्या में ज्यादा हैं। हमारे पास समय की कमी है क्योंकि हमें आपका पहलू भी सुनना है।

परंतु मेरी चर्चा का भाग तीन अत्यधिक मुख्य प्रश्नों से संबंधित है मैं चाहूंगी कि यह माननीय सभा विशेषकर मंत्री इस ओर ध्यान दे। जहां तक मुझे याद है पुलिस आधुनिकीकरण का मुद्दा इस माननीय सभा में पहले भी उठाया जा चुका है। पुलिस कार्य और आवासीय स्थितियां सुधारने, परिवार के लिए आवास, थानों के लिए भवन प्रदान करने, पुलिस गतिशीलता, और संचार सुधारने के लिए सुझाव दिए गए हैं। हमें योजना और गैर-योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की सूचना दी गई है जिसमें पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए हजारो करोड़ रु. जारी किए जा रहे

हैं। इन सबके बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं इसके लिए 'नहीं' कहती हूं। यह मेरा पिछले आठ महीनों का अनुभव है। मैं इस पर विचार नहीं कर रही हूं कि इस सरकार के सत्ता में आने से पूर्व क्या हुआ था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि पिछले आठ महीनों में उन्होंने राज्य के लिए क्या किया है। पुलिस की लोकप्रिय अवधारणा अभी भी बदली नहीं है। यह दमन का उपनिवेशीय साधन है। केन्द्रीय बिहार में लोग बस इतना ही जानते हैं।

अत:, महोदय, जैसा कि मैंने कहा था कि 1977 में एक राष्ट्रीय पुलिस आयोग नियुक्त किया गया था जिसने 1980 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। उस आयोग ने सभी तरह ही उत्कृष्ट कार्य किया था। हमें बताया गया कि इन सिफारिशों को क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के पास भेजा गया था। इनमें से कितनी सिफारिशों को लागू किया गया है? क्या आप मुझे इसके आंकड़े दे सकते हैं? इनमें से कितने कार्यक्रमों को लागू किया गया है? अगर हम यह मान भी लेते हैं कि उनमें से अधिकांश पर हमने कार्यवाही की है तो हमारे राज्य में पुलिस की छवि में अभी तक सुधार क्यों नहीं हुआ है? पुलिस को आधुनिक बनाने के प्रयासों के बावजूद यह एक सामंतवादी व्यवस्था है। इसका यह कारण है कि अधिक सार्थक सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है और यदि उन्हें लागू किया जाता तो इससे पुलिस के कार्य करने की छवि में कम से कम थोड़ा सा तो सुधार हुआ होता। अत: उन्हें अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया? उदाहरणार्थ यह अकसर कहा जाता है कि यदि पुलिस को दिए गए वैधानिक अधिकारों को संशोधित किया जाए तो पुलिस इस मनोविज्ञान को बदल सकती है। अत: पुलिस के लिए एक नए विधान की आवश्यकता है। मैं चाहती हूं कि यह माननीय सभा इस पर ध्यान दे क्योंकि यह सभी राज्यों पर लागू होगा। पुलिस को नये कानून की आवश्यकता है। 1861 के अधिनियम को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसे समाप्त क्यों न कर दिया जाये? मैं नया पुलिस अधिनियम बनाने की मांग करती हूं, जो स्वतंत्र और आधुनिक भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण को प्रदर्शित करता है। यह कहा जाता है कि जैसे लोग वैसी ही पुलिस। क्या हमें बेहतर पुलिस की आवश्यकता नहीं है? यदि हम नये पुलिस अधिनियम से इसे प्राप्त कर सकते हैं तो हमें इसे बनाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से सविनय अनुरोध करती हूं कि वे नये पुलिस अधिनियम को लागू करने के लिए समय-सीमा नियत करें।

दूसरा मुद्दा राज्य और केन्द्र के बारे में है। जब कभी हम अर्द्धसैनिक बलों की बात करते हैं, जब कभी हम अर्द्धसैनिक बलों या पुलिस बल के आधुनिकीकरण की बात करते हैं, तो इस माननीय सभा को तुरन्त यह उत्तर दिया जाता है कि यह राज्य का विषय है। अब राज्य और केन्द्र में से किसको लाभ पहुंचने जा रहा है तथा किसको हानि होने जा रही है? बड़ी मात्रा में धनराशि बिहार राज्य को दे दी जाती है। अत: यह भारत सरकार पर निर्भर करता है। यह आज की सरकार पर निर्भर करता है कि वह बिहार सरकार पर यह दबाव डाले कि यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है; इन योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है अन्यथा, आपको उन पर कड़ाई बरतनी पड़ेगी। यह क्यों नहीं किया गया है? भारत में, जैसा कि मैंने नोटिस दिया है, इस माननीय सभा में हमारे मंच द्वारा पिछले छ: या आठ महीने में पूछे गए प्रश्नों के अधिकांश उत्तर नकारात्मक हैं। वे कह रहे हैं कि वे इस मामले की छानबीन कर रहे हैं तथा इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। किन्तु, महोदय स्कीमों, योजनाओं, कार्यक्रमों, आधुनिकीकरण के सभी लाभ, जो कुछ भी यहां मिल सकते हैं, से लोग वंचित रह जाते हैं। किन्तु निचले स्तर पर लोग कुछ भी प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यह कठिन समस्या है जो हमारे देश को अस्वस्थ कर रही है। पुलिस हमारे समाज का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। यह गरीब और अमीर की देखभाल करती है, किन्तु वर्षों से मैंने यह देखा है कि पुलिस वचनबद्धता के उस स्तर तक नहीं पहुंची है। गृह मंत्रालय में मंत्री होने के नाते आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि उन लोगों में जो उच्च पदों पर बैठे हैं, वचनबद्धता की भावना होनी चाहिए तथा उनमें ईमानदारी भी होनी चाहिए।

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्रीमती श्यामा सिंह : मैं एक मिनट का समय लूंगी। उनमें ईमानदारी की भावना होनी चाहिए। यदि आप पुलिस का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, तो वे कौन लोग हैं, जो आपको पुलिस का आधुनिकीकरण करने में मदद करेंगे। उपकरण, पुलिस का आधुनिकीकरण करने में आपकी मदद करने नहीं जा रहे हैं। आप उन्हें उपकरण भेज देंगे किन्तु वे कौन लोग हैं, जो इन उपकरणों का उपयोग करने जा रहे हैं? इन उपकरणों के उपयोग करने वाले, वे लोग होने चाहिए जो समग्र पुलिस बल की मदद करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित हों तथा एक साथ इन्हें ही तथा यह देखें कि जो कार्यक्रम और आधुनिक उपकरण उन्हें भेजे गए हैं, उनका क्रमश: उचित कार्यान्वयन या उपयोग किया जाये तथा आम आदमी को इसका लाभ मिले, उसको अपना हिस्सा मिले, उसे वह सब मिले जो वह चाहता है।

मैं आपको यह बता सकती हूं कि औरंगाबाद के नक्सलवादी क्षेत्र में यह एक करुणाजनक कहानी है। आन्ध्र प्रदेश में स्थिति और भी खराब है। वहां पर स्थिति बहुत खराब है। किन्तु जैसा

[श्रीमती श्यामा सिंह]

कि आप जानते हैं बिहार में, देश में सबसे अधिक बेरोजगार लोग हैं तथा विशेष रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र में एक भी लघु उद्योग नहीं है। इन सब बातों के चलते, कम से कम हमें एक अच्छे पुलिस बल की आवश्यकता है।

आज, इस चर्चा का दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू इस तथ्य को प्रकाश में लाना है कि भूल करने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी को, उनकी ओर से की गयी किसी चूक के लिए दंडित नहीं किया गया है, इसलिए लोगों का उनमें विश्वास समाप्त हो गया है। हमने जांच की है कि और पाया है कि हमारे यहां इस देश में सात अर्द्धसैनिक बल हैं तथा भारत में लोगों का उन सभी में विश्वास समाप्त हो गया है। एक-एक करके उन्होंने विश्वास खो दिया है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा करने की कोशिश करता है, तो लोग उन्हें प्रताड़ित करते हैं तथा उन्हें दण्डित करते हैं। भारत में, अब कौन प्रेरणादायक है तथा कौन किसी मामले में आपकी सहायता के लिए आता है।

दूसरा पहलू यह है कि जब तक आप किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं हैं तब तक आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मध्य बिहार में, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि सड़के और संचार व्यवस्था बेहतर हों। किन्तु आप सरकार के रूप में जो कुछ करने जा रहे हैं, वह आप कर सकते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रहने योग्य हो तथा हम लोग मानवीय भय के कारण नहीं रह रहे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहती हूं। आधुनिकीकरण के संबंध में, आपने जो भी उत्तर मुझे दिया है या जो माननीय गृह मंत्री ने मुझे उत्तर दिया था मैं उसकी आभारी हूं। मंत्री के रूप में मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री पुलिस बल तथा आवश्यक परिवर्तनों के बारे में आज प्रस्तुत किए गए विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर दें।

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन): महोदय, यद्यपि संविधान के अनुसार, पुलिस एक राज्य विषय है, केन्द्र, देश में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के मामले में राज्यों को सहायता प्रदान करने के बुनियादी उत्तरदायित्व से मुंह नहीं फेर सकता है। आज, हमारा पुलिस बल पूर्ण सज्जित नहीं है, पूर्णतया प्रशिक्षित नहीं है जबकि उन्हें सुसज्जित समाजरोधी आतंकवादी समूहों का सामना करना पड़ता है।

यदि हम वर्ष 2000-2001 के लिए बजट प्रस्तावों को देखे तो हम पायेंगे कि सरकार ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए केवल 200 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करायी है। इसी राशि को सरकार सभी राज्यों के बीच आवंटित करने जा रही है। इतने कम आवंटन से सरकार पुलिस बल का आधुनिकीकरण किस प्रकार करने जा रही है, इसकी जानकारी नहीं है। आज, हम देखते है कि हमारा देश आतंकवाद, नक्सलवाद के साथ-साथ पाकिस्तान की आई.एस.आई. की चुनौतियों का सामना कर रहा है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस आवंटन को बढ़ाकर 700 करोड़ रुपए कर दे।

हमारी पुलिस भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है तथा ब्रिटिश सरकार ने अपने साम्राज्यवादी हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 अधिनियमित किया था। तब, ब्रिटिश साम्राज्य से अपने आपको स्वतंत्र कराने हेतु भारतवासियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का दमन करने के लिए पुलिस बलों का उपयोग किया जाता था।

हमारी पुलिस अपनी क्रूरता के लिए भी जानी जाती है। वह शान्तिप्रिय नागरिकों पर अपनी लाठी भी शक्ति का उपयोग करती है। प्रतिदिन हम निर्दोष लोगों पर पुलिस की क्रुरता की बातें सुनते हैं। वर्ष 1991 में संसद में सभापटल पर रखी गयी गृह मंत्रालय रिपोर्ट में बताया गया था कि अपराध सिन्डिकेट्स ने सभी स्तरों पर राज्य तंत्र को भ्रष्ट कर दिया है तथा वे अपनी समानान्तर सरकार चला रहे हैं। मानवीय व्यवहार पर कुछ पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की तत्काल आवश्यकता है। एक अनुमान के अनुसार देश में विभिन्न न्यायालयों में लगभग 10 मिलियन आपराधिक मामले लंबित है। दशकों तक इन मामलों को खींचा जाता है। जेलें भरी पड़ी हैं। कुछ विचाराधीन अपराधी छोटे-मोटे अपराधों के लिए दशकों से जेल में पड़े हुए हैं। पुलिस के पास मामलों की जांच करने का समय नहीं है। मामलों को तेजी से निपटाया जाना आवश्यक है। अन्यथा जिन लोगों को न्यायिक प्रक्रिया पर कुछ भरोसा है, उनका न्याय पर से भरोसा उठ जाएगा।

मेरे राज्य कर्नाटक ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु 400 करोड़ रुपए की मांग की है। जबकि कुछ राज्यों को इस उद्देश्य के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता मिलती है, कर्नाटक को इस आधार पर यह सहायता नहीं मिलती कि यहां व्यय की तुलना में राजस्व अतिरिक्त है। ऐसा नहीं है। राज्य में संसाधनों की इतनी कमी है कि यह नक्सली समूहों जो कि राज्य में अपनी जड़े जमा रहे हैं की बढ़ती हुई चुनौती से निपटने के लिए अपने पुलिस बल का आधुनिकीकरण भी नहीं कर सकता। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे राज्य में पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित करें।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के सातवें शेडयूल के लिस्ट सैकिंड के अनुसार पुलिस फोर्स राज्य का विषय है। मैं गृह मंत्रालय का धन्यवाद करता हूं। देश भर में इंटरनल सिक्योरिटी का जो सिनेरियो बना है, उसे देखते हुए उसने राज्यों को मैचिंग ग्रांट रिलीज की। यह 1969 से 1980 तक दस साल में 52 करोड़ थी, 1980 से 1990 तक 110 करोड़ थी, 1991 से 1999 में 320 करोड़ थी और 1999 में 464 करोड़ आगे आने वाले दस सालों के लिए हो गई। जिस प्रकार देश में आंतरिक सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा बना है, क्राइम ऑर्गेनाइज और माफिया जो काम कर रहे है, उसे देखते हुए मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि ये फंड बहुत कम रहेंगे। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में चीफ सैक्रेट्री की मीटिंग में कहा गया कि-

[अनुवाद]

> "केन्द्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को यह ध्यान दिलाते हुए कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा कई गुना बढ़ गया है और उनसे आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने में केन्द्र-राज्य संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों के बीच निकट सहयोग के लिए कहते हुए 16-7-1999 को एक पत्र भेजा।"

[हिन्दी]

इस सब के चलते मुझे लगता है कि ये फंड्स बहुत कम हैं। उसकी ज्यादा व्यवस्था करनी चाहिए। जितनी भी पुलिस फोर्स है चाहे बी.एस.एफ. हो, सी.आर.पी.एफ. हो, आई.टी.बी.पी. हो, दिल्ली पुलिस हो, इनकी अलग-अलग समस्याएं हैं। दिल्ली पुलिस केन्द्र के अन्तर्गत आती है लेकिन इसकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, जिसे इंटरनेशनल क्राइम और नेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिटैक्ट करना होता है, उस क्राइम ब्रांच के क्राइम इंसपैक्टर के पास एक गाड़ी नहीं होती है। आप एस.एच.ओ. को गाड़ी देते हैं, आप ट्रैफिक इंसपैक्टर को गाड़ी देते हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच के इंसपैक्टर के पास गाड़ी नहीं है जिससे वह अपनी ड्यूटी पूरी कर सके। उसके नीचे स्टाफ नहीं होता जबकि क्राइम ब्रांच सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमैंट है। जब ऐसा होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्राइम ब्रांच में काम करेगा। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि आज भी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती करते समय आठवीं या दसवीं पास को क्यों लिया जाता है जबकि आपके पास ग्रेजुएट उपलब्ध हैं और वे प्रचुर मात्रा में हैं। यह उस समय होता होगा जब ज्यादा लोग शिक्षित नहीं होते होंगे लेकिन आज जब लोग शिक्षित हैं तब आठवीं-दसवीं पास को क्यों लिया जाता है? जिस कांस्टेबल को पढ़ाई-लिखाई का भी काम करना पड़ता है, ऐसे में ग्रेजुएट कांस्टेबल की भर्ती करनी चाहिए। वे कांस्टेबल के बाद हैड कांस्टेबल, फिर सब-इंसपैक्टर बनते हैं। आपने देखा होगा कि कोर्ट में ज्यादातर मुकदमों में अपराधी इसलिए छूट जाते हैं कि कम पढ़े-लिखे कांस्टेबल् हैं। वे शायद केस को पूरी तरह तैयार नहीं कर पाते, उसके कागजात पूरी तरह तैयार नहीं कर पाते, इसलिए मेरा अनुरोध है कि मॉडर्नाइज करते वक्त यह भी देखा जाए। आपने देखा होगा कि पुलिस के सिपाहियों को ड्राइविंग नहीं आती। मैंने गृह मंत्री जी को काफी महीने पहले एक सुझाव भेजा था कि जब भी भर्ती करें तो उन्हें कहा जाए कि वह ड्राइविंग लाइसेंस साथ लाएं। ऐसे में वे ड्राइविंग सीख कर आएंगे। ऐसी बहुत सी चीजों को गृह मंत्रालय देखे।

दूसरी बात पुलिस में बढ़ता भ्रष्टाचार है। जब आप एक सिपाही, इंसपैक्टर और एस.एच.ओ. से 24 घंटे काम करवाएंगे तो आप क्या अपेक्षा करेंगे? आज सरकारी कर्मचारी केवल आठ घंटे काम कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि पुलिस में भ्रष्टाचार है। आज दिल्ली पुलिस में मॉडर्नाइजेशन नहीं है। उसे आधुनिक किया जाना चाहिए। आज दिल्ली में 17 नए थाने खुले हैं लेकिन उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। हमारे पास मॉडर्न इक्विपमैंट्स नहीं हैं जबकि अपराधियों के पास हर तरह के आधुनिक हथियार हैं। यदि उन्हें सॉफिस्टिकेटिड वैपन्स दे दिए जाएं तो अच्छा होगा। वी.आई.पी. सिक्योरिटी के लिए जितने पुलिस के सिपाही दिए जाते हैं, उसके लिए हर थाने को डिस्टर्ब किया जाता है। क्यों न वी.आई.पी. सिक्योरिटी के लिए अलग कैडर बना दिया जाए जिससे थाने डिस्टर्ब नहीं होंगे। आज क्राइम बड़े साइंटिफिक हो गए हैं। इसके लिए अलग कैडर बनाना चाहिए। कैडर चाहे साइंटिफिक डिपार्ट बनाने चाहिए। लैप्स भी होते हैं। वह केवल हैदराबाद के अंदर है। मुझे लगता है कि देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को देखते हुये पुलिस का माडर्नाइजेशन किये जाने की आवश्यकता है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, पुलिस का काम कानून का पालन और जनता की रक्षा करना है। आदर्श तो यह होना चाहिये कि जनता और पुलिस का परस्पर विश्वास हो लेकिन आज परिस्थिति विपरीत होती जा रही है। आज अनेक विषमतम परिस्थितियों के बीच में पुलिस को किस प्रकार सामंजस्य बैठाने के लिये अनुकूल बनायें, इसके लिये आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। इससे पहले कि मैं अपना प्रश्न पूछूं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज देशभर में 18 लाख पुलिसकर्मियों पर 6 हजार करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाती है फिर भी

[प्रो. रासा सिंह रावत]

लोगों में अराजकता की भावना है और आंतरिक सुरक्षा के अभाव में वातावरण बिगड़ता चला जा रहा है। अभी श्रीमती श्यामा सिंह ने बिहार के औरंगाबाद क्षेत्र का चित्रण किया। इससे तो वहां की हालत और बद रहती है। जो नक्सलवाद से प्रभावित राज्य हैं, उसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी रक्षक ही भक्षक बनकर खड़ा है। विश्वसनीयता और पारदर्शिता का नाम नहीं है। ऐसी स्थिति में 1971-72 में श्री धर्मवीर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग बनाया गया था जिसने पुलिस के पुनर्गठन के संबंध में तथा उसमें सुधार के लिये अच्छे सुझाव दिये थे। मुझे पं. जवाहर लाल नेहरू के वे शब्द याद आ रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस की सर्वश्रेष्ठ भूमिका सर्वसाधारण का मार्गदर्शन करना और उनकी रक्षा करना है। इसके लिये वह जनता का विश्वास और विश्वसनीयता बनाये रखे, यह बहुत आवश्यक है। इसलिये मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि पुलिस को आधुनिक समाजोन्मुखी एवं ज्यादा सक्षम बनाने के लिये क्या पूर्व गृह सचिव श्री पद्मनाभैया के नेतृत्व में कोई उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गई है, यदि हां, तो क्या उसमें सभी पुलिस के सेवामुक्त और सेवारत पुलिस के लोग ही सदस्य हैं? इसमें क्यों किसी समाजसास्त्री को सम्मिलित नहीं किया गया है या कोई विशेषज्ञ सम्मिलित किया गया जो आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप सुझाव दे सकें?

सभापति महोदय, उपरोक्त कमेटी को 12 मुद्दे सौंपे गये हैं जिनमें 6 पुलिस के आधुनिकीकरण के संबंध में हैं। क्या मंत्री जी इन पर प्रकाश डालेंगे और क्या केन्द्र सरकार ने पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्य सरकारों को कोई प्रोस्पैक्टिव प्लान भेज दिया है यदि हां, तो केन्द्र सरकार उस पर क्या कदम उठाने जा रही है?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, केवल दो या तीन सदस्य बचे हैं। कृपया उन्हें भी एक-एक मिनट के लिए बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : ठीक है, विशेष मामले के रूप में प्रत्येक को केवल एक मिनट का समय दिया जाता है।

श्री वरकाला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, पुलिस बल को दो प्रकार से आधुनिक बनाया जा सकता है। एक है उन्हें कम्प्यूटर सुविधाओं और इसी प्रकार की सभी आधुनिक सुविधाएं देना और दूसरा है उन्हें आधुनिक हथियार प्रदान करना। परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता तथा पुलिस के मध्य परस्पर संपर्क होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं। पुलिस बल का गठन ब्रिटिश शासकों द्वारा जन आंदोलनों को निर्दयता से कुचलने के लिए एक साधन के रूप में किया गया था और इसका इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया। पुलिस बल को आधुनिक बनाना पड़ेगा। उनका जनता के साथ सम्पर्क होना चाहिए। हिरासत में होने वाली मौतों की छानबीन करने के लिए मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। हिरासत में मौत एक आम बात बन गई है। इसको रोका जाना चाहिए तथा जनता और पुलिस के बीच स्वस्थ तालमेल होना चाहिए। इस प्रकार से पुलिस बल को आधुनिक बनाया जा सकता है। केन्द्र सरकार को पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकारों को इस तरह के निर्देश जारी करने होंगे कि जनता और पुलिस के बीच लगातार सम्पर्क होना चाहिए और पुलिस को लोगों के प्रतिनिधि तथा लोगों के मित्र के रूप में कार्य करना चाहिए।

इस प्रकार की भावना लोगों के विशेषकर गांवों में रहने वाले लोगों में पैदा की जानी चाहिए। अतएव, पुलिस और लोगों के मध्य लगातार सम्पर्क होना चाहिए।

श्री सुबोध कांत सहाय (मधेसीकारा): सरकार अब मैच फिक्सिंग प्रकरण की जांच के लिए स्कॉटलैण्ड यार्ड से पुलिस बुला रही है। यह अपने आप में हमारे देश में पुलिस बल को आधुनिक बनाये जाने की आवश्यकता का उदाहरण है। पहले, औपनिवेशिक शासन के दौरान यह पुलिस बल दमन का एक साधन था। अब बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार पुलिस बल को एक नया रूप दिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं यहां तीन मुद्दे उठाना चाहता हूं। पहला मुद्दा दोषसिद्धि की कम दर है। दूसरा है पुलिस पर कार्य का दबाव तीसरा है पुलिस अधिकारियों की योग्यता। महोदय, हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि आई.पी.एस. अधिकारियों की योग्यता में कमी आ रही है और इसका कारण समुचित प्रशिक्षण की कमी है। चूंकि हम एक आधुनिक पुलिस चाहते हैं, तो पुलिस को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया में उचित प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आधुनिक सुविधाएं निश्चित रूप से इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसके साथ ही, आई.पी.एस. अधिकारियों तथा पुलिस कर्मियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि आम आदमी की सेवा करने के लिए पुलिस बल को और प्रभावी बनाया जा सके।

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर): सभापति महोदय, हम ऐसे क्षेत्र अर्थात् उत्तर-पूर्व से हैं, जहां आतंकवादी गतिविधियां दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं और इसीलिए स्थानीय पुलिस को दी गई

सुविधाओं को आधुनिक बनाने के रूप में उस क्षेत्र के उन्नयन की आवश्यकता है। आतंकवादियों द्वारा खुलकर ए.के.-47 रायफल का उपयोग किया जाता है और 303 रायफल से उसके विरुद्ध मुकाबला नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, हमने देखा है कि जब आतंकवादी सुदूर के गांवों में आते हैं तो पुलिस उस क्षेत्र से किसी अन्य क्षेत्र में चली जाती है। सरकार द्वारा पैसा दिया जा रहा है- ऐसा नहीं है कि उन्हें पैसे का अभाव हैं - परन्तु इसका समुचित रूप से उपयोग नहीं हो रहा है। यह पैसा अधिकांशत: उच्च अधिकारियों द्वारा अपनी सुख-सुविधा पर उपयोग किया जा रहा है। नया वाहन, तीन सुरक्षा गार्ड तथा 30 सिपाहियों सहित एक पुलिस अधिकारी की आवश्यकता नहीं है। जो जरूरी है वह है लोगों की सुरक्षा करना। सरकार उन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों की सुरक्षा हेतु पैसा दे रही है परन्तु वह पैसा उच्च अधिकारियों की सुख-सुविधा तथा सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जा रहा है न कि लोगों की सुरक्षा के लिए। इसीलिए, मेरा कहना है कि केन्द्र सरकार द्वारा अपनी एजेंसियों के माध्यम से दिए जाने वाले पैसे की समुचित निगरानी करायी जानी चाहिए। पैसा वहां नहीं दिया जाना चाहिए जहां इसका दुरूपयोग हो और केवल आवश्यकता वाली जगह पर ही दिया जाना चाहिए। यही मेरा विनम्र निवेदन है।

[हिन्दी]

श्री खानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): सभापति महोदय आपने मुझे इस मुद्दे पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं। मैं बोडोलैंड से चुनकर आया सांसद हूं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस के बारे में जो यहां चर्चा हो रही है, मैं उस मुद्दे पर कुछ बोलना चाहता हूं। मैं तीन सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव है कि पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए सोफिस्टीकेटिड आर्म्स एंड एम्युनीशंस की आवश्यकता है, यह जरूरी है, मैं मानता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ जो पुलिस पर्सोनैल हैं, उन्हें ह्यूमैन राइट्स के बारे में, इंसानियत के बारे में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि उनमें ह्यूमैन राइट्स के प्रति भावना में वृद्धि हो, यह अभी तक नहीं किया गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि पुलिस के लोगों को मॉडर्न आर्म्स एंड एम्युनीशंस देने के साथ-साथ ह्यूमैन राइट्स के बारे में ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। क्योंकि आतंकवादियों को पकड़ने के नाम पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में खासकर बोडोलैंड के बहुत से निर्दोष लोगों पर पुलिस द्वारा हमले किये गये हैं।

[अनुवाद]

आतंकवादियों का दमन करने के नाम पर पहले ही पुलिस द्वारा काफी निर्दोष लोगों को मेारा जा चुका है, निमर्मता से सताया गया है, जबकि असली अपराधी यानी आतंकवादी साफ बचते जा रहे हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मेरा तीसरा सुझाव है कि हिन्दुस्तान में अगर समस्याओं का समाधान वार्ता के जरिये हो सकता है यानी पीसफुल्ली हम समस्याएं हल कर सकते हैं तो सिर्फ पुलिस फोर्स पर इतना रुपया खर्च करके उसे मजबूत करने की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन आज हिन्दुस्तान में समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं। इसलिए हमारा आग्रह है कि बोडोलैंड की मांग सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। और इसके अलावा भी देश की सारी समस्याओं का हल वार्ता के जरिए ढूंढ़ना चाहिए।

सायं 6.00 बजे

[अनुवाद]

अत: मैं भारत सरकार से एक अलग बोडोलैण्ड राज्य के सृजन की चिरप्रतीक्षित, ज्वलंत और सही मांग को जल्द से जल्द स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): महोदय, हालांकि सभी जा चुके है, हम बैठे हुए हैं। इसलिए हमें बोलने का मौका मिलना चाहिए। जब सभी बाहर चले गये हैं, हम भी जा सकते थे। कृपया हमें कम से कम दो मिनट का समय दीजिए ताकि हम में से प्रत्येक अधिक नहीं तो एक सुझाव दे सकें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : नियम ऐसा नहीं कहता है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : नियम तो आप ही बनाते हैं।

सभापति महोदय : नियम नहीं कहता है लेकिन पंचों की राय हो तो एक-एक मिनट सबको दे सकते हैं। अभी छ: बज चुके हैं। अगर सदन की सहमति हो तो मंत्री महोदय के उत्तर देने तक हम सदन का समय बढ़ा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : सदन का समय मंत्री महोदय के उत्तर देने तक बढ़ाया जाता है।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): माननीय सभापति महोदय, यह चर्चा तारांकित प्रश्न संख्या न. 262 से उत्पन्न हुई है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दों का स्पष्टीकरण दिया। हालांकि, वे और अधिक चर्चा चाहते थे, माननीय अध्यक्ष महोदय ने खुशी से इस आधे घंटे की चर्चा के लिए अनुमति दे दी।

सबसे पहले, मैं एक बात बताना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि इस देश के नागरिक अर्द्ध सैनिक बलों में दिन-प्रतिदिन अपना विश्वास खो रहे हैं। इस आरोप में लेश-मात्र भी सच्चाई नहीं है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में, उनकी कमान में, सभी अर्द्धसैनिक बल सफलतापूर्वक अपनी सरकारी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : किसी भी संसद सदस्य का अर्द्धसैनिक बलों पर से विश्वास कम नहीं हुआ है। कृपया इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए। हमने अर्द्धसैनिक बलों की सदा प्रशंसा की है। कृपया यह मत कहिए कि सदस्यों ने ऐसा कहा है। एक या दो सदस्य ऐसा कह सकते है। हम जानते है कि किस प्रकार अर्द्धसैनिक बल हमारे लिए अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करती है। वे अच्छा कार्य कर रहे हैं।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय तक ही सीमित रखूंगा। चूंकि उन्होंने अर्द्धसैनिक बलों का उल्लेख किया है, यह हमारा परम कर्त्तव्य है कि हम इन बलों की रक्षा करें। वे घुसपैठ और नक्सलवादियों के साथ-साथ अन्य गतिविधियों से भी मुकाबला कर रही है। इसलिए, मुझे निवेदन करना पड़ रहा है कि लोगों का इस पर से विश्वास नहीं उठा है। नि:संदेह कुछ मतभेद हो सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, श्री लाल कृष्ण आडवाणी के कमान में सभी अर्द्धसैनिक बल, अपनी जान को दांव पर लगा कर, इस देश के लिए अपने कर्त्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए, मुझे लगता है, वह उचित नहीं है कि अर्द्धसैनिक बलों को किसी भी बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए।

नक्सलवादियों, आई.एस.आई. गतिविधियों, घुसपैठ और कश्मीर से कन्याकुमारी तक अन्य सभी गड़बड़ियों का मुकाबला करने के लिए, श्री लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में पहली बार, विशेष रूप से नक्सलवादियों के खतरे को रोकने के लिए, कई बैठकों का आयोजन किया गया। एक समन्वय केन्द्र की स्थापना की गई है। जिसके अध्यक्ष गृह सचिव हैं, राज्यों के संबंधित सभी पुलिस के महानिदेशकों को सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है। वे नियमित रूप से विभिन्न राज्य सरकारों से सुझाव ले रहे हैं, और वे गुप्तचर एजेन्सियों द्वारा दी गई सूचनाओं को भी आपस में बांट रहे है। इतना ही नहीं, पहली बार, श्री लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में, संबंधित मुख्य मंत्रियों के साथ दो बैठकें हो चुकी हैं। एक बैठक हैदराबाद में हुई, दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, उसी दिन सुझावों को लिया गया। यह शुभ संकेत है।

हालांकि, यह सब मानते हैं कि, हम इस विषय को अनदेखा नहीं कर सकते। जैसे कि भारत के संविधान के सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची के दूसरी प्रविष्टि के अनुसार, 'पुलिस' राज्य का विषय है। इस प्रकार, यह राज्य सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व है कि वे अपने पुलिस बल को इस देश के बदलते सुरक्षा, कानून और व्यवस्था के बदलते परिवेश में बदलते समयानुसार प्रशिक्षण, अत्याधुनिक सामान से लैस और आधुनिक बनाएं।

हालांकि, माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों की कई क्षेत्रों में सहायता करती आ रही है। इनमें एक है पुलिस बल का आधुनिकीकरण। नि:संदेह, पुलिस का प्रशिक्षण और उन्हें अत्याधुनिक हथियारों से लैस करना इसमें शामिल है, परंतु उनको नैतिक मूल्यों का शिक्षण देना एक भिन्न विषय है। महोदया ने यह सुझाव दिया है कि हमें पुलिस के लिए नए अधिनियमन बनाने की आवश्यकता है, परन्तु यह भिन्न विषय है। जहां तक कानून और व्यवस्था और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण का संबंध है, केन्द्र सरकार ने साल 1969-70 में एक योजना आरंभ की थी जो अभी भी जारी है।

वर्ष 1980 तक पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को दी जाने वाली सहायता की संपूर्ण राशि 52.24 करोड़ रुपये थी। 1980-89 से 1990-1991 से दूसरे चरण में दी गई सहायता राशि 110 करोड़ रुपये थी। 1991-92 में दी गई, सहायता राशि 20 करोड़ रुपये थी। 1992-93 से 1995-96 तक, यह 120 करोड़ रुपये थी, अर्थात् 30 करोड़ रुपये की राशि प्रत्येक वर्ष दी गई।

नक्सलवादियों से प्रभावित राज्यों, जैसे बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को सुरक्षा पर खर्च करने के लिए धनराशि दी जा रही है। माननीय सदस्य बिहार के प्रति चिंतित है। जहां तक बिहार का संबंध है, ऐसा नहीं है कि सुरक्षा पर खर्च करने के लिए या पुलिस स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए धन को खर्च नहीं किया गया। बिहार में धनराशि खर्च की गई है। वहां पुलिस स्टेशन है, पुलिस है, और हथियार भी है। फिर भी वहां की स्थिति बहुत खराब है। इस पर काबू पाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, जहां तक दसवें वित्त आयोग के अनुसार, पुलिस आवास, प्रशिक्षण, दूरसंचार और पुलिस स्टेशनों के लिए 483.39 करोड़ रुपये की संपूर्ण राशि स्वीकृत की गई। इस राशि में से, 31 मार्च, 2000 तक जारी की गई राशि 300.71 करोड़ रुपये थी।

जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का संबंध है, वित्त वर्ष 1997-98 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई योजना तैयार की गई है जिसके अंतर्गत, हथियार और गोलाबारूद, वाहन और दूरसंचार और अन्य उपस्कर दिए जा रहे हैं। इस योजना को केन्द्र सरकार से शत प्रतिशत की धनराशि प्राप्त हो रही है। जहां तक सुरक्षा संबंधी खर्चे का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

श्री सानचुम्मा खुंगुर बैसीमुखियारी (कोकराझार): क्या मैं आपसे एक बात जान सकता हूं? असम सरकार को पुलिस आधुनिकीकरण पर खर्च करने के लिए कितनी धनराशि दी गई और अब तक असम सरकार ने किस प्रकार का आधुनिकीकरण किया है?

श्रीमती श्यामा सिंह : बिहार के बारे में क्या हुआ?

श्री एस.एस. चिन्नासत्तनर राव : जहां तक बिहार का संबंध है बिहार को पहले ही 9 करोड़ रुपये की धनराशि दी जा चुकी है; 4.5 करोड़ रुपये समायोजित किए गए है; और 4.5 करोड़ रुपये अभी जारी किए जाने हैं।

दसवें वित्त आयोग ने कर्नाटक जैसे राजस्व-आधिक्य राज्य को कोई धनराशि नहीं दी है। इसलिए, कर्नाटक और अन्य तीन राज्यों को धनराशि देना संभव नहीं हुआ। ग्यारहवां वित्त आयोग भी कुछ कार्यवाही कर रहा है। हमने एक परियोजना दी है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने आधुनिकीकरण के संबंध में प्रस्तावित योजना का उल्लेख किया है। 16 जुलाई, 1999 में संघ सरकार के गृह सचिव ने इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र लिखा। अभी तक 22 राज्यों और तीन संघ शासित प्रदेशों ने अपनी संदर्शी योजनाओं को भेजा है, जिसमें उन्होंने वाहनों, उपस्करों और हथियार और गोलाबारूद को खरीदने के लिए और आवासों, प्रशिक्षण, फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालाओं, संचार इत्यादि के निर्माण पर होने वाले अनुमानित खर्चे को इंगित किया है। कुछ राज्यों ने अपने संदर्शी योजनाओं में बहुत अधिक अनुमानित धनराशि के अनुमान भेजे हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा जमा की गई संदर्शी योजनाओं में अत्यधिक विभिन्नता है जो 55 लाख रुपये से 4241 करोड़ रुपये तक है। जबकि एक राज्य ने केवल 55 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा है, दूसरे राज्य, जैसे राजस्थान ने संदर्शी योजना में 4241 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। इन योजनाओं की सघन जांच की जा रही है।

हालांकि, यह विषय राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, केन्द्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत अत्यधिक मदद कर रही है।

श्रीमती श्यामा सिंह : माननीय सभापति महोदय, कृपया मुझे एक मिनट की अनुमति दीजिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सभा की कार्यवाही 8 मई, सोमवार 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।

सायं 6.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 8 मई, 2000/18 वैशाख, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।